PLUTUS IAS

UPSC / PCS

मासिक करेंट अफेयर्स

दिसम्बर 2025

मुख्य आकर्षण

1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025
2. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन 2025
3. GSAT-7 R (CMS-03): आत्मनिर्भर भारत का अंतरिक्ष प्रहरी
4. नीली अर्थव्यवस्था: समुद्री संसाधनों और आजीविका को मजबूत करना
5. भारत में आतंकवाद प्रतिरोध की चुनौतियां
6. सतत विकास लक्ष्यों (SDGs 2030) के 10 वर्ष
7. राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण (2026 - 27)



PLUTUS IAS

Where there is a will there is way

Offline/OnIine/Hybrid Batches
Admission Open at Karol Bagh/Chandigarh



Experienced Renowned Faculties



Personalized Mentorship Programme



Notes Making & Answer Writing



Live Session with Backup

Important Courses Offered by PLUTUS IAS

- GS Foundation Course
- NCERT Base
- Pre Cum Mains (GS)
- Prelims Test Series (65 Tests)
- Mains Test Series (24 Tests)

संपादकीय

प्रिय अभ्यर्थियों,

"यह परीक्षा मात्र प्रश्नों का उत्तर देने की नहीं, बल्कि यह दृष्टिकोण, धैर्य और अनुशासन की पहचान है। अतः जो तूफानों से लड़ना जानता है, वही इतिहास में अपना नाम लिखता है।"

सिविल सेवा परीक्षा केवल एक प्रतिस्पर्धा भर नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, मनोबल और सकारात्मक दृष्टिकोण की कसौटी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि— **"ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह अदम्य इच्छाशक्ति से आती है।"** इसी अदम्य शक्ति और संकल्प के साथ जब आप अपनी तैयारी को साधना का रूप देंगे, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी।

प्लूटस आईएएस टीम द्वारा प्रस्तुत यह करेंट अफेयर्स पत्रिका इस प्रकार संकलित की गई है कि इसमें सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े सभी प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण विषयों को व्यापक दृष्टिकोण से समाहित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि यह पत्रिका न केवल आपकी तैयारी को ठोस आधार दे, बल्कि आपको समकालीन घटनाओं और उनके पीछे छिपे विमर्श को समझने की क्षमता भी प्रदान करे।

"हर दिन का छोटा प्रयास ही भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनता है।" अतः एक ओर समाचार पत्र जहाँ करेंट अफेयर्स की तैयारी का प्राथमिक स्रोत हैं, वहीं यह पत्रिका उस ज्ञान को गहराई देने वाला सहायक साधन है। आज समसामयिक घटनाएँ केवल समाचार नहीं रह गई हैं, बल्कि वे वैचारिक स्पष्टता, मौलिक चिंतन और विश्लेषणात्मक क्षमता की परीक्षा का आधार बन गई हैं। अतः हमने इसे इस प्रकार तैयार किया है कि यह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो।

सिविल सेवा की तैयारी केवल तथ्यों को रटने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने के ढंग को निखारने की यात्रा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था — **"उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।"** यह यात्रा कठिन अवश्य है, किंतु याद रखें —**"संघर्ष जितना कठिन होगा, विजय उतनी ही महान होगी।"**

इस परीक्षा में वही सफल होता है, जिसके पास धैर्य की शक्ति, अनुशासन की तपस्या और कर्म की निरंतरता होती है। यह पत्रिका आपको ज्ञान और दृष्टि, दोनों के संतुलन में मदद करेगी। अतः अपने मन के हर संशय और भय को दूर रखकर, मेहनत को अपना हथियार बनाइए।

"मन के हर संशय और डर को रख दूर, मेहनत को बना ले हथियार, तू ही है निर्माता, तू ही है पतवार। उठ! समय है तेरा, इतिहास रचने को हो जाओ तैयार, सिविल सेवक बन कर, देश और मानवता की सेवा को करो स्वीकार।।"

प्लूटस आईएएस टीम आपको आगामी सफलता की अग्रिम और अशेष हार्दिक शुभकामनाएँ देती है। आपके उज्जवल भविष्य के मंगलकामना के साथ आपका शुभाकांक्षी -

टीम प्लूटस आईएएस।

स्रोत:

द हिंदू | द इंडियन एक्सप्रेस | द इकोनॉमिक टाइम्स | प्रेस सूचना ब्यूरो | पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च | आईडीएसए: रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान | योजना और कुरुक्षेत्र | लोकसभा और राज्यसभा की बहसें।

Copyright © by Plutus IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Plutus IAS.



दिसम्बर 2025
करेंट अफेयर्स

अनुक्रमणिका

भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था (Indian Politics and Governance)

- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY - NRLM) 1
- जल जीवन मिशन (J J M) : प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल सुनिश्चित करना 4
- डिजिटल युग में भाषाई समावेशन : भारत का AI-ड्राइव परिवर्तन 7
- भारत में सड़क सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम 11
- नागरिकों को सशक्त बनाने में विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका 14
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 : मतदान का अधिकार बनाम मतदान की स्वतंत्रता.....18
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 20
- भारत की नई श्रम संहिताएँ : सरलीकरण, सुरक्षा एवं सतत विकास 23
- उच्चतम न्यायालय : न्यायपालिका की स्पष्ट सीमाएँ..26

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता : द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में नई गति 28
- एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन 2025 30
- भारत-अमेरिका की 22वीं एमसीजी बैठक : हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा एकीकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाना 32
- भारत-भूटान संबंधों को मज़बूत करना 34
- G20 शिखर सम्मेलन, 2025 जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका).....36

भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy)

- भारत में एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) 40
- केंद्रीय बजट 2024-25 : भारत के अगली पीढ़ी के सुधार और रणनीतिक नीतियां 44
- कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना 46
- विमुद्रीकरण और मुद्रा आपूर्ति 49
- सरफेसी अधिनियम, 2002 50
- नीली अर्थव्यवस्था : समुद्री संसाधनों और आजीविका को मजबूत करना 53

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

- इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS) : भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को आगे बढ़ाना.....57
- GSAT-7 R (CMS-03) : आत्मनिर्भर भारत का अंतरिक्ष प्रहरी 60

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोजगार के प्रति भारत का दृष्टिकोण 63
- CRISPR CAS - 9 65

आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- भारत में आतंकवाद प्रतिरोध की चुनौतियां.....67
- भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता.....71

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment and Ecology)

- ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 : भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन लाना 75
- सतत विकास लक्ष्यों (SDGS – 2030) के 10 वर्ष.....77
- गंभीर वायु प्रदूषण के कारण CAQM ने NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चरण-III लागू किया 82
- हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स (HVICS) : भारत की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को विकसित करना 83
- भारत में भूजल संकट की वर्तमान स्थिति.....86
- UNFCCC का COP – 30 : भारत का दृष्टिकोण.....90
- हिमालय में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की आवश्यकता 93

भारतीय समाज (Indian society)

- नया भारत और नारी शक्ति : विकसित भारत के लिए समावेशी कार्यबल का निर्माण 97
- भारत में वरिष्ठ नागरिक : जनसंख्या, चुनौतियाँ और सरकारी पहल 100
- राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन 103
- आदर्श युवा ग्राम सभा : कक्षाओं को लोकतंत्र के सूक्ष्म जगत में बदलना 107
- आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) 110
- G20 रिपोर्ट : भारत के शीर्ष 1% व्यक्तियों की संपत्ति वर्ष 2025 तक 62% बढ़ी 113
- राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण (2026 - 27) 115
- भारत में सरोगेसी कानून : अधिकार और सीमाएँ....117
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA), 2005 119



भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY–NRLM)

समाचार में क्यों?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डीएवाई-एनआरएलएम की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वितरित 11 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण और मेघालय की हेनीदामंकी कनाई जैसे उद्यमियों की सफलता शामिल है, जिन्होंने मिशन के तहत एसएचजी समर्थन के माध्यम से अपनी आजीविका में बदलाव किया।

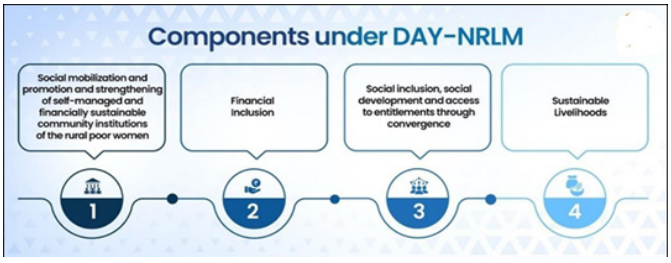
DAY-NRLM क्या है?

1. **डीएवाई-एनआरएलएम** भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसे 2010 में (एनआरएलएम के रूप में) शुरू किया गया था और 2016 में इसका नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया।

2. इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्व-रोज़गार और कुशल वेतन वाले रोज़गार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण गरीबी को कम करना है, जिससे स्थायी आजीविका प्राप्त हो सके।

3. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका वित्तपोषण केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी उन्मूलन पहलों में से एक है।

DAY-NRLM के घटक



1. **सामाजिक गतिशीलता एवं संस्था निर्माण :** महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके संघों का गठन और सुदृढ़ीकरण।

2. **वित्तीय समावेशन :** स्वयं सहायता समूहों को औपचारिक ऋण, बीमा और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।

3. **सतत आजीविका संवर्धन :** कृषि एवं गैर-कृषि गतिविधियों के माध्यम से आय स्रोतों में विविधता लाना।

4. **सामाजिक समावेशन एवं अधिकार :** सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाना।

डीएवाई-एनआरएलएम के उद्देश्य



1. ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं के लिए मजबूत सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण करें।

2. ऋण, वित्तीय सेवाओं और आजीविका तक पहुंच प्रदान करना।

3. आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए आय स्रोतों में विविधता लाएं।

4. शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा पर जागरूकता के माध्यम से सामाजिक और लैंगिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

5. महिलाओं को सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) के रूप में प्रशिक्षित करें जैसे:

- **कृषि सखियाँ –** कृषि विस्तार सहायता
- **पशु सखियाँ –** पशुधन सेवा प्रदाता
- **बैंक सखियाँ –** बैंकिंग सुविधा प्रदाता
- **बीमा सखियाँ –** बीमा सहायता एजेंट

DAY-NRLM के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

- **वित्तीय सशक्तिकरण:** औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ₹11 लाख करोड़ वितरित किए गए। 98% पुनर्भुगतान दर, उच्च ऋण अनुशासन और महिला उधारकर्ताओं में विश्वास को दर्शाती है।
- **आजीविका सशक्तिकरण :** 4.62 करोड़ महिला किसान कृषि-आधारित आजीविका में संलग्न हैं। कृषि सखियों और पशु सखियों के माध्यम से कृषि-पारिस्थितिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूक्ष्म-उद्यमों और गैर-कृषि आजीविका को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- **उद्यमशीलता सशक्तिकरण :** स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के अंतर्गत 282 प्रखंडों में 3.74 लाख सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई। खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और सेवा-आधारित ग्रामीण उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया।
- **सामाजिक एवं नेतृत्व सशक्तिकरण :** स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में उद्यमशीलता, वित्तीय साक्षरता और सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना। नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता सत्रों के माध्यम से नेतृत्व और आत्मनिर्भरता के लिए क्षमता निर्माण।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) – प्रमुख उपलब्धियाँ (जून 2025 तक)

1. स्वयं सहायता समूह (SHG) जुटाना

- कुल 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में मिशन लागू किया गया।अब तक 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित किया गया।इससे ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

2. मानव संसाधन नेटवर्क

- 3.5 लाख कृषि सखियाँ और पशु सखियाँ अंतिम मील सेवा वितरण के लिए तैनात की गईं।47,952 बैंक सखियाँ औपचारिक बैंकों के साथ SHG ऋण संपर्क को सुविधाजनक बना रही हैं।इस नेटवर्क ने ग्रामीण वित्तीय साक्षरता और डिजिटल बैंकिंग पहुँच को मजबूत किया।

3. संस्थागत और क्लस्टर विकास

- टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने हेतु 6,000 एकीकृत कृषि क्लस्टर स्थापित किए गए।1.95 लाख उत्पादक समूह (Producer Groups) बनाए गए, जिनसे 50 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएँ लाभान्वित हुईं।इन समूहों ने ग्रामीण उद्यमिता और सामूहिक उत्पादन मॉडल को प्रोत्साहन दिया।

4. वित्तीय समावेशन

2013 से 2025 के बीच SHGs को ₹11 लाख करोड़ के बैंक ऋण वितरित किए गए।महिलाओं की बचत, ऋण और निवेश गतिविधियों में सहभागिता में लगातार वृद्धि हुई।यह ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार बना।

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत संचयी प्रगति

Cumulative Progress DAY-NRLM
as on June, 2025

S.No	Indicator	Cumulative progress as on June, 2025
1	No. of Blocks covered	7,145
2	No. of SHGs promoted (in lakh)	90.90
3	No. of Households mobilized (in crore)	10.05
4	Capitalization Support provided to SHGS (in Crore)	58,714.44
5	Amt. of Bank credit accessed by SHGs (in crore)	10,89,463.33
6	No. of Mahila Kisans covered under Agro Ecological Practices (AEP) interventions (in crore)	4.62
7	No. of Enterprises supported under SVEP (in lakhs)	3.74
8	No of Lakhpati Didis (In Crores)	1.48

Source: Department of Rural Development

उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य

1. स्वयं सहायता समूह जुटाने में : बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य रहे।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. वित्तीय समावेशन में :

- **उत्तर प्रदेश –** ₹1,23,326 लाख (पूंजीकरण सहायता)
- **बिहार –** ₹1,05,132 लाख (पूंजीकरण सहायता)
- **आंध्र प्रदेश –** ₹34,83,725 लाख (बैंक ऋण वितरण)

3. सतत आजीविका के क्षेत्र में :

- **कृषि क्षेत्र :** महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश।
- **गैर-कृषि क्षेत्र (SVEP) :** असम, केरल, पश्चिम बंगाल।

कौशल विकास और रोजगार पहल :

- **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU–GKY)**
- उद्देश्य ग्रामीण युवाओं (15–35 वर्ष) को प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। योजना का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना और स्थायी वेतन रोजगार सुनिश्चित करना है। अब तक 17.50 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इनमें से 11.48 लाख युवाओं को मजदूरी रोजगार में नियोजित किया गया है।
- **प्रमुख प्रशिक्षण राज्य :** उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश।
- शीर्ष प्ले
- **समेंट राज्य:** ओडिशा – 1,77,165 प्लेसमेंट आंध्र प्रदेश – 1,17,881 प्लेसमेंट
- **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)**

उद्देश्य 18–50 वर्ष के युवाओं में स्व-रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। संस्थान प्रशिक्षण, सहायता, ऋण सुविधा और बाजार से संपर्क प्रदान करते हैं। अब तक 56.69 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 40.99 लाख व्यक्ति स्व/मजदूरी रोजगार में स्थापित हुए हैं।

- **शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य:**
- **उत्तर प्रदेश –** 7,55,966 प्रशिक्षित; 5,54,877 बसे हुए
- **राजस्थान –** 4,34,478 प्रशिक्षित; 3,19,948 बसे हुए
- **मध्य प्रदेश –** 4,36,835 प्रशिक्षित; 3,08,280 बसे हुए
- **कर्नाटक –** 4,19,299 प्रशिक्षित; 3,05,397 बसे हुए

उन्नत और विपणन प्रशिक्षण पहल

कौशल विकास और आजीविका संवर्द्धन पहल – मुख्य बिंदुवार विवरण (जून 2025 तक)

(a) सरस आजीविका मेला

- **आयोजनकर्ता :** ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित किया जाता है।
- **मुख्य उद्देश्य :** स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को विपणन प्रदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराना।
- **मुख्य गतिविधियाँ:** विपणन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बिक्री प्रबंधन में व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **प्रत्यक्ष क्रेता–** विक्रेता संपर्क को प्रोत्साहित करना।
- "वोकल फॉर लोकल" अभियान को बढ़ावा देना।
- **हाल की उपलब्धि :** नवीनतम सरस मेला नई दिल्ली में 5–22 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया।
- इसमें देशभर के हजारों स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने भाग लिया।
- विभिन्न राज्यों के ग्रामीण उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री आयोजित की गई।

(b) एनआईआरडी और पीआर के माध्यम से क्षमता निर्माणकार्यान्वयन एजेंसी : नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज (NIRD&PR)।

- **मुख्य फोकस :** विपणन और व्यवसाय प्रबंधन हेतु ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (ToT) कार्यक्रमों का आयोजन।
- **उद्देश्य:** SHG सदस्यों और ग्रामीण उद्यमियों की उद्यमशीलता और विपणन क्षमताओं को बढ़ाना।
- **मुख्य उपलब्धियाँ:** पिछले तीन वर्षों में 44 ToT कार्यक्रम आयोजित किए गए।इससे ग्रामीण उद्यमों की बाजार तैयारी और व्यावसायिक स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

चुनौतियां :

1. **संस्थागत और वित्तीय :** स्वयं सहायता समूहों के प्रदर्शन और ऋण उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताएँ। सीमित वित्तपोषण पर निर्भरता और विलंबित निधि वितरण।
2. **विपणन और बुनियादी ढांचा :** सीमित बाज़ार संपर्क और स्वयं सहायता समूह उत्पादों की कमज़ोर ब्रांडिंग। अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कनेक्टिविटी का अभाव।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **क्षमता और अभिसरण :** स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का अभाव। अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ तालमेल का अभाव।

4. **तकनीकी और डिजिटल अंतराल :** ग्रामीण महिलाओं में डिजिटल साक्षरता का अभाव। व्यवसाय प्रबंधन और विपणन के लिए प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग।

समाधान / आगे की राह :

- **क्षमता एवं साक्षरता वृद्धि :** सभी स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को मज़बूत करें। उद्यमिता और नेतृत्व प्रशिक्षण का विस्तार करें।
- **आजीविका और बाजार एकीकरण :** स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक समूहों के उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला एकीकरण को बढ़ावा दें। उत्पाद विविधीकरण और गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहित करें।
- **सामाजिक एवं लैंगिक समावेशन :** सामाजिक समावेशन, लैंगिक संवेदनशीलता और अधिकार जागरूकता पर कार्यक्रमों का विस्तार करें। स्वयं सहायता समूहों की पहुँच और प्रदर्शन में क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान करें।
- **विपणन और ई-कॉमर्स :** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ गठजोड़ के माध्यम से बाजार तक पहुँच को सुगम बनाना। ग्रामीण उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार को मज़बूत करना।
- **शासन और निगरानी :** डेटा-संचालित प्रणालियों के माध्यम से निगरानी, मूल्यांकन और पारदर्शिता बढ़ाएँ। समग्र प्रभाव के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष :

1. **दीनदयाल अंत्योदय योजना -** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) समावेशी ग्रामीण विकास का एक परिवर्तनकारी मॉडल है।महिलाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक संस्थाओं को बढ़ावा देकर, ऋण की पहुँच बढ़ाकर और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देकर, इसने ग्रामीण उद्यमिता और वित्तीय आत्मनिर्भरता को उल्लेखनीय रूप से मज़बूत किया है।

2. **मिशन का अभिसरण -** आधारित, सहभागी दृष्टिकोण आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा दे रहा है, जो भारत के आत्मनिर्भर भारत और समावेशी विकास के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का पुनर्गठन करके 2010 में शुरू किया गया था।
2. इसका क्रियान्वयन पूर्णतः वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
3. मिशन मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने पर केंद्रित है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने सामाजिक गतिशीलता, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में व्यापक बदलाव लाया है। इस मिशन के माध्यम से सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख उपलब्धियों, चुनौतियों और आगे के उपायों पर चर्चा कीजिए।

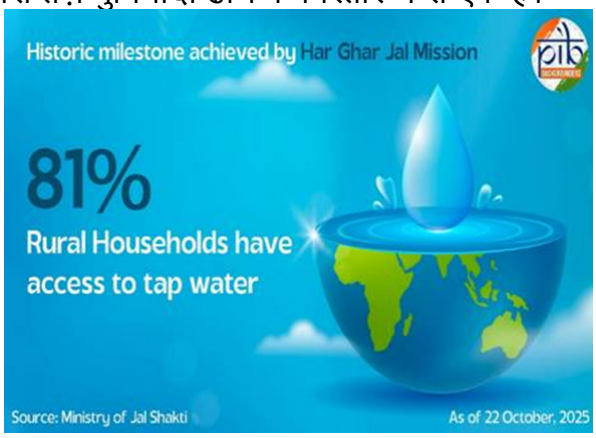
(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

जल जीवन मिशन (J J M) : प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल सुनिश्चित करना

समाचार में क्यों?

जल जीवन मिशन (जेजेएम) एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुँच गया है। अक्टूबर 2025 तक, 15.72 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को अब सुरक्षित नल का पानी उपलब्ध होगा। यह 2019 में केवल 3.23 करोड़ परिवारों की तुलना

में वृद्धि है। ₹2.08 लाख करोड़ के सरकारी निवेश के साथ, यह मिशन भारत के ग्रामीण विकास के इतिहास में सबसे तेज़ बुनियादी ढाँचे के विस्तार में से एक है।



जल जीवन मिशन :

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करना है। इसका लक्ष्य नियमित रूप से और दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करना है। यह एक निचले स्तर से ऊपर की ओर, समुदाय-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जो स्रोत की स्थिरता, जल गुणवत्ता निगरानी और डिजिटल शासन पर केंद्रित है।

जल जीवन मिशन के उद्देश्य :

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराना।
- प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पर्याप्त, सुरक्षित और टिकाऊ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- पुनर्भरण और पुन: उपयोग के माध्यम से स्रोत स्थिरता को बढ़ावा देना।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) के माध्यम से स्थानीय समुदायों को शामिल करना।
- नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रगति (अक्टूबर 2025 तक)

- 15.72 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अब नल जल उपलब्ध है, जिससे 81% कवरेज प्राप्त हो गया है।
- 192 जिले पूर्ण कवरेज तक पहुंच चुके हैं, 116 को ग्राम सभाओं द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- 2.66 लाख गांवों ने कवरेज की सूचना दी, 1.74 लाख को प्रमाणित किया गया है।
- 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% कवरेज हासिल कर लिया है, जिनमें गोवा, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और मिजोरम शामिल हैं।
- 9.23 लाख स्कूलों और 9.66 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में अब नल से जल की आपूर्ति हो रही है।



जल जीवन मिशन के प्रमुख घटक :

1. **गांव में पाइप से जलापूर्ति का बुनियादी ढांचा:** प्रत्येक घर में नल जल कनेक्शन सुनिश्चित करने हेतु गांवों में जल वितरण नेटवर्क का निर्माण किया जाता है।
2. **सतत पेयजल स्रोत:** दीर्घकालिक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय और टिकाऊ जल स्रोतों का विकास व संवर्द्धन किया जाता है।
3. **थोक जल स्थानांतरण और वितरण:** कुशल जल वितरण के लिए उपचार संयंत्रों, भंडारण टंकियों तथा वितरण पाइपलाइनों का निर्माण किया जाता है।
4. **जल गुणवत्ता निगरानी:** पीने योग्य जल सुनिश्चित करने हेतु फील्ड टेस्ट किट (FTK) और 2,843 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जाता है।
5. **मौजूदा योजनाओं का रेट्रोफिटिंग:** पुरानी जलापूर्ति योजनाओं को उन्नत कर प्रत्येक घर में 55 एलपीसीडी (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) की दर से नल कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।
6. **ग्रे जल प्रबंधन:** अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के माध्यम से जल संरक्षण और संसाधन दक्षता को बढ़ावा दिया जाता है।
7. **सामुदायिक क्षमता निर्माण:** निगरानी और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित कर, विशेष रूप से महिलाओं को प्रशिक्षित और सशक्त बनाया जाता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

8. आकस्मिक योजना: प्राकृतिक आपदाओं या तकनीकी समस्याओं से जल आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई हेतु विशेष धनराशि का प्रावधान किया जाता है।

डिजिटल शासन और नवाचार

- उन्नत ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना (आरपीडब्ल्यूएसएस) मॉड्यूल एक डिजिटल रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है, जो पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता के लिए विशिष्ट आईडी प्रदान करता है।
- जीआईएस मैपिंग और पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत, यह प्रभावी निगरानी के लिए वास्तविक समय डैशबोर्ड और पूर्वानुमान विश्लेषण को सक्षम बनाता है।
- पश्चिम बंगाल के "जल मित्र ऐप" जैसे उपकरण पारदर्शिता, कार्यक्षमता ट्रैकिंग और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं।

जल जीवन मिशन का प्रभाव



1. स्वास्थ्य और स्वच्छता:

- डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि जेजेएम से प्रतिवर्ष 4 लाख डायरिया से होने वाली मौतें और 14 मिलियन दैनिक मृत्यु को रोका जा सकता है।
- स्वच्छ नल जल की उपलब्धता से बाल मृत्यु दर में लगभग 30% की कमी आती है (प्रो. माइकल क्रेमर, नोबेल पुरस्कार विजेता)।

2. लिंग सशक्तिकरण:

- पानी लाने में बचा समय: प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे, जिसमें से 75% महिलाओं को लाभ होता है। 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को पानी लाने के कठिन काम से मुक्ति मिली, कृषि में महिलाओं की भागीदारी में 7.4% की वृद्धि।

3. रोजगार और आर्थिक प्रभाव:

- 3 करोड़ व्यक्ति-वर्ष रोजगार सृजन की क्षमता (आईआईएमबी एवं आईएलओ)।
- 25 लाख महिलाओं को जल परीक्षण, कौशल विकास और स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देने में प्रशिक्षित किया गया।

चुनौतियां :

1. जलवायु परिवर्तन और भूजल तनाव के बीच स्रोत स्थिरता।
2. दूरस्थ क्षेत्रों में रखरखाव और तकनीकी विशेषज्ञता।
3. जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवहारिक परिवर्तन।
4. स्थानीय जल उपयोगिताओं की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना।

समाधान / आगे की राह :

1. स्थानीय जल समितियों और सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत करें।
2. वर्षा जल संचयन और जलभृत पुनर्भरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
3. पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए डिजिटल एकीकरण को गहरा करना।
4. जल प्रबंधन में नवाचार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष :

- जल जीवन मिशन सुरक्षित और सतत पेयजल तक पहुँच सुनिश्चित करके ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली एक ऐतिहासिक पहल है।
- बुनियादी ढाँचे के अलावा, यह महिलाओं को सशक्त बनाता है, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाता है और ग्रामीण आजीविका को मज़बूत बनाता है।
- सामुदायिक भागीदारी, डिजिटल पारदर्शिता और स्थिरता पर केंद्रित, जल जीवन मिशन समावेशी और प्रभावी शासन का उदाहरण प्रस्तुत करता है और "हर घर जल" के विज़न को साकार करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. जल जीवन मिशन (जेजेएम) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसे जल शक्ति मंत्रालय के तहत 2019 में लॉन्च किया गया था।
2. इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराना है।
3. इसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की सेवा अनिवार्य की गई है।
4. मिशन में ग्रेवाटर प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी प्रमुख घटक के रूप में शामिल हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य और लैंगिक सशक्तिकरण में सुधार लाने में जल जीवन मिशन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और मिशन की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

डिजिटल युग में भाषाई समावेशन : भारत का AI-ड्राइव परिवर्तन

समाचार में क्यों?

- भारत सरकार, भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं और सैकड़ों क्षेत्रीय बोलियों को समर्थन प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), मशीन लर्निंग और वाक् पहचान जैसी तकनीकों को एकीकृत करके डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में भाषाई समावेशन को बढ़ावा दे रही है।
- इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा में डिजिटल सेवाओं, ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुँच प्राप्त कर सके, जिससे डिजिटल समावेशन और सहभागी शासन को मजबूती मिले।



भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख मंच :

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित भाषा प्लेटफ़ॉर्म और विस्तृत डिजिटल रिपॉज़िटरी डिजिटल युग में भारत की विविध भाषाओं के संरक्षण, उपयोग और विकास के तरीके को बदल रहे हैं। भाषिणी और भारतजेन जैसी पहल शासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में बहुभाषी संचार को सक्षम बना रही हैं, जबकि आदि-वाणी जैसे अभिनव प्रयास आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं को मुख्यधारा के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में ला रहे हैं।
- ये सभी पहल मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि भारत की भाषाई विरासत न केवल सुरक्षित रहे, बल्कि उसे कार्यात्मक, गतिशील और भविष्य के लिए तैयार भी बनाया जाए।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) और डिजिटल बुनियादी ढाँचे में तेज़ी से हुई प्रगति ने भारत की भाषाई विविधता को दर्ज करने, डिजिटल बनाने और पुनर्जीवित करने के प्रयासों में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं।
- ये तकनीकें सैकड़ों भारतीय भाषाओं और बोलियों में बड़े पैमाने पर भाषा डेटा संग्रह, रीयल-टाइम अनुवाद और वाक् पहचान को सुगम बनाती हैं—जिनमें से कई का ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व रहा है।
- यह डिजिटल परिवर्तन संचार की खाई को पाट रहा है, समावेशी शासन को बढ़ावा दे रहा है, और नागरिकों को उनकी मातृभाषा में सूचना और सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बना रहा है। संक्षेप में,

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत का बहुभाषी एआई पारिस्थितिकी तंत्र देश के भाषाई परिदृश्य को नया रूप दे रहा है, विविधता को डिजिटल समावेशन और समतामूलक विकास की ताकत में बदल रहा है।

महत्व / प्रभाव:

- **भाषाई समावेशन :** शासन, शिक्षा व डिजिटल सेवाओं में आदिवासी भाषाओं के प्रयोग को संभव बनाकर भागीदारी-आधारित शासन को सशक्त करता है।
- **सांस्कृतिक संरक्षण :** मौखिक परंपराओं, लोकगीतों और कहावतों का डिजिटल अभिलेखन।
- **डिजिटल सशक्तिकरण :** एआई-आधारित एप्स व प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भाषा-आधारित बहिष्करण को कम करना।
- **अनुसंधान व नवाचार :** जनजातीय भाषाओं पर AI training datasets विकसित कर भारतीय भाषाई एआई-मॉडलों को सुदृढ़ बनाना।

आदि-वाणी : जनजातीय भाषा समावेशन के लिए एआई (AI)



भारत में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख मंच

प्लेटफ़ॉर्म / योजना	वर्ष / कार्यान्वयन एजेंसी	मुख्य उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं और प्रौद्योगिकियां	भाषाएँ / दायरा	महत्व / प्रभाव
आदि-वाणी (AadiVaani)	2024 में स्थापित; संस्कृति मंत्रालय एवं C-DAC द्वारा	आदिवासी भाषाओं का वास्तविक समय अनुवाद और संरक्षण	एआई, वाक् पहचान (Speech Recognition), प्राकृतिक भाषा संसाधन (NLP)	संताली, भीली, मुंडारी, गोंडी आदि	मौखिक भाषाई परंपराओं का डिजिटलीकरण; शिक्षा, शासन और सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण में उपयोग
लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और परिरक्षण योजना (SPPEL)	2013; शिक्षा मंत्रालय एवं CIIL, मैसूर	10,000 से कम बोलने वालों वाली भाषाओं का दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल संग्रह	टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो डेटासेट निर्माण; AI और NLP-आधारित अनुसंधान में उपयोग	लुप्तप्राय और कम ज्ञात भारतीय भाषाएँ	भाषाई डेटा को सुरक्षित रखना; अनुसंधान और AI प्रशिक्षण को बढ़ावा देना
संचिका (SANCHIKA)	CIIL, मैसूर द्वारा प्रबंधित	भारतीय भाषाओं का केंद्रीकृत डिजिटल रिपोजिटरी	शब्दकोश, कहानियाँ, मल्टीमीडिया संसाधन; AI मॉडल प्रशिक्षण के लिए डेटा स्रोत	अनुसूचित व जनजातीय भाषाएँ	शैक्षणिक अनुसंधान, शिक्षा, और सांस्कृतिक संरक्षण को सशक्त बनाना
भारतजेन (BharatGen)	SPPEL व संचिका डेटा पर आधारित राष्ट्रीय पहल	बहुभाषी AI अनुवाद और वाक् प्रणालियाँ विकसित करना	पाठ-से-पाठ व भाषण मॉडल; बड़े भारतीय भाषा डेटासेट का उपयोग	सभी 22 अनुसूचित भाषाएँ	शासन, शिक्षा व स्वास्थ्य में बहुभाषी डिजिटल समाधान सक्षम करना

GeM और GeM-AI	2016; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	सरकारी खरीद प्रणाली को भाषाई रूप से समावेशी बनाना	NLP व ML-आधारित AI सहायक; आवाज व पाठ-आधारित बातचीत	अनेक भारतीय भाषाएँ	सरकारी ई-बाज़ार में भाषा बाधाओं को कम करना; डिजिटल भागीदारी बढ़ाना
भाषिणी (Bhashini) (राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन – NLTMM)	इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय (MeitY)	वास्तविक समय AI अनुवाद से समावेशी शासन सुनिश्चित करना	मशीन अनुवाद, स्व-चालित वाक् पहचान (ASR), प्राकृतिक भाषा समझ (NLU)	22 अनु-सूचित + जनजातीय भाषाएँ	डिजिटल सश-क्तिकरण और भाषाई समावे-शन को व्यापक बनाना

मुख्य सफलतायें :



1. संसद भाषिनी : एआई-संचालित संसदीय अनुवाद

- राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) के अंतर्गत भाषिणी प्लेटफॉर्म का हिस्सा।
- संसदीय बहसों और चर्चाओं का वास्तविक समय एआई अनुवाद सक्षम करता है।
- संसदीय कार्यवाही को अनेक भारतीय भाषाओं में सुलभ बनाकर नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना।

- शासन और लोकतांत्रिक संवाद में पारदर्शिता और भाषाई समावेशन को मजबूत करता है।

2. जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई) योजना : जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित।

- जनजातीय भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण के लिए नवीन अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण का समर्थन करता है।
- एआई-आधारित अनुवाद उपकरण विकसित करना जो अंग्रेजी/हिंदी पाठ और भाषण को जनजातीय भाषाओं में और इसके विपरीत परिवर्तित करता है।
- वास्तविक समय अनुवाद और डिजिटल संरक्षण के लिए मशीन लर्निंग, वाक् पहचान और एनएलपी को एकीकृत करता है।
- सटीकता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और भाषा विशेषज्ञों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।जनजातीय समुदायों के डिजिटल सशक्तिकरण और लुप्तप्राय भाषाओं के पुनरोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. डिजिटल अभिलेखागार और शैक्षणिक सहयोग

- केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) जैसे संस्थान भाषिणी के साथ सहयोग करते हैं।
- प्राचीन पांडुलिपियों, लोक साहित्य और मौखिक परंपराओं के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करें।
- ये डिजिटल अभिलेखागार एआई और एनएलपी प्रणालियों के लिए समृद्ध डेटासेट बनाते हैं, जो सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़ते हैं।
- सांस्कृतिक संरक्षण, एआई-संचालित अनुवाद और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करता है।

4. एआई-संचालित बहुभाषी प्लेटफार्मों के माध्यम से शिक्षा को सशक्त बनाना

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और भाषायी रूप से विविध बनाकर शिक्षा में परिवर्तन ला रही है।
- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है, जो कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देती है, और अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक।
- यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी मूल भाषा में ज्ञान प्राप्त कर सके, जिससे समझ और धारणा में सुधार हो।

a. ई-कुंभ पोर्टल

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा विकसित।
- विभिन्न भारतीय भाषाओं में तकनीकी पुस्तकों और अध्ययन सामग्री तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करता है।
- क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के एनईपी 2020 के लक्ष्य का समर्थन करता है।

b. अनुवादिनी ऐप

- एआईसीटीई द्वारा विकसित एक स्वदेशी एआई-आधारित बहुभाषी अनुवाद उपकरण।
- इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, स्नातक, स्नातकोत्तर और कौशल विकास से संबंधित पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद। अनुवादित सामग्री ई-कुंभ पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे तकनीकी शिक्षा तक स्थानीय भाषाओं में पहुँच का विस्तार होता है।

c. राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम)

- ज्ञान संबंधी ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने में सहायता करता है।
- विभिन्न क्षेत्रों में भाषाई समानता और ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देता है।

d. राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (एनएमएम)

- प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर काम करता है।
- पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक डिजिटल संरक्षण तकनीकों के साथ जोड़ता है।

e. स्वयं प्लेटफॉर्म

- बहुभाषी ऑनलाइन शिक्षा के लिए डिजिटल रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है।
- 2025 के मध्य तक 5 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी नामांकित होंगे।
- सरकार का लक्ष्य तीन वर्षों के भीतर सभी स्कूल और उच्च शिक्षा सामग्री को भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना है।

5. शिक्षा और भाषाई समावेशन पर प्रभाव

- एआई-आधारित अनुवाद और शिक्षण प्लेटफॉर्म स्कूलों, विश्वविद्यालयों और एड-टेक फर्मों को स्थानीयकृत शैक्षिक सामग्री प्रदान करने में मदद करते हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- शिक्षक-सहायता उपकरण, ई-लर्निंग मॉड्यूल और छात्रों के बीच समझ को बढ़ाता है।
- भाषायी समानता को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि भाषा संबंधी बाधाओं के कारण कोई भी शिक्षार्थी पीछे न छूट जाए।
- डिजिटल रूप से समावेशी ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हुए भारत की भाषाई विविधता को सुदृढ़ करता है।

6. परिवर्तन के पीछे की तकनीक

- भारत की बहुभाषी डिजिटल क्रांति उन्नत एआई और कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान उपकरणों द्वारा संचालित है, जिन्हें भारत की भाषाई जटिलता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ :

स्वचालित वाक् पहचान (एएसआर) : यह बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं को प्रतिलेखन और ध्वनि-आधारित अनुप्रयोगों के लिए सटीक पाठ में परिवर्तित करता है।
टेक्स्ट-टू-स्पीच (टीटीएस) : मूल भाषाओं में प्राकृतिक, सुबोध भाषण आउटपुट उत्पन्न करता है।

- **न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन (एनएमटी) :** भारतीय भाषाओं के बीच संदर्भ-सचेत, वास्तविक समय अनुवाद प्रदान करता है।
- **प्राकृतिक भाषा समझ (एनएलयू) :** यह एआई प्रणालियों को स्थानीय भाषाओं में आशय, अर्थ और भावना को समझने में सक्षम बनाता है।
- **ट्रांसफार्मर-आधारित आर्किटेक्चर (इंडिकबर्ट, एमबार्ट) :** सटीक अनुवाद और समझ के लिए पूर्व-प्रशिक्षित AI मॉडल।
- **कॉर्पस विकास और डेटा क्यूरेशन :** इसमें एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए पांडुलिपियों, लोककथाओं और शैक्षिक ग्रंथों से बड़े, प्रतिनिधि डेटासेट बनाना शामिल है।

निष्कर्ष :

- डिजिटल युग में भाषाई समावेशन की दिशा में भारत की यात्रा उसके सामाजिक और प्रशासनिक ढाँचे को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। एआई नवाचार को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ जोड़कर, देश यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी भाषाई बहुलता सशक्तिकरण का वाहक बने, न कि बहिष्कार का।
- भाषिणी, आदि-वाणी, एसपीपीईएल, टीआरआई-ईसीई और एआईसीटीई के ई-कुंभ जैसी पहलों के माध्यम से, भारत अपनी भाषाओं को ज्ञान, संपर्क और समतामूलक डिजिटल विकास के इंजन में बदल रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफ़ॉर्म जनजातीय भाषाओं के वास्तविक समय अनुवाद और संरक्षण के लिए भारत की पहली एआई-संचालित पहल है?

(a) भाषिणी (b) आदि-वाणी
(c) भारतजेन (d) संचिका

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. चर्चा कीजिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और डिजिटल भाषा प्लेटफ़ॉर्म भारत में भाषाई समावेशन और सहभागी शासन को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करते हुए भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में उनकी भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत में सड़क सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम

समाचार में क्यों?



सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) अपनी इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (e-DAR) और एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD) प्रणालियों के आधार पर 2023 और 2024 के लिए ब्लैक स्पॉट डेटा

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

जारी करने के लिए तैयार है। यह भारत भर में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने के लिए रीयल-टाइम, डिजिटल और जियो-टैग्ड डेटा के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पृष्ठभूमि : भारत की सड़क सुरक्षा चुनौती :

- भारत दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, अकेले 2022 में 1.68 लाख से ज़्यादा मौतें और 4.6 लाख दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं। निरंतर जागरूकता अभियानों और इंजीनियरिंग हस्तक्षेपों के बावजूद, "ब्लैक स्पॉट्स"—अक्सर दुर्घटनाओं की आशंका वाले महत्वपूर्ण मार्ग—की संख्या एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है।
- साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों को मजबूत करने के लिए, MoRTH ने सड़क दुर्घटना रिपोर्टिंग को डिजिटल बनाने और जमीनी स्तर से डेटा संग्रह प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए iRAD परियोजना और इसके परिचालन उपकरण, e-DAR की शुरुआत की।

ब्लैक स्पॉट्स को समझना

BLACK SPOTS ON NATIONAL HIGHWAYS

Black-spot series	Identified	Short-term rectification	Long-term rectification
2016-18	5,352	5,305	2,724
2017-19	2,483	2,238	769
2018-20	1,898	1,518	580
2019-21	2,732	1,842	727
2020-22	1,330	612	236
TOTAL	13,795	11,515	5,036

Source: Ministry of Road Transport and Highways

- राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर ब्लैक स्पॉट 500 मीटर के उस हिस्से को कहा जाता है जहां: पांच या अधिक दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु या गंभीर चोटें, या दस या अधिक मौतें तीन वर्ष की अवधि के भीतर घटित होगा।
- पिछले मूल्यांकन (2020-2022) के तहत, 1,330 महत्वपूर्ण खंडों की पहचान की गई थी। 2016 और 2022 के बीच, MoRTH ने 13,795 ब्लैक स्पॉट की पहचान की, जिनमें से 5,036 का दीर्घकालिक सुधार कार्य पूरा हो चुका है।

ई-डीएआर/आईआरएडी प्रणाली के बारे में :

1. **उद्देश्य :** सड़क दुर्घटनाओं का वास्तविक समय, जियो-टैग्ड, डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, जिससे सटीक विश्लेषण, जवाबदेही और निवारक योजना बनाने में सुविधा हो।
2. **विकास :** iRAD को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) ने विश्व बैंक के सहयोग से विकसित किया था। इसे 2021 और 2022 के बीच विभिन्न भारतीय राज्यों में चरणों में लागू किया गया।
3. **यह कैसे काम करता है:** जब कोई दुर्घटना होती है, तो प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता (पुलिस) विवरण दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप या टैबलेट का उपयोग करते हैं।दुर्घटना को जियो-टैग किया जाता है तथा वास्तविक समय में राष्ट्रीय सर्वर पर अपलोड किया जाता है।डेटा में वाहन का प्रकार, सड़क की स्थिति, प्रकाश व्यवस्था, मौसम, चोट की गंभीरता और पीड़ित का विवरण जैसे पैरामीटर शामिल हैं। निर्बाध सूचना साझाकरण के लिए इस प्रणाली को अस्पताल डेटाबेस, बीमा पोर्टल और परिवहन प्राधिकरणों के साथ एकीकृत किया गया है।
4. **ई-डीएआर के साथ एकीकरण :** ई-डीएआर एक परिचालन परत के रूप में कार्य करता है, जो विस्तृत जानकारी को डिजिटल रूप से एकत्रित करता है तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान विंग (टीआरडब्ल्यू) को राज्य विभागों से प्राप्त आंकड़ों को सत्यापित करने और उनका विश्लेषण करने में सहायता करता है।

हालिया घटनाक्रम और डेटा अंतर्दृष्टि

- 2023-24 का ब्लैक स्पॉट डेटा पूरी तरह से ई-डीएआर/आईआरएडी प्रणाली पर आधारित होगा - पहली बार भारत इस तरह के मानचित्रण के लिए डिजिटल डेटा पर निर्भर करेगा।
- टीआरडब्लू और ई-डीएआर डेटा के बीच विसंगतियां 5% से भी कम हो गई हैं, जो पहले के उच्च स्तर से काफी कम है।
- 2024 में, TRW और e-DAR डेटासेट के बीच 18,069 दुर्घटनाओं (3.96%) और 7,020 मौतों (4.3%) का अंतर दर्ज किया गया।
- सबसे अधिक विसंगतियां पंजाब और झारखंड से सामने आईं, लेकिन सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, मुख्य अभियंताओं और राज्य पुलिस के बीच समन्वय से आंकड़ों के अंतर को पाटने में मदद मिल रही है।

पहल का महत्व

- **डेटा सटीकता और पारदर्शिता :** वास्तविक समय में डेटा प्रविष्टि मैन्युअल त्रुटियों और देरी को न्यूनतम करती

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

है। रिपोर्टिंग और विश्लेषण में पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करती है।

- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण :** सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और राज्य सरकारों को दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों का सटीक मानचित्रण करने में सक्षम बनाता है, तथा सड़क डिजाइन सुधारों के लिए धनराशि को प्राथमिकता देता है।
- **एजेंसियों के बीच एकीकरण :** समग्र सड़क सुरक्षा प्रबंधन के लिए पुलिस, परिवहन, अस्पताल और बीमा से संबंधित डेटा को जोड़ता है।
- **कुशल ब्लैक स्पॉट सुधार :** सटीक डेटा के आधार पर बेहतर साइनेज, प्रकाश व्यवस्था और सड़क ज्यामिति सुधार जैसे इंजीनियरिंग हस्तक्षेपों की योजना बनाने में मदद करता है।
- **विजन जीरो का समर्थन करता है :** यह सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई दशक के अनुरूप, 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

चुनौतियाँ और डेटा विसंगतियाँ :

1. **राज्य रिपोर्टिंग में भिन्नता :** कुछ राज्य अभी भी मैनुअल रिकॉर्ड या असंगत डिजिटल प्रविष्टियों पर निर्भर हैं, जिसके कारण कम रिपोर्ट दी जाती है (उदाहरण के लिए, पंजाब के ई-डीएआर डेटा में केवल 533 मौतें दिखाई गईं, जबकि टीआरडब्ल्यू द्वारा 4,759 मौतें बताई गईं)।
2. **क्षमता और बुनियादी ढांचे का अंतराल :** ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर्मियों और उपकरणों की सीमित उपलब्धता।
3. **अंतर-विभागीय समन्वय :** पुलिस, अस्पताल और परिवहन विभागों के बीच समन्वय असमान बना हुआ है।
4. **विलंबित डेटा सत्यापन :** टीआरडब्ल्यू द्वारा भौतिक सत्यापन अंतिम विश्लेषण को धीमा कर देता है।
5. **सार्वजनिक डेटा तक पहुंच की आवश्यकता :** यद्यपि डेटाबेस व्यापक है, फिर भी जनता और शोधकर्ताओं की पहुंच प्रतिबंधित है।

सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकारी प्रयास :

1. **इंजीनियरिंग हस्तक्षेप :** ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, क्रैश बैरियर की स्थापना, तथा सड़क संकेतों में सुधार।
2. **शिक्षा और जागरूकता :** सड़क सुरक्षा सप्ताह, जन जागरूकता अभियान और स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को शामिल करना।
3. **प्रवर्तन :** मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत कठोर दंड।
4. **आपातकालीन प्रतिक्रिया :** 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ और अस्पताल नेटवर्क के साथ एकीकरण।
5. **प्रौद्योगिकी एकीकरण :** जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, तथा अधिक गति और लेन उल्लंघन की डिजिटल निगरानी।

समाधान / आगे की राह :

1. **राज्यों में ई-डीएआर का 100% एकीकरण :** यह सुनिश्चित करें कि सभी पुलिस स्टेशन और अस्पताल समान रूप से डिजिटल प्रणाली का उपयोग करें।
2. **डेटा साझाकरण और सार्वजनिक डैशबोर्ड :** अनुसंधान, नीतिगत फीडबैक और नागरिक जागरूकता के लिए खुले, अनाम डैशबोर्ड बनाएं।
3. **नियमित ब्लैक स्पॉट ऑडिट :** सुधार और हताहतों की संख्या में कमी लाने में प्रगति की निगरानी के लिए द्विवार्षिक ऑडिट आयोजित करना।
4. **क्षमता निर्माण :** प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पुलिस, इंजीनियरों और स्वास्थ्य कर्मियों को निरंतर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
5. **स्मार्ट मोबिलिटी से जुड़ना :** सक्रिय रोकथाम के लिए ई-डीएआर और आईआरएडी डेटा को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) और शहरी यातायात प्रबंधन प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करें।

निष्कर्ष :

- ई-डीएआर और आईआरएडी प्रणालियों की शुरुआत भारत के सड़क सुरक्षा प्रशासन में एक महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव का प्रतीक है। रीयल-टाइम डेटा, जियो-टैगिंग और अंतर-विभागीय एकीकरण के संयोजन से, इस पहल में सड़क सुरक्षा योजना को प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय मॉडल में बदलने की क्षमता है।
- "शून्य मृत्यु, सुरक्षित सड़कें" के लक्ष्य को सही मायने में साकार करने के लिए, भारत को सुदृढ़ कार्यान्वयन, निरंतर डेटा सत्यापन और निष्कर्षों का पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

प्रत्येक दुर्घटना केवल आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि जीवन बचाने में भी महत्वपूर्ण हो।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत के सड़क सुरक्षा प्रबंधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से आईआईटी मद्रास द्वारा कार्यान्वित की गई है।
2. मौजूदा प्रणाली के तहत, यदि एक वर्ष की अवधि में कम से कम दस दुर्घटनाएं होती हैं तो 500 मीटर के राजमार्ग खंड को ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाता है।
3. ई-डीएआर प्लेटफॉर्म पुलिस द्वारा दुर्घटनाओं की वास्तविक समय पर जियो-टैग रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2, और 3

उत्तर : A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. चर्चा कीजिए कि ई-डीएआर (e-DAR) और आईआरएडी (IRAD) प्रणालियाँ भारत के सड़क सुरक्षा तंत्र को कैसे परिवर्तित कर सकती हैं। इनके कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख प्रशासनिक, तकनीकी एवं संस्थागत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा वास्तविक समय, सटीक और एकीकृत दुर्घटना रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने हेतु ठोस उपाय सुझाइए।

(शब्द सीमा – 250, अंक – 15)

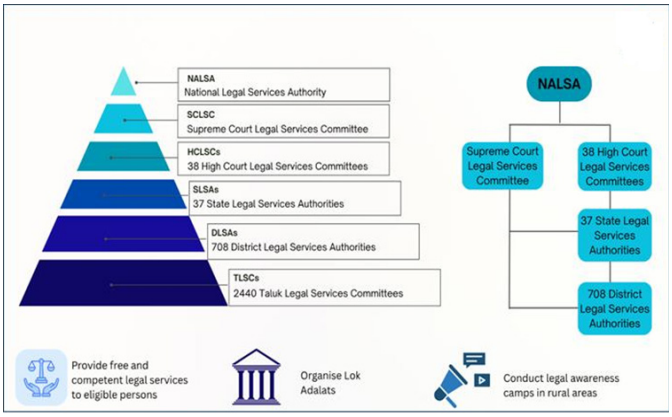
नागरिकों को सशक्त बनाने में विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका

समाचार में क्यों?

- दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत सभी नागरिकों को कानून के तहत समान अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देता है। हालाँकि, गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण, कई लोग अभी भी कानूनी सेवाओं तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते हैं।
- इस समस्या के समाधान हेतु, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा वंचितों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु निकायों की स्थापना की गई। 9 नवंबर, 1995 को यह अधिनियम लागू होने के बाद से, इस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- यह दिन देश भर में नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता शिविरों और आउटरीच कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है, इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। न्याय को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए नई डिजिटल पहल और हेल्पलाइन सेवाएँ भी शुरू की गई हैं।

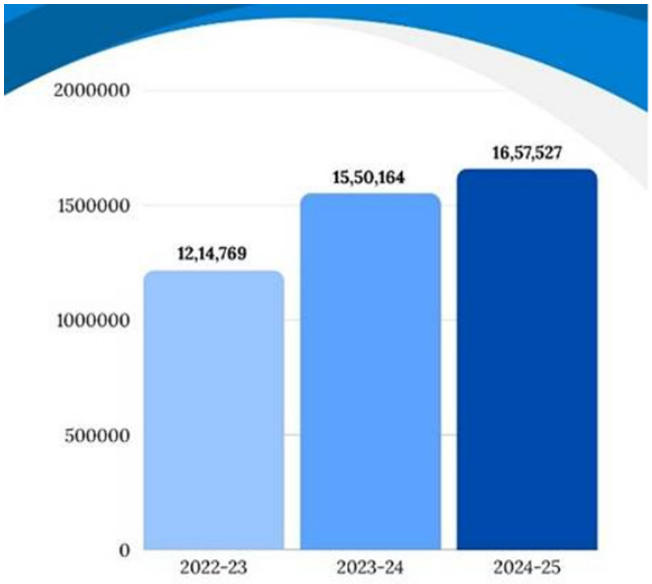


कानूनी सेवा प्राधिकरण :



- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने देश भर में कानूनी सहायता संगठनों की स्थापना की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य बाधाओं से पीड़ित किसी भी नागरिक को न्याय पाने के समान अवसर से वंचित न किया जाए।

- इस अधिनियम ने निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन स्तरीय प्रणाली स्थापित की :
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में)
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में)
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में) कानूनी सहायता को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है तथा तीन स्तरीय वित्त पोषण संरचना के माध्यम से दान दिया जाता है :



No. of beneficiaries of legal aid and advice

- राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष के माध्यम से केंद्रीय प्राधिकरण को केंद्रीय वित्तपोषण या दान राज्य विधिक सहायता निधि के माध्यम से राज्य प्राधिकरण को केंद्र या राज्य सरकार का वित्तपोषण या अन्य योगदान जिला विधिक सहायता निधि के माध्यम से जिला प्राधिकरण को राज्य सरकार का वित्तपोषण या अन्य दान
- पिछले तीन वर्षों में निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2022-23 से 2024-25 तक, विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दी गई कानूनी सहायता और सलाह से 44.22 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।
- कोई भी व्यक्ति जिसे निःशुल्क कानूनी सेवाओं की आवश्यकता है और वह इसके लिए पात्र है, वह संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण या समिति में आवेदन कर सकता है।
- आवेदन लिखित रूप में, निर्धारित प्रपत्र भरकर, या मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है (ऐसी स्थिति में एक अधिकारी या पैरालीगल स्वयंसेवक अनुरोध को दर्ज करने में मदद करेगा)।
- नालसा या राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की वेबसाइट पर उपलब्ध विधिक सहायता आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। यदि एनएएलएसए को सीधे आवेदन प्राप्त होता है, तो वह उसे उपयुक्त प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए आवेदन कैसे करें?

कोई भी व्यक्ति जिसे निःशुल्क कानूनी सेवाओं की आवश्यकता है और जो इसके लिए पात्र है, संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण या समिति में आवेदन कर सकता है।[8]

- आवेदन लिखित रूप में, निर्धारित प्रपत्र भरकर या मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है (ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी या अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक अनुरोध दर्ज करने में मदद करेगा)।
- नालसा या राज्य/ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों की वेबसाइटों पर उपलब्ध कानूनी सहायता आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।

यदि नालसा को सीधे आवेदन प्राप्त होता है, तो वह उसे उपयुक्त प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।
संबंधित विधिक सेवा संस्थान में आवेदन पहुंचने के बाद, अगले चरणों पर निर्णय लेने के लिए उसकी समीक्षा की जाती है। मामले के आधार पर, सहायता में कानूनी सलाह, परामर्श, या अदालत में आवेदक का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील की नियुक्ति शामिल हो सकती है।
यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है:

- आवेदक को नियुक्त वकील के बारे में सूचित किया जाता है और दोनों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है।
- इसके बाद वकील आवेदक से संपर्क करेगा, या आवेदक भी वकील से संपर्क कर सकता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 7(2) के अनुसार, आवेदन पर निर्णय तुरंत और प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
आवेदन की स्थिति की सूचना:

1. **फिजिकल आवेदन:** आवेदक के डाक या ईमेल पते पर अपडेट भेजे जाते हैं।
2. **ऑनलाइन आवेदन:** एक आवेदन संख्या जनरेट की जाती है और आवेदक संबंधित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थिति देख सकता है।
3. **सरकारी विभागों/केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) से आवेदन:** आवेदकों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है और वे सीपीजीआरएएमएस और विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइटों पर स्कैन की गई प्रति और टिप्पणियां देख सकते हैं।

- आवेदन संबंधित विधिक सेवा संस्थान तक पहुँचने के बाद, अगले कदम तय करने के लिए उसकी समीक्षा की जाती है। मामले के आधार पर, सहायता में कानूनी सलाह, परामर्श, या अदालत में आवेदक का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील की नियुक्ति शामिल हो सकती है।
- यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो आवेदक को नियुक्त वकील के बारे में सूचित किया जाता है, तथा दोनों को नियुक्ति पत्र दिया जाता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

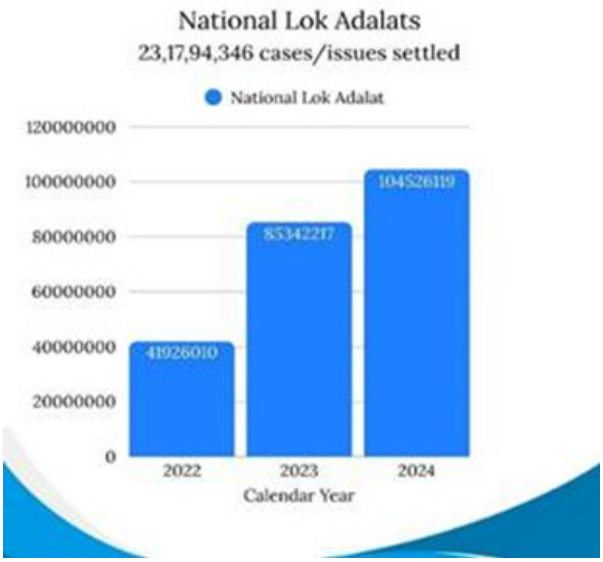
- इसके बाद वकील आवेदक से संपर्क करेगा, अथवा आवेदक भी वकील से संपर्क कर सकता है।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 7(2) के अनुसार, आवेदन पर निर्णय तत्काल किया जाना चाहिए, तथा प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

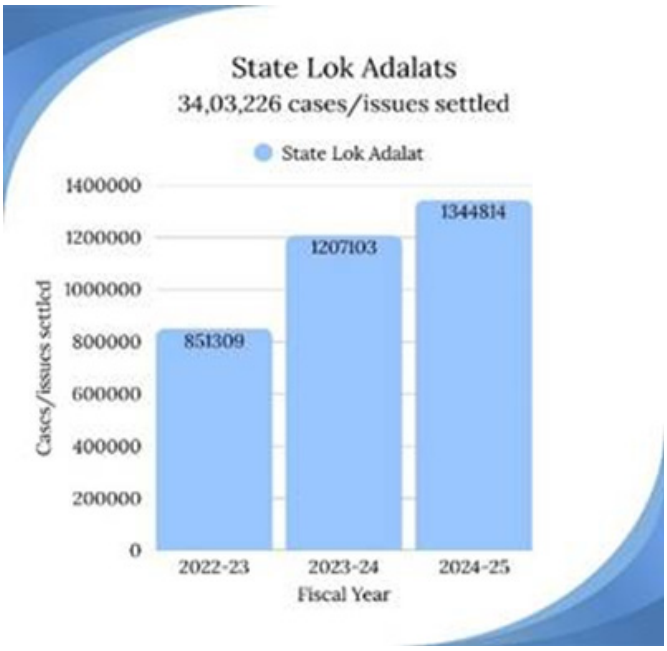
आवेदन की स्थिति की सूचना :

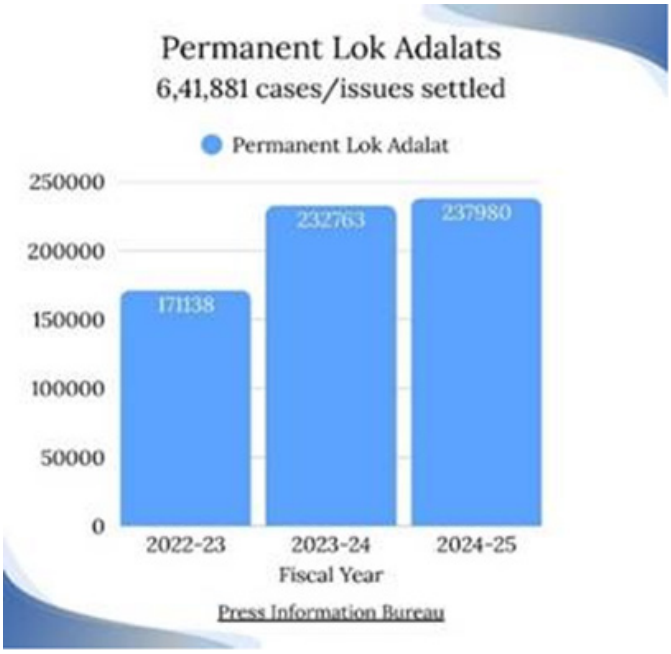
- **भौतिक अनुप्रयोग :** अद्यतन जानकारी आवेदक के डाक या ईमेल पते पर भेजी जाती है।
- **ऑनलाइन आवेदन :** एक आवेदन संख्या तैयार की जाती है, और आवेदक संबंधित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थिति पर नज़र रख सकता है।
- **सरकारी विभागों/केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) से आवेदन :** आवेदकों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है तथा वे स्कैन की गई प्रति तथा टिप्पणियां सीपीजीआरएएमएस और विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइटों पर देख सकते हैं।

लोक अदालतें

इस अधिनियम ने लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों की भी स्थापना की, जो उपरोक्त विधिक प्राधिकारियों द्वारा गठित वैकल्पिक विवाद निवारण मंच हैं। ये मंच लंबित विवादों या मामलों या मुकदमे-पूर्व चरण के मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा करते हैं। 2022-23 से 2024-25 तक राज्य, स्थायी और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।







कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS) योजना

नालसा द्वारा एलएडीसीएस योजना, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में निःशुल्क कानूनी बचाव प्रदान करती है।

- 30 सितम्बर, 2025 तक 668 जिलों में एलएडीसीएस कार्यालय कार्यरत होंगे।
- 2023-24 से 2025-26 (सितंबर, 2025 तक) तक एलएडीसी द्वारा सौंपे गए 11.46 लाख मामलों में से 7.86 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए एलएडीसी योजना का स्वीकृत वित्तीय परिव्यय 998.43 करोड़ रुपये है।

न्याय तक समग्र पहुँच के लिए नवोन्मेषी समाधानों का डिज़ाइन

आधुनिक तकनीक लोगों को कानूनी व्यवस्था तक आसानी से और किफ़ायती पहुँच बनाने में भी मदद कर रही है। 2021-2026 तक लागू की गई दिशा योजना के माध्यम से लगभग 2.10 करोड़ लोगों (28 फ़रवरी, 2025 तक) को मुकदमे-पूर्व सलाह, निःशुल्क सेवाएँ, कानूनी प्रतिनिधित्व और जागरूकता प्रदान की गई। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका परिव्यय 250 करोड़ रुपये है।

कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

- बहुत से लोग अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं से अनजान हैं। नालसा बच्चों, मजदूरों, आपदा पीड़ितों और समाज के अन्य हाशिए के वर्गों से संबंधित कानूनों पर विभिन्न कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। अधिकारी सरल भाषा में पुस्तिकाएं और पर्चे भी तैयार करते हैं, जिन्हें लोगों में वितरित किया जाता है।

- 2022-23 से 2024-25 तक, कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा 13.83 लाख से अधिक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और लगभग 14.97 करोड़ लोगों ने उनमें भाग लिया। न्याय विभाग दिशा के तहत कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) चलाता है। सिक्किम राज्य महिला आयोग और अरुणाचल प्रदेश एसएलएसए जैसी विभिन्न क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसियां इस कार्यक्रम को चलाती हैं।

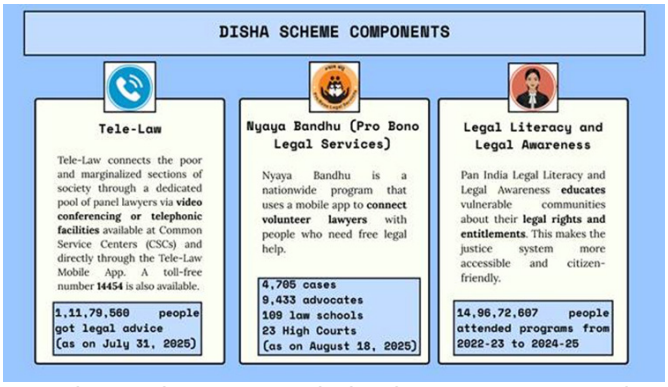
- कार्यक्रम के माध्यम से, विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों की 22 अनुसूचित भाषाओं और बोलियों में संचार सामग्री विकसित की। दूरदर्शन ने भी मंत्रालय के साथ सहयोग किया और छह भाषाओं में 56 कानूनी जागरूकता टीवी कार्यक्रम प्रसारित किए 2021 से 2025 तक सरकारी सोशल मीडिया चैनलों पर सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर 21 वेबिनार प्रसारित किए गए। कुल मिलाकर, एलएलएलएपी 1 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा।

- फास्ट ट्रैक और अन्य न्यायालय महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और पांच साल से अधिक समय से लंबित संपत्ति मामलों से संबंधित जघन्य अपराधों और दीवानी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) की स्थापना की गई थी - जबकि 14वें वित्त आयोग ने 2015-20 के दौरान 1,800 एफटीसी की सिफारिश की थी, वर्तमान में 30 जून, 2025 तक 865 एफटीसी कार्यरत हैं।

- अक्टूबर 2019 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना ने गंभीर यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) की स्थापना की, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत पीड़ित भी शामिल हैं; 30 जून 2025 तक, 392 विशेष POCSO अदालतों सहित 725 FTSCs 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यात्मक हैं और स्थापना के बाद से 3,34,213 मामलों का निपटारा किया है।

- यह योजना, जो 2019-20 में 767.25 करोड़ रुपये (निर्भया फंड से 474 करोड़ रुपये) के प्रारंभिक आवंटन के साथ शुरू हुई थी, को दो बार बढ़ाया गया है, जिसमें नवीनतम विस्तार 31 मार्च, 2026 तक है, जिसमें 1,952.23 करोड़ रुपये (निर्भया फंड से 1,207.24 करोड़ रुपये) का परिव्यय है।

प्रशिक्षण



- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी नियमित रूप से न्यायाधीशों और कानूनी सहायता अधिकारियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करती है, जिससे उन्हें नवीनतम कानूनी ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और न्याय तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए कमजोर समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ प्रदान की जाती है।

- नालसा विविध पृष्ठभूमि के स्वयंसेवकों को कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पैरा-लीगल वालंटियर्स योजना चलाता है, जिन्हें लोगों और विधिक सेवा संस्थानों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। विधिक प्राधिकारी इन स्वयंसेवकों को न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण, आपराधिक कानून की मूल बातें, श्रम कानून, किशोरों के लिए कानून, और महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानूनों का प्रशिक्षण देते हैं।

- हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सेवा करने वाले कानूनी सहायता कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए, एनएएलएसए ने विशेष रूप से कानूनी सेवा वकीलों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) के लिए 4 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं, और देश भर में

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

कानूनी सेवा संस्थान समय-समय पर पैनल वकीलों और पीएलवी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं - 2023-24 से मई 2024 तक, राज्य कानूनी अधिकारियों ने पूरे भारत में 2,315 ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कानूनी सहायता उन लोगों को प्रभावी ढंग से प्रदान की जाती है जो कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च नहीं उठा सकते हैं।

निष्कर्ष:

- भारत की न्याय व्यवस्था सभी के लिए न्याय सुलभ बनाने का प्रयास करती है। न्याय में आने वाली बाधाओं को दूर करना भारतीय संविधान में निहित है।
- लोक अदालतों, फास्ट-ट्रैक अदालतों और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा समर्थित, निःशुल्क कानूनी सहायता का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क विवादों का त्वरित और आसान समाधान संभव बनाता है। कानूनी सहायता और कानूनी जागरूकता पर आधारित आउटरीच कार्यक्रम भी करोड़ों भारतीयों तक पहुँच चुके हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग भी बिना किसी बाधा के न्याय के अपने मौलिक अधिकार तक पहुँच सकें।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. दिशा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
2. इसका उद्देश्य कानूनी जागरूकता, मुकदमे-पूर्व सलाह और निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना है।
3. इसका परिव्यय ₹250 करोड़ है।

सही उत्तर का चयन करें:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. सभी के लिए न्याय तक समान और सुलभ पहुँच सुनिश्चित करने में विधिक सेवा प्राधिकरणों (Legal Services Authorities) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही, विश्लेषण कीजिए कि LADCS, DISHA और फास्ट-ट्रैक कोर्ट जैसी पहलें इस लक्ष्य की प्राप्ति को किस प्रकार सुदृढ़ करती हैं। (250 शब्द, 15 अंक)

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 : मतदान का अधिकार बनाम मतदान की स्वतंत्रता

समाचार में क्यों?

- **सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई :** भारत का सर्वोच्च न्यायालय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 की धारा 53(2) और संबंधित नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा है, जो उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने की अनुमति देता है।
- **मामले का संदर्भ :** यह मुद्दा बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान के साथ उजागर हुआ, जिसने चुनावी अधिकारों और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति पर बहस को बढ़ावा दिया।
- **याचिकाकर्ताओं का तर्क :** निर्विरोध चुनावों में मतदाताओं को NOTA (None of the Above) विकल्प न देकर अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है।
- **मुख्य कानूनी अंतर :** मतदान का अधिकार (आरपीए, 1951 की धारा 62 के तहत वैधानिक अधिकार) बनाम मतदान की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार)।
- **केंद्र सरकार का हलफनामा :** मतदान का अधिकार चुनाव में भागीदारी की अनुमति देता है, जबकि मतदान की स्वतंत्रता वोट के माध्यम से राय व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है।
- **पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2003) उद्धरण :** वोट डालना राय और पसंद की अभिव्यक्ति है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है; सरकार का तर्क है कि निर्विरोध चुनावों में मतदान न होने से NOTA के माध्यम से स्वतंत्रता का प्रयोग संभव नहीं।

आरपीए 1951 की धारा 53(2) क्या है?

- **धारा 53(2) की लागू होने की शर्त :** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53(2) तब लागू होती है जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या के बराबर हो।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **निर्विरोध घोषणा की प्रक्रिया :** रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता है।
- **प्रयुक्त प्रपत्र :** फॉर्म 21 (सामान्य चुनाव) और फॉर्म 21बी (आकस्मिक रिक्ति) का उपयोग किया जाता है।
- **मतदान पर प्रभाव :** यह प्रावधान मतदान के संचालन को रोकता है, जिससे मतदाता NOTA के माध्यम से विकल्प व्यक्त करने से वंचित हो जाते हैं।
- **याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व :** विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व।
- **मुख्य तर्क:** बिना मतदान के निर्विरोध घोषणा अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है, क्योंकि मतदाताओं को असंतोष व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता।
- **NOTA की भूमिका :** NOTA एकमात्र उम्मीदवार के खिलाफ असहमति व्यक्त करने का तंत्र है, जो निर्विरोध चुनावों में अवरुद्ध हो जाता है।

संविधान कानून अधिकार :

1. **मतदान का अधिकार बनाम मतदान की स्वतंत्रता :** मतदान का अधिकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार है।
2. **मतदान की स्वतंत्रता :** मतदान के दौरान प्रयोग किया जाने वाला यह अनुच्छेद 19(1)(ए) का एक मूलभूत पहलू है, जो मतदाता की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
3. **न्यायिक संदर्भ :** पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2003) मामले में न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब उत्पन्न होती है जब मतदाता वोट डालता है।
4. **नोटा उम्मीदवार नहीं है :** धारा 79(बी) के तहत नोटा एक विकल्प है, कोई व्यक्ति नहीं, तथा इससे मतदान नहीं हो सकता।
5. **मतदान की शर्तें :** चुनाव केवल तभी आयोजित किए जाते हैं जब उम्मीदवारों की संख्या सीटों से अधिक हो (धारा 53(1)); निर्विरोध चुनाव धारा 53(2) के अंतर्गत आते हैं।
6. **अनिवार्य घोषणा :** चुनावों को अनिर्णायक या अप्रभावी होने से बचाने के लिए विजेता की घोषणा करना आवश्यक है।

चुनाव आयोग का व्यवहार :

1. **केंद्र के लिए समर्थन :** नोटा को उम्मीदवार मानने के लिए जन प्रतिनिधि कानून 1951 और चुनाव नियम 1961 में संशोधन की आवश्यकता होगी।
2. **निर्विरोध चुनावों की दुर्लभता :** 1951-2024 तक केवल 9 उदाहरण दर्ज किए गए, ये सांख्यिकीय अपवाद हैं।
3. **लोकतांत्रिक विकास :** राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या के कारण आज निर्विरोध चुनाव अत्यंत असामान्य हो गए हैं।
4. **विधायी सीमाएँवर्तमान कानून NOTA :** को मतदान के लिए बाध्य करने या निर्विरोध चुनाव को रद्द करने की अनुमति नहीं देते हैं।
5. **चुनावी दक्षता :** निर्विरोध उम्मीदवारों की घोषणा से समय पर सरकार का गठन सुनिश्चित होता है।
6. **यथास्थिति बनाए रखना :** संसदीय हस्तक्षेप के बिना किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुशंसा नहीं की जाती है।

महत्व :

1. **कानूनी स्पष्टता :** मतदान के वैधानिक अधिकार और मतदान करते समय अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है।
2. **नोटा की सीमा :** यह पुष्टि करता है कि नोटा निर्विरोध चुनाव को रद्द नहीं कर सकता है या उम्मीदवार के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
3. **चुनावी दक्षता :** यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव निर्णायक हों तथा प्रशासनिक या राजनीतिक देरी से बचा जा सके।
4. **लोकतांत्रिक विकास :** इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारतीय लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ी है, तथा निर्विरोध चुनावों में कमी आई है।
5. **नीति अंतर्दृष्टि :** यदि NOTA को निर्विरोध चुनावों को प्रभावित करना है तो संभावित विधायी सुधारों की आवश्यकता है।
6. **न्यायिक प्रासंगिकता :** निर्विरोध चुनावों के दौरान अधिकारों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

समाधान / आगे की राह :

1. **विधायी समीक्षा :** यदि आवश्यक हो तो निर्विरोध चुनावों में NOTA को शामिल करने के लिए RPA 1951 में संशोधन पर विचार करें।
2. **मतदाता जागरूकता :** नागरिकों को मतदान के वैधानिक अधिकार और मतदान की स्वतंत्रता के बीच अंतर के बारे में शिक्षित करें।
3. **न्यायिक मार्गदर्शन:** चुनावी व्यावहारिकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता का इंतजार है।
4. **चुनाव सुधार :** निर्विरोध चुनावों में भी सार्थक मतदाता अभिव्यक्ति की अनुमति देने के लिए तंत्रों का पता लगाना।
5. **नीति निर्माण :** ऐसे कानूनों पर विचार करें जो चुनावी दक्षता और नागरिक विकल्प के बीच संतुलन स्थापित करें।
6. **लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण :** सुनिश्चित करें कि सुधार और जागरूकता अभियान शासन को बाधित किए बिना भागीदारी को बढ़ाएं।

निष्कर्ष :

- सर्वोच्च न्यायालय में चल रही बहस वैधानिक मताधिकार और राजनीतिक विकल्प व्यक्त करने की संवैधानिक स्वतंत्रता के बीच के सूक्ष्म तनाव को उजागर करती है।
- नोटा मतदाताओं को अपनी असहमति व्यक्त करने की अनुमति देता है, लेकिन निर्विरोध चुनाव एक व्यावहारिक सीमा प्रस्तुत करते हैं। यह मामला भारत में चुनावी लोकतंत्र के विकासशील स्वरूप और नागरिक अभिव्यक्ति को चुनावी दक्षता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में निर्विरोध चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. आरपीए की धारा 53(2) उम्मीदवारों को बिना मतदान के निर्वाचित घोषित करने की अनुमति देती है।
2. नोटा को जन प्रतिनिधि कानून की धारा 79(बी) के तहत उम्मीदवार माना जाता है।
3. भारतीय चुनावी इतिहास में निर्विरोध चुनाव अत्यंत दुर्लभ हैं।

सही उत्तर का चयन करें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "मतदान के वैधानिक अधिकार और मतदान की संवैधानिक स्वतंत्रता के बीच का अंतर भारत में चुनावी लोकतंत्र की विकासशील प्रकृति को उजागर करता है।" इस कथन के संदर्भ में निर्विरोध चुनावों और NOTA (नोटा) विकल्प के प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2025

चर्चा में क्यों?

- भारत ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2025 अधिसूचित किये हैं। इससे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन हो गया है।
- अधिनियम और नियम मिलकर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के ज़िम्मेदारपूर्ण उपयोग के लिये एक स्पष्ट तथा नागरिक-केंद्रित ढाँचा तैयार करते हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 क्या हैं?

- **परिचय :** DPDP नियम, 2025 व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के लिये एक स्पष्ट और व्यावहारिक प्रणाली बनाकर DPDP अधिनियम को क्रियान्वित करते हैं।
- ये नियम नागरिकों के अधिकारों को सशक्त बनाते हैं, संगठनों द्वारा डेटा के ज़िम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करते हैं और डेटा के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाते हैं।

- नियम डिजिटल हानि को कम करते हैं, नवाचार को समर्थन देते हैं और भारत के लिये एक सुरक्षित, विश्वसनीय डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता करते हैं।
- DPDP ढाँचा डेटा संरक्षण के केंद्र में नागरिकों को रखता है, जिससे उन्हें यह स्पष्ट नियंत्रण मिलता है कि उनका व्यक्तिगत डेटा कैसे उपयोग किया जाएगा।

मुख्य प्रावधान :

- **चरणबद्ध और व्यावहारिक कार्यान्वयन :** नियम 18 महीने की अनुपालन अवधि प्रदान करते हैं, जिससे संगठनों को अपनी प्रणालियाँ अपडेट करने और ज़िम्मेदारपूर्ण प्रथाएँ अपनाने का समय मिलता है।
- डेटा फिड्यूशियरी को सरल, उद्देश्य-विशिष्ट सहमति नोटिस जारी करना होगा तथा सभी सहमति प्रबंधक भारत-आधारित कंपनियाँ होनी चाहिये।
- **व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन अधिसूचना :** डेटा उल्लंघनों की सूचना प्रभावित व्यक्तियों को बिना किसी देरी के दी जानी चाहिये तथा इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये, जिसमें घटना, संभावित प्रभाव और उठाए गए कदमों के बारे में बताया जाना चाहिये, साथ ही सहायता के लिये स्पष्ट संपर्क विवरण भी दिया जाना चाहिये।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही :** डेटा फिड्यूशियरी को डेटा-संबंधित प्रश्नों के लिये स्पष्ट संपर्क जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
- महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरी को स्वतंत्र ऑडिट, प्रभाव आकलन करना होगा और प्रतिबंधित या स्थानीय रूप से संग्रहीत डेटा पर सरकारी दिशानिर्देशों सहित कड़े नियमों का पालन करना होगा।
- **डिजिटल-फर्स्ट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड :** नियम चार सदस्यों वाले पूरी तरह डिजिटल डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करते हैं, जिससे नागरिक पोर्टल और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज तथा ट्रैक कर सकेंगे।
- बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ अपील अपील ट्रिब्यूनल (TD-SAT) में सुनी जाएगी।
- **डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों को मज़बूत करना :** व्यक्ति अपने व्यक्तिगत डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या हटाने का अनुरोध कर सकते हैं और अपने स्थान पर कार्य करने के लिये किसी नामित व्यक्ति को अधिकार दे सकते हैं। ऐसी सभी अनुरोधों को 90 दिनों के भीतर निपटाना अनिवार्य है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 क्या है?

- **परिचय :** DPDP अधिनियम, जिसे अगस्त 2023 में पारित किया गया था, भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिये एक व्यापक ढाँचा निर्धारित करता है।
- यह उन संगठनों के दायित्वों को स्पष्ट करता है जो व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करते हैं और SARAL (सरल, सुलभ, तर्कसंगत एवं कार्यान्वयन) दृष्टिकोण का पालन करता है, ताकि नियम सरल, स्पष्ट तथा पालन करने में आसान बने रहे।
- **DPDP ढाँचा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 :** के साथ भी सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे गोपनीयता अधिकार और जन-सूचना के अधिकार के बीच संतुलन बना रहता है।
- **मुख्य सिद्धांत :** यह कानून सात मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें सहमति और पारदर्शिता, उद्देश्य सीमा, डेटा न्यूनीकरण, सटीकता, भंडारण सीमा, सुरक्षा उपाय तथा जवाबदेही शामिल हैं।ये सिद्धांत डेटा प्रोसेसिंग के प्रत्येक चरण का मार्गदर्शन करते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल वैध और विशिष्ट उद्देश्यों के लिये ही किया जाए।
- **भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड :** अधिनियम अनुपालन की निगरानी, उल्लंघनों की जाँच और सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिये एक स्वतंत्र निकाय के रूप में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना करता है। यह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने और भारत के डिजिटल वातावरण में विश्वास बढ़ाने में सहायता करता है।

DPDP अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रमुख शब्द

- **डेटा फिड्यूशियरी :** एक इकाई जो यह निर्णय लेती है कि व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण क्यों और कैसे किया जाए, अकेले या दूसरों के साथ मिलकर।
- **डेटा प्रिंसिपल :** वह व्यक्ति जिससे व्यक्तिगत डेटा संबंधित है।
- बच्चे के मामले में इसमें माता-पिता या वैध अभिभावक शामिल हैं।
- किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिये जो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, इसमें उसकी ओर से कार्य करने वाला वैध अभिभावक भी शामिल है।
- **डेटा प्रोसेसर :** कोई भी इकाई जो डेटा फिड्युसरी की ओर से व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **सहमति प्रबंधक :** एक इकाई जो एकल, पारदर्शी और अंतर-संचालनीय मंच प्रदान करती है जिसके माध्यम से डेटा प्रिंसिपल सहमति दे सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, समीक्षा कर सकता है या उसे वापस ले सकता है।
- **अपीलीय न्यायाधिकरण :** दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT), जो डेटा संरक्षण बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है।
- **DPDP अधिनियम, 2023 के तहत जुर्माना :** यह अधिनियम डेटा फिड्यूशियरी पर कड़े दंड लगाता है, जिनमें सुरक्षा उपायों को बनाए रखने में विफल रहने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है।
- डेटा उल्लंघन की रिपोर्ट न करने या बच्चों से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि अन्य प्रकार के उल्लंघनों के लिये 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **महत्त्व :** DPDP गोपनीयता अधिकारों को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही RTI अधिनियम को पहले की तरह कार्य करते रहने देता है। यह सुनिश्चित करता है कि गोपनीयता और सूचना तक पहुँच दोनों साथ-साथ सुचारू रूप से कार्य कर सकें।
- **DPDP अधिनियम के माध्यम से RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) :** में संशोधन, निजता के मौलिक अधिकार को संतुलित करता है, जैसा कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी।
- यह संशोधन उचित प्रतिबंधों पर स्थापित न्यायिक तर्क के अनुरूप है, मौजूदा न्यायिक व्याख्या को विधिक रूप देता है और कानूनों के बीच उत्पन्न होने वाली संभावित असंगतियों को रोकने में सहायता करता है।
- हालाँकि, RTI अधिनियम की धारा 8(2) अभी भी सूचना के प्रकटीकरण की अनुमति देती है, जब जनहित गोपनीयता-हानि से अधिक महत्त्वपूर्ण हो। यह प्रावधान RTI के मूल लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुरक्षित तथा प्रभावी बनाए रखता है।
- संशोधन कानूनी अनिश्चितता को दूर करता है और गोपनीयता संरक्षण तथा सूचना तक पहुँच के बीच असंगतियों को रोकता है। यह RTI अधिनियम के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए DPDP के तहत गोपनीयता को और मज़बूत करता है।

भारत के DPDP फ्रेमवर्क के अंतर्गत नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा क्या हैं?

अधिकार / संरक्षण	विवरण
सहमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार	नागरिक अपने व्यक्तिगत डेटा के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। सहमति स्पष्ट होनी चाहिये और उसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।
डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है, यह जानने का अधिकार	नागरिक/व्यक्ति यह जानकारी मांग सकते हैं कि कौन सा व्यक्तिगत डेटा एकत्र किया गया है, इसे क्यों एकत्र किया गया है और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। संगठनों को यह जानकारी एक सरल प्रारूप में प्रदान करनी होगी।
व्यक्तिगत डेटा तक पहुँच का अधिकार	व्यक्ति अपने व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति मांग सकते हैं जो डेटा फिड्युसरी के पास मौजूद है।
व्यक्तिगत डेटा को सही करने का अधिकार	व्यक्ति गलत या अपूर्ण व्यक्तिगत डेटा में सुधार का अनुरोध कर सकते हैं।
व्यक्तिगत डेटा अपडेट करने का अधिकार	जब नागरिकों के विवरण में परिवर्तन हो जाए, जैसे कि नया पता या अद्यतन संपर्क नंबर, तो वे उसमें परिवर्तन के लिये अनुरोध कर सकते हैं।
व्यक्तिगत डेटा मिटाने का अधिकार	कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति व्यक्तिगत डेटा हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। डेटा फिड्यूशियरी को इस अनुरोध पर निर्धारित समय के भीतर विचार करके कार्रवाई करनी होगी।
किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार	प्रत्येक व्यक्ति अपनी ओर से अपने डेटा अधिकारों का प्रयोग करने के लिये किसी को नियुक्त कर सकता है। यह बीमारी या अन्य बाधाओं के मामले में मददगार होता है।
नब्बे दिनों के भीतर अनिवार्य प्रतिक्रिया	डेटा फिड्युशरीज़ को अधिकतम नब्बे दिनों के भीतर पहुँच, सुधार, अद्यतन या विलोपन से संबंधित सभी अनुरोधों का समाधान करना आवश्यक है, ताकि समय पर कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन के दौरान सुरक्षा	यदि कोई उल्लंघन होता है तो नागरिकों को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिये। संदेश में यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये कि क्या हुआ और वे क्या कदम उठा सकते हैं।
प्रश्नों और शिकायतों के लिये स्पष्ट संपर्क	डेटा फिड्यूशरीज़ को व्यक्तिगत डेटा से संबंधित प्रश्नों के लिये एक संपर्क केंद्र प्रदान करना होगा। यह एक नामित अधिकारी या डेटा सुरक्षा अधिकारी हो सकता है।
बच्चों के लिये विशेष सुरक्षा	जब किसी बच्चे का व्यक्तिगत डेटा शामिल हो तो माता-पिता या अभि-भावक की सत्यापन योग्य सहमति आवश्यक है। यह सहमति तब तक आवश्यक है जब तक कि प्रसंस्करण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या वास्तविक समय सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं से संबंधित न हो।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिये विशेष सुरक्षा	प्रासंगिक कानूनों के अनुसार, यदि कोई विकलांग व्यक्ति निर्णय लेने में असमर्थ है तो कानूनी अभिभावक को सहमति देनी होगी।

निष्कर्ष :

DPDP अधिनियम, 2023 और नियम, 2025 व्यक्ति-गत डेटा के प्रबंधन, गोपनीयता अधिकारों को मज़बूत करने और संगठनात्मक जवाबदेही लागू करने के लिये एक स्पष्ट, नागरिक-केंद्रित प्रणाली का निर्माण करते हैं। यह ढाँचा एक सुरक्षित, पारदर्शी तथा नवाचार-अनुकूल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, जिससे भारत को उपयोगकर्त्ता विश्वास की रक्षा करते हुए अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

1. DPDP नियम, 2025 डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रोसेसर दोनों के दायित्वों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं।
2. नियमों में बच्चों (18 वर्ष से कम आयु) के डेटा प्रसंस्करण के लिए 'माता-पिता की सत्यापित सहमति' आवश्यक है।
3. नियमों के तहत Data Protection Board (DPB) को दंड (penalties) लगाने की वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. चर्चा कीजिये कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 और DPDP नियम, 2025 किस प्रकार भारत में सुरक्षित और नवाचार-अनुकूल डिजिटल अर्थव्यवस्था को सक्षम करते हुए नागरिक अधिकारों को मज़बूत करते हैं। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत की नई श्रम संहिताएँ : सरलीकरण, सुरक्षा एवं सतत विकास

महत्वपूर्ण सुधार :

भारत का श्रम पारिस्थितिकी तंत्र हाल ही में प्रमुख सुधारों, बेहतर रोजगार आंकड़ों और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के कारण तेजी से ध्यान का केंद्र बन गया है।

प्रमुख बिंदु :

सरकार ने 29 श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है।

चार श्रम संहिताओं में

1. वेतन संहिता, 2019
2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020

यह ऐतिहासिक सुधार अनुपालन को सुव्यवस्थित करता है, अप्रचलित प्रावधानों का आधुनिकीकरण करता है, और एक सरल, कुशल ढाँचा बनाता है जो व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देता है, साथ ही श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा भी करता है।

सकारात्मक सांख्यिकीय रुझान:



- **रोजगार वृद्धि :** आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में रोजगार 2017-18 में 47.5 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गया है, जिससे छह वर्षों के भीतर 16.83 करोड़ नौकरियां जुड़ी हैं यह एक ऐतिहासिक वृद्धि है।
- **बेरोजगारी में कमी :** इसी अवधि में, बेरोजगारी दर 6.0% से घटकर 3.2% हो गई है।
- **समावेशी विकास :** 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई हैं, जो समावेशी विकास की दिशा में सरकार के प्रयास को दर्शाता है।

संहिताकरण के पीछे का तर्क:

ये सकारात्मक घटनाक्रम ऐसे समय में हुए हैं जब भारत अपनी चार नई श्रम संहिताओं को लागू कर रहा है, जो 29 मौजूदा श्रम कानूनों को एक सरल, आधुनिक ढांचे में समेकित करती हैं। श्रम कानूनों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य देश के उभरते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप विधायी ढाँचे को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है।

संहिताबद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

- **अनुपालन को सरल बनाना :** कानूनों की बहुलता के कारण अनुपालन में कठिनाई होती थी।
- **प्रवर्तन को सुव्यवस्थित करना:** विभिन्न श्रम कानूनों में प्राधिकारियों की बहुलता के कारण प्रवर्तन में जटिलता और कठिनाई उत्पन्न हुई।
- **पुराने कानूनों का आधुनिकीकरण:** अधिकांश श्रम कानून स्वतंत्रता-पूर्व युग के दौरान बनाए गए थे, जिन्हें आज की आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करना आवश्यक था।
- इस सुधार का लक्ष्य व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) बढ़ाना, रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना और प्रत्येक श्रमिक के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और वेतन सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- **सरलीकरण के परिणाम :** संहिताकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस और एकल रिटर्न की अवधारणा को लागू करके पंजीकरण और लाइसेंसिंग ढांचे को सरल बनाना था, जिससे समग्र अनुपालन बोझ कम हो सके।

कारक	29 पुराने कानून	4 नई संहिताएँ
नियम (Rules)	1436	351
रिटर्न (Returns)	31	एकल (इलेक्ट्रॉ-निक)
फॉर्म (Forms)	181	73
पंजीकरण (Registration)	8*	एकल
लाइसेंस (License)	4	एकल
कंपाउंडिंग	-	पहली बार पेश किया गया

भारत की चार श्रम संहिताएँ : प्रमुख प्रावधान

श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को युक्तिसंगत, सरल और समाहित करने के लिए चार संहिताएँ बनाई गई हैं:

1. वेतन संहिता, 2019 (The Code on Wages, 2019)

- यह 4 कानूनों को समेकित करता है (मजदूरी भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, बोनस भुगतान, समान पारिश्रमिक अधिनियम)।
- **सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी :** यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी की शुरुआत करता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन :** एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है, जिसके नीचे राज्य मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकते।
- **कवरेज :** वेतन भुगतान नियमों में सार्वभौमिक कवरेज प्रदान की गई है (₹24,000 की सीमा हटाई गई)।
- **ओवरटाइम :** अनिवार्य ओवरटाइम के लिए सामान्य मजदूरी का ≥ 2× भुगतान किया जाएगा।
- **निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता :** मार्गदर्शन और प्रवर्तन के लिए 'निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता' की नियुक्ति की जाएगी।

2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (The Industrial Relations Code, 2020)

- यह 3 कानूनों को समेकित करता है (ट्रेड यूनियन, औद्योगिक रोजगार, औद्योगिक विवाद अधिनियम)।
- **निश्चित अवधि का रोजगार (FTE) :** 1 वर्ष के बाद पूर्ण समता और ग्रेच्युटी के साथ FTE की अनुमति दी गई है।
- **पुनः** कौशलीकरण निधि: छंटनीग्रस्त श्रमिकों के लिए (15 दिन की मजदूरी के बराबर) पुनः कौशलीकरण निधि बनाई गई है।
- **छंटनी/बंद की सीमा :** छंटनी या बंद करने के लिए सरकारी अनुमोदन की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक कर दी गई है।
- **स्थायी आदेश सीमा :** स्थायी आदेश सीमा को भी बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दिया गया है।
- **हड़ताल नोटिस :** हड़ताल या तालाबंदी से पहले अनिवार्य 14-दिवसीय नोटिस आवश्यक है।

3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (The Code on Social Security, 2020)

- यह 9 कानूनों को समेकित करता है (ईपीएफ, ईएसआई, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी, आदि)।
- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा :** यह संगठित, असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों सहित सभी के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- **गिग/प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ता :** इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए एग्रीगेटर योगदान (टर्नओवर का 1-2%) का प्रावधान किया गया है।
- **विस्तारित कवरेज :** कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का कवरेज पूरे भारत में विस्तारित किया गया है।
- **ग्रेच्युटी :** निश्चित अवधि के रोजगार (FTE) के लिए 1 वर्ष के बाद ग्रेच्युटी पात्रता प्रदान की गई है।
- **डिजिटलीकरण :** सभी रिटर्न और रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण अनिवार्य किया गया है।

4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता, 2020 (OSHWC Code, 2020)

- यह 13 कानूनों को समेकित करता है (कारखाना, खान, बागान, ठेका श्रम, आदि अधिनियम)।
- **लक्ष्य:** सभी क्षेत्रों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, और कार्य मानक सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य सुरक्षित और मानवीय कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करना है।
- **प्रवासी श्रमिक:** यह संहिता अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को यात्रा भत्ता और डेटाबेस पंजीकरण के साथ सुरक्षित करती है।
- **कल्याणकारी सुविधाएँ:** यह काम के घंटे, छुट्टियां और कल्याणकारी सुविधाओं को विनियमित करती है।
- **अनिवार्य प्रावधान :** मुफ्त स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है।
- **व्यापार सुगमता :** यह एकीकृत अनुपालन के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष :

नए श्रम संहिताओं की स्थापना भारत के श्रम परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो श्रमिकों के कल्याण और उद्यमों की दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करता है। ये सुधार एक अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं। ये प्रावधान अनुपालन को सरल बनाते हैं, सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं और वेतन में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत के नए श्रम संहिताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वेतन संहिता संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों पर लागू होने वाली सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी प्रस्तुत करती है।
2. औद्योगिक संबंध संहिता में हड़ताल और तालाबंदी से पहले 14 दिन का नोटिस अवधि अनिवार्य किया गया है।

3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है।

4. ओएसएचडब्ल्यूसी संहिता प्रतिष्ठानों के लिए एकल पंजीकरण और सामान्य लाइसेंसिंग का प्रावधान करती है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. चार श्रम संहिताएँ भारत के श्रम प्रशासन ढाँचे में एक बड़े सुधार का प्रतीक हैं। रोज़गार सृजन, श्रमिक कल्याण और व्यापार सुगमता के लिए इनके महत्व पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

उच्चतम न्यायालय : न्यायपालिका की स्पष्ट सीमाएँ

समाचार में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वह विधेयक पर निर्णय के लिए राष्ट्रपति या राज्यपालों पर समय-सीमा नहीं थोप सकता, तथा उसने संवैधानिक सीमाओं, शक्तियों के पृथक्करण और दुर्भावनापूर्ण कार्यों की सीमित न्यायिक समीक्षा पर जोर दिया।

उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत मांगे गए 16वें राष्ट्रपति संदर्भ में अपनी राय दी। खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों पर अनुमति देने में निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्य-पाल पर कोई समय-सीमा लागू नहीं कर सकता।

अप्रैल 2025 में, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय की थी। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य से जुड़े व्यापक महत्व का प्रश्न उत्पन्न होने पर उच्चतम न्यायालय से राय लेने की शक्ति देता है।

उच्चतम न्यायालय की राय के अन्य मुख्य बिंदु

- **'मानित अनुमति' (Deemed Assent) :** संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है: शीर्ष न्यायालय ने कहा कि न्यायालय यह मानकर नहीं चल सकता कि कोई विधेयक केवल इसलिए अनुमति प्राप्त मान लिया जाए कि न्यायालय द्वारा तय समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।
- ऐसा करना राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का न्यायपालिका द्वारा अतिक्रमण होगा। साथ ही, यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और संघीय ढांचे के प्रतिकूल है।
- **राज्यपाल/राष्ट्रपति विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते:** ऐसा करना संघवाद, विधायिका के कार्य और संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है।
- **सीमित न्यायिक समीक्षा:** यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करें तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
- न्यायिक समीक्षा केवल प्रक्रिया तक सीमित है, न कि निर्णय के सही या गलत के मामले में।
- जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, तब राष्ट्रपति को प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। इन मामलों में राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर्याप्त है।

संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के बारे में

- **अनुच्छेद 200 :** जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पास निम्नलिखित चार विकल्प होते हैं: वह विधेयक पर अनुमति देता है, विधेयक पर अनुमति रोक लेता है जिससे विधेयक वास्तव में ख़ारिज हो जाता है।
- विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए विधानमंडल को लौटा देता है।
- विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए के लिए आरक्षित रखता है।
- **अनुच्छेद 201 :** जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति या तो: यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को अनुमति देता है ।
- वह अनुमति रोकता है, याविधेयक को पुनर्विचार करने के लिए विधानमंडल को लौटा देता है।
- राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक पर निर्णय लेने के लिए संविधान में किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा राज्य विधेयक पर निर्णय से संबंधित है।
2. अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर निर्णय से संबंधित है।
3. दोनों अनुच्छेदों में निर्णय हेतु स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित है।

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर — (a)





भारत – न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता : द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में नई गति

समाचार में क्यों?



भारत और न्यूजीलैंड ने 3 से 7 नवंबर, 2025 तक ऑकलैंड में अपने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। इस दौर का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की दिशा में प्रगति में तेजी लाना है।

पृष्ठभूमि :

- भारत और न्यूजीलैंड के बीच राष्ट्रमंडल संबंधों, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। हालाँकि, दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूरकताओं के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार मामूली रहा है।
- न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के बाद, 16 मार्च, 2025 को एफटीए प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हुई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूज़ीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले के बीच बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मज़बूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

चौथे दौर का फोकस क्षेत्र :

वर्तमान वार्ता दौर निम्नलिखित पर केंद्रित है:

1. **वस्तुओं का व्यापार :** बाजार पहुंच, टैरिफ में कमी और निर्यात सुविधा।
2. **सेवाओं में व्यापार :** पेशेवरों की गतिशीलता, योग्यताओं की मान्यता, और सेवा क्षेत्र सहयोग।
3. **उत्पत्ति के नियम :** निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत का निर्धारण करने हेतु रूपरेखा।

दोनों पक्षों के अधिकारी पिछले दौर के लंबित मुद्दों को सुलझाने तथा समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए आधार तैयार करने पर काम कर रहे हैं।

प्रस्तावित एफटीए का महत्व

1. **उन्नत बाजार पहुंच :** इस समझौते से कृषि, प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेवाओं में भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
2. **निवेश प्रवाह :** इससे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित होने की उम्मीद है, विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा, कृषि-तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में।
3. **व्यापार भागीदारों का विविधीकरण :** न्यूजीलैंड के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, पारंपरिक साझेदारों से परे निर्यात बाजारों में विविधता लाने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है।
4. **सतत एवं समावेशी विकास :** दोनों राष्ट्रों का लक्ष्य वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप व्यापार ढांचे में पर्यावरणीय और सामाजिक आयामों को शामिल करना है।
5. **हिंद-प्रशांत सहयोग को बढ़ावा :** भारत-न्यूजीलैंड की मजबूत साझेदारी व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता और सहयोग में योगदान देती है।

आगे की चुनौतियां :

1. **कृषि बाजार संवेदनशीलताएं :** न्यूज़ीलैंड के प्रतिस्पर्धी डेयरी और कृषि क्षेत्र भारत के घरेलू किसानों और सहकारी समितियों के लिए चिंता का विषय हैं। भारत अपने डेयरी बाज़ार को संभावित आयात वृद्धि से बचाना चाहता है।
2. **टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं :** दोनों पक्षों के बीच टैरिफ कटौती कार्यक्रम और गुणवत्ता, पैकेजिंग तथा सुरक्षा से संबंधित मानकों पर मतभेद है, जिससे टैरिफ लाइनों को अंतिम रूप देने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।
3. **सेवा उदारीकरण :** भारत आईटी पेशेवरों और कुशल कामगारों के लिए अधिक गतिशीलता चाहता है, जबकि न्यूज़ीलैंड की वीज़ा नीतियाँ अभी भी प्रतिबंधात्मक हैं। यह भिन्नता सेवाओं के व्यापार पर बातचीत को जटिल बनाती है।
4. **नियामक सामंजस्य :** तकनीकी मानकों, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों तथा प्रमाणन प्रणालियों में अंतर निर्यातकों के लिए अनुपालन चुनौतियां पैदा करता है।
5. **घरेलू उद्योगों का संरक्षण :** भारत इस बात पर जोर देता है कि एफटीए से अचानक आयात प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माताओं, एमएसएमई और ग्रामीण उत्पादकों को नुकसान न पहुंचे।
6. **भौगोलिक दूरी और रसद लागत :** भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे पारगमन मार्ग व्यापार लागत को बढ़ाते हैं, जिससे नाशवान और समय-संवेदनशील वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।

समाधान / आगे की राह :

1. **संतुलित एवं समावेशी दृष्टिकोण :** समझौते में आक्रामक और रक्षात्मक हितों के बीच संतुलन होना चाहिए, तथा कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
2. **क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करना :** कृषि-तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल नवाचार और शिक्षा में सहयोग दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास के नए इंजन के रूप में काम कर सकता है।
3. **सेवाओं की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना :** वीज़ा मानदंडों को सुव्यवस्थित करने और व्यावसायिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता से छात्रों, विशेषज्ञों और कुशल श्रमिकों की आवाजाही बढ़ सकती है।
4. **व्यापार अवसंरचना को बढ़ाना :** दोनों देशों को व्यापार लागत कम करने और माल की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए रसद, संपर्क और सीमा शुल्क सहयोग में सुधार करना चाहिए।
5. **संस्थागत तंत्र को मजबूत करना :** संयुक्त कार्य समूह और तकनीकी समितियां बनाने से विनियामक मुद्दों को सुलझाने और कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी करने में मदद मिल सकती है।
6. **सतत राजनयिक और व्यावसायिक जुड़ाव :** नियमित उच्च स्तरीय बैठकें और व्यवसाय-से-व्यवसाय संपर्क राजनीतिक गति को बनाए रखेंगे तथा एफटीए लाभों को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

निष्कर्ष :

- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ता प्रशांत क्षेत्र में भारत के व्यापार विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- एक सुनियोजित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है और साथ ही व्यापक हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे को भी मज़बूत कर सकता है।
- इस मुक्त व्यापार समझौते की सफलता न केवल द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करेगी, बल्कि भारत के "वैश्विक एकीकरण के साथ आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाएगी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. प्रस्तावित भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एफटीए वार्ता वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार और उत्पत्ति के नियमों पर केंद्रित है।
2. इस समझौते का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की व्यापारिक भागीदारी को बढ़ाना है।
3. एफटीए को औपचारिक रूप से 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: A

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. द्विपक्षीय और हिंद-प्रशांत आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने में प्रस्तावित भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके सफल समापन के लिए किन प्रमुख चुनौतियों का समाधान आवश्यक है? (250 शब्द, 15 अंक)

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन 2025

चर्चा में क्यों?

दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन 2025, APEC नेताओं के ग्योंगजू घोषणा-पत्र (2025) को अपनाने के साथ संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रीय सहयोग, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी आर्थिक विकास की पुष्टि की गई।

APEC शिखर सम्मेलन 2025 के मुख्य परिणाम क्या हैं?

ग्योंगजू घोषणा को अपनाना (2025) : इस घोषणा-पत्र में समावेशी आर्थिक विकास के प्रति APEC नेताओं की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई तथा श्रम बाज़ारों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और जनसांख्यिकीय बदलावों के परिवर्तनकारी प्रभाव को मान्यता दी गई।

रेखांकित की गईं प्राथमिकताएँ :

विश्व की सबसे गतिशील और परस्पर जुड़ी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण।

क्षेत्र को डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित परिवर्तन के लिये तैयार करना।

साझा चुनौतियों का समाधान करते हुए यह सुनिश्चित करना कि विकास के लाभ सभी तक समान रूप से पहुँचें।

- **APEC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पहल (2026-2030) :** AI पहल का उद्देश्य नवाचार, सहयोग, क्षमता निर्माण और सतत्, ऊर्जा-कुशल AI विकास को बढ़ावा देकर समावेशी, समुत्थानशील विकास को बढ़ावा देना है।
- **जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के लिये रूपरेखा :** APEC द्वारा अपनाया गया यह ढाँचा, क्षेत्र की वृद्ध होती आबादी, घटती जन्म दर और तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण जैसी चुनौतियों का समाधान करता है।यह समुत्थानशील और समावेशी विकास के लिये जन-केंद्रित, अंतर-पीढ़ीगत नीतियों का आग्रह करता है तथा साझा नीतिगत प्रतिक्रियाओं, सामाजिक नवाचार, मज़बूत रोज़गार, राजकोषीय समुत्थानशीलता और वृद्ध आबादी के लिये "सिल्वर इकोनॉमी" को बढ़ावा देता है।
- **मज़बूत आर्थिक और तकनीकी सहयोग:** चीन-दक्षिण कोरिया ने मुद्रा विनिमय को नवीनीकृत कर साइबर सुरक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। शिखर सम्मेलन के दौरान हुई अमेरिका-चीन वार्ता ने व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने और चुनिंदा शुल्कों में कटौती की योजना के साथ तनाव कम करने का संकेत दिया।
- **समावेशी और नियम-आधारित बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता :** नेताओं ने पुत्रजया विज़न 2040 की पुनः पुष्टि की, जिसमें मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार, स्थिर निवेश वातावरण और विखंडन के बजाय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।
- **पुत्रजया विज़न 2040 :** जिसे APEC ने वर्ष 2020 में अपनाया, एक दीर्घकालिक रणनीतिक रूपरेखा है जिसका उद्देश्य खुले, गतिशील, अनुकूलनशील और शांतिपूर्ण एशिया-प्रशांत समुदाय का निर्माण करना है।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) क्या है?

- **एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) की स्थापना वर्ष 1989** में हुई थी। यह 21 अर्थव्यवस्थाओं का एक क्षेत्रीय मंच है, जिसका उद्देश्य संतुलित, समावेशी, सतत् और नवोन्मेषी विकास को बढ़ावा देना, साथ ही एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को आगे बढ़ाना है।
- **APEC "देशों" के बजाय "अर्थव्यवस्थाओं (Economies)" :** शब्द का उपयोग करता है, ताकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बजाय आर्थिक सहयोग पर ज़ोर दिया जा सके।
- **APEC का उद्देश्य वस्तुओं,** सेवाओं, निवेश और जन-आवागमन को सुगम बनाना है। इसके लिये यह सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, व्यावसायिक वातावरण में सुधार करता है तथा क्षेत्रीय नीतियों और मानकों में सामंजस्य स्थापित कर व्यापार तथा आर्थिक एकीकरण को सशक्त बनाता है।
- **सदस्य देश :** ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कनाडा, चिली, चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूज़ीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलिपींस, रूस, सिंगापुर, चीनी ताइपे, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम।

- **APEC की 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 2.95 अरब :** लोग निवास करते हैं जो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 62% तथा वैश्विक व्यापार का 48% (2021 के अनुसार) प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत APEC का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके कई सदस्य देशों के साथ उसके मज़बूत राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं।
- **APEC प्रक्रिया :** यह सर्वसम्मति और स्वैच्छिक भागीदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है, जहाँ सभी सदस्यों की समान भागीदारी होती है और निर्णय संवाद के माध्यम से लिये जाते हैं।
- APEC प्रक्रिया को सिंगापुर स्थित एक स्थायी सचिवालय का सहयोग प्राप्त है।
- **भारत की APEC में रुचि :** भारत APEC को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार, निवेश और आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ करने के एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में देखता है।
- इसकी सदस्यता भारत को वैश्विक व्यापार मानकों के साथ बेहतर सामंजस्य, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने तथा 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी राष्ट्रीय पहलों को सशक्त बनाने में सहायता प्रदान कर सकती है।
- **भारत की APEC सदस्यता में गिरावट के कारण :** भारत की APEC सदस्यता की संभावना इसलिये कम हो गई क्योंकि यह मंच सर्वसम्मति-आधारित प्रवेश प्रक्रिया अपनाता है, नए सदस्यों को शामिल करने पर रोक (फ्रीज़) लगी हुई है एवं भारत की संरक्षणवादी व्यापार नीतियों तथा जटिल विनियामक ढाँचे को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।
- भू-राजनीतिक कारणों, विशेष रूप से चीन के मौन विरोध, ने वर्ष 1991 और वर्ष 1997 में भारत के आवेदन करने के बावजूद उसे इस मंच की सदस्यता से बाहर रखा है।
- हालाँकि भारत अतिथि या पर्यवेक्षक के रूप में APEC की बैठकों में भाग लेता रहा है, लेकिन उसकी सदस्यता पर अब तक विचार नहीं किया गया है।

APEC का विकसित एजेंडा भारत के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के साथ किस प्रकार संरेखित है?

- **साझा दृष्टिकोण :** APEC और भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति दोनों ही एक स्वतंत्र, खुले एवं समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्था पर ज़ोर देती हैं, जो पारदर्शिता, कनेक्टिविटी तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति सम्मान पर आधारित है।
- **कनेक्टिविटी और एकीकरण पर ध्यान :** आपूर्ति-शृंखला अनुकूलन, बुनियादी और डिजिटल कनेक्टिविटी पर APEC का एजेंडा एक्ट ईस्ट नीति एवं महासागर तथा इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (APEC) जैसी पहलों के तहत भारत के प्रयासों का पूरक है।
- **डिजिटल और नवाचार तालमेल :** AI, डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार-संचालित विकास पर APEC का नया ज़ोर भारत के घरेलू कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तथा इंडिया AI के साथ संरेखित है, जो इस क्षेत्र में एक डिजिटल सेतु के रूप में भारत की भूमिका को मज़बूत करता है।

समाधान / आगे की राह :

- **APEC का ग्योंगजू घोषणा-पत्र (2025) :** ग्योंगजू में 2025 का APEC शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और भू-राजनीति के अभिसरण का प्रतीक था। ग्योंगजू घोषणा-पत्र और AI पहल के माध्यम से, इसने पूरे क्षेत्र में सतत् एवं समतापूर्ण AI-संचालित विकास की दिशा निर्धारित की।
- **APEC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पहल (2026-2030) :** यह दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित APEC शिखर सम्मेलन, 2025 का परिणाम है, जो पुत्रजया विज़न 2040 के अंतर्गत समावेशी आर्थिक विकास, डिजिटल और AI परिवर्तन तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
- **जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के लिये APEC सहयोगात्मक ढाँचा :** यह "सिल्वर इकोनॉमी" को बढ़ावा देने वाली अंतर-पीढ़ीगत, जन-केंद्रित नीतियों के माध्यम से वृद्ध होती आबादी, घटती जन्म दर और तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण को संबोधित करने के लिये एक क्षेत्रीय योजना है।
- **APEC एक संगठन के रूप :** यह दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित APEC शिखर सम्मेलन, 2025 का परिणाम है, जो पुत्रजया विज़न 2040 के अंतर्गत समावेशी आर्थिक विकास, डिजिटल और AI परिवर्तन तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

निष्कर्ष :

चूँकि APEC जैसे जैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के एजेंडे का विस्तार कर रहा है, यह भारत को क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ अनौपचारिक रूप से सहयोग करने और हिंद-प्रशांत की आर्थिक संरचना के निर्माण में भूमिका निभाने के नए अवसर प्रदान करता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —

1. यह एक अंतर-सरकारी मंच है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
2. भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है।
3. इसका सचिवालय सिंगापुर में स्थित है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए —

कूट:

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या :

APEC की स्थापना 1989 में हुई थी, भारत इसका सदस्य नहीं है, और इसका सचिवालय सिंगापुर में है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. परीक्षण कीजिये कि एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) का विकसित एजेंडा वैश्विक आर्थिक शासन में हो रहे परिवर्तनों को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत-अमेरिका की 22वीं एमसीजी बैठक : हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा एकीकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाना

समाचार में क्यों?

3-4 नवंबर, 2025 को हवाई में आयोजित भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग समूह (एमसीजी) की 22वीं बैठक, दोनों देशों के बीच गहरी होती रणनीतिक और रक्षा साझेदारी में एक और मील का पत्थर साबित हुई। इस उच्च-स्तरीय बैठक में दोनों देशों की पारस्परिक क्षमता, संयुक्त तैयारी और रक्षा-औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया गया, साथ ही एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की गई।



22वीं एमसीजी बैठक का अवलोकन :

- बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (सीआईएससी) एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और अमेरिका की ओर से यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जोशुआ एम. रुड ने की। चर्चा में उभरती क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए परिचालन सहयोग, रक्षा औद्योगिक सहयोग और रणनीतिक समन्वय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (एचक्यू आईडीएस) के अनुसार, बैठक में संयुक्त सैन्य योजना, रसद अंतर-संचालन और प्रौद्योगिकी साझाकरण को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया ताकि एक अधिक मज़बूत सुरक्षा ढाँचा तैयार किया जा सके। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

पृष्ठभूमि और संदर्भ :

- भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग समूह (एमसीजी) भारत-अमेरिका रक्षा रूपरेखा समझौते के तहत एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो तीनों सेनाओं - थल सेना, नौसेना और वायु सेना - के बीच सहयोग का मार्गदर्शन करता है। नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित एमसीजी की 21वीं बैठक ने क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आदान-प्रदान और रक्षा उद्योग सहयोग में गहन सहयोग की नींव रखी थी।

- भारत-अमेरिका रक्षा संबंध क्रेता-विक्रेता संबंध से विकसित होकर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी सह-विकास, संयुक्त अभ्यास और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण शामिल हैं। LEMOA (लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट), COMCASA (कम्युनिकेशंस कम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट), और BECA (बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट) जैसे आधारभूत समझौतों ने सैन्य सहयोग को और संस्थागत रूप दिया है और सुरक्षित सूचना साझाकरण को बढ़ावा दिया है।

चर्चा के प्रमुख क्षेत्र :

1. **परिचालन और रणनीतिक सहयोग :** दोनों पक्षों ने अंतर-संचालनीयता और सामरिक समन्वय को बढ़ाने के लिए युद्ध अभ्यास, मालाबार और कोप इंडिया जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों के पैमाने और आवृत्ति को बढ़ाने पर चर्चा की।

2. **रक्षा औद्योगिक सहयोग :** बैठक में महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (आईसीईटी) और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल (डीटीटीआई) के तहत महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के संयुक्त अनुसंधान, सह-विकास और सह-उत्पादन को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

3. **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण :** मानव संसाधन क्षमताओं और परिचालन तालमेल में सुधार के लिए अधिकारी विनिमय कार्यक्रमों, संयुक्त युद्ध-खेल और सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण के विस्तार पर चर्चा की गई।

4. **समुद्री क्षेत्र जागरूकता :** भारत-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत सूचना साझाकरण और संयुक्त निगरानी तंत्र की समीक्षा की गई।

5. **लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे का एकीकरण :** दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की सुविधाओं पर क्रॉस-सर्विस पहुंच, मरम्मत और पुनःपूर्ति का समर्थन करने के लिए लॉजिस्टिक्स समझौतों का लाभ उठाने पर जोर दिया, जिससे तेजी से तैनाती और परिचालन पहुंच में सुधार हो सके।

हालिया रक्षा संलग्नताएँ :

दोनों सेनाओं के बीच बढ़ते तालमेल का प्रदर्शन सितंबर 2025 में आयोजित भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास में हुआ, जो सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों में से एक है। इस अभ्यास में मद्रास रेजिमेंट बटालियन के नेतृत्व में 450 सदस्यीय भारतीय सेना की टुकड़ी ने अमेरिकी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास, आतंकवाद-रोधी अभियानों और शांति अभियानों में प्रशिक्षण लिया। इसने दोनों सशस्त्र बलों के बीच बढ़ी हुई सामरिक अंतरक्रियाशीलता और आपसी विश्वास को प्रदर्शित किया।

एमसीजी का रणनीतिक महत्व :

1. **संस्थागत रक्षा वार्ता :** भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच निरंतर जुड़ाव और नीति समन्वय को मजबूत करता है।

2. **उन्नत अंतरसंचालनीयता :** संयुक्त अभ्यास और रसद समर्थन तंत्र के माध्यम से परिचालन अनुकूलता को बढ़ावा देता है।

3. **प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग :** उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह-विकास को प्रोत्साहित करता है, भारत के आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र) का समर्थन करता है।

4. **समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत स्थिरता :** यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने और आक्रामक रुख को संतुलित करने के प्रयासों को सुदृढ़ करता है।

5. **व्यापक रणनीतिक साझेदारी :** साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आतंकवाद-रोधी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना।

6. **मानवीय और आपदा प्रतिक्रिया :** एचएडीआर (मानवीय सहायता और आपदा राहत) संचालन और संकट प्रतिक्रिया के लिए समन्वित ढांचे का निर्माण करता है।

समाधान / आगे की राह :

1. **रक्षा औद्योगिक एकीकरण को गहरा करना :** साइबर, एआई और मानव रहित हवाई प्रणालियों जैसे उन्नत क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सह-उत्पादन और नवाचार का विस्तार करना।

2. **समुद्री सहयोग का विस्तार :** समुद्री संचार मार्गों को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त नौसैनिक अभियानों, पनडुब्बी बचाव क्षमताओं और वास्तविक समय सूचना आदान-प्रदान को मजबूत करना।

3. **त्रि-सेवा समन्वय को बढ़ाना :** अधिक संयुक्तता और परिचालन दक्षता प्राप्त करने के लिए अधिक एकीकृत सेना-नौसेना-वायु सेना अभ्यास आयोजित करना।

4. **स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाना :** आईसीईटी जैसे ढांचे के तहत रक्षा नवाचार के लिए स्टार्ट-अप और निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करना।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

5. **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय साझेदारियां :** क्षेत्रीय आकस्मिकताओं से निपटने के लिए भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को व्यापक क्वाड, आसियान और हिंद-प्रशांत साझेदारियों के साथ एकीकृत करना।

6. **रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना :** निर्भरता कम करने और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास करना।

7. **उच्च स्तरीय सहभागिता को बनाए रखना :** उभरती भू-राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए रक्षा नेताओं के बीच लगातार संवाद को संस्थागत बनाना।

निष्कर्ष :

- 22वीं भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग समूह (एमसीजी) बैठक भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के लेन-देन संबंधी सहयोग से रणनीतिक और तकनीकी साझेदारी में निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है।
- उन्नत सैन्य अंतर-संचालन, संयुक्त प्रशिक्षण और रक्षा औद्योगिक सहयोग के माध्यम से, दोनों देश एक सुरक्षित, लचीले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं।
- जैसे-जैसे भारत और अमेरिका अपनी रक्षा और रणनीतिक प्राथमिकताओं को संरेखित करते जा रहे हैं, एमसीजी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग समूह (एमसीजी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत-अमेरिका रक्षा रूपरेखा समझौते के अंतर्गत एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है।
2. यह विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है।
3. 22वीं एमसीजी बैठक नवंबर 2025 में हवाई में आयोजित की गई।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 32 और 3

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने में भारत–अमेरिका सैन्य सहयोग समूह (Military Cooperation Group – MCG) की भूमिका और महत्व पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत-भूटान संबंधों को मज़बूत करना

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने भूटान के चौथे नरेश (ड्रुक ग्यालपो) जिग्मे सिंग्ये वांगचुक, जो वर्तमान नरेश के पिता हैं, के 70वें जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिये भूटान की राजकीय यात्रा की।

भारत की भूटान की राजकीय यात्रा की मुख्य बिंदु क्या हैं?



- **आर्थिक एवं विकासात्मक सहायता :** भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना और आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिये अपने समर्थन की पुष्टि की, तथा गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट और असम के हतिसार में एक आव्रजन जाँच चौकी स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की। भारत और भूटान ने नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर 3 नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **जलविद्युत कूटनीति :** भारत और भूटान ने 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया तथा 1200 मेगावाट की पुनात्सांगछू-I जलविद्युत परियोजना पर पुनः कार्य शुरू किया, जिससे उनकी जलविद्युत साझेदारी मज़बूत हुई।
- भारत ने भूटान में नई ऊर्जा परियोजनाओं के लिये 40 अरब रुपये की ऋण सहायता भी प्रदान की।
- **संपर्क और अवसंरचना :** दोनों पक्षों ने सीमा-पार संपर्क और अवसंरचना को मजबूत करने के अपने संकल्प की पुष्टि की। इसमें दर्रांगा चेक पोस्ट (Darranga Check Post) और जोगीगोफा मल्टीमॉडल टर्मिनल (Jogighopa Multimodal Terminal) जैसी पहलों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने गेलेफू-कोकराझार और समत्से-बानरहाट को जोड़ने वाली सीमा पार रेल संपर्क पर प्रगति की सराहना की।
- **व्यापार और कृषि सहयोग :** भारत ने भूटान को आवश्यक वस्तुओं और उर्वरकों की आपूर्ति को संस्थागत रूप दिया तथा पहली खेप से निर्बाध कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित हुई।

भारत और भूटान के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- **वाणिज्य और आर्थिक संबंध :** भारत और भूटान, भारत-भूटान व्यापार समझौता (1972, संशोधित 2016) के तहत मुक्त व्यापार प्रणाली बनाए रखते हैं।
- वर्ष 2014 से, भूटान के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2014-15 में 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर से तीन गुना अधिक बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1,777.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और यह निवेश का प्रमुख स्रोत है (कुल का 50%)।
- **विकास साझेदारी :** भारत 1960 के दशक से भूटान का प्रमुख विकास भागीदार रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, शहरी विकास और शिक्षा के लिये भारत ने 4,500 करोड़ रुपए (बाह्य अनुदानों का 73%) प्रदान किये।
- 4 जलविद्युत परियोजनाएँ (2,136 मेगावाट) संचालन में हैं तथा पुनात्सांगछू-I और II (2,220 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं। भारत ने वर्ष 2022 में भूटान से 2,448 करोड़ रुपए की विद्युत् का आयात किया।
- **सांस्कृतिक संबंध :** भारत प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक छात्रवृत्तियाँ भूटानी छात्रों को प्रदान करता है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) प्रशिक्षण देता है तथा भारत-भूटान फाउंडेशन (2003) के माध्यम से सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
- भूटानी तीर्थयात्री बोधगया, राजगीर, नालंदा और सिक्किम जैसे स्थानों का भ्रमण करते हैं, जबकि भारत भूटानी सांस्कृतिक परियोजनाओं जैसे लखांग (मंदिर) निर्माण का समर्थन करता है।
- **सहयोग के उभरते क्षेत्र :** द्विपक्षीय संबंध डिजिटल, वित्तीय एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक फैले हुए हैं, जिसमें भूटान रूपे, BHIM तथा डिजिटल ड्रुक्युल (Digital Drukyul) का उपयोग करता है, भारत-भूटान SAT (2022) की शुरुआत की गई, ग्राउंड अर्थ स्टेशन (2023) खोला गया और STEM शिक्षक की कमी को पूरा करने में सहायता प्राप्त की गई।

भारत-भूटान संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **चीन कारक और भू-राजनीतिक संतुलन :** भूटान की चीन के साथ सीमा वार्ता, विशेष रूप से डोकलाम को लेकर, भारतीय सुरक्षा को प्रभावित करती है, जैसा कि वर्ष 2017 के स्टैंडऑफ में देखा गया। रणनीतिक स्वतंत्रता की तलाश में, भूटान अपने संबंधों को संतुलित करने और साझेदारियों को विविध बनाने का प्रयास करता है, जो भारत के साथ उसके विशेष संबंधों को प्रभावित कर सकता है।
- **आर्थिक निर्भरता :** भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर अत्यधिक निर्भर है, जो उसका प्रमुख व्यापारिक साझेदार, दाता और जलविद्युत बाज़ार है, जिससे शक्ति असमानता तथा प्रभुत्व की धारणाएँ उत्पन्न होती हैं।
- भूटान की पर्यटन नीति, जिसमें उच्च सतत् विकास शुल्क शामिल है, भारतीय पर्यटकों को सीमित करती है, जिससे लोगों के बीच संबंध और सीमा पार की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है।
- **पर्यावरणीय चिंताएँ :** भूटान की नदियों पर बने अनेक बाँधों के कारण निचले भारतीय राज्यों में जल प्रवाह, गाद और मौसम के चरम प्रभावों को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं, उदाहरण के लिये, भूटान के ताला बाँध के अतिप्रवाह से पश्चिम बंगाल के दुआर्स क्षेत्र में बाढ़ आ गई।
- **सीमा और सुरक्षा मुद्दे :** भले ही सीमा मुख्यतः शांतिपूर्ण हो, भारत और भूटान को कभी-कभी अवैध व्यापार, तस्करी तथा उग्रवादी गतिविधियों जैसी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक आदान-प्रदान के साथ सीमा प्रबंधन कठिन हो जाता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत-भूटान साझेदारी को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है?

- **आर्थिक विविधीकरण :** भूटान की भारत पर निर्भरता कम करने के लिये संयुक्त उद्यमों, MSMEs और प्रौद्योगिकी-संचालित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना संचार , फार्मास्यूटिकल्स और इको-पर्यटन जैसे क्षेत्रों का अन्वेषण करना।
- विविध और अनुकूल ऊर्जा पोर्टफोलियो के लिये जल विद्युत से लेकर सौर और पवन ऊर्जा तक सहयोग का विस्तार करना।
- **सामरिक संबंधों को मज़बूत करना :** भारत को सभी पक्षों के सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए, भूटान-चीन सीमा वार्ता के शीघ्र समाधान के लिये शांत लेकिन दृढ़ राजनयिक समर्थन बनाए रखना चाहिये।
- **तकनीकी सहयोग का विस्तार :** अंतरिक्ष, उपग्रह और डिजिटल परियोजनाओं जैसे टेलीमेडिसिन, शिक्षा नेटवर्क और इंटरनेट गेटवे में भारत की भूमिका को मज़बूत करना तथा तकनीकी विशेषज्ञता के भूटान के मुख्य स्रोत के रूप में STEM और ICT क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- **सांस्कृतिक और सॉफ्ट पावर :** नेपाल के साथ मिलकर डिजिटल अभिलेखागार के माध्यम से बौद्ध विरासत के संरक्षण हेतु हिमालयन सांस्कृतिक गलियारा स्थापित करना तथा भूटानी पेशेवरों के लिये भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने हेतु युवा नेतृत्व फैलोशिप शुरू करना।
- **संयुक्त जल संसाधन प्रबंधन :** जल विद्युत से एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन की ओर बदलाव, जल गुणवत्ता, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु अनुकूलन पर सीमापार सहयोग के लिये एक मॉडल के रूप में जोर देना।

निष्कर्ष:

- भारत-भूटान संबंध निर्भरता के पारंपरिक मॉडल से व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को शामिल करते हुए एक गतिशील, बहुआयामी साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं।
- भविष्य की सफलता रणनीतिक अनुकूलन, आर्थिक विविधीकरण, लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और भौगोलिक निकटता का लाभ उठाकर दोनों देशों के लिये एक स्थायी रणनीतिक और क्षेत्रीय लाभ बनाने पर निर्भर करती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत–भूटान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
2. भूटान भारत को हाइड्रोपावर निर्यात करता है।
3. भूटान के साथ भारत की सीमा, भारत-नेपाल सीमा से अधिक लंबी है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर: A

व्याख्या : 1. भारत वास्तव में भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक Eसाझेदार है। 2.भूटान भारत को हाइड्रोपावर निर्यात करता है, इसलिए कथन 2 सही है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "जलविद्युत के अतिरिक्त, भारत–भूटान संबंधों का भविष्य डिजिटल, अंतरिक्ष और हरित प्रौद्योगिकियों में साझेदारी पर आधारित है।" इस कथन की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये और आगे की दिशा पर चर्चा कीजिये।

G-20 शिखर सम्मेलन, 2025 जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका)

2025 के जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन ने Solidarity, Equality, Sustainability की थीम के अनुरूप वैश्विक दक्षिण की चिंताओं, जलवायु संक्रमण, आपदा प्रतिरोध तथा बहुपक्षीय संस्थागत सुधारों पर विशेष बल दिया। यह घोषणा-पत्र ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु आपदा-जोखिम, विकास वित्त की कमी और असमानता जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। अतः इसके प्रावधान वैश्विक शासन को अधिक समावेशी, लचीला एवं भविष्य-उन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS



G20 के बारे में :

- **स्थापना :** G20 की स्थापना 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में की गई थी।
- **सदस्य :** अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ।
- **उद्देश्य :** सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और गवर्नेंस को आकार देने एवं मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
- **वार्षिक शिखर सम्मेलन:** G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से होता है। इसकी अध्यक्षता चक्रीय रूप से हस्तांतरित की जाती है। सम्मेलन का नेतृत्व तत्कालीन G20 अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
- इसके अध्यक्ष को 'ट्रोइका' द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है। ट्रोइका में शामिल हैं: G-20 का पिछला, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष।
- दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के दौरान, G20 ट्रोइका के सदस्य ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
- **यह अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इसकी थीम थी:** एकजुटता, समानता, संधारणीयता E (Solidarity, Equality, Sustainability)।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। इसके बावजूद भी G20 के नेताओं ने G20 घोषणा-पत्र को अपनाया।

घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **आपदा प्रतिरोध और ऋण वहनीयता :** जन-केंद्रित आपदा प्रतिक्रिया; ऋणग्रस्त देशों के लिए समर्थन; सतत औद्योगीकरण और रोजगार पर बल।
- **जलवायु और ऊर्जा संक्रमण :** नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर जोर, G20 महत्वपूर्ण खनिज फ्रेमवर्क (स्वैच्छिक) का समर्थन, और पेरिस समझौते के 1.5°C लक्ष्य एवं वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों की पुष्टि।
- **संस्थागत सुधार :** UNSC (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) में सुधार और 'उबंटू' (Ubuntu) की भावना में निहित मजबूत बहुपक्षीय सहयोग का आह्वान।
- **उबंटू :** पारस्परिक जुड़ाव एवं साझी मानवता पर बल।
- **अन्य :** महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण पर प्रतिबद्धता को दोहराया गया, तथा आतंकवाद की सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों की निंदा की गई।

शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तावित प्रमुख विचार

- **वैश्विक पारंपरिक ज्ञान रिपॉजिटरी :** सामूहिक मानव बुद्धिमत्ता का उपयोग करना।
- **अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर :** अफ्रीका में युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करना।
- **वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया दल :** वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए G20 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम बनाना।
- **मुक्त उपग्रह डेटा भागीदारी :** कृषि, मत्स्य पालन, आपदा प्रबंधन आदि के लिए उपग्रहों से डेटा साझा करना।
- **महत्वपूर्ण खनिज चक्रीयता पहल :** पुनर्चक्रण, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- **मादक पदार्थ-आतंकवाद गठजोड़ से निपटना :** मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद से निपटने की पहल।
- **G20 शिखर सम्मेलन** के अवसर पर, भारत और इटली ने आतंकवाद के वित्त-पोषण से निपटने के लिए एक संयुक्त पहल को अपनाया।

G20 शिखर सम्मेलन का महत्व

1. आपदा-प्रतिरोध (Disaster Resilience) के महत्व

- जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम घटनाएँ (Extreme Events) बढ़ रही हैं—जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात।
- ग्लोबल साउथ के देश सीमित अवसंरचना क्षमता और वित्तीय संसाधनों के कारण अधिक संवेदनशील हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- घोषणा-पत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम, बेहतर तरीके से पुनर्निर्माण, और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पर जोर दिया गया जिससे मानवीय और आर्थिक हानि कम करने का वैश्विक ढांचा मजबूत होता है। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग व तकनीक-साझेदारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

2. जलवायु संक्रमण (Climate Transition) की प्राथमिकता

- तापमान वृद्धि को 1.5°C सीमा में रखने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कार्बन बाजार और Just Energy Transition अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- G20 विश्व के कुल उत्सर्जन का लगभग 80% प्रतिनिधित्व करता है—अतः इसके निर्णय वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निर्णायक हैं।
- Johannesburg Declaration में ग्रीन फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एक्सेस, और सस्टेनेबल सप्लाई-चेन के विस्तार पर बल दिया गया है, जो विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई क्षमता बढ़ाता है।

3. बहुपक्षीय संस्थागत सुधार (Institutional Reforms) का महत्व

- वर्तमान वैश्विक संस्थाएँ—IMF, World Bank, WTO—वैश्विक दक्षिण की प्रतिनिधित्वात्मक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हैं।
- घोषणा-पत्र में MDBs के पुनर्पूंजीकरण, Debt Restructuring Framework तथा Global Financial Safety Net की मजबूती पर सहमति बनी।
- यह वैश्विक शासन को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता है।

4. वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का उभार

- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य-ऊर्जा-जल सुरक्षा जैसे मुद्दों को मुख्यधारा में लाया गया।
- विकासशील देशों की आवाज़ को संस्थागत रूप से मान्यता देना और 'South-South Cooperation' को प्रोत्साहन मिलना वैश्विक शक्ति-संतुलन को अधिक न्यायसंगत बनाता है।

5. भारत की पहलों का योगदान (India's Contribution)

(a) ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल

- UPI, Aadhaar, CoWIN जैसी प्रणालियाँ वैश्विक स्तर पर inclusive digital governance का मॉडल प्रस्तुत करती हैं।
- कई देशों में भारत की मदद से DPI सहयोगी मंच का विस्तार हो रहा है, जिससे वित्तीय समावेशन एवं सेवा वितरण में क्रांति आई है।

(b) आपदा जोखिम न्यूनीकरण

- भारत द्वारा स्थापित Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) एक वैश्विक मंच बन चुका है।
- इसके माध्यम से अफ्रीकी व छोटे द्वीपीय देशों में क्षमता-निर्माण,लचीला बुनियादी ढांचा नियोजन और मानक तैयार किए जा रहे हैं।

(c) जलवायु संक्रमण में नेतृत्व

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को भारत ने आगे बढ़ाया—ये जलवायु वित्त और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। भारत के मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) ने वैकल्पिक उपभोग मॉडल को वैश्विक एजेंडा बनाया।

(d) ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मंच देना

- वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत ने 125+ देशों की प्राथमिकताओं को G20 एजेंडा में शामिल कराया।
- यह वैश्विक शासन को अधिक समावेशी बनाता है और बहुपक्षीय सुधारों की वैधता को बढ़ाता है।

(e) विकास वित्त एवं ऋण सुधारों में भूमिका

- भारत ने USD 200 बिलियन अतिरिक्त MDB वित्त जुटाने, डिजिटल-फ्रेंडली फंडिंग मॉडल, तथा ऋण-पारदर्शिता सुधारों के समर्थन में अहम योगदान दिया।

निष्कर्ष :

2025 का जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन वैश्विक शासन को अधिक समावेशी, लचीला और भविष्य-उन्मुख दिशा में मोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर सिद्ध हुआ। आपदा-प्रतिरोध, जलवायु संक्रमण, संस्थागत सुधार और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर दिया गया बल वर्तमान वैश्विक असमानताओं और जलवायु संकट के बीच नई आशा प्रदान करता है। भारत की पहलों—DPI मॉडल, CDRI, ISA, LiFE एवं ग्लोबल साउथ सहयोग ने न केवल इस एजेंडा को समृद्ध किया बल्कि विश्व-स्तर पर विकास एवं शासन चुनौतियों के समाधान में 'जिम्मेदार नेतृत्व' का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 2025 जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था।
2. सम्मेलन की थीम Solidarity, Equality, Sustainability थी।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका ने सम्मेलन का बहिष्कार किया, इसलिए G20 घोषणा-पत्र पारित नहीं हो सका।
4. भारत ने "अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर" पहल प्रस्तुत की, जिसका लक्ष्य 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षकों की तैयारी है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 2025 जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन द्वारा अपनाई गई नेताओं की घोषणा-पत्र में आपदा प्रतिरोध, जलवायु संक्रमण, संस्थागत सुधार एवं वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को मजबूत किया गया है। हाल के संदर्भ में इन बिंदुओं के महत्व का विश्लेषण कीजिए तथा बताइए कि भारत द्वारा प्रस्तुत पहलें वैश्विक शासन एवं विकास चुनौतियों को संबोधित करने में किस प्रकार योगदान करती हैं।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)





भारत में एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI)

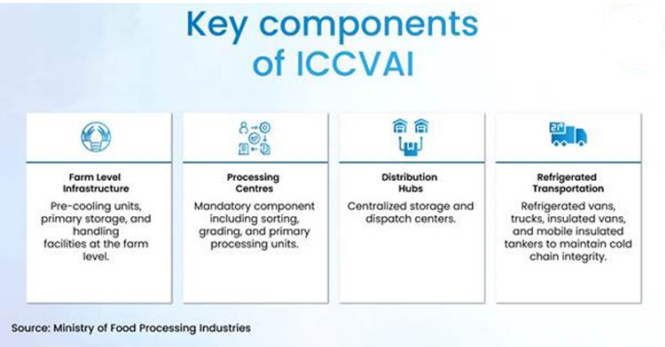
समाचार में क्यों?

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के अंतर्गत एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला है, जिससे नाशवान वस्तुओं की कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने में मदद मिली है।
- इस योजना ने आधुनिक कोल्ड चेन अवसंरचना को सफलतापूर्वक स्थापित किया है, किसानों को बाज़ारों और प्रसंस्करणकर्ताओं से जोड़ा है, जिससे अपव्यय कम हुआ है, किसानों की आय में सुधार हुआ है, ग्रामीण रोजगार का सृजन हुआ है और नाशवान उत्पादों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।
- हाल की प्रगति रिपोर्टें पूरे भारत में कोल्ड स्टोरेज, रीफर परिवहन और मूल्य संवर्धन सुविधाओं में क्षमता निर्माण में वृद्धि दर्शाती हैं, जो भारत के कृषि-लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) के उद्देश्य

- इस योजना के संस्थापक उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं ताकि देश में शीत श्रृंखला (Cold Chain) अवसंरचना का समग्र, एकीकृत और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं —
- **फसल-पश्चात नुकसान में कमी लाना** – कृषि एवं बागवानी उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन में वैज्ञानिक व्यवस्था द्वारा हानि को न्यूनतम करना।
- **एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण** – खेत से लेकर बाजार तक (farm-to-market) एक सतत कोल्ड चेन नेटवर्क विकसित करना, जिसमें प्री-कूलिंग, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट, कोल्ड स्टोरेज और रिटेल चेन शामिल हों।
- **मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन** – कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग द्वारा किसानों को उच्च मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- **ग्रामीण रोजगार और निवेश बढ़ाना** – कृषि प्रसंस्करण और भंडारण से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर सृजित करना।
- **निर्यात क्षमता को सुदृढ़ करना** – अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप शीत श्रृंखला अवसंरचना विकसित कर भारत के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी** – सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से निवेश आकर्षित करना और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाना।
- **सतत (Sustainable) शीत श्रृंखला प्रणाली का विकास** – ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल निगरानी तकनीकों के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल कोल्ड चेन अवसंरचना का निर्माण।

ICCVAI के प्रमुख घटक



क्र	घटक	विवरण
1	**प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (Primary Processing Centres)**	किसानों के निकट क्षेत्रों में स्थित इकाइयाँ जो फलों, सब्ज़ियों, दुग्ध, मांस आदि का ग्रेडिंग, छंटाई, धुलाई, पैकिंग और प्री-कूलिंग करती हैं।

2	**कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage Facilities)**	तापमान नियंत्रित गोदाम जहाँ नाशवान उत्पादों को दीर्घ अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे।
3	**रीफर वैन / परिव-हन प्रणाली (Reefer Vans and Transport Network)**	उत्पादन क्षेत्र से बाजार तक उत्पादों के शीतित परिवहन के लिए विशेष वाहनों और लॉजि-स्टिक्स नेटवर्क का निर्माण।
4	**मूल्य संव-र्धन इकाइयाँ (Value Addition Units)**	प्रसंस्करण इकाइयाँ जो उत्पादों को अधिक मूल्यवान उत्पादों (जैसे जूस, प्यूरी, डिब्बाबंद खाद्य, जमे हुए उत्पाद) में परि-वर्तित करती हैं।
5	**केंद्रीय प्रो-सेसिंग सेंटर (Central Processing Centres)**	विभिन्न प्राथमिक केंद्रों से प्राप्त उत्पादों का अंतिम प्रसंस्करण, पैकेजिंग और गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने वाली मुख्य इकाइयाँ।
6	**लॉजिस्टिक हब एवं वितरण केंद्र (Distribution Hubs)**	शीत श्रृंखला नेटवर्क को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने वाले केंद्र जो विपणन और निर्यात में मदद करते हैं।
7	**सूचना प्रौद्योगि-की और ट्रैकिंग सिस्टम (ICT & Monitoring Systems)**	तापमान, आर्द्रता और आपूर्ति श्रृंखला की रीयल-टाइम निगरानी हेतु IoT और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग।

खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए पीआईए की पात्रता :

क्र	घटक / पहलू	विवरण
1	**योजना का प्रकार**	ICCVAI (एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना) एक मांग-आधारित योजना है।
2	**परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ (PIA) की पात्रता**	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए पात्र संस्थाएँ — • व्यक्ति (किसानों सहित) • किसान उत्पादक संगठन (FPO) • किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPC) • गैर-सरकारी संगठन (NGO) • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) • निजी फर्म, कंपनियाँ, निगम • सहकारी समितियाँ • स्वयं सहायता समूह (SHG)
3	**आवेदन प्रक्रिया**	पात्र संस्थाओं से अस्थायी रुचि-प्रकटन (EOI) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
4	**वित्तीय प्रावधान**	धन की उपलब्धता के आधार पर परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5	**राज्य सरकार की भूमिका**	खाद्य वस्तुओं के भंडारण हेतु राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं, परंतु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में राज्य सरकार की सहायता अपेक्षित है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

आईसीसीवीएआई योजना के पूरक प्रमुख सरकारी पहल :

क्र.	योजना / पहल	कार्यान्वयन एजेंसी / मंत्रालय	मुख्य उद्देश्य	सहायता का प्रकार / विशेषताएँ	कवरेज / लक्ष्य क्षेत्र
1	**एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)**	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	बागवानी के समग्र विकास को बढ़ावा देना और शीत श्रृंखला अवसंरचना को मजबूत करना	• 5,000 मीट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोरेज के लिए क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी • सामान्य क्षेत्रों में 35% सब्सिडी • पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 50%	राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
2	**ऑपरेशन ग्रीन्स योजना**	पीएम किसान सम्पदा योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)	किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि और कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी	•एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास के लिए समर्थन •प्रारंभ में टमाटर, प्याज, आलू (TOP) को कवर किया गया •बाद में अन्य फलों, सब्जियों और झींगा तक विस्तार	राष्ट्रव्यापी कवरेज; नाशवान वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित
3	**राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) – पूंजी निवेश सब्सिडी योजना**	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)	बागवानी में वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा देना और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना	• शीत भंडारण के लिए ऋण-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी (5,000–20,000 MT) • सामान्य क्षेत्रों में 35% सब्सिडी • पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 50%	राष्ट्रव्यापी; बागवानी उत्पादों पर ध्यान केंद्रित
4	**कृषि अवसंरचना कोष (AIF)**	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	कटाई के बाद के प्रबंधन और कृषि-बुनियादी ढांचे को मजबूत करना	• ₹1 लाख करोड़ का कोष • ₹2 करोड़ तक के जमानत-मुक्त सावधि ऋण • प्रति वर्ष 3% ब्याज सब्सिडी	सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश; शीत भंडारण, गोदामों, प्रसंस्करण इकाइयों का समर्थन

वित्तीय सहायता

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन (2025)

- जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमकेएसवाई के लिए ₹1,920 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय को मंज़ूरी दी, जिससे 15वें वित्त आयोग चक्र (31 मार्च, 2026 तक) के लिए कुल आवंटन बढ़कर ₹6,520 करोड़ हो गया। इस मंज़ूरी में योजना के घटक- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना हेतु ₹1000 करोड़ शामिल हैं। यह उल्लेखनीय वृद्धि शीत श्रृंखला अवसंरचना के प्रभाव का विस्तार करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- यह योजना एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान या सब्सिडी प्रदान करती है, जो सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 35% और दुर्गम क्षेत्रों में 50% है, साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूहों, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों के प्रस्तावों पर भी लागू होती है। दुर्गम क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्य (सिक्किम सहित), उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) क्षेत्र और द्वीप समूह शामिल हैं। प्रत्येक परियोजना को ₹10 करोड़ तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

उपलब्धियां और प्रगति :

- 2008 में शुरू हुई कोल्ड चेन योजना के तहत जून 2025 तक कुल 395 एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 291 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और चालू हैं, जिससे प्रति वर्ष 25.52 लाख मीट्रिक टन (LMT) की संरक्षण क्षमता और 114.66 LMT प्रति वर्ष की प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हो रहा है। पूरी हो चुकी और चालू परियोजनाओं ने देश भर में 1,74,600 रोज़गार सृजन में योगदान दिया है।
- 2016-17 के बाद उल्लेखनीय प्रगति स्पष्ट हुई। 2016-17 से, 269 स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ₹2066.33 करोड़ के स्वीकृत अनुदान/सब्सिडी में से ₹1535.63 करोड़ की राशि जारी की गई है, जिनमें से 169 कोल्ड चेन परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और देश भर में चालू हो चुकी हैं।

प्रमुख संशोधन और नीति अद्यतन :

इस योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने और उभरती जरूरतों के अनुरूप इसे बनाने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं:

- **जून 2022 संशोधन :** 8 जून, 2022 को एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन लागू किया गया, जब इस योजना ने फलों और सब्जियों के क्षेत्र में कोल्ड चेन परियोजनाओं के लिए समर्थन बंद कर दिया। इसके अलावा, इस क्षेत्र को ऑपरेशन ग्रीन्स योजना में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का एक अन्य घटक है, जिसे विशेष रूप से बागवानी क्षेत्र में मूल्य स्थिरीकरण उपायों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार, इस रणनीतिक पुनर्आबंटन ने विशेष ध्यान केंद्रित करने और संसाधनों के इष्टतम उपयोग की अनुमति दी।
- **अगस्त 2024 दिशा निर्देश :** कोल्ड चेन योजना के अंतर्गत बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों (खाद्य पदार्थों के संरक्षण, शेल्फ लाइफ बढ़ाने और विभिन्न उत्पादों के लिए कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने हेतु आयनकारी विकिरण का उपयोग) की स्थापना हेतु परिचालन योजना दिशानिर्देश 06 अगस्त, 2024 को जारी किए गए थे। अतः, यह संशोधन आधुनिक संरक्षण तकनीकों के समावेश को दर्शाता है जो शेल्फ लाइफ बढ़ाती हैं और पोषण गुणवत्ता से समझौता किए बिना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
- **मई 2025 संशोधन :** 22 मई, 2025 को जारी नवीनतम परिचालन दिशानिर्देश, खेत से लेकर उपभोक्ता तक, संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में संरक्षण और मूल्य-संवर्धन अवसंरचना को मज़बूत करने पर केंद्रित हैं। इन उपायों का उद्देश्य गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को साल भर खाद्य उत्पादों की उपलब्धता का लाभ मिले।

निष्कर्ष :

- इस योजना का विकास अनुकूलनशील शासन को दर्शाता है। 2022 में क्षेत्रीय पुनर्गठन, जिसमें फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन्स में स्थानांतरित किया गया है, रणनीतिक विशेषज्ञता को दर्शाता है।
- 2025 के बजट में ₹6,520 करोड़ की वृद्धि, कोल्ड चेन अवसंरचना के प्रभाव को सुदृढ़ और विस्तारित करने पर सरकार के ध्यान को रेखांकित करती है। विकिरण सुविधाओं की शुरुआत और दिशानिर्देशों में नियमित संशोधन, तकनीकी प्रगति और जमीनी स्तर की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।
- इस योजना का वित्तीय ढाँचा यह सुनिश्चित करता है कि कोल्ड चेन का विकास व्यक्तिगत किसानों से लेकर बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं तक, विभिन्न हितधारकों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना रहे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाएँ वास्तविक बाजार की ज़रूरतों के अनुरूप क्रियान्वित हों। इसके अलावा, इस योजना में अपार संभावनाएँ हैं।
- IoT-आधारित निगरानी, ऊर्जा-कुशल प्रणालियाँ और AI-संचालित लॉजिस्टिक्स अनुकूलन जैसी आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने से परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। कृषि विपणन सुधारों के साथ संबंधों को मज़बूत करने से किसानों के लिए लाभ और भी बढ़ सकते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह योजना केवल सरकारी एजेंसियों को कोल्ड चेन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
2. यह कृषि-स्तरीय बुनियादी ढांचे, वितरण केंद्रों और प्रशीतित परिवहन सुविधाओं का समर्थन करता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. फलों और सब्जियों को अब आईसीसीवीएआई के स्थान पर ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत समर्थन दिया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में फसल-पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना (Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure - ICCVAI) योजना के महत्व पर चर्चा कीजिए। हाल के नीतिगत अद्यतनों, उपलब्धियों और एक स्थायी शीत श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु आगे की राह पर प्रकाश डालिए। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

केंद्रीय बजट 2024-25 : भारत के अगली पीढ़ी के सुधार और रणनीतिक नीतियां

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के आर्थिक विकास के लिए एक दूरदर्शी मार्ग निर्धारित करता है। बजट "अगली पीढ़ी के सुधारों" की थीम पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, उत्पादकता में सुधार करना और बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता को बढ़ाना है। बजट में विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख सुधारों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें प्रतिस्पर्धी संघवाद और निरंतर आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग पर जोर दिया गया है।

आर्थिक नीति संरचना और प्रमुख सुधार

सरकार देश के विकास को दिशा देने के लिए एक व्यापक आर्थिक नीति संरचना स्थापित करेगी, जिसमें उत्पादकता और बाजार दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह संरचना उत्पादन के सभी कारकों का समाधान करेगा, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता शामिल है, जिसमें प्रौद्योगिकी कुल कारक उत्पादकता में सुधार और असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भूमि-संबंधी सुधार

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियोजित भूमि-संबंधी सुधार और कार्य दो प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे :

- भूमि प्रशासन, योजना और प्रबंधन में सुधार
- शहरी नियोजन, भूमि उपयोग और भवन उपनियमों को अद्यतन करना।

इन पहलों को उचित वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले तीन वर्षों के भीतर पूरा करना है।

ग्रामीण सुधार : विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यू-एलपीआईएन) या भू-आधार की शुरूआत, कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण, मानचित्र उप-विभाजनों का सर्वेक्षण, भूमि रजिस्ट्री की स्थापना और किसानों की रजिस्ट्री से जोड़ना शामिल है।

शहरी सुधार : जीआईएस मैपिंग के साथ शहरी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन के लिए आईटी-आधारित प्रणाली की स्थापना, और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार।

श्रम-संबंधी सुधार



ई-श्रम पोर्टल को अन्य प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करना, ताकि श्रमिकों को रोजगार और कौशल सेवाओं सहित व्यापक सेवा प्रदान की जा सके। उद्योगों के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का पुनरुद्धार।

वित्तीय क्षेत्र का विजन और रणनीति :

सरकार वित्तीय क्षेत्र के लिए भविष्य की दृष्टि को रेखांकित करते हुए एक रणनीति दस्तावेज जारी करने की योजना बना रही है, जिसमें इसके आकार, क्षमता और कौशल का समाधान किया जाएगा।

- **जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण :** जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण का विकास, भारत के हरित संक्रमण और जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करना।
- **परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना :** विमान और जहाजों को पट्टे पर देने और निजी इक्विटी पूल्ड फंड का समर्थन करने के लिए एक लचीला वित्तपोषण मोड प्रदान करने वाली एक परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना के लिए विधायी अनुमोदन मांगा जाएगा।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी निवेश :** विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने, प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देने और विदेशी निवेश के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी निवेश के लिए नियमों और विनियमों का सरलीकरण।

एनपीएस वात्सल्य :

एनपीएस-वात्सल्य योजना की शुरूआत, माता-पिता और अभिभावकों को नाबालिगों के खातों में योगदान करने की अनुमति देती है, जिन्हें वयस्क होने पर नियमित एनपीएस खातों में परिवर्तित किया जा सकता है।

प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण का उपयोग :

पिछले दशक में, सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने और अर्थव्यवस्था के भीतर असमानता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निवेश, निजी क्षेत्र के नवाचारों के साथ मिलकर, नागरिकों की बाजार संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विभिन्न सेवाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार किया है, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को लाभान्वित किया है। सरकार प्रौद्योगिकी को अपनाने में और तेजी लाने की योजना बना रही है, जिससे अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण हो सके।

कारोबारी सुगमता :

जन विश्वास विधेयक 2.0 पर चल रहा काम और राज्यों को व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण उपायों को लागू करने के लिए प्रोत्साहन।

डेटा और सांख्यिकी :

डेटा शासन को बढ़ाने और डेटा संग्रह, प्रक्रिया और प्रबंधन की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए, सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत विकसित किए गए विभिन्न क्षेत्रीय डेटाबेस का उपयोग करेगी। इस प्रयास को उन्नत तकनीकी उपकरणों के सक्रिय उपयोग द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में डेटा और सांख्यिकी के संचालन को सुव्यवस्थित और अनुकूलित करना है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस)

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस की समीक्षा करने वाली समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है और एक समाधान विकसित किया जाएगा जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए प्रासंगिक मुद्दों का समाधान करेगा।

बजट अनुमान 2024-25

- **वर्ष 2024-25 के लिए, उधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः** 32.07 लाख करोड़ रुपए और 48.21 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं। शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत अनुमानित है।
- **वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार क्रमशः** 14.01 लाख करोड़ रुपए और 11.63 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि 2021 में घोषित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रयासों ने अर्थव्यवस्था को काफी लाभ पहुंचाया है, और सरकार अगले वर्ष घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखेगी।इसके अतिरिक्त, बजट राजकोषीय जिम्मेदारी को प्राथमिकता देता है, यह सुनिश्चित करता है कि इन सुधारों को एक स्थायी वित्तीय संरचना के भीतर लागू किया जाए।

निष्कर्ष :

केंद्रीय बजट 2024-25 आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें अगली पीढ़ी के सुधारों पर जोर दिया गया है। उत्पादकता में सुधार, बाजार दक्षता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार का लक्ष्य एक मजबूत और समावेशी आर्थिक ढांचा बनाना है। भूमि, श्रम, वित्त और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रस्तावित सुधार स्थायी विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन-सी पहलें केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत के "अगली पीढ़ी के सुधार" (Next-Generation Reforms) से संबंधित हैं?

1. अमृत काल अवसंरचना मिशन – हरित (Green), डिजिटल और सामाजिक अवसंरचना में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देना।
2. गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन – निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष फंड की स्थापना।
3. विज्ञान और नवाचार कोष (SANKALP) – डीप-टेक और एआई अनुसंधान को प्रोत्साहन।
4. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन) – आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने हेतु एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "केंद्रीय बजट 2024-25 को भारत के 'अगली पीढ़ी के सुधारों' की दिशा में एक रणनीतिक दस्तावेज कहा जा सकता है।" चर्चा कीजिए कि यह बजट किस प्रकार आर्थिक उत्पादकता, नवाचार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना

समाचार में क्यों?

- भारत सरकार ने हाल ही में अपने विकसित भारत@2047 विजन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में "कौशल विकास के माध्यम से किसान सशक्तिकरण" पर ज़ोर दिया है, जो किसानों की आय दोगुनी करने और आत्मनिर्भर कृषि के लक्ष्यों के अनुरूप है।



- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर कृषि-आधारित कौशल प्रशिक्षण को मज़बूत करने, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के आधुनिकीकरण और ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण (STRY) तथा कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) जैसे कार्यक्रमों का विस्तार करने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं।
- इस नए फोकस का उद्देश्य किसानों के बीच ज्ञान के अंतर को पाटना, प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना, तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना है, जिससे किसान न केवल उत्पादक बनेंगे, बल्कि कृषि मूल्य श्रृंखला में नवप्रवर्तक और उद्यमी भी बनेंगे।

1. ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई): गांवों में मानव पूंजी का निर्माण

- ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण (STRY) कार्यक्रम ग्रामीण कौशल विकास प्रयासों की आधारशिला बनकर उभरा है। लगभग सात दिनों का अल्पकालिक, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया, STRY ग्रामीण युवाओं और किसानों को कृषि और बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल प्रदान करता है। यह विशेष रूप से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं, जिनमें महिला किसान भी शामिल हैं, को लक्षित करता है, जिसका उद्देश्य वेतन और स्वरोज़गार दोनों को बढ़ावा देना है।
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) कैफेटेरिया के अंतर्गत एकीकृत, STRY राज्य-प्रधान विस्तार प्रणालियों

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

और स्थानीय कृषि-जलवायु प्राथमिकताओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करता है। 2021 और 2024 के बीच, 43,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, और दिसंबर 2024 तक 8,761 अतिरिक्त युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। बढ़ती पहुँच ग्रामीण भागीदारी और कृषि में एक व्यवहार्य करियर के रूप में बढ़ती रुचि को दर्शाती है। उद्यमिता और स्थानीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर, STRY आत्मनिर्भर किसानों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है जो ग्रामीण भारत में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं।

2. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम): मशीनीकरण पहुंच का विस्तार

- कौशल विकास के पूरक के रूप में, सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के एक घटक, कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण को प्राथमिकता दी है। एसएमएएम का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों और कम कृषि बिजली उपलब्धता वाले क्षेत्रों तक मशीनीकरण का विस्तार करना है। यह कस्टम हायरिंग सेवाओं को बढ़ावा देता है, जिससे किसान बिना ज़्यादा स्वामित्व लागत के मशीनरी किराए पर ले सकते हैं।
- 2021 और 2025 के बीच, SMAM ने क्षमता निर्माण कार्यशालाओं, प्रदर्शनों और सूचना-शिक्षा-संचार (IEC) गतिविधियों के माध्यम से 57,139 किसानों को प्रशिक्षित किया। यह उपकरणों के प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन भी सुनिश्चित करता है। जागरूकता, दक्षता और मशीनीकरण साक्षरता को बढ़ाकर, SMAM बड़े और छोटे खेतों के बीच तकनीकी अंतर को पाट रहा है, जिससे उत्पादकता में सुधार हो रहा है और ग्रामीण आजीविका में कठिनाई कम हो रही है।

3. मृदा, संसाधनों और मूल्य श्रृंखलाओं पर ज्ञान को मजबूत करना

- कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम संसाधन प्रबंधन और मूल्य-श्रृंखला जागरूकता में निहित है। वैज्ञानिक पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने खेत स्तर पर मृदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में व्यापक बदलाव लाया है। जुलाई 2025 तक, 25.17 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, साथ ही 93,000 किसान प्रशिक्षण और 6.8 लाख प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। इनसे संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा उर्वरता में सुधार और टिकाऊ फसल नियोजन को बढ़ावा मिला है।
- साथ ही, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन ने सामूहिक शिक्षा को संस्थागत रूप दिया है। 10,000 एफपीओ पंजीकृत होने के साथ, किसानों को अब कृषि-व्यवसाय प्रबंधन, बाज़ार संपर्क और ई-नाम व जीईएम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग में संरचित प्रशिक्षण मिल रहा है। ये पहल छोटे किसानों के बीच सामूहिक उद्यमिता, बाज़ार पहुँच और मूल्य-श्रृंखला एकीकरण की संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं।

4. राष्ट्रीय ढांचे के भीतर कौशल को शामिल करना: पीएमकेवीवाई 4.0

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 4.0) (2022-26) राष्ट्रीय कौशल संरचना के अंतर्गत कृषि कौशल को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि को एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में मान्यता देते हुए, पीएमकेवीवाई इसे भारत के प्रमुख कौशल भारत मिशन के साथ एकीकृत करता है। मान्यता प्राप्त केंद्रों, कौशल केंद्रों और पीएम कौशल केंद्रों के माध्यम से अल्पकालिक पाठ्यक्रम (300-600 घंटे), पूर्व-शिक्षण की मान्यता (आरपीएल), और विशेष परियोजनाओं जैसे कई घटकों के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- 2015 में इसकी शुरुआत से लेकर जून 2025 तक, कृषि और संबद्ध गतिविधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1.64 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित और 1.29 करोड़ प्रमाणित किया जा चुका है। यह अभिसरण सुनिश्चित करता है कि कृषि कौशल को मान्यता मिले, उनका मानकीकरण हो और वे राष्ट्रीय रोज़गार ढाँचों के अनुरूप हों - जो ग्रामीण व्यवसायों को पेशेवर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

5. कौशल और क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्र-विशिष्ट मिशन

- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) :** एमआईडीएच फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और बांस को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से बागवानी के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। इसके मानव संसाधन विकास (एचआरडी) कार्यक्रम के तहत, 2014-15 से 2023-24 तक 9.73 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। ये प्रशिक्षण फसलोत्तर प्रबंधन, संरक्षित खेती और उच्च मूल्य वाली बागवानी पद्धतियों के बारे में ज्ञान को बढ़ाते हैं, जिससे विविधीकरण और बेहतर लाभ संभव होता है।
- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) :** राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना (2021-26) के अंतर्गत कार्यान्वित, आरजीएम स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण पर केंद्रित है। इस पहल ने ग्रामीण भारत में 38,736 बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (मैत्री) को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया है ताकि वे घर-

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

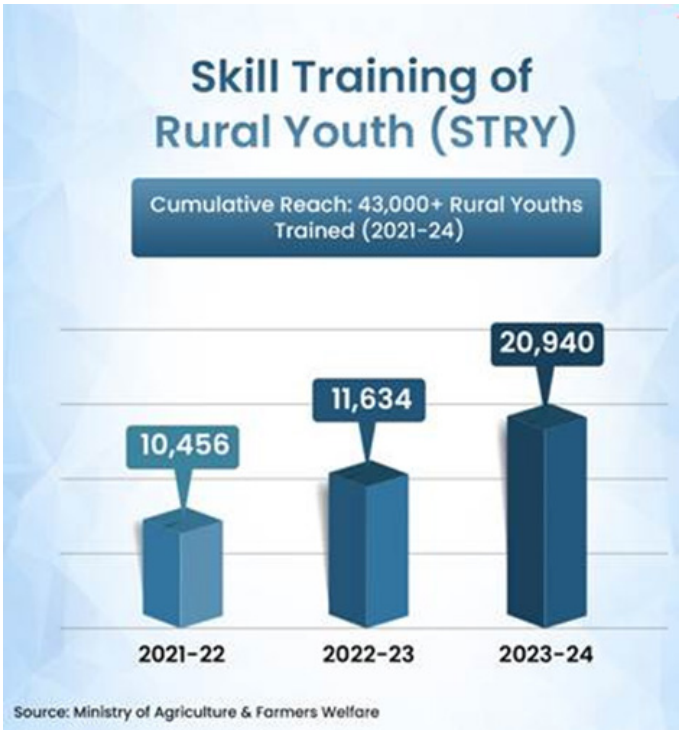
घर जाकर गर्भाधान और प्रजनन सेवाएँ प्रदान कर सकें। इससे न केवल पशुधन उत्पादकता में सुधार होता है, बल्कि जमीनी स्तर पर ग्रामीण रोज़गार और तकनीकी विशेषज्ञता का भी सृजन होता है।

- **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) :** पीएमकेएसवाई का उद्देश्य भारत के खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करना है। अपने "मानव संसाधन और संस्थान" घटक के अंतर्गत, यह खाद्य मूल्य श्रृंखला में अनुसंधान एवं विकास, प्रचार गतिविधियों और कौशल विकास पर ज़ोर देता है—फ़र्श कर्मचारियों से लेकर गुणवत्ता नियंत्रण पर्यवेक्षकों तक। जून 2025 तक, 1,601 परियोजनाओं को मंज़ूरी मिल चुकी है और 1,133 पूरी हो चुकी हैं, जिससे 34 लाख से ज़्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। यह पहल कृषि-स्तरीय उत्पादन को उद्योग की ज़रूरतों से जोड़ती है, जिससे कृषि-खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र में आय और रोज़गार दोनों को बढ़ावा मिलता है।

6. बहुआयामी प्रभाव

कार्यक्रमों के अभिसरण से बहुस्तरीय लाभ प्राप्त हुए हैं:

1. ग्रामीण युवाओं में रोजगार क्षमता और उद्यमिता में वृद्धि।
2. लघु जोतों में मशीनीकरण और आधुनिक पद्धतियों को अपनाना।



3. मृदा स्वास्थ्य में सुधार और संसाधनों का टिकाऊ उपयोग।
4. एफपीओ और कृषि-व्यवसाय कौशल के माध्यम से मूल्य-श्रृंखला संबंधों को मजबूत किया गया।
5. राष्ट्रीय और वैश्विक ढांचे के भीतर कृषि कौशल को मुख्यधारा में लाना।
6. इन पहलों ने मिलकर कृषि को जीवन निर्वाह गतिविधि से ज्ञान-संचालित उद्यम में बदल दिया है, जिससे ग्रामीण भारत समावेशी विकास की ओर अग्रसर हुआ है।

निष्कर्ष :

भारत का कृषि परिवर्तन कौशल विकास, तकनीकी अपनाने और संस्थागत क्षमता निर्माण में गहराई से निहित है। STRY के ग्रामीण युवा प्रशिक्षण से लेकर SMAM के मशीनीकरण अभियान तक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से लेकर PMKVY के राष्ट्रीय कौशल एकीकरण तक, हर पहल किसानों को सूचित निर्णयकर्ता और कृषि-उद्यमी के रूप में सशक्त बनाने में योगदान देती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करें:

1. ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई)
2. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम)
3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
4. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)

उपर्युक्त योजनाओं में से कौन सी योजना मुख्य रूप से भारत में किसानों के कौशल आधार और क्षमता का विकास करने पर केंद्रित है?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "किसानों और ग्रामीण युवाओं को कौशल बनाना भारत में आत्मनिर्भर और प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि प्राप्त करने की कुंजी है।" कौशल विकास और क्षमता निर्माण के माध्यम से किसान

सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सरकारी पहलों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा: 250, अंक: 15)

विमुद्रीकरण और मुद्रा आपूर्ति

चर्चा में क्यों?

- RBI के आँकड़ों के अनुसार, जनता के पास मुद्रा {कुल प्रचलन में मुद्रा (CIC) में से बैंकों के पास मौजूद नकदी को घटाकर} वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण के बाद से दोगुनी से अधिक हो गई है, जो ₹ 17.97 लाख करोड़ (नवंबर 2016) से बढ़कर ₹ 37.29 लाख करोड़ (अक्तूबर 2025) हो गई है।
- हालाँकि, कुल राशि में वृद्धि के बावजूद, मुद्रा-से-GDP अनुपात विमुद्रीकरण से पहले के स्तर से नीचे आ गया है, जो मज़बूत आर्थिक वृद्धि और डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।

वर्ष 2016 का विमुद्रीकरण क्या था?

- **परिचय :** 8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि ₹500 और ₹1,000 के नोट, जो कुल प्रचलित मुद्रा का लगभग 86% थे, मध्यरात्रि से वैध मुद्रा (Legal Tender) नहीं रहेंगे। इस कदम का उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना, नकली मुद्रा को रोकना, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना था।
- ₹500 और ₹1,000 के नोटों की वापसी के बाद नवंबर 2016 में ₹2000 का नोट जारी किया गया था। मई 2023 में ₹2000 के नोटों को प्रचलन से वापस ले लिया गया, लेकिन वे अभी भी वैध मुद्रा (अर्थात् ऐसे पैसे जिन्हें लेन-देन में स्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य है) बने हुए हैं।
- विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश किसी मुद्रा इकाई की वैध मुद्रा की स्थिति को वापस ले लेता है, जिसका अर्थ है कि बैंक नोट या सिक्के अब लेन-देन के लिये आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किये जाते हैं।
- **कानूनी आधार :** ₹500 और ₹1,000 के नोटों को अमान्य घोषित करने वाली अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26(2) के तहत जारी की गई थी। यह धारा केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर, किसी भी मूल्य वर्ग की नोट शृंखला को वैध मुद्रा के रूप में अमान्य घोषित किया जा सकता है।
- **न्यायिक दृष्टिकोण :** विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ (2023) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 के विभाजित निर्णय में केंद्र सरकार के वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण निर्णय को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि यह कदम अपने घोषित उद्देश्यों के अनुरूप था और इसे उचित तरीके से लागू किया गया था।

प्रभाव:

- **आर्थिक अव्यवस्था :** इससे व्यापक अव्यवस्था उत्पन्न हुई जैसे कि माँग में गिरावट आई, व्यवसायों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, GDP में 1.5% की कमी दर्ज की गई, लघु एवं मध्यम उद्योगों (SME) पर गंभीर प्रभाव पड़ा और जनता को अमान्य नोटों के विनिमय के लिये लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा।
- **डिजिटल पहुँच का विस्तार :** UPI ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप FY25 में 185.9 अरब लेन-देन दर्ज किये गए। FY23 से FY25 के बीच UPI लेन-देन 49% की वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है, जो टियर-2 और टियर-3 शहरों में तेज़ी से हुई स्वीकृति को दर्शाता है।
- **GDP के अनुपात में CIC (Currency in Circulation) का निम्न स्तर :** CIC-से-GDP अनुपात 2016 के 12.1% से घटकर 2025 में 11.11% हो गया है, जो दर्शाता है कि 6% से अधिक वार्षिक वृद्धि कर रही अर्थव्यवस्था अब नकदी पर अपनी निर्भरता कम कर रही है।
- हालाँकि भारत का मुद्रा-GDP अनुपात (11.11%) अभी भी अमेरिका (7.96%), चीन (9.5%), यूरोज़ोन (8–10%) और जापान (9–11%) की तुलना में काफी अधिक है। इसका प्रमुख कारण देश में व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र और नकद लेन-देन के प्रति सामाजिक-पारंपरिक झुकाव है।
- मुद्रा-GDP अनुपात यह दर्शाता है कि देश की कुल आर्थिक उत्पादन की तुलना में प्रचलन में कितनी भौतिक नकदी मौजूद है।

भारत में मुद्रा आपूर्ति के माप :

भारत में, मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 और M4 के आधार पर मापा जाता है, जो कि अप्रैल, 1977 में RBI द्वारा शुरू किया गया एक वर्गीकरण है। तब से, RBI नियमित रूप से निम्नलिखित चार मापों पर आँकड़े प्रकाशित करता रहा है:

- **M1 (संकीर्ण मुद्रा) में शामिल हैं :**
- जनता के पास मुद्रा (नोट और सिक्के, बैंकों की नकदी को छोड़कर)

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- बैंकिंग प्रणालियों के पास माँग जमा (अंतर-बैंक जमा को छोड़कर)
- RBI के पास अन्य जमा (विदेशी केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, आदि से)
- **M2 :** मुद्रा आपूर्ति का दूसरा माप M2 है, जिसमें M1 के साथ डाकघर बचत बैंक जमा शामिल हैं।
- **M3 :** मुद्रा आपूर्ति का तीसरा माप M3 (व्यापक मुद्रा) है, जिसमें M1 के साथ वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के पास सावधि जमा शामिल हैं, जिसमें अंतर-बैंक सावधि जमा शामिल नहीं हैं।
- **M4 :** मुद्रा आपूर्ति का चौथा माप M4, M3 के साथ सभी डाकघर जमा (सावधि और माँग जमा दोनों) शामिल हैं तथा यह मुद्रा आपूर्ति का सबसे व्यापक माप है।

Supply of Money and its Determinants

Money Supply

M1	*M2*	*M3*	*M4*
=	=	=	=
Currency (*C*)	*M1*	*M1*	*M3*
+	+	+	+
Demand Deposits (*D*) + Other Deposits of RBI (*OD*)	Savings Deposits with Post Office Savings Banks	Time Deposits with the Banks	Total Deposits of Post Office Savings Organisation (excluding NSC)

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए मुद्रा आपूर्ति के चार मापों में, M3 को विशेष महत्त्व प्राप्त है तथा वार्षिक व्यापक आर्थिक उद्देश्यों के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है।
- मौद्रिक प्रणाली के कार्यों की समीक्षा करने के लिये गठित चक्रवर्ती समिति (1982–85) ने भी मौद्रिक लक्ष्य-निर्धारण के लिये M3 का उपयोग करने की सिफारिश की थी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित उपायों में से किसके/किनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? (2012)

1. केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय
2. लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंको में जमा की गई करेंसी
3. सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण
4. केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

Q2. द्रव्य की पूर्ति यथावत् रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, तो (2013)

(a) कीमत-स्तर में गिरावट आ जाएगी

(b) ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी

(c) ब्याज की दर में कमी हो जाएगी

(d) आय और रोज़गार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी

उत्तर: (b)

Q3. सामान्य कीमत-स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस/किन कारण/कारणों से हो सकती है/हैं? (2013)

1. द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि
2. उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट
3. प्रभावी मांग में वृद्धि

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

सरफेसी अधिनियम, 2002

सुर्ख़ियों में क्यों?

शब्दावली को जानें?

गैर-निष्पादित अस्तियां (Non-Performing Assets - NPA)

- **गैर-निष्पादित अस्ति (NPA)** बैंक के ऐसे ऋणों या अग्रिमों का एक वर्गीकरण है, जिसक पुनर्भुगतान **चूक** के अधीन है या **बकाया** हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

कोई ऋण **बकाया** तब कहलाता है जब मूलधन या ब्याज के भुगतान में **देरी होती है या उसमें चुक हो जाती है।** कोई ऋण **गैर-निष्पादित आस्ति (NPA)** तब माना जाता है जब **ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक विलंबित रहती है।**

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 और सरफेसी नियम, 2002 में मौजूद विसंगतियों को उजागर किया।

उच्चतम न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां :

उच्चतम न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) और सरफेसी नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के बीच विरोधाभास को उजागर किया।

विरोधाभास :

- **धारा 13(8) (2016 के बाद के संशोधन) :** जैसे ही नीलामी की अधिसूचना जारी होती है, वैसे ही उधारकर्ता का पूरा कर्ज चुकाकर संपत्ति पुनः प्राप्त करने का कानूनी अधिकार समाप्त हो जाता है।
- **नियम 8 और 9 :** ये इंगित करते हैं कि नीलामी की सूचना प्रकाशित होने के बाद भी, नीलामी की तिथि तक उधारकर्ता को अपनी संपत्ति छुड़ाने का अवसर मिलता है।

न्यायालय की व्याख्या:

- धारा 13(8) के अंतर्गत "अधिसूचना के प्रकाशन" को नियमों में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।
- उधारकर्ता का संपत्ति छुड़ाने का अधिकार तभी समाप्त होगा जब नीलामी की अधिसूचना उचित रूप से प्रकाशित की जाए (जैसे अखबारों में, व्यक्तिगत रूप से, ईमेल द्वारा आदि)।.
- वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act), 2002

उद्देश्य:

- बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित आस्तियों (NPAs) की शीघ्र एवं प्रभावी वसूली सुनिश्चित करना।
- सहकारी बैंक भी इसके दायरे में आते हैं।
- यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है, तो यह अधिनियम बैंक या वित्तीय संस्था को उसकी आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति को नीलाम करने की अनुमति देता है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- **NPA का वर्गीकरण और नोटिस :** RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋणों को NPAs में वर्गीकृत किया जाता है। कानूनी कार्रवाई से पहले उधारकर्ताओं को 60-दिनों का डिमांड नोटिस (माँग पत्र) देना अनिवार्य होता है।

वसूली की प्रमुख विधियां:

- **प्रतिभूतिकरण (Securitisation) :** इसमें उन परिसंपत्तियों को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में बदलकर निवेशकों के बीच जोखिम का वितरण किया जाता है, ताकि तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली में जोखिम को कम किया जा सके।
- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण :** यह अधिनियम ARCs (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों) के गठन का प्रावधान करता है, जो RBI द्वारा पंजीकृत और विनियमित होती हैं।
- ARC एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से NPA या बैड एसेट खरीदती है, ताकि वे अपनी बैलेंस शीट (वित्तीय विवरण) को साफ़ कर सकें।
- **न्यायालय-मुक्त प्रवर्तन :** धारा 13 के तहत, सुरक्षित ऋणदाता (जिनके पास परिसंपत्ति गिरवी है) न्यायिक स्वीकृति के बिना, कृषि भूमि को छोड़कर, संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं और उसे बेच सकते हैं।
- **केंद्रीय डेटाबेस :** वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण लेन-देन के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की गई है।
- **उधारकर्ता के अधिकार :** उधारकर्ता ऋणदाता या अधिकृत अधिकारी के विरुद्ध अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) की शरण ले सकते हैं। DRT की स्थापना 'ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993' के तहत की गई है।जब किसी खाते या आस्तियों को NPA घोषित

कार्यप्रणाली:

- किया जाता है, तो बैंक उधारकर्ता को 60 दिनों में देयताओं को चुकाने का निर्देश देते हैं।
- यदि उधारकर्ता भुगतान करने में विफल रहता है, तो बैंक वसूली की कार्रवाई शुरू करता है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

सरफेसी अधिनियम से जुड़ी मुख्य समस्याएं/चुनौतियां

- **कुछ विशेष उधारकर्ताओं का बहिष्कार :** यह अधिनियम 1 लाख रुपये से कम के ऋणों या उन मामलों पर लागू नहीं होता है, जहां ऋण का 80% पहले ही चुकाया जा चुका है।
- **प्रक्रियात्मक और न्यायिक देरी :** उधारकर्ता प्रायः संपत्ति पर कब्जे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) की शरण लेते हैं, जिससे प्रक्रिया में देरी होती है।
- **आस्तियों की वसूली में निहित जटिलताएं :** ऋणदाताओं को संपार्श्विक की पहचान करने और उसे बेचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उदाहरण के लिए, आस्ति का तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करना।
- **ARCs का अपेक्षाकृत अपर्याप्त प्रदर्शन :** बैंक और वित्तीय संस्थान वित्तीय वर्ष 2004 से वित्तीय वर्ष 2013 तक ARCs को बेचे गए तनावग्रस्त आस्तियों में, उधारकर्ताओं द्वारा बकाया राशि का केवल लगभग 14.29% ही वसूल कर पाए हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव :** बलपूर्वक परिसंपत्ति हस्तांतरण से आजीविका की हानि, कर्ज़ में वृद्धि और सामाजिक अशांति को बढ़ावा मिल सकता है, जो एक संतुलित वसूली ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **अन्य:** उधारकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन (ऋणदाताओं द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग), संपत्तियों के मूल्यांकन में विवाद, असुरक्षित ऋणदाताओं का बहिष्कार आदि।
- वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण एवं NPA समाधान के अन्य उपाय
- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 :** इसने तनावग्रस्त आस्तियों के लिए समय-बद्ध समाधान ढांचा लागू किया, जिससे वसूली में होने वाली देरी में कमी आई है।
- **RBI प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क (2019):** इसने अंतर-ऋणदाता समझौतों के माध्यम से तनावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान और समाधान को अनिवार्य किया।
- **राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL), 2021 :** यह एक सरकार समर्थित 'बैड बैंक' है, जिसका उद्देश्य उच्च-मूल्य वाली NPA को एकत्रित करके उनका समाधान करना है।
- बैड बैंक एक वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना संकटग्रस्त बैंकों से NPAs या बैड लोन को अधिग्रहित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए की जाती है।
- **अन्य:** सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों (PSBs) के पुनर्गठन हेतु इंद्रधनुष योजना आदि की शुरुआत की गई है।

आगे की राह :

- **कानून और नियमों का समन्वय :** उच्चतम न्यायालय ने वित्त मंत्रालय से विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने का आग्रह किया है।
- **IBC के साथ सामंजस्य स्थापित करना :** सरफेसी अधिनियम को IBC के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाया जाना चाहिए, ताकि तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक सुसंगत और व्यापक ढांचा निर्मित किया जा सके।
- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण :** आस्तियों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाया जाना चाहिए।
- **विशेषीकृत ऋण वसूली अधिकरण (DRT) :** विवादों के समाधान में तेजी लाने के लिए इनकी परिचालन क्षमता को सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियां :** उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम का दिवाला अधिनियम ऋणदाताओं के अधिकारों के साथ-साथ उधारकर्ता संरक्षण उपायों को भी शामिल करता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि वसूली प्रक्रिया व्यक्तियों/छोटे व्यवसायों को असमान रूप से नुकसान न पहुंचाए।

निष्कर्ष :

- उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय ने सरफेसी अधिनियम के तहत मोचन अधिकारों को स्पष्ट किया है और क्रेताओं के संरक्षण को मजबूती प्रदान की है। हालांकि, अधिनियम और उसके नियमों के बीच मौजूदा असंगतियां अब भी अनिश्चितता पैदा करती हैं।
- इन प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना तथा DRT और ARC जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना, NPAs के शीघ्र समाधान को सुनिश्चित करने के लिए अत्यावश्यक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. SARFAESI Act, 2002 मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए लाया गया था?

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

1. बैंकों को संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता समाप्त करना
2. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की पहचान की समय-सीमा घटाना
3. दिवालियापन संहिता को मजबूत करना
4. सहकारी बैंकों को कृषि ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना

उत्तर : 1

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "SARFAESI Act, 2002 ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र में NPA समाधान प्रक्रिया को तेज़ तो किया है, परंतु इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी उभरकर आयी हैं।

नीली अर्थव्यवस्था : समुद्री संसाधनों और आजीविका को मजबूत करना

सुर्ख़ियों में क्यों?

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने "भारत की ब्लू इकोनॉमी का रूपांतरण: नवाचार और सतत विकास (Transforming India's Blue Economy: Innovation and Sustainable Growth)" शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें 2035 तक के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा दी गई है।

भारत में नीली अर्थव्यवस्था : मछुआरों को सशक्त बनाना और नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना

- **परिभाषा :** द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के अनुसार, ब्लू इकोनॉमी से तात्पर्य सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत के कानूनी अधिकार- क्षेत्र में आने वाले महासागरों और समुद्री संसाधन क्षमता का पता लगाना और उसे उपयोग अनुकूल बनाना है।
- ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा का उल्लेख पहली बार 1994 में यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी (UNU) के प्रोफेसर गुंटर पाउली ने किया था।
- **क्षमता:** भारत का समुद्री तट 11,098 किलोमीटर लंबा है और इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह क्षेत्र दुनिया के महत्त्वपूर्ण शिपिंग मार्गों पर स्थित है, जिससे इस क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

वर्तमान स्थिति :

- भारत की ब्लू इकोनॉमी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 4% का योगदान देती है।
- मात्रा के हिसाब से भारत का 95% व्यापार समुद्री मार्ग के जरिए होता है।
- इसकी तट-रेखा पर 12 प्रमुख (महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा) और 200 लघु बंदरगाह हैं।
- 2035 तक भारत के कुल परिवहन में कोस्टल शिपिंग मॉडल की हिस्सेदारी मौजूदा 6% से बढ़कर 33% होने का अनुमान है। यह आर्थिक विस्तार के लिए अधिक संभावनाओं को दर्शाता है।

भारत में ब्लू इकोनॉमी से संबंधित चुनौतियां :

- **पर्यावरण संबंधी चुनौतियां जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:** समुद्री जल का गर्म होना, प्रबल चक्रवात, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, तटों और विरासत स्थलों का क्षरण।
- अत्यधिक मत्स्यन और फिश स्टॉक का कम होना।
- **समुद्री और बंदरगाह प्रदूषण से पारिस्थितिकी तंत्र:** जैसे प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव, जीव-जंतुओं के समुद्री पर्यावास को नुकसान पहुंच रहा है।
- अत्यधिक पर्यटन और अनियोजित विकास से नाजुक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हो सकता है। सीमित और अपूर्ण पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIAs)।
- उदाहरण के लिए- 2022 की एक रिपोर्ट में CAG ने कहा कि देश में कई परियोजनाएं तटीय क्षेत्र विनियमन और EIA मानदंडों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन कर रही हैं।

नीति और गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और IMO नियमों को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है।
- उभरते क्षेत्रों (जैसे- डीप-सी माइनिंग, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा) के लिए आधुनिक विनियामक फ्रेमवर्क्स को अपनाने में देरी हो रही है।
- मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय, तथा अधिक सामंजस्यपूर्ण नीतिगत फ्रेमवर्क्स (ऊर्जा, विरासत, पर्यटन) की आवश्यकता है।
- उदाहरण के लिए- ब्लू इकॉनमी से जुड़े कार्यों में कई मंत्रालय और एजेंसियां (मत्स्य, शिपिंग, पर्यावरण, पृथ्वी

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

विज्ञान आदि) शामिल हैं, परन्तु एकीकृत और समन्वित रणनीति का अभाव है।

तकनीकी और अवसंरचनात्मक चुनौतियां :

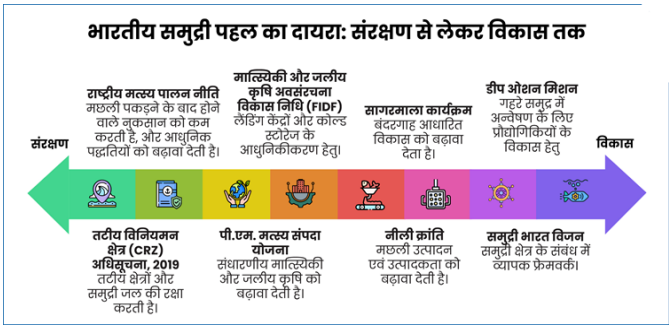
- मात्स्यिकी क्षेत्रक में कोल्ड चेन, स्टोरेज और पोस्ट-हार्वेस्ट सुविधाएं काफी कम हैं।
- विशेष उपकरणों (नवीकरणीय ऊर्जा, गहरे समुद्र में खनन, जैव प्रौद्योगिकी) के लिए आयात पर निर्भरता अत्यधिक है।
- भारत की जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत क्षमता सीमित है।
- अपतटीय ऊर्जा के लिए विद्युत ग्रिड और ट्रांसमिशन सिस्टम पर्याप्त नहीं हैं।
- जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के परिणामों का व्यावसायिक उपयोग बहुत कम है।
- गहरे समुद्र में खनिजों की खोज के लिए नई तकनीक भारत के पास नहीं है।
- **उदाहरण के लिए-** भारत ने अटलांटिक महासागर में परीक्षण अभियानों के लिए फ्रांस के IFREMER की सबमर्सिबल 'नॉटिलस' का उपयोग किया।

वित्तीय और निवेश संबंधी चुनौतियां

- मात्स्यिकी, बंदरगाह, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रकों में निजी क्षेत्रक का निवेश बहुत कम है।
- छोटे मछुआरों, स्टार्ट-अप्स और तटीय पर्यटन सहकारी समितियों के लिए वित्त-पोषण की कमी है।
- लघु उद्यमों और अधिक पूंजी वाली गतिविधियों के लिए बीमा कवरेज का अभाव है।
- भारत में समुद्री जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए अधिकांश वित्त-पोषण निजी वेंचर कैपिटल फर्मों की बजाय जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैसी सरकारी संस्थाओं से आता है।

सामाजिक और समानता संबंधी चुनौतियां

- **कौशल की कमी :** प्रशिक्षित तकनीशियन तथा पोर्ट्स, बायोटेक व गहरे समुद्री कार्यों के लिए उच्च कौशल वाले लोगों की कमी है।
- जनजातीय, महिलाएं और लघु मछुआरे जैसे वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व कम है और अक्सर आर्थिक लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। साथ ही विस्थापन का खतरा भी बना रहता है।
- **उदाहरण के लिए -** यद्यपि महिलाएं भारत के तटीय मात्स्यिकी कार्यबल का 72% हैं, परंतु उनकी भूमिका अनौपचारिक और कम-भुगतान वाले रोजगार तक ही सीमित हैं।



भारत की ब्लू इकोनॉमी से संबंधित सफल केस स्टडी

- कोच्चि पोर्ट का डिजिटल ट्विन इंटीग्रेशन (वर्चुअल पोर्ट) के माध्यम से स्मार्ट पोर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन:
- इस एकीकरण से संचालन दक्षता में सुधार हुआ है, सटीक योजना निर्माण संभव हुआ है और पोर्ट संचालन मजबूत हुआ है। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण की निगरानी भी संभव हुई है।
- **अलंग, गुजरात:** जहाज तोड़ने को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल में बदलना:
- अलंग में पुराने जहाजों को तोड़ने की पारंपरिक भारी-भरकम इंडस्ट्री को अब पर्यावरण-अनुकूल रिसाइक्लिंग मॉडल में बदला गया है। यह हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के मानकों के अनुसार काम कर रहा है, जिससे संसाधनों का सुरक्षित और टिकाऊ पुनः उपयोग संभव हुआ है।
- **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI):** संधारणीय तटीय और समुद्री पर्यटन के लिए एक मॉडल: यहां समुदाय के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों और पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना में निवेश से लगभग 5,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इससे पर्यटन-क्षेत्र से अपशिष्ट उत्सर्जन में 40% की कमी आयी है।
- समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन और समुद्री स्थानिक नियोजन (Marine Spatial Planning: MSP) ने समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (Marine Protected Areas: MPAs) में पर्यटन को विनियमित करने में मदद की।
- **ओडिशा में समुदाय के नेतृत्व में सीवीड की खेती: सतत तटीय आजीविका के लिए एक मॉडल :** ओडिशा में सालाना लगभग 5,000 टन सीवीड का उत्पादन हो

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

रहा है। इससे 10,000 से अधिक तटीय परिवारों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिला है।

- यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है क्योंकि सीवीड खेती घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में योगदान देती है, पानी की गुणवत्ता में सुधार करती है और मछलियों पर दबाव कम करती है।

भारत सरकार की मत्स्य एवं समुद्री संसाधन संबंधित योजनाएँ—

1. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) – 2020

- **लक्ष्य :** सतत एवं उत्तरदायी मत्स्य विकास, बुनियादी ढाँचा, निर्यात वृद्धि
- **अवधि :** 2020–26
- **कुल निवेश :** ₹20,312 करोड़

2. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (PM-MKSSY) – 2024

- **उद्देश्य :** मत्स्य मूल्य श्रृंखला सुधार, बीमा, ट्रेसबिलिटी, गुणवत्ता
- जलीय कृषि बीमा प्रीमियम पर 40% प्रोत्साहन

3. मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) – 2018

- अवसंरचना विकास — कोल्ड स्टोरेज, लैंडिंग सेंटर, प्रसंस्करण केन्द्र
- **निधि आकार:** ₹7,522.48 करोड़

4. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) विस्तार—मत्स्य क्षेत्र

- कार्यशील पूंजी, उपकरण खरीद हेतु आसान व सस्ती ऋण सुविधा
- मछुआरों व मत्स्यपालकों तक KCC कवरेज

5. राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) कार्यक्रम

- प्रशिक्षण, कौशल, तकनीक, सामुदायिक विकास
- अनुसंधान एवं निर्यात क्षमता बढ़ाना

6. तटीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम

- **जलवायु -** लचीले तटीय मछुआरा गाँव
- **सुरक्षित अधोसंरचना —** शेल्टर, आइस प्लांट, जेटी, हार्बर

7. गहरे समुद्र में सतत मत्स्य दोहन नियम—2025

- EEZ में जिम्मेदार मछली पकड़ना
- सहकारिताओं और FPO को प्राथमिकता

8. ReALCRaft डिजिटल पोर्टल

- नावों का ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंस, ट्रेसेबिलिटी
- मत्स्य पालन में ई-गवर्नेंस

9. NABHMITRA / VCSS सुरक्षा प्रणाली

- समुद्री सुरक्षा, SOS ट्रैकिंग
- तटीय मछुआरों के लिए ट्रांसपोंडर वितरण

10. ब्लू इकोनॉमी मिशन

- समुद्री संसाधन आधारित रोजगार, अनुसंधान, नवाचार
- जल के नीचे जीवन और आर्थिक वृद्धि का संतुलन

11. SDG-14 ("Life Below Water") पूर्ण करने में इन योजनाओं की केंद्रीय भूमिका है।

निष्कर्ष:

भारत की ब्लू इकोनॉमी की प्रगति के लिए हरित प्रौद्योगिकियों, आपदा-रोधी अवसंरचना और कौशल विकास में लक्षित निवेश आवश्यक हैं। ब्लू बॉण्ड, कार्बन क्रेडिट बाजार, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे नए वित्तपोषण मॉडल के साथ-साथ संधारणीय संसाधन प्रबंधन और समावेशी भागीदारी से पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। साथ ही, ये उपाय आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन सुनिश्चित करते हुए दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को बढ़ावा देंगे।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में नीली अर्थव्यवस्था और मत्स्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है।
2. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का उद्देश्य समुद्री मत्स्य पालन में अंत:पीढ़ी ऋण माफी प्रदान करना है।
3. तटीय राज्यों में आजीविका सुरक्षा हेतु 'सी-वीड (Seaweed) मिशन' का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

उपरोक्त में से सही कथन कौन-से हैं?

(a) 1 और 2 केवल (b) केवल 1 और 3

(c) 2 और 3 केवल (d) 1, 2 और 3

उत्तर — (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "समुद्री संसाधनों और आजीविका को मजबूत करना" भारतीय नीली अर्थव्यवस्था की नीतिगत प्राथमिकता बनती जा रही है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2025 के संदर्भ में, मछुआरा समुदाय के सशक्तिकरण और सतत समुद्री अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक चुनौतियों एवं रणनीतियों का विश्लेषण कीजिए। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)





विज्ञान और प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS) : भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को आगे बढ़ाना

समाचार में क्यों?

- भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण यात्रा में एक नया चरण शुरू हो गया है क्योंकि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के तहत ₹5,532 करोड़ की परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी है। ये इस योजना के तहत स्वीकृत पहली सात परियोजनाएँ हैं, जिनसे ₹44,406 करोड़ का उत्पादन और 5,000 से ज़्यादा रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की यह घोषणा भारत की घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह कदम उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनने के भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो इस क्षेत्र के तेज़ विकास पर आधारित है — जो अब 2024-25 में तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला निर्यात वर्ग है।

योजना अवलोकन

Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS)

Status as on 30.09.2025

Parameter	Target under ECMS	Expected Outcomes (as per applications received)
Investment	Rs. 59,350 crore	Rs. 1,15,351 crore (~2X)
Production	Rs. 4,56,500 crore	Rs. 10,34,751 crore (~2.2X)
Employment	91,600 persons	1,41,801 persons (~1.5X)
Incentive Outgo	Rs. 22,805 crore	Rs. 41,468 crore (~1.8X)

Source: Ministry of Electronics and IT

- 8 अप्रैल 2025 को ₹22,919 करोड़ (2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के परिव्यय के साथ अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण के लिए एक मज़बूत, आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- छह वर्ष की अवधि और एक वैकल्पिक एक वर्ष की अवधि के साथ, यह योजना घरेलू और वैश्विक निवेश आकर्षित करने, मूल्य संवर्धन बढ़ाने और प्रमुख घटकों, उप-संयोजनों और कच्चे माल के उत्पादन के माध्यम से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने पर केंद्रित है।
- 30 सितंबर 2025 तक, निवेश प्रतिबद्धताएँ ₹1,15,351 करोड़ तक पहुँच गई हैं, जो लक्ष्य से लगभग दोगुनी है, और अपेक्षित उत्पादन ₹10,34,751 करोड़ है - जो प्रारंभिक अनुमान से 2.2 गुना अधिक है। प्रोत्साहन व्यय ₹41,468 करोड़ अनुमानित है, जबकि इस योजना से 1.4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है, जो इसके मूल लक्ष्य से अधिक है।

ईसीएमएस अनुमोदन के पहले सेट के अंतर्गत आने वाले उत्पाद

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के तहत स्वीकृत पहली सात परियोजनाओं में आधुनिक तकनीक के लिए आवश्यक उच्च-मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इनमें स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, दूरसंचार और औद्योगिक प्रणालियों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स शामिल हैं।

कैमरा मॉड्यूल उप-असेंबली

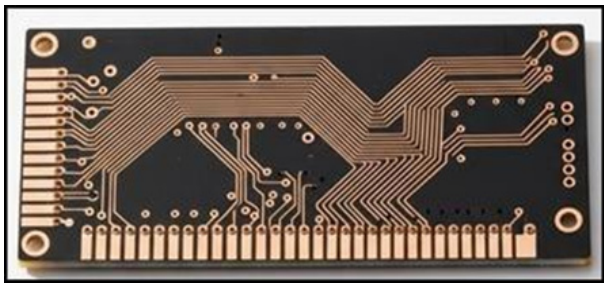


कैमरा मॉड्यूल सब-असेंबली का उपयोग स्मार्टफ़ोन, ड्रोन, चिकित्सा उपकरणों और रोबोट में किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उच्च-गुणवत्ता वाली तस्वीरें और

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

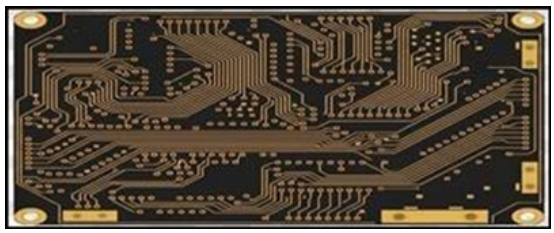
वीडियो कैप्चर करते हैं और स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, सुरक्षा कैमरे, ऑटोमोटिव सिस्टम और IoT उपकरणों में इमेजिंग घटक के रूप में काम करते हैं।

बहु-परत पीसीबी



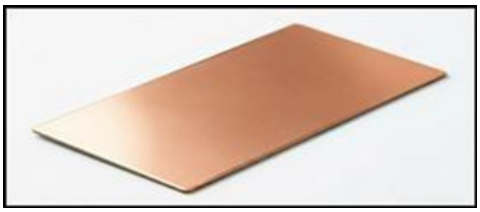
बहु-परत मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का उपयोग ऑटोमोटिव, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी, चिकित्सा उपकरण, दूरसंचार, एयरोस्पेस और रक्षा, तथा औद्योगिक विनिर्माण में किया जाता है। इनमें कई तांबे और परावैद्युत परतें होती हैं जो थ्रू-होल विया द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक नियंत्रण और ऑटोमोटिव प्रणालियों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं।

एचडीआई पीसीबी



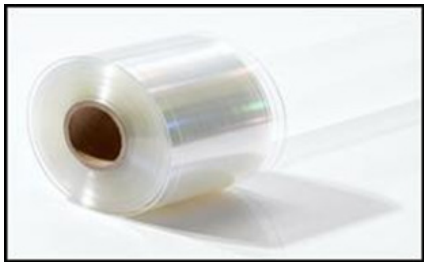
उच्च-घनत्व वाले इंटरकनेक्ट पीसीबी का उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और पहनने योग्य तकनीक, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरणों, दूरसंचार, एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में किया जाता है। ये पीसीबी के उन्नत संस्करण हैं जिनमें माइक्रोविया, ब्लाइंड और दबे हुए विया, विया-इन-पैड संरचनाएँ, महीन ट्रैक और सघन अंतराल होते हैं। ये स्मार्टफोन, टैबलेट, पहनने योग्य उपकरणों, एयरोस्पेस और चिकित्सा उपकरणों के लिए कॉम्पैक्ट, उच्च-प्रदर्शन डिज़ाइन प्रदान करते हैं।

लैमिनेट (कॉपर क्लैड लैमिनेट)



कॉपर क्लैड लैमिनेट का उपयोग ऑटोमोटिव, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, आईसीटी, दूरसंचार, एयरोस्पेस और रक्षा, तथा औद्योगिक विनिर्माण में किया जाता है। ये बहु-परत पीसीबी के निर्माण के लिए आधार घटक के रूप में कार्य करते हैं।

पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म



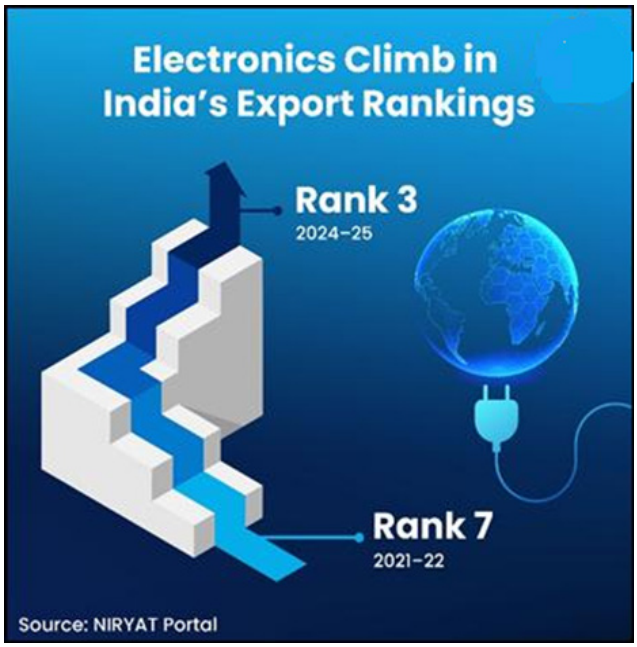
पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म का उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, आईसीटी, औद्योगिक और विनिर्माण, दूरसंचार और कंप्यूटिंग के लिए कैपेसिटर बनाने में किया जाता है। यह कैपेसिटर के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्री है।

ईसीएमएस के अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों का अवलोकन :

क्र	आवेदक का नाम	उत्पाद	परियोजना स्थान	निवेश (₹ करोड़)	अपेक्षित उत्पादन (₹ करोड़)	रोजगार (व्यक्ति)
1	**केन्स सर्किट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**	बहु-परत मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी)	तमिलनाडु	104	4,300	220
2	**केन्स सर्किट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**	कैमरा मॉड्यूल उप-असेंबली	तमिलनाडु	325	12,630	480
3	**केन्स सर्किट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**	एचडीआई पीसीबी	तमिलनाडु	1,684	4,510	1,480

4	**केन्स सर्किट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**	टुकड़े टुकड़े में	तमिलनाडु	1,167	6,875	300
5	**एसआरएफ लिमिटेड**	पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म	मध्य प्रदेश	496	1,311	225
6	**सिरमा स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड**	बहु-परत मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी)	आंध्र प्रदेश	765	6,933	955
7	**एसेंट सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड**	बहु-परत मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी)	तमिलनाडु	991	7,847	1,535
कुल	—	—	—	5,532	44,406	5,195

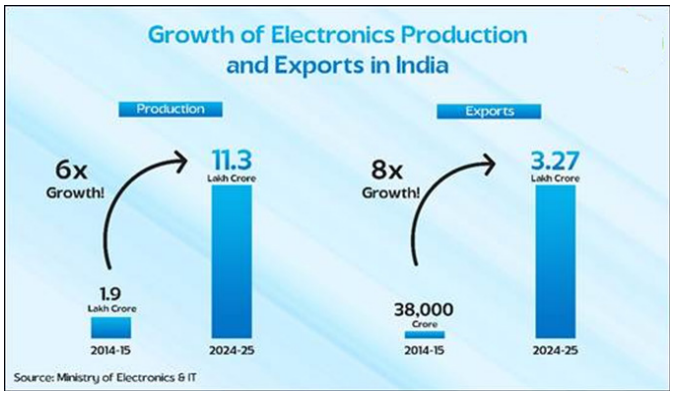
इलेक्ट्रॉनिक्स भारत की अग्रणी निर्यात श्रेणी के रूप में



- इलेक्ट्रॉनिक्स 2024-25 में भारत की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती निर्यात श्रेणी के रूप में उभरी है, जो 2021-22 में सातवें स्थान पर थी। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 22.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर[1] रहा, जिससे मज़बूत विकास गति बनी रही और यह क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद बनने की राह पर अग्रसर हुआ।]
- देश का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के ₹1.9 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹11.3 लाख करोड़ हो गया है, जो छह गुना वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि में निर्यात ₹38,000 करोड़ से बढ़कर ₹3.27 लाख करोड़ हो गया है, जो आठ गुना वृद्धि दर्शाता है। पिछले एक दशक में, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने देश भर में लगभग 25 लाख रोज़गार सृजित किए हैं।
- इस बदलाव में मोबाइल निर्माण ने अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र में उत्पादन 2014-15 के ₹18,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹5.45 लाख करोड़ हो गया है, यानी 28 गुना वृद्धि। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है, जहाँ 2014 में सिर्फ़ दो इकाइयाँ संचालित थीं, जबकि 2014 में 300 से ज़्यादा इकाइयाँ कार्यरत थीं।
- मोबाइल फ़ोनों के निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो 2014-15 के ₹1,500 करोड़ से 127 गुना बढ़कर 2024-25 में ₹2 लाख करोड़ हो गया है। 2024 में, अकेले Apple ने ₹1,10,989 करोड़ मूल्य के iPhone निर्यात किए, जो साल-दर-साल 42 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। 2025-26 के पहले पाँच महीनों में, स्मार्टफ़ोन निर्यात ₹1 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 55 प्रतिशत अधिक है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- भारत अब मोबाइल उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है, एक दशक पहले अपनी अधिकांश आवश्यकताओं का आयात करने से आगे बढ़कर लगभग सभी उपकरणों का घरेलू स्तर पर निर्माण कर रहा है। यह परिवर्तन भारत के नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एवं निर्यात के लिए एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में इसके उभरने को दर्शाता है।



निष्कर्ष :

- भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी मिलना न केवल एक औद्योगिक उपलब्धि है, बल्कि आत्मनिर्भरता को गहरा करने और प्रौद्योगिकी उत्पादन में देश की वैश्विक स्थिति को मज़बूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम भी है।
- मज़बूत निवेश प्रतिबद्धताओं, रिकॉर्ड उत्पादन लक्ष्यों और निरंतर रोज़गार सृजन के साथ, यह योजना भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला की नींव को मज़बूत करने के लिए तैयार है। कलपुर्जों से लेकर संपूर्ण उपकरणों तक, भारत विनिर्माण क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।
- निर्यात में वृद्धि, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और मोबाइल विनिर्माण का तेज़ी से विस्तार, ये सब मिलकर एक स्पष्ट दिशा दर्शाते हैं।भारत न केवल अपनी ज़रूरतों के लिए उत्पादन कर रहा है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी मज़बूत कर रहा है। जैसे-जैसे ये प्रयास जारी रहेंगे, देश का वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र बनने का सपना तेज़ी से एक ठोस हक़ीक़त बनता जा रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस योजना को अप्रैल 2025 में ₹22,919 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था।
2. इसका उद्देश्य प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटकों, उप-असेंबली और कच्चे माल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
3. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जहां पहली ईसीएमएस परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के महत्व पर चर्चा करें। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

GSAT-7 R (CMS-03) : आत्मनिर्भर भारत का अंतरिक्ष प्रहरी

समाचार में क्यों?



- नवंबर, 2025 को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारतीय नौसेना के उन्नत संचार उपग्रह जीसैट-7आर (सीएमएस-03) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जो भारत की रक्षा तैयारियों और अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- उपग्रह को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एलवीएम 3-एम5 (बाहुबली) रॉकेट के ज़रिए शाम 5:26 बजे प्रक्षेपित किया गया और अपनी इच्छित कक्षा में स्थापित कर दिया गया।
- यह मिशन भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करता है और भारतीय महासागर क्षेत्र में नौसेना के नेटवर्क-केंद्रित युद्ध, वास्तविक समय संचार और समुद्री डोमेन जागरूकता को मजबूत करता है।

जीसैट-7आर (सीएमएस-03) क्या है?

जीसैट-7आर, जिसे सीएमएस-03 के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे भारी स्वदेशी बहु-बैंड सैन्य संचार उपग्रह है, जिसका वज़न 4,410 किलोग्राम है। भारतीय नौसेना के लिए सुरक्षित संचार प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया, यह निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है :

1. बहु-बैंड संचार क्षमताएं
2. भारत और आसपास के समुद्री क्षेत्र में कवरेज
3. न्यूनतम 15 वर्ष का परिचालन जीवन
4. समुद्री परिचालन के लिए उन्नत पेलोड और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां

सीएमएस-03, जीसैट-7 श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें जीसैट-7 (रुक्मिणी) और जीसैट-7 ए शामिल हैं, जो भारत के त्रि-सेवा संचार ढांचे को बढ़ाता है।

प्रक्षेपण यान : LVM3-M5 (बाहुबली)

इस मिशन में इसरो के सबसे भारी रॉकेट, LVM3-M5 का इस्तेमाल किया गया, जो बड़े पेलोड को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) तक ले जाने में सक्षम है। इस मिशन में:

1. रॉकेट ने अपना अब तक का सबसे भारी पेलोड ले जाया: 4,410 किलोग्राम
2. इसने अपनी मानक 4,000 किलोग्राम जीटीओ क्षमता को पार कर लिया
3. सफलता ने 100% विश्वसनीयता को चिह्नित किया, सभी आठ LVM3 मिशन सफल रहे
4. यह वाहन इसरो के आगामी गगनयात्री-2 मिशन के लिए भी निर्धारित है।

GSAT-7 R (CMS-03) का मिशन महत्व

पहलू :

1. नौसैनिक संचार को मजबूत करना

- युद्धपोतों, पनडुब्बियों, समुद्री विमानों और कमांड केंद्रों के लिए निर्बाध, एन्क्रिप्टेड लिंक प्रदान करता है।
- नेटवर्क-केंद्रित युद्ध और वास्तविक समय निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है।

2. समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाना (एमडीए)

- हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में निगरानी का विस्तार।
- रणनीतिक निगरानी, समुद्री डकैती विरोधी मिशन, आपदा प्रतिक्रिया और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा का समर्थन करता है।

3. स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

- भारी संचार उपग्रह विकास में भारत की क्षमता को मजबूत करता है।
- स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी को उन्नत करना।
- ऊपरी चरण के संचालन में सटीकता में सुधार, आत्मनिर्भर भारत का समर्थन।

4. भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार

- विश्वसनीय भारी-लिफ्ट प्रक्षेपण प्रदर्शन का प्रदर्शन करता है।
- उन्नत संचार पेलोड शामिल हैं।
- बहु-कक्षा मिशन लचीलापन सक्षम करता है, जिससे भारत की वैश्विक अंतरिक्ष स्थिति में सुधार होता है।

5. संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए समर्थन

- त्रि-सेवा रक्षा नेटवर्क के साथ एकीकृत।
- अंतर-सेवा संचार, सुरक्षित डेटा विनिमय और वास्तविक समय युद्धक्षेत्र जागरूकता को बढ़ाता है।

महत्व :

1. **सुदृढ़ सामरिक सुरक्षा :** जीसैट-7आर विशाल महासागरीय क्षेत्रों में भारत की नौसैनिक संचार संरचना को बढ़ाता है, तथा हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में रणनीतिक पहुंच में सुधार करता है।
2. **बेहतर समुद्री डोमेन जागरूकता :** यह उपग्रह निगरानी, टोही और पूर्व चेतावनी क्षमताओं को बढ़ाता है, जो व्यापार मार्गों की सुरक्षा और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक है।
3. **स्वदेशी तकनीकी उन्नति :** यह बहु-बैंड संचार उपग्रहों और उन्नत क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाता है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

4. **उन्नत नेटवर्क-केंद्रित युद्ध :** युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों को सुरक्षित, वास्तविक समय, उच्च बैंडविड्थ संचार प्रदान करता है, जिससे तीव्र और समन्वित संचालन संभव होता है।

5. **प्रबलित प्रक्षेपण वाहन विश्वसनीयता :** यह एलवीएम3 के एक भरोसेमंद भारी-भरकम लांचर के रूप में रिकार्ड को प्रमाणित करता है, तथा गगनयात्री-2 सहित भविष्य के मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

6. **रक्षा आधुनिकीकरण के लिए समर्थन :** आत्मनिर्भर भारत और दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए, भारत के आत्मनिर्भर सैन्य संचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है।

7. **भारत की अंतरिक्ष शक्ति प्रक्षेपण को बढ़ावा :** यह भारत को एक उभरती हुई वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करता है जो जटिल, रक्षा-उन्मुख उपग्रह मिशनों को तैनात करने में सक्षम है।

समाधान / आगे की राह :

1. **त्रि-सेवा संचार का विस्तार :** एकीकृत रक्षा संचार ग्रिड बनाने के लिए सेना और वायु सेना के एकीकरण हेतु समर्पित उपग्रहों की तैनाती।

2. **उन्नत स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन :** अधिक परिचालन लचीलेपन के लिए बहु-दहन, पुनः-प्रज्वलन और बहु-कक्षा क्षमताओं में सुधार करना।

3. **अंतरिक्ष-आधारित आईएसआर क्षमताओं का विकास करना :** समुद्री सतर्कता बढ़ाने के लिए खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही के लिए उन्नत उपग्रह बनाएं।

4. **समुद्री साइबर सुरक्षा को मजबूत करना :** साइबर खतरों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हमलों को रोकने के लिए एन्क्रिप्शन प्रणालियों और सुरक्षित संचार प्रोटोकॉल को उन्नत करें।

5. **सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देना :** भारतीय स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों को रक्षा उपग्रहों और पेलोड प्रौद्योगिकियों के सह-विकास के लिए प्रोत्साहित करना।

6. **अतिरेक और लचीलापन का निर्माण करें :** संघर्ष के दौरान निर्बाध सैन्य संचार सुनिश्चित करने के लिए बैकअप उपग्रह प्रणालियां और कक्षीय परिसंपत्तियां विकसित करना।

7. **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री साझेदारी को बढ़ाना :** संयुक्त अभ्यासों और अभियानों में मित्रवत नौसेनाओं के साथ अंतर-संचालन को मजबूत करने के लिए बेहतर अंतरिक्ष-आधारित संचार का उपयोग करना।

निष्कर्ष :

जीसैट-7आर (सीएमएस-03) का सफल प्रक्षेपण अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक क्षण है। नौसेना की संचार और निगरानी क्षमताओं को मज़बूत करके, इसरो ने भारत की समुद्री सुरक्षा स्थिति को और मज़बूत किया है। यह मिशन न केवल तकनीकी उत्कृष्टता को दर्शाता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत एक वैश्विक अंतरिक्ष नेता के रूप में भारत के निरंतर उदय का भी प्रतीक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. GSAT-7R (CMS-03) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है।
2. उपग्रह को इसरो के एलवीएम 3 - एम 5 वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया।
3. सीएमएस-03 को केवल भारतीय भूभाग पर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत के नौसैनिक संचार और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में GSAT-7R (CMS-03) उपग्रह के महत्व पर चर्चा कीजिए। यह मिशन अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्रों में 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में भारत की प्रगति को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है? (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोजगार के प्रति भारत का दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

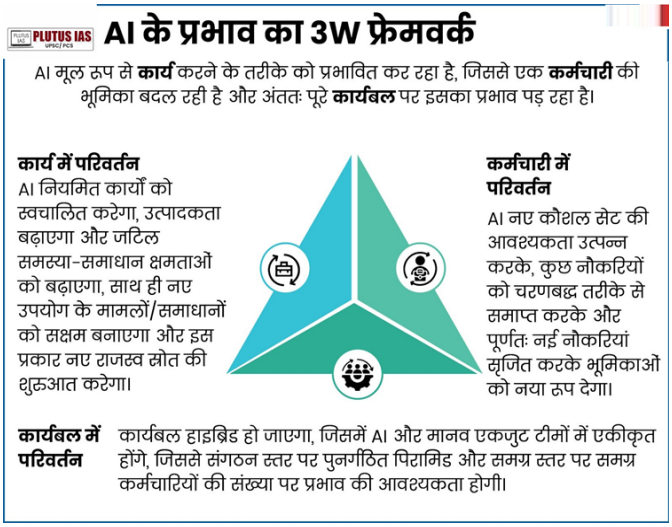
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भारत की अगली आर्थिक वृद्धि को गति देने वाली है और नीति आयोग का अनुमान है कि AI वर्ष 2030 तक भारत की GDP में 500–600 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकती है।

भारत की अर्थव्यवस्था पर AI के प्रभाव को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट क्या निष्कर्ष प्रस्तुत करती है?

- **AI अर्थव्यवस्था में रोज़गार सृजन के रोडमैप :** यह रिपोर्ट भारत की रणनीतिक योजना प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य AI से उत्पन्न होने वाले बदलावों का समाधान करना और देश को AI-संचालित कार्यबल विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है। रिपोर्ट 3W फ्रेमवर्क प्रस्तुत करती है, जो AI के Work (कार्य), Workers (कार्य करने वाले) और Workforce (कार्यबल) पर प्रभाव को रेखांकित करता है।
- **समावेशी सामाजिक विकास हेतु AI रोडमैप :** यह रिपोर्ट अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अनौपचारिक श्रमिकों को अधिक औपचारिक, सशक्त और भविष्य-उन्मुख कार्यबल में परिवर्तित करने पर केंद्रित है। यह समावेशिता को बढ़ाने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में AI की क्षमता पर ज़ोर देता है।
- **भारत के लिये चुनौती और अवसर, दोनों के रूप में AI :** AI भारत की अर्थव्यवस्था के लिये चुनौतियाँ भी लाता है और अवसर भी।
- जहाँ यह पारंपरिक औपचारिक रोज़गार में व्यवधान उत्पन्न करता है, वहीं यह विशाल अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक रूप देने और उसकी उत्पादकता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने का एक अनोखा अवसर भी प्रदान करता है।

भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिये AI में क्या संभावनाएँ हैं?

- **नए, उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों में रोज़गार सृजन :** भारत वर्ष 2031 तक लगभग 4 मिलियन नए रोज़गार उत्पन्न कर सकता है, विशेषकर तकनीक और ग्राहक सेवा क्षेत्रों में। इन रोज़गारों में प्रॉम्प्ट इंजीनियर, क्वांटम ML इंजीनियर और उन्नत AI मॉडल डेवलपर जैसे उच्च-कौशल वाले पद शामिल होंगे।
- **वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार :** मज़बूत डिजिटल प्रतिभा आधार का उपयोग करते हुए, पारंपरिक IT सेवाओं से AI-आधारित कार्य और नवाचार की ओर बढ़कर भारत विश्व की 'AI वर्कफोर्स कैपिटल' बन सकता है। प्रस्तावित इंडिया AI टैलेंट मिशन सिंगापुर और UAE जैसी पहल की तरह भारत में प्रतिभा पलायन को रोकने में भी सहायता कर सकता है।
- **नए राजस्व स्रोत और उद्योग :** यह AI-संचालित दवा खोज और स्मार्ट विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों में नई संभावनाएँ प्रस्तुत कर रहा है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग, IoT तथा 5G के साथ इसका अभिसरण स्मार्ट सिटीज़ एवं लॉजिस्टिक्स अनुकूलन में अवसर उत्पन्न कर रहा है।
- **उत्पादकता लाभ :** AI दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाता है, सॉफ्टवेयर विकास में 10-20% उत्पादकता लाभ प्रदान करता है तथा चैटबॉट एवं रियल-टाइम ट्रांसलेशन के माध्यम से ग्राहक सेवा में लागत को कम करता है।
- **भविष्य-उन्मुख अर्थव्यवस्था की नींव :** एक ओपन-सोर्स इंडिया AI कॉमन्स की स्थापना से डेटासेट, मॉडल और बेंचमार्क उपलब्ध होंगे, जिससे नवाचार को लोकतांत्रिक बनाया जा सकेगा। साथ ही इंडिया AI कंप्यूट ग्रिड साझा हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग उपलब्ध कराएगा, जिससे स्थानीय अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रतिभा भारत में बनी रहेगी।



भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये AI द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ क्या हैं?

- **तकनीकी क्षेत्र में रोज़गार हानि :** नीति आयोग के अनुसार, IT सेवा क्षेत्र का कार्यबल वर्ष 2023 में 7.5–8 मिलियन से घटकर वर्ष 2031 तक 6 मिलियन तक पहुँच सकता है।सामान्य रूप से भारत में वर्ष 2030 तक

औपचारिक रोज़गार का लगभग 60% हिस्सा ऑटोमेशन के जोखिम में है, जिसमें IT और BPO क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में दिनचर्या आधारित पैमाने योग्य कार्य अधिक हैं।

- **शिक्षा प्रणाली में अंतराल :** भारत में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा में अंतराल है, जिसकी पहुँच सीमित है और AI पाठ्यक्रम पुराना है, जिसमें रिट्रीवल ऑग्मेंटेड जेनरेशन (RAG) जैसी उभरती अवधारणाएँ शामिल नहीं हैं। इन कमियों के कारण अनुसंधान उत्पादन कम है, AI पेटेंट में हिस्सेदारी 5% से भी कम है और प्रतिवर्ष AI से संबंधित 500 से कम पीएचडी ही प्रदान की जाती हैं।
- **AI प्रतिभा की मांग–आपूर्ति का अंतर :** AI प्रतिभा की मांग 25% की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रही है (वर्ष 2026 तक 8 लाख से बढ़कर 12.5 लाख तक), जबकि आपूर्ति केवल 15% CAGR से बढ़ रही है।भारत को नकारात्मक प्रतिभा प्रवासन का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें शीर्ष AI शोधकर्त्ता 10,000 में से 1.55 की दर से विदेश जा रहे हैं।
- **व्यापक प्रणालीगत जोखिम :** भारत प्रतिस्पर्द्धात्मकता और रणनीतिक बढ़त चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे देशों के मुकाबले खोने के जोखिम का सामना कर रहा है। सामजिक रूप से, 40 करोड़ अनौपचारिक श्रमिकों के लिये सीमित सुरक्षा और विभिन्न क्षेत्रों व समूहों पर असमान प्रभाव बड़े चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।

भारत में AI के सतत् उपयोग के लिये नीति आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं?

- **शिक्षा प्रणाली में AI का एकीकरण :** स्कूल स्तर से ही AI शिक्षा को शामिल किया जाए, AI-केंद्रित उच्च शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए तथा अनुसंधान को सशक्त बनाने के लिये AI पीएचडी फेलोशिप बढ़ाई जाए। साथ ही संकाय–उद्योग सहयोग के माध्यम से पाठ्यक्रम को निरंतर अद्यतन बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए।
- **वैश्विक AI प्रतिभा का केंद्र बनना :** भारतीय AI शोधकर्त्ताओं को बनाए रखने और उन्हें वापस आकर्षित करने के लिये प्रतिस्पर्द्धी अनुदान, बेहतर वेतन और राष्ट्रीय कंप्यूटिंग ग्रिड तक प्राथमिकता वाली पहुँच प्रदान की जाए। साथ ही वैश्विक विशेषज्ञों को आकर्षित करने हेतु एक विशेष AI टैलेंट वीज़ा शुरू किया जाए।
- **एआई कौशल आधार का निर्माण :** व्यापक AI साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये NAPS (राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना) और PMKVY (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) को विस्तृत करते हुए एक राष्ट्रीय पुनर्कौशल कार्यक्रम शुरू किया जाए। साथ ही कार्यरत पेशेवरों को उच्च-स्तरीय भूमिकाओं में उन्नत करने हेतु अनुकूल AI मास्टर और डॉक्टरेट कार्यक्रम आरंभ किये जाएँ।
- **भारत ओपन-सोर्स AI कॉमन्स की स्थापना :** उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट, मॉडल और बेंचमार्क के साथ एक केंद्रीय AI कॉमन्स बनाएँ, विश्वविद्यालयों और मंत्रालयों से डेटा योगदान को प्रोत्साहित करना तथा विश्वसनीय सत्यापन उपकरणों के माध्यम से विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- **संघीय राष्ट्रीय कंप्यूट एवं नवाचार ग्रिड :** विखंडित HPC संसाधनों को एकीकृत कंप्यूट ग्रिड में समेकित करना तथा उन्नत मॉडल प्रशिक्षण का समर्थन करने तथा विदेशी बुनियादी ढाँचे पर निर्भरता को कम करने के लिये छात्रों, स्टार्टअप और शोधकर्त्ताओं के लिये स्तरीय, किफायती पहुँच प्रदान करना।



निष्कर्ष:

AI भारत के लिये एक परिवर्तनकारी आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है नीति आयोग का अनुमान है कि यदि इसे पुनर्कौशल, सुदृढ़ AI शिक्षा, मज़बूत डेटा गवर्नेंस, ओपन-सोर्स संसाधनों और राष्ट्रीय कम्प्यूटेशनल अवसंरचना के साथ जोड़ा जाए तो यह वर्ष 2030 तक जीडीपी में 500–600 अरब अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी कर सकता है। सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये नौकरी विस्थापन और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने हेतु रणनीतिक नीतियाँ, समावेशी कौशल विकास और अनुसंधान निवेश अत्यंत आवश्यक हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में AI-संचालित अर्थव्यवस्था के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत सरकार का "National Programme on Artificial Intelligence" NITI Aayog द्वारा संचालित है।
2. "India AI Mission" का उद्देश्य स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में AI-आधारित समाधान को बढ़ावा देना है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. भारत की "Computing Infrastructure for AI" नीति का उद्देश्य एक राष्ट्रीय AI सुपरकंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक दोधारी तलवार है।" इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा समावेशी AI के क्षेत्र में भारत को वैश्विक अग्रणी बनाने हेतु एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तावित कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

CRISPR Cas -9



बिरसा (BIRSA)-101 : नामक यह जीन थेरेपी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखी गई है। ध्यातव्य है कि भगवान बिरसा मुंडा भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इस जीन थेरेपी का विकास CSIR–जिनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान (IGIB) ने किया है।

जीन थेरेपी क्या है :

- जीन थेरेपी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें किसी बीमारी या चिकित्सीय विकार के इलाज, रोकथाम या उपचार के लिए जीन का इस्तेमाल किया जाता है।
- **कार्यप्रणाली :** टूटे हुए जीन की नई प्रति जोड़ना, या मरीज की कोशिकाओं के किसी दोषपूर्ण/लुप्त जीन को एक स्वस्थ जीन से बदलना।

CRISPR क्या है:

CRISPR से आशय है - क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स।

यह एक प्रकार का जीनोम-एडिटिंग उपकरण है। यह वैज्ञानिकों को डीएनए अनुक्रम को बिल्कुल सटीक तरीके से काटने और संशोधित करने में सक्षम बनाता है।

इसमें निम्नलिखित दो अणु मुख्य भूमिका निभाते हैं:

- **मार्गदशक (Guide) RNA:** यह लक्षित जीनोम के विशेष हिस्सों का पता करने और उनसे जुड़ने के लिए तैयार किया गया है।
- **Cas9 (क्रिस्पर-एसोसिएटेड प्रोटीन 9) :** यह आण्विक कैंची की तरह कार्य करते हुए डीएनए के दो रज्जुकों को काट सकता है।

सिकल-सेल बीमारी (SCD) क्या है:

- SCD एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है और हीमोग्लोबिन पर प्रभाव डालता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाला अणु है।
- इस बीमारी की वजह से लाल रक्त कोशिकाएं सख्त और दरांती के आकार की हो जाती हैं। इससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है।
- विशेष रूप से भारत की आदिवासी आबादी में इस बीमारी का अधिक प्रसार देखा गया है।
- आदिवासी समुदाय में प्रत्येक 86 जन्मे बच्चों में 1 सिकल-सेल बीमारी से ग्रसित होता है।

enF Cas9 क्या है ?

- CSIR-IGIB और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य enFnCas9 को आनुवंशिक रोगों के लिए किफायती और बड़े पैमाने पर उपयोग योग्य उपचार में बदलना है।
- **FnCas9 से आशय है:** फ्रांसीसेल्ला नोविसिडा Cas9 (FnCas9) प्रोटीन। यह उच्च-विश्वसनीयता वाला इंजीनियर्ड CRISPR-Cas9 प्लेटफॉर्म है। इसे IGIB ने विकसित किया है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. CRISPR–Cas9 का एक संभावित उपयोग निम्नलिखित में से किसमें है?

1.आनुवांशिक रोगों का उपचार

2. कीट-रोधी फसलों का विकास

3. COVID-19 जैसे रोगों का निदान

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

Q2. CRISPR–Cas9 प्रणाली में "Cas9" का क्या कार्य है?

(a) लक्ष्य DNA की पहचान करना

(b) DNA को काटना

(c) mRNA को नष्ट करना

(d) प्रोटीन संश्लेषण को तेज करना

उत्तर: (b)





भारत में आतंकवाद प्रतिरोध की चुनौतियां

चर्चा में क्यों?

- 10 नवंबर, 2025 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के निकट हुई घातक कार विस्फोट की घटना ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को तीव्र रूप से केंद्र में ला दिया है। दिल्ली पुलिस ने विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर संगठित आतंकी नेटवर्क की संलिप्तता की आशंका के आधार पर गहन जाँच आरंभ की है।
- चुनौती यह है कि आतंकी नेटवर्कों का शीघ्रता से पर्दाफाश करते हुए विभाजनकारी शक्तियों के प्रति संवेदनशील एक विविध समाज में एकता को बढ़ावा देने की है। यह एक व्यापक आतंकवाद-रोधी रणनीति की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जिसमें सुदृढ़ खुफिया समन्वय, सक्रिय पुलिसिंग और उन्नत फॉरेंसिक क्षमताओं को एकीकृत किया गया हो।

आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामरिक हितों के लिये किस प्रकार एक खतरा बना हुआ है?

- **सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद:** सीमा पार आतंकवाद, विशेष रूप से पाकिस्तान से उत्पन्न, भारत के लिये दीर्घकालिक चुनौती बनी हुई है।
- लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे समूह जम्मू-कश्मीर व उसके बाहर लगातार हमले कर रहे हैं।
- अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम हमले सहित हाल की घटनाएँ, बढ़ी हुई सीमा सुरक्षा के बावजूद लगातार घुसपैठ के खतरे को रेखांकित करती हैं।
- गृह मंत्रालय (MHA) के आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2004 और 2014 के दौरान लगभग 7,217 आतंकवादी घटनाएँ हुईं, जो सत्र 2014-2024 के दौरान तेज़ी से घटकर लगभग 2,242 रह गईं, जो आंतरिक सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती हैं।
- हालाँकि, इस गिरावट के बावजूद, सीमा पार आतंकवाद एक सतत् चुनौती बना हुआ है, जिसमें पाकिस्तान स्थित समूहों द्वारा लगातार घुसपैठ के प्रयास और छद्म अभियान भारत की दीर्घकालिक आंतरिक सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता के लिये एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।
- **शहरी आतंकवाद और प्रतीकात्मक हमले:** वर्ष 2025 में लाल किला कार विस्फोट, मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिये प्रतीकात्मक राष्ट्रीय स्थलों को निशाना बनाकर शहरी आतंकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटकों के उपयोग और शहरी गुमनामी ने नागरिक सुरक्षा के बुनियादी अवसंरचना में कमियों को उजागर किया है।
- सफेदपोश आतंकवाद जैसे उभरते रूप, जिनमें उमर नबी जैसे शिक्षित पेशेवर शामिल हैं, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं, इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय अभिगम्यता और डिजिटल नेटवर्क का शोषण किया जाता है।
- नेटवर्क और सफेदपोश आतंकवादी खतरों के विरुद्ध शहरी सुरक्षा कार्यढाँचे को सुदृढ़ करना राष्ट्रीय समुत्थानशक्ति के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **घरेलू उग्रवाद और वैचारिक ध्रुवीकरण:** स्थानीय शिकायतों और ऑनलाइन प्रचार के माध्यम से पोषित घरेलू आतंकवादियों का उदय, एक कम दिखाई देने वाला लेकिन उतना ही खतरनाक जोखिम प्रस्तुत करता है।
- हाल के आकलनों से पता चला है कि केरल, महाराष्ट्र और झारखंड सहित कई भारतीय राज्यों में घरेलू उग्रवाद से जुड़ी गिरफ्तारियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो घरेलू उग्रवाद के बढ़ते खतरे को दर्शाता है।
- आतंकवादी समूहों का विकेंद्रीकरण निगरानी और रोकथाम को जटिल बना देता है, जिससे सामुदायिक सतर्कता एवं परिस्थितिनुकूल पुनर्समाजीकरण (डिरैडिकलाइज़ेशन) कार्यक्रमों की आवश्यकता बढ़ जाती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **आतंकवाद प्रायः** सामाजिक-धार्मिक विभाजनों का दुरुपयोग कर अस्थिरता फैलाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख आतंकी घटनाओं के बाद सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि देखी जाती है।
- सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज़्म के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत में 59 सांप्रदायिक दंगे हुए, जो वर्ष 2023 में हुई 32 घटनाओं की तुलना में 84% अधिक है, जो आतंकवादी गतिविधियों एवं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बीच बढ़ते संबंध को दर्शाता है।
- **समुद्री सुरक्षा खतरे:** भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा और रणनीतिक बंदरगाह बढ़ते समुद्री आतंकवाद के खतरों का सामना कर रहे हैं। असंगठित (गैर-राज्य) तत्त्व हथियारों, विस्फोटकों एवं आतंकवादियों की तस्करी के लिये इन कमज़ोरियों का लाभ उठा रहे हैं।
- भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी (2024) ने यह खुलासा किया कि आतंकवादी गिरोहों द्वारा अरब सागर में अवैध खेपों के माध्यम से समुद्री मार्ग से प्रवेश करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- समुद्री मार्गों के माध्यम से हथियारों की घुसपैठ बढ़ने से नौसैनिक गश्त, तटीय निगरानी तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को और मज़बूत किये जाने की आवश्यकता है।
- **साइबर आतंकवाद और उभरती प्रौद्योगिकियाँ:** आतंकवादी समूह साइबर उपकरणों का तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं, जिसमें एन्क्रिप्टेड संचार, डेटा थेफ्ट और सोशल मीडिया प्रचार शामिल हैं, जिससे साइबर आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक की वर्ष 2025 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि आतंकवादी संगठन अवसंरचना को बाधित करने और ऑनलाइन भर्ती के लिये 'रैनसमवेयर' तथा 'फिशिंग कैंपेन' का उपयोग कर रहे हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों में 'ड्रोन' के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार आतंकवाद की प्रकृति को नया रूप दे रही है।
- अब आतंकवादी रणनीतियाँ विविध रूप धारण कर चुकी हैं, जिनमें संभावित रासायनिक और जैविक हमले भी शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश में रासायनिक एजेंटों से जुड़ी वर्ष 2025 की एक नाकाम साजिश ने आतंकवादियों द्वारा असामान्य हथियार प्राप्त करने के प्रयासों को उजागर किया है।
- **खुफिया जानकारी और समन्वय की कमी :** भारत के खुफिया नेटवर्क में 20 से अधिक एजेंसियाँ शामिल हैं, जिनमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) एवं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) शामिल हैं और प्रत्येक के अलग-अलग संचालनात्मक अधिदेश हैं।
- हालाँकि, खंडित डेटा साझाकरण, अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र और एकाकी कार्यप्रणाली जैसे मुद्दे प्रायः सामूहिक दक्षता को कमज़ोर करते हैं।
- हालाँकि मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) की स्थापना अंतर-एजेंसी खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिये की गई थी, फिर भी यह वैधानिक कार्यढाँचे के बजाय कार्यकारी आदेशों के तहत काम करना जारी रखता है, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता एवं जवाबदेही सीमित हो जाती है।
- इसके अलावा, राज्य पुलिस बलों के बीच अपर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक डेटा एनालिसिस टूल्स का असमान उपयोग वास्तविक काल में खतरे का पता लगाने तथा प्रतिक्रिया में बाधा डालता है।
- **हाइब्रिड युद्ध और छद्म संघर्ष:** भारत हाइब्रिड युद्ध का सामना कर रहा है, जहाँ सरकारी और गैर-सरकारी तत्त्व अस्थिरता उत्पन्न करने के लिये गुप्त, छद्म एवं साइबर रणनीति अपनाते हैं।
- विद्रोहों को प्रोत्साहित करने में चीन-पाकिस्तान के गठजोड़ का उदाहरण इस नवयुगीन संकर (हाइब्रिड) खतरे को स्पष्ट करता है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना के अभियानों से अनुकूलनशीलता, खुफिया प्रणाली के आधुनिकीकरण तथा रणनीतिक तत्परता की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।
- भारत के आतंक-रोधी सुरक्षा कार्यढाँचे के प्रमुख तत्त्व क्या हैं?

विधिक और नीतिगत कार्यढाँचा:

- **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967 :** यह प्राथमिक आतंकवाद-रोधी कानून सरकार को आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने, उनकी संपत्ति ज़ब्त करने और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।
- यह अभियोजन और निवारक निरोध के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम, 2008 :** 26/11 के मुंबई हमलों के बाद इसका गठन किया गया, NIA विभिन्न राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

जाँच करता है, जिससे एक केंद्रीकृत, विशिष्ट जाँच तंत्र सुनिश्चित होता है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 :** राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को निवारक निरोध में सक्षम बनाता है।
- **नीतिगत पहल:** राष्ट्रीय आतंक-रोधी रणनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति (प्रारूप) और उग्रवाद-रोधी दिशानिर्देश जैसे कार्यढाँचे रोकथाम, निवारण एवं क्षमता निर्माण पर केंद्रित हैं।

संस्थागत तंत्र:

- **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) :** राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की अध्यक्षता में, यह अंतर-एजेंसी प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है, सुरक्षा रणनीतियाँ तैयार करता है तथा रक्षा, खुफिया और कूटनीति को एकीकृत करता है।
- **मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC):** वर्ष 2001 में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के तहत स्थापित, यह खतरे का पता लगाने में चूक को रोकने के लिये केंद्रीय और राज्य खुफिया इकाइयों को जोड़ने वाले एक वास्तविक काल खुफिया-साझाकरण केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) :z पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **रक्षा खुफिया एजेंसी (DIA) :** सेना, नौसेना एवं वायु सेना से सैन्य खुफिया का समन्वय करती है, जिससे नागरिक और रक्षा खुफिया कार्यढाँचे के बीच तालमेल सुनिश्चित होता है।

सुरक्षा बल और परिचालन इकाइयाँ:

- **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) :** भारत का विशिष्ट आतंकवाद-रोधी और बंधक-बचाव बल, जिसकी स्थापना वर्ष 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुई थी तथा जो शहरी आतंकवादी स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के लिये जाना जाता है।
- **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) :** CRPF, BSF, ITBP और CISF जैसे बल सीमा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा एवं महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण हैं।
- **आतंकवाद-रोधी दस्ते (ATS) :** राज्य-स्तरीय विशेष इकाइयाँ स्थानीय आतंकवाद-रोधी अभियानों एवं खुफिया सूचनाओं के लिये केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करती हैं।
- **विशेष बल और कमांडो :** पैरा SF, MARCOS और गरुड़ कमांडो जैसी इकाइयाँ गुप्त अभियानों, सीमा पार प्रतिक्रियाओं तथा अपहरण-रोधी अभियानों का प्रबंधन करती हैं।

खुफिया और निगरानी नेटवर्क:

- **खुफिया ब्यूरो (IB) :** भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी, जो प्रति-खुफियागीरी, घुसपैठ की निगरानी तथा आंतरिक खतरों के मूल्यांकन में संलग्न है।
- **रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) :** बाह्य खुफिया जानकारी के लिये उत्तरदायी संस्था, जो विशेष रूप से सीमा-पार आतंकवादी नेटवर्क तथा राज्य-प्रायोजित आतंकवाद पर केंद्रित है।
- **नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) :** अधिकृत एजेंसियों के लिये वास्तविक समय की सूचना तक अभिगम्यता को सक्षम करने के लिये 21 डेटाबेस (बैंकिंग, आव्रजन, दूरसंचार, आदि) से डेटा को एकीकृत करता है।
- **साइबर सुरक्षा प्रभाग :** भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और CERT-In के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है, जो साइबर आतंकवाद एवं ऑनलाइन उग्रवाद का मुकाबला करता है।

संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद-रोधी रणनीति

विषय: संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति, जिसे वर्ष 2006 में सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया था, मानवाधिकारों और विधि के शासन को बनाए रखते हुए आतंकवाद से निपटने के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से पहला व्यापक वैश्विक कार्यढाँचा है।

रणनीति के चार स्तंभ:

- **आतंकवाद के लिये अनुकूल परिस्थितियों का समाधान –** उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक कारकों को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **आतंकवाद की रोकथाम और उसका मुकाबला –** खुफिया जानकारी साझा करने, विधि प्रवर्तन सहयोग एवं सुरक्षित पनाहगाहों को नकारने के माध्यम से।
- **राज्य क्षमता का निर्माण और संयुक्त राष्ट्र समन्वय को सुदृढ़ करना –** वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- **मानवाधिकारों और कानून के शासन के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना –** इस बात पर बल देना कि आतंकवाद-रोधी प्रयास मौलिक स्वतंत्रताओं के अनुरूप होने चाहिये।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **यह रणनीति सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से आग्रह करती है कि :** आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता या जातीयता से जोड़ने से बचें।
- आतंकवादी नेटवर्कों को वित्तीय, सैन्य या परिचालन सहायता देने से इनकार करें।
- सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिये घरेलू कानूनी कार्यढाँचों और सीमा नियंत्रणों को सुदृढ़ करें।

संस्थागत कार्यढाँचा:

- कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिये, आतंकवाद-रोधी कार्यान्वयन कार्य बल (CTITF) इंटरपोल, UNDP और मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय सहित दो दर्जन से अधिक संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के बीच प्रयासों का समन्वय करता है।
- CTITF सदस्य देशों के लिये क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और नीतिगत सुसंगतता का समर्थन करता है।भारत में एक व्यापक आतंकवाद-रोधी नीति सुनिश्चित करने के लिये किन उपायों की आवश्यकता है?
- **अंतर-एजेंसी समन्वय और खुफिया जानकारी साझाकरण को बढ़ावा देना :** भारत को विस्तारित फ्यूज़न केंद्रों और रीयल-टाइम डेटा एकीकरण के माध्यम से एक मज़बूत, केंद्रीकृत खुफिया जानकारी साझाकरण पारिस्थितिकी तंत्र को संस्थागत रूप देना होगा।
- मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) भारत की आतंकवाद-रोधी संरचना का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है, जो रीयल-टाइम खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान एवं समन्वित बहु-एजेंसी अभियानों को सुगम बनाता है।
- इस आधार पर, राष्ट्रीय फ्यूज़न केंद्रों का निर्माण और राज्य-स्तरीय समकक्षों को मज़बूत करने से प्रशासनिक विलंब को कम करने तथा त्वरित, एकीकृत प्रतिक्रियाएँ संभव होंगी।
- प्रोजेक्ट सिंदूर व ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे अभियानों के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य प्रतिक्रियात्मक प्रणाली से सक्रिय एवं निवारक सुरक्षा कार्यढाँचे की ओर बढ़ना है, जिससे पूरे देश में त्वरित और अधिक एकीकृत आतंकवाद-रोधी प्रतिक्रियाएँ सुनिश्चित हों।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा का लाभ उठाएँ** : विकसित होती आतंकवादी रणनीतियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये, भारत को निगरानी और खतरे के आकलन के लिये AI, मशीन लर्निंग एवं पूर्वानुमान विश्लेषण के उपयोग का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के नेतृत्व में वर्ष 2025 का भारत-यूरोपीय संघ ड्रोन-रोधी प्रशिक्षण अत्याधुनिक तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाने का उदाहरण है।
- CERT-In की सक्रिय साइबर सुरक्षा को साइबर आतंकवाद से महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना की सुरक्षा के लिये बढ़ाया जाना चाहिये, साथ ही ऑनलाइन उग्रवाद और भर्ती का भी मुकाबला करना चाहिये।
- **कानूनी कार्यढाँचे को सुदृढ़ करना और न्यायिक प्रक्रियाओं को त्वरित करना :** आधुनिक आतंकवाद के उभरते खतरों और जटिलताओं से निपटने के लिये, साथ ही दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण)
- अधिनियम (UAPA) जैसे कानूनों में संशोधन करना महत्त्वपूर्ण है।विशेष आतंक-रोधी न्यायालयों की स्थापना से मुकदमों में तेज़ी आएगी, दोषसिद्धि दर और निवारण में सुधार होगा, जैसा कि पुलवामा एवं पठानकोट हमलों के बाद देखा गया है, जहाँ मुकदमों की सुनवाई महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई।
- भारत को FATF मानकों के अनुरूप, आतंकवाद के वित्तपोषण चैनलों को रोकने के लिये कानूनों और प्रवर्तन तंत्रों को सख्त करना चाहिये।
- आतंकवादी नेटवर्क द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग और ऑनलाइन फंडिंग प्लेटफॉर्म का पता लगाने के लिये उन्नत साइबर निगरानी एवं निजी क्षेत्र का सहयोग महत्त्वपूर्ण है।
- **सीमा और समुद्री सुरक्षा को उन्नत करना:** भारत के सुरक्षा कार्यढाँचे में बहुस्तरीय बुनियादी अवसंरचनाएँ शामिल होनी चाहिये, जैसे: स्मार्ट बाड़ लगाना, थर्मल इमेजिंग और तटीय रडार प्रणालियाँ, जो उन्नत नौसैनिक एवं अर्द्धसैनिक गश्त द्वारा समर्थित हों।
- समुद्री निगरानी, तस्करी-रोधी एवं व्यापार मार्ग सुरक्षा के लिये BIMSTEC और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक है।
- कई एजेंसियों के साथ लगातार, संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास प्रतिक्रिया दक्षता और अंतर-संचालन क्षमता में सुधार करते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को गहन करना :** SCO, G20 और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी मंच में सक्रिय भागीदारी से खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त अभियानों एवं नीतिगत सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है।
- भारत-मिस्र संयुक्त कार्य समूह जैसी द्विपक्षीय पहल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क और आतंकवाद के

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

वित्तपोषण से निपटने में रणनीतिक साझेदारी के महत्त्व को प्रदर्शित करती हैं।

- सैन्य उपायों के अलावा, भारत को आतंकवाद के प्रायोजकों और आतंकवाद का समर्थन करने वाले सरकारी तत्त्वों को अलग-थलग करने के लिये कूटनीतिक दबाव एवं आर्थिक प्रतिबंधों का प्रयोग जारी रखना चाहिये।
- ऑपरेशन सिंदूर ने रणनीतिक हमलों को कूटनीतिक जुड़ाव के साथ जोड़ा, जिससे वैश्विक समर्थन सुनिश्चित हुआ और बिना तनाव बढ़ाए निवारण को मज़बूत किया गया।
- **सामुदायिक सहभागिता और उग्रवाद-विरोध को बढ़ावा देना:** सिंगापुर और नॉर्वे के मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए, भारत को सामाजिक-आर्थिक शिकायतों और वैचारिक कमज़ोरियों को दूर करने के लिये समुदाय-केंद्रित कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिये।
- जोखिमग्रस्त आबादी के लिये शैक्षणिक अभिगम्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास पहल सामाजिक समुत्थानशीलता सुदृढ़ करेंगी तथा चरमपंथी भर्ती पर अंकुश लगाएँगी।
- भारत की मौजूदा पहलों, जैसे कि राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केंद्र के सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम और सुभेद्य युवाओं के लिये कौशल विकास योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करके उन्हें सांस्कृतिक रूप से अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है, जिससे ज़मीनी स्तर पर समुत्थानशीलता एवं उग्रवाद-विरोध प्रयासों को दृढ़ता मिलेगी।

निष्कर्ष:

- जैसा कि विद्वान ब्रूस हॉफमैन ने उल्लेख किया है, "आतंकवाद राजनीतिक परिवर्तन की तलाश में हिंसा या हिंसा की धमकी के माध्यम से जानबूझकर भय का निर्माण और शोषण की प्रक्रिया है।"
- ऐसे खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिये भारत को अंतर-एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ करना, तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना और न्यायिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति से लागू करना आवश्यक है, साथ ही समावेशी काउंटर-रेडिकलाइज़ेशन कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक समुत्थानशक्ति भी विकसित करने की भी आवश्यकता है। आगे की राह सतत् राजनीतिक इच्छाशक्ति, संसाधनों की प्रतिबद्धता तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में निहित है, जिससे भारत बदलते खतरों के परिदृश्य में शांति सुनिश्चित कर सके और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन भारत में आतंकवाद-रोधी प्रयासों के समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाता है?

1. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
2. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)
3. गुप्तचर ब्यूरो (IB)
4. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO)

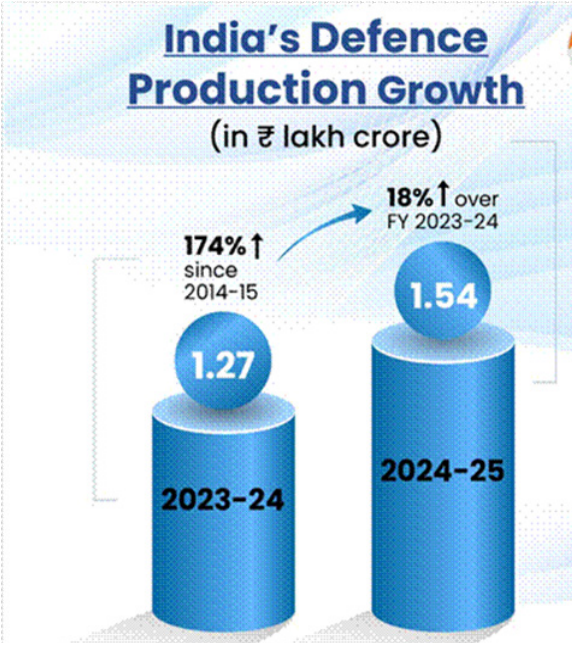
उत्तर: (D) 1, 2, 3 और 4

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने मेंभारत के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। उभरते आतंकवाद संबंधी खतरों से निपटने के लिये भारत एक बहुआयामी रणनीति किस प्रकार विकसित कर सकता है?

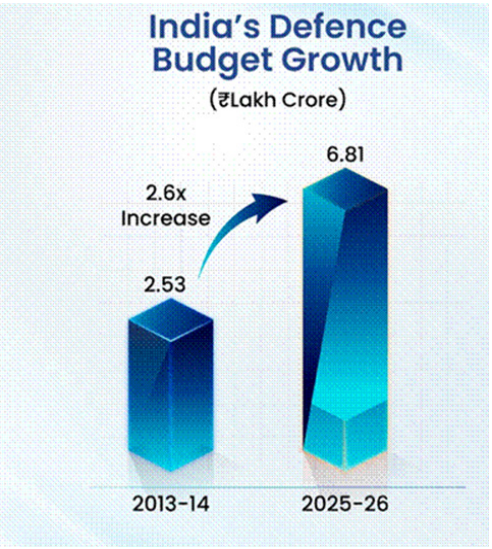
भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

भारत के रक्षा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति



- **रिकॉर्ड उत्पादन :** वर्तमान वित्त वर्ष में रक्षा उत्पादन ₹1.75 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2014–15 के ₹46,429 करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाया है। भारत ने वर्ष 2029 तक रक्षा उत्पादन को ₹3 लाख करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **रक्षा खरीद :** रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020) और रक्षा खरीद नियमावली (DPM 2025) ने रक्षा खरीद प्रणाली में गति, पारदर्शिता और नवाचार को प्रोत्साहित किया है। आज 65% से अधिक रक्षा उपकरण घरेलू स्तर पर निर्मित किये जा रहे हैं, जिससे आयात पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आई है।
- **रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी :** वित्त वर्ष 2024–25 में भारत का रक्षा निर्यात ₹23,622 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गया, जो वर्ष 2014 में ₹1,000 करोड़ से भी कम था।
- **भारत अब 100 से अधिक देशों :** जिनमें अमेरिका, फ्राँस, अर्मेनिया शामिल हैं — को रक्षा उत्पाद निर्यात करता है। भारत ने वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात को ₹50,000 करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **सहायक औद्योगिक तंत्र :** उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित रक्षा औद्योगिक गलियारों में अब तक ₹9,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है। रक्षा उत्पादन में लगभग 16,000 MSME, साथ ही अनेक स्टार्ट-अप और निज़ी कंपनियाँ, सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जिससे रक्षा विनिर्माण का स्वदेशीकरण और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन में भारत की वृद्धि को कौन-से कारक बढ़ावा दे रहे हैं?



- **नीतिगत सुधार :** DAP 2020 और DPM 2025 ने रक्षा खरीद प्रक्रियाओं को तीव्र, पारदर्शी और कुशल बनाया है। इसके साथ ही पॉज़िटिव इंडीजेनाइज़ेशन लिस्ट्स, FDI सीमा 74% तक उदार किये जाने, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के सरलीकरण से निज़ी क्षेत्र और स्टार्ट-अप्स की भागीदारी बढ़ी है।
- **बढ़ता रक्षा बजट:** भारत का रक्षा बजट 2013–14 के ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2025–26 में ₹6.81 लाख करोड़ हो गया है। यह निरंतर वृद्धि आधुनिकीकरण कार्यक्रमों, घरेलू रक्षा उत्पादन तथा रणनीतिक क्षमताओं के उन्नयन के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है।
- **पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप :** डिफेंस DPSU उत्पादन में ~77% का योगदान देते हैं, जबकि निज़ी क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 23% हो गया है, जो इंडस्ट्री की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है।
- **वैश्विक बाज़ार एकीकरण :** सरलित निर्यात प्रक्रियाओं, डिजिटल सिस्टम और ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (OGEL) ने वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि है।
- **प्रौद्योगिकी में प्रगति :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, साइबर, अंतरिक्ष और उन्नत युद्ध प्रणाली में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित सिस्टम (IDDM) पर ज़ोर। DRDO - संचालित परियोजनाएँ और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TDF) के माध्यम से फंडिंग, गहन-प्रौद्योगिकी नवाचार का समर्थन करती हैं।



भारत की रक्षा स्वदेशीकरण में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

- **महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अंतर :** जेट इंजन, हाइपरसोनिक्स, उन्नत सेंसर और मिसाइल मार्गदर्शन जैसी महत्त्वपूर्ण

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

प्रौद्योगिकियाँ अभी भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई हैं, जिसके कारण मुख्य घटकों के लिये विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट निर्माता (OEMs) पर निर्भरता बनी रहती है।

- **उदाहरण :** तेजस LCA के लिये कावेरी इंजन परियोजना में देरी हुई, जिसके कारण अमेरिकी GE F404 इंजनों का उपयोग जारी रखना पड़ा।
- **अप्रभावी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (DPSU) पारिस्थितिकी तंत्र :** DPSU को ऐतिहासिक रूप से एकमात्र खरीदार (केवल एक खरीदार, यानी रक्षा मंत्रालय) का लाभ मिला है, जिसके कारण प्रतिस्पर्द्धात्मक तत्परता की कमी, लागत में वृद्धि और देरी होती रही है।
- **उदाहरण :** के लिये INS विक्रांत 12 वर्ष देरी से तैयार हुआ और इसकी लागत बजट की तुलना में 13 गुना अधिक रही।"
- **विदेश में विकसित किये गए उपकरणों का रुझान:** सेना अक्सर प्रमाणित विदेशी उपकरणों को प्राथमिकता देती है, जिससे स्वदेशी प्रणालियों के उपयोग में कमी आती है। उदाहरण के लिये धनुष आर्टिलरी गन के सफल परीक्षणों के बावजूद उसका अधिग्रहण विलंबित रहा।
- **नौकरशाही बाधाएँ :** DAP सुधारों के बावजूद, रक्षा खरीद प्रक्रिया धीमी, जटिल और जोखिम-रहित बनी हुई है। CAG, CVC तथा CBI का भय प्रशासनिक जड़ता का कारण बनता है, जैसा कि रद्द की गई 126 MMRCA खरीद में देखा गया।
- **अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) और नवाचार के लिये फंडिंग :** भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट अमेरिका या चीन की तुलना में बहुत कम है।
- रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा वेतन और पेंशन पर जाता है, जिससे अनुसंधान के लिये 1% से भी कम बचता है, जबकि चीन में यह 20% और अमेरिका में 12% है।

रक्षा स्वदेशीकरण से संबंधित भारत की पहल

- रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति (DPEPP) 2020
- प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF)
- सृजन पोर्टल
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ (PILs)
- रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (iDEX)
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2020)

भारत रक्षा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन से कदम उठा सकता है?

- **दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण योजनाओं को लागू करना :** रक्षा मंत्रालय (MoD) को एक विस्तृत 15-वर्षीय प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान प्रकाशित करना चाहिये, जिसमें भविष्य की युद्ध प्रणालियों और आवश्यक क्षमताओं का विवरण हो। इससे निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश के लिये स्पष्ट रोडमैप मिलेगा।
- **एक प्रौद्योगिकी परियोजना एजेंसी बनाना :** एक समर्पित, लचीली एजेंसी (अमेरिका के DARPA के मॉडल पर) स्थापित करना, जिसके पास अपना बजट और स्वायत्तता हो, ताकि हाइपरसोनिक्स, निर्देशित-ऊर्जा हथियार और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में उच्च-जोखिम, उच्च-लाभ वाली प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जा सके।
- **अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी अवशोषण को बढ़ावा :** रक्षा पूंजीगत बजट का 10–15 प्रतिशत भाग अनुसंधान एवं विकास के लिये आवंटित किया जाना चाहिये तथा 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशीकरण वाले प्लेटफॉर्मों के लिये उच्च लाभांश और सुनिश्चित ऑर्डर प्रदान किया जाना चाहिये।
- **औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना :** पनडुब्बियाँ और लड़ाकू विमानों जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में 2–3 भारतीय निजी कंपनियों को राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में चयनित किया जाना चाहिये तथा उन्हें पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने हेतु सुनिश्चित परियोजनाएँ प्रदान की जानी चाहिये।
- **विदेशी मूल उपकरण निर्माता (OEM) के** लिये अनिवार्य किया जाना चाहिये कि वे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) से अवयवों की आपूर्ति प्राप्त करें।
- **स्वदेशीकरण की संस्कृति का विकास :** तेजस MK-1A, INS विक्रांत तथा धनुष हॉवित्ज़र जैसे सफल स्वदेशी प्लेटफॉर्मों को सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाना चाहिये, ताकि उपयोगकर्त्ता का विश्वास मज़बूत हो।
- **प्रत्येक वर्ष 5–10 प्रौद्योगिकी-प्रदर्शक परियोजनाओं** को समर्थन देने के लिये एक कोष स्थापित किया जाना चाहिये, जिन्हें निजी संघों या स्टार्टअप द्वारा संचालित किया जाए, ताकि युद्धपोतों के लिये विद्युत प्रणोदन प्रणालियों जैसे नए विचारों का परीक्षण बिना तात्कालिक परिचालन दबाव के किया जा सके।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

निष्कर्ष :

भारत के रक्षा स्वदेशीकरण ने आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतिगत पहलों के चलते रिकॉर्ड उत्पादन और निर्यात प्राप्त किये हैं। किंतु वैश्विक केंद्र बनने के लिये उसे जेट इंजनों जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीगत अंतराल, नौकरशाही विलंब तथा अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) वित्तपोषण जैसी प्रमुख चुनौतियों को दूर करना होगा। इसके लिये निजी क्षेत्र के राष्ट्रीय चैंपियनों को बढ़ावा देना और मिशन-आधारित परियोजनाओं को आगे बढ़ाना अनिवार्य है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में "इंडियन डिज़ाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड (IDDM)" श्रेणी को रक्षा खरीद में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
2. वर्तमान में भारत में रक्षा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्वतः मार्ग (automatic route) से अनुमति प्राप्त है।
3. सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (Positive Indigenisation Lists) का उद्देश्य घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित रक्षा उपकरणों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 3 केवल (b) 2 और 3 केवल

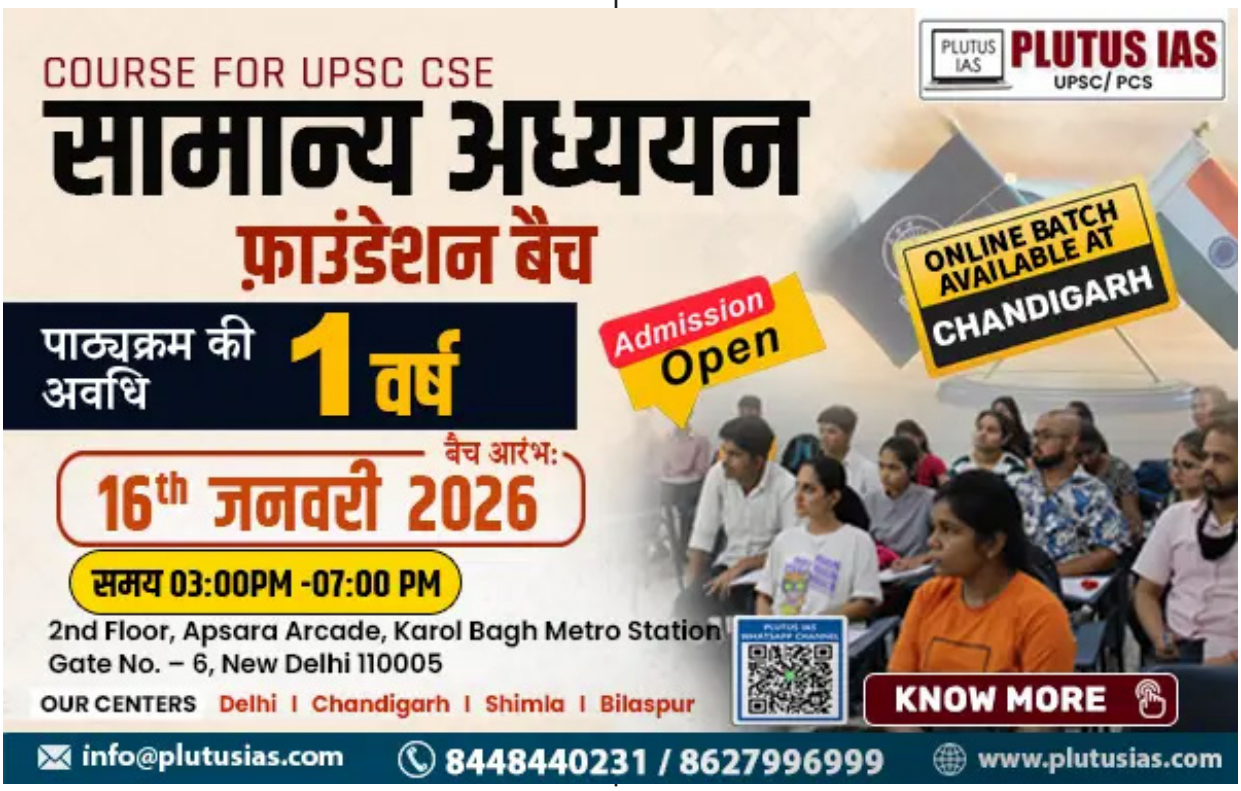
(c) 1 और 2 केवल (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "भारत रक्षा स्वदेशीकरण में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, परंतु यह अभी भी तकनीकी निर्भरता, संस्थागत बाधाओं और सीमित R&D निवेश जैसी चुनौतियों से घिरा हुआ है।" भारत के रक्षा स्वदेशीकरण प्रयासों की प्रमुख बाधाओं का विश्लेषण कीजिए तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये ठोस नीति उपाय सुझाइए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)





ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 : भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन लाना

समाचार में क्यों?



- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) 11-12 नवंबर, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीजीएच 2025) का आयोजन करेगा।
- इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादन, बुनियादी ढांचे और माँग सृजन को बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शोधकर्ताओं और निवेशकों को एक साथ लाना है।

प्रमुख प्रतिभागी :

- **दो दिवसीय सम्मेलन में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे, जिनमें शामिल हैं :** प्रह्लाद जोशी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
- इस कार्यक्रम में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी उपस्थिति रहेगी :
- अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए)
- हाइड्रोजन यूरोप
- एच2 ग्लोबल फाउंडेशन
- कोरिया हाइड्रोजन गठबंधन
- रॉटरडैम बंदरगाह प्राधिकरण

सम्मेलन के उद्देश्य :

1. **नीति संरेखण :** राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार, उद्योग और अनुसंधान प्राथमिकताओं में सामंजस्य स्थापित करना।
2. **प्रौद्योगिकी विकास :** इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय एकीकरण और लागत में कमी के मार्गों पर अंतर्दृष्टि साझा करें।
3. **बुनियादी ढांचा निर्माण :** बंदरगाह की तैयारी, परिवहन और भंडारण बुनियादी ढांचे और औद्योगिक एकीकरण पर चर्चा करें।
4. **मांग सृजन :** इस्पात, गतिशीलता और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बाजार आधारित तंत्र और प्रोत्साहनों का पता लगाना।
5. **वैश्विक सहयोग :** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रमाणन और वित्तपोषण मॉडल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।

विषयगत सत्र :

1. हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी प्रणालियों में वित्तपोषण और निवेश
2. हाइड्रोजन स्रोतों की विश्वसनीयता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन ढाँचा

3. हाइड्रोजन निर्यात/आयात के लिए बंदरगाह की तैयारी और रसद
4. प्रौद्योगिकी स्थानीयकरण और कौशल विकास
5. परिवहन, बिजली और भारी उद्योगों में मांग सृजन
6. ऊर्जा दक्षता में सुधार और उत्पादन लागत को कम करने में अनुसंधान एवं विकास की भूमिका

सम्मेलन का महत्व

1. **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) का समर्थन करता है :** इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।
2. **ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा :** स्वच्छ, सस्ती और घरेलू स्तर पर उत्पादित ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जिससे जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम होती है।
3. **जलवायु नेतृत्व :** यह पेरिस समझौते के तहत भारत के शुद्ध-शून्य 2070 लक्ष्य और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के साथ संरेखित है।
4. **औद्योगिक परिवर्तन :** इस्पात, सीमेंट, रिफाइनिंग और उर्वरक जैसे कठिन क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाता है।
5. **आर्थिक अवसर :** उभरती हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन, हरित कौशल विकास और प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करता है।

समाधान / आगे की राह :

1. **नीति स्पष्टता और नियामक ढांचा :** निवेशकों का विश्वास और दीर्घकालिक योजना सुनिश्चित करने के लिए हरित हाइड्रोजन के मूल्य निर्धारण, प्रमाणन और कार्बन लेखांकन पर स्पष्ट और स्थिर नीतियां विकसित करें।
2. **बुनियादी ढांचे का विस्तार :** घरेलू उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात दोनों को समर्थन देने के लिए एकीकृत हाइड्रोजन हब, समर्पित परिवहन और भंडारण नेटवर्क और बंदरगाह सुविधाएं स्थापित करना।
3. **प्रौद्योगिकी सहयोग और अनुसंधान एवं विकास :** इलेक्ट्रोलाइजर दक्षता, ईंधन सेल नवाचार और कम लागत वाली हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक भागीदारों के साथ संयुक्त अनुसंधान को मजबूत करना।
4. **वित्तीय नवाचार :** हाइड्रोजन उत्पादन और बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश जुटाने के लिए ग्रीन बांड, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देना।
5. **कौशल विकास और क्षमता निर्माण :** स्किल इंडिया के तहत विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करना और उभरते हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कुशल कार्यबल बनाने के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग करना।
6. **स्थिरता और वैश्विक सहयोग :** पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने और वैश्विक हरित हाइड्रोजन बाजार में भारत के एकीकरण को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रमाणन प्रणालियों के साथ संरेखित करें।

निष्कर्ष :

- आईसीजीएच 2025 वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में भारत के बढ़ते नेतृत्व को दर्शाता है। प्रौद्योगिकी, नीति और वित्त को एकीकृत करके, यह सम्मेलन भारत की हरित हाइड्रोजन महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को मज़बूत करेगा,
- विकसित भारत @ 2047 के अनुरूप ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और सतत विकास सुनिश्चित करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICGH 2025) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. इसका आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
2. सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाना है।
3. अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) भाग लेने वाले संगठनों में से एक है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर : A

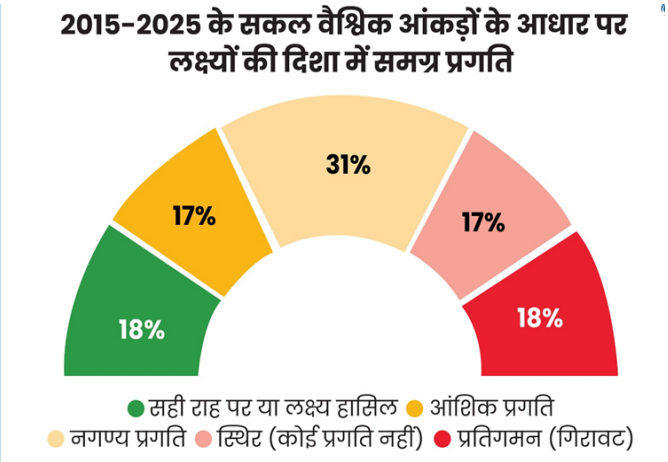
PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को गति देने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन (ICGH-2025) के महत्व पर चर्चा कीजिए। यह सम्मेलन भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है, विश्लेषण कीजिए।

(शब्द सीमा : 250, अंक : 15)

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के 10 वर्ष (2015-2025)



परिचय :

वर्ष 2025 में उस यात्रा के एक दशक पूर्ण हुए जब विश्व ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को लागू करना शुरू किया था। यह एजेंडा लोगों और पृथ्वी के लिए, वर्तमान और भविष्य हेतु, शांति और समृद्धि का एक साझा खाका प्रस्तुत करता है। पिछले दस वर्षों में, SDGs ने वैश्विक और राष्ट्रीय नीतियों को दिशा दी है, जिससे सरकारों और संस्थाओं को संधारणीयता एवं आर्थिक और सामाजिक विकास को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। हालांकि, इस अवधि में कई व्यवधान भी आए — जैसे कोविड-19 महामारी, जलवायु आपातकाल, भू-राजनीतिक तनाव, और आर्थिक असमानताएं आदि। इन चुनौतियों ने मिलकर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को धीमा कर दिया है।



1. सतत विकास लक्ष्य क्या हैं?

सतत विकास लक्ष्य (SDG), जिन्हें वैश्विक लक्ष्य (Global Goals) भी कहा जाता है, एक महत्त्वाकांक्षी और सार्वभौमिक रोडमैप है। ये सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का हिस्सा हैं, जिनमें 17 SDGs और 169 परस्पर जुड़े हुए उप-लक्ष्य शामिल हैं। इन वैश्विक लक्ष्यों को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। इनका उद्देश्य वर्ष 2030 तक गरीबी को समाप्त करना, पृथ्वी को सुरक्षित रखना और सभी लोगों के लिए शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करना है। SDGs के मूल में सार्वभौमिकता का सिद्धांत निहित है—जिसका संकल्प है 'किसी को भी पीछे न छोड़ना' (Leave No One Behind)।

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA) के अंतर्गत आने वाला सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रभाग (DSDG), SDGs के 2030 एजेंडे के क्रियान्वयन हेतु जागरूकता, निगरानी और मूल्यांकन का कार्य संभालता है।

SDG शिखर सम्मेलन हर चार साल में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में आयोजित किया जाता है और हर वर्ष सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (High-level Political Forum- HLPF) द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसी एक क्षेत्र में की गई कार्रवाई का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। इसलिए, विकास को संतुलित होना चाहिए। SDGs ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDGs, 2000–2015) की जगह ली, लेकिन ये उनसे अधिक व्यापक, सार्वभौमिक और समावेशी हैं। MDGs, जो मुख्य रूप से विकासशील राष्ट्रों और सामाजिक क्षेत्रों पर केंद्रित थे, उनके विपरीत, SDGs में आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन, और पर्यावरणीय स्थिरता — इन तीनों स्तंभों पर समान रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है, जो सतत विकास की आधारशिला बनाते हैं।

2. 10 वर्षों के कार्यान्वयन के बाद सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक स्तर पर कुल कितनी प्रगति हुई है?

- SDGs पर 10 साल के कार्यान्वयन के बाद हुई प्रगति को सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में विश्व ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।
- 2015 से अब तक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करने, और डिजिटल विभाजन को कम करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हालांकि, यह प्रगति कमज़ोर और असमान रही है।
- **रिपोर्ट 2025 के अनुसार —** 35% लक्ष्यों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है; 47% लक्ष्यों में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है, और 18% लक्ष्य ऐसे हैं जिनमें 2015 के बाद गिरावट दर्ज की गई है।

2.1. पिछले 10 वर्षों में किन सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में सबसे अधिक प्रगति देखी गई है?

- **वैश्विक भुखमरी :** हाल के वर्षों में वैश्विक भुखमरी और खाद्य असुरक्षा में कमी आई है, लेकिन यह अभी भी महामारी-पूर्व के स्तर से ऊपर बनी हुई है। 2024 में, अनुमानत: 8.2% वैश्विक आबादी को भुखमरी का सामना करना पड़ा।
- **स्वास्थ्य :** मलेरिया रोकथाम के प्रयासों से वर्ष 2000 से लेकर अब तक 2.2 बिलियन मामलों को रोका गया है और 12.7 मिलियन लोगों का जीवन बचाया गया है। WHO के अनुसार, पिछले दशक में शिशु मृत्यु दर में 16% की कमी आई है।
- **शिक्षा तक पहुंच :** वर्ष 2015 से, 110 मिलियन अधिक बच्चे और युवा स्कूल में दाख़िल हुए हैं, जिसमें सभी स्तरों पर शिक्षा पूरी करने की दर बढ़ी है, और शिक्षा में लैंगिक अंतराल लगातार कम हो रहा है।
- **अवसंरचना तक पहुंच:** वर्ष 2023 तक, दुनिया की 92% आबादी को बिजली तक पहुंच मिल चुकी थी। साथ ही, इंटरनेट उपयोग कवर बढ़कर 68% हो गया है, जिससे लाखों लोगों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी के नए अवसर मिले हैं।
- **महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण :** अब विश्व स्तर पर महिलाएं कुल संसदीय सीटों के 27% का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो 2015 में 22% था — यानी राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है।

2.2. किन सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में सबसे कम प्रगति हुई या यहाँ तक कि गिरावट (reversal) देखी गई है?

- **गरीबी :** 30 वर्षों से, गरीबी के स्तर में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बाद से यह प्रवृत्ति उलट गई।
- आज भी लगभग 800 मिलियन लोग चरम गरीबी में जी रहे हैं। यदि वर्तमान गति से ही प्रगति की गई तो, 2030 तक केवल पाँच में से एक देश ही अपनी राष्ट्रीय गरीबी दर को आधा कर पाएगा। हालांकि, दुनिया की 52.4% आबादी को कम-से-कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त हुआ है, जो 2015 से अधिक है, फिर भी 3.8 बिलियन लोग अभी भी किसी भी तरह के सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित हैं।
- **भूखमरी :** यह कुपोषण बच्चों के विकास और स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन (stunting) 2012 में 26.4% था, जो 2024 में घटकर 23.2% हो गया, लेकिन हाल के आंकड़े फिर से स्थिति बिगड़ने की ओर संकेत करते हैं।
- महिलाओं और बच्चों में एनीमिया (रक्ताल्पता) और अपर्याप्त आहार विविधता वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी बाधा बनी हुई हैं।
- **वैश्विक स्वास्थ्य :** दशकों की मेहनत से हासिल की गई स्वास्थ्य उपलब्धियां अब धीमी पड़ गई हैं। संक्रामक और गैर-संक्रामक रोग अब भी मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा :** SDG 4, जिसका लक्ष्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है, अपने लक्ष्य से पीछे चल रहा है। 2023 में 272 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल से बाहर थे (UNESCO)।
- **जल और स्वच्छता :** SDG 6, जिसका उद्देश्य जल और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करना है, वह भी अपने लक्ष्य से पिछड़ रहा है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2024 तक 2.2 बिलियन लोगों के पास इसकी पहुंच का अभाव है।
- **जलवायु परिवर्तन :** जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लगातार गहरा रहा है। वर्ष 2024 को अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया, जिसके साथ बाढ़, तूफान और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हुई है।

3. प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में भारत ने कितनी प्रगति की है?

भारत में SDGs की कहानी लोगों की कहानी है — उनकी आकांक्षाओं, अवसरों और संघर्षों की कहानी। SDG

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार किया है। भारत का स्थान वर्ष 2021 के 120वें स्थान से सुधर कर 2025 में 99वां हो गया है, जहां भारत का कुल स्कोर 100 में से 67 रहा — जो कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है:

- **SDG 1 (गरीबी उन्मूलन) :** 135 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, जो समावेशी विकास की दिशा में पर्याप्त लाभ को दर्शाते हैं।
- **SDG 2 (भुखमरी का समापन) :** कुपोषण की दर घटकर 13.7% रह गई है, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण स्तर में सुधार का संकेत देता है।
- **SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली) :** मातृ मृत्यु दर प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 130 (2014–16) से घटकर 80.5 हो गई है। यह बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और मातृत्व देखभाल के स्तर में प्रगति को दर्शाता है।
- **SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) :** प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर अब 99.9% तक पहुंच गई है। साथ ही छात्रों की निरंतरता और साक्षरता दर में भी सुधार हुआ है, जो समावेशी शिक्षा की ओर प्रगति को प्रदर्शित करता है।
- **SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) :** 93% आबादी को कम से कम बुनियादी पेयजल सेवाओं तक पहुंच प्राप्त है।
- **SDG 7 (किफायती और स्वच्छ ऊर्जा) :** 74% आबादी को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्राप्त है।
- **SDG 10 (असमानताओं में कमी करना) :** भारत अब आय की समानता में कमी के मामले में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, जहां गिनी स्कोर 25.5 है — जो आय की असमानता में कमी को दर्शाता है।

भारत में SDGs के लिए सर्वोत्तम पहलें (Best Practice Case Studies)

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना (SDG 5 : लैंगिक समानता) :** यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात (Child Sex Ratio - CSR) का समाधान करना, लिंग आधारित भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों के जीवन, सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- इस योजना को अब मिशन शक्ति के साथ एकीकृत कर दिया गया है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है, और यह पहल भारत को SDG 5 (लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने) को हासिल करने में मदद कर रही है।
- **स्वच्छ भारत अभियान (SDG 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता) :** इस राष्ट्रव्यापी अभियान ने स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई तक पहुँच में जबरदस्त सुधार किया है, जिसके परिणामस्वरूप 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है और खुले में शौच की प्रवृत्ति में व्यापक कमी आई। इससे सामाजिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त हुए, जो SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) के अनुरूप हैं।
- **परियोजना SATH-E (Sustainable Action for Transforming Human Capital – Education) (SDG 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) :** यह परियोजना नीति आयोग द्वारा झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश के सहयोग से लागू की गई। इसने स्कूलों की अवसंरचना में सुधार किया और शिक्षकों के व्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था की। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष सुधार हुआ, जो SDG 4 (सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) से जुड़ा हुआ है।

3.1. भारत ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनी विकास योजनाओं में कैसे एकीकृत किया?

- शुरुआत से ही, भारत के नेतृत्व ने "संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण" (whole-of-government approach) के माध्यम से SDGs को विकास योजनाओं के केंद्र में रखा है— यह दृष्टिकोण ऊर्ध्वाधर रूप से (केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार) और क्षैतिज रूप से (विभिन्न मंत्रालयों में) दोनों तरह से लागू किया गया है।
- नीति आयोग को SDGs के लिए नोडल संस्था के रूप में यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, जो पूरे सिस्टम में प्रयासों का समन्वय करता है और स्वामित्व को बढ़ावा देता है।
- SDGs को प्राप्त करने के लिए भारत की स्थिति को बेहतर बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
- **SDG इंडिया इंडेक्स :** नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक आंकड़ों के आधार पर रैंक प्रदान करता है। इसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और प्रगति की निगरानी करना है।
- **SDGs का स्थानीयकरण :** जिला स्तर और पंचायती राज संस्थाओं में SDGs के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को लागू किया गया, जिससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समाधान तैयार किए जा सकें।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **संस्थागत एकीकरण :** कई राज्यों ने अरबों डॉलर के बजट को SDG लक्ष्यों के साथ जोड़ा है, ताकि वित्तीय संसाधन विकास लक्ष्यों के अनुरूप खर्च किए जा सकें।
- **लक्षित विकास कार्यक्रम :** भारत ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, पीएम-मुद्रा योजना, सौभाग्य योजना, जैसी पहलें शुरू कीं, जो विभिन्न SDGs लक्ष्यों से जुड़ी हुई हैं।
- **हितधारकों की भागीदारी :** भारत ने नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्रक को सक्रिय रूप से शामिल किया है। भारत ने अब तक तीन दौर की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षाओं (VNRs) में अपने अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की हैं।
- **मिशन LiFE :** यह पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत उपभोग और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देता है।

भारत में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का स्थानीयकरण (Localization of SDGs in India)

"स्थानीयकरण" का अर्थ है सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों के अनुकूल बनाना। इसमें स्थानीय लक्ष्य निर्धारित करना, उन्हें प्राप्त करने के तरीके खोजना, और प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति को मापना शामिल है। स्थानीयकरण मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान केंद्रित करता है: स्थानीय सरकारें स्थानीय कार्रवाई के माध्यम से SDGs को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकती हैं, और SDGs स्थानीय विकास योजनाओं और नीतियों का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं।

SDG लक्ष्यों के स्थानीयकरण का महत्त्व:

- **क्रियान्वयन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थानीय क्षेत्र :** राज्य स्तर पर विजन और एजेंडा दस्तावेज़ बनाए जाते हैं, जिनमें लक्ष्यों को तय किया जाता है और ग्राम स्तर निगरानी समितियों के माध्यम से प्रगति पर नज़र रखी जाती है। उदाहरण: मिज़ोरम राज्य में यह व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू है।
- **निचले स्तर से ऊपर की ओर का दृष्टिकोण :** राज्य और स्थानीय सरकारें राष्ट्रीय सरकार और समुदायों के बीच पुल का काम करती हैं, जिससे नागरिक समाज, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
- **स्थानीय संसाधनों को जुटाना :** राज्य अपने बजट को SDGs के अनुरूप बनाने के उपाय अपनाते हैं ताकि वित्तीय संसाधन सही दिशा में उपयोग हों।
- **असमानताओं को दूर करना :** स्थानीय स्तर पर की गई प्रगति से क्षेत्रीय और जिलों के बीच की असमानताएं दूर होंगी और विकास को राष्ट्रीय औसत के अनुरूप लाया जा सकेगा।
- 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 15 सीधे तौर पर भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा किए गए कार्यों से जुड़े हैं।
- SDG स्थानीयकरण को प्रभावी बनाने के लिए, स्थानीय योजनाओं को बजट के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि कार्यान्वयन के लिए उचित धन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय (ऊर्ध्वाधर अभिसरण) और एक ही स्तर पर विभागों और क्षेत्रों के बीच सहयोग (क्षैतिज अभिसरण) को प्रोत्साहित करे। प्रगति को ट्रैक करने और आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन करने के लिए स्थानीय स्तर पर मज़बूत निगरानी प्रणालियों का विकास करना भी महत्वपूर्ण है।

4. 2030 तक SDGs के लक्ष्यों को साकार करने में दुनिया के सामने मुख्य चुनौतियां कौन-सी हैं?

- **वित्त-पोषण की कमी :** SDG क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी निवेश आवश्यक जरूरतों से बहुत कम है। विकासशील देशों को SDG कार्यान्वयन के लिए हर साल अनुमानत: 4.2 ट्रिलियन डॉलर की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- हाल ही में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त सम्मेलन (FFD4) में विकासशील देशों में SDG वित्त-पोषण की कमी को दूर करने के लिए सेविल प्रतिबद्धता (Seville Commitment) अपनाई गई।
- सेविले प्रतिबद्धता को सर्वसम्मति से अपनाया गया है, जो विकासशील देशों में $4 ट्रिलियन वार्षिक SDG वित्त-पोषण अंतराल को पाटने का मार्ग प्रशस्त करती है।
- इसमें बहुपक्षीय बैंकों को मज़बूत करना, क्रेडिट रेटिंग विधियों में सुधार करना, और घरेलू वित्तीय बाज़ारों को विकसित करना, स्थानीय स्तर पर पूंजी तक पहुँच बढ़ाना, संयुक्त वित्त-पोषण को बढ़ाना आदि शामिल है।
- इसके अंतर्गत निम्नलिखित मंच और कार्यक्रम भी शुरू किए गए — सीविले फोरम ऑन डेट (आधिकारिक रूप से प्रारंभ); डेट "पॉज़ क्लॉज़" एलायंस; डेट स्वैप्स फॉर डेवलपमेंट हब और डेट-फॉर-डेवलपमेंट स्वैप प्रोग्राम।
- **जलवायु और पर्यावरणीय तनाव :** बढ़ता ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जैव विविधता की हानि और चरम जलवायु

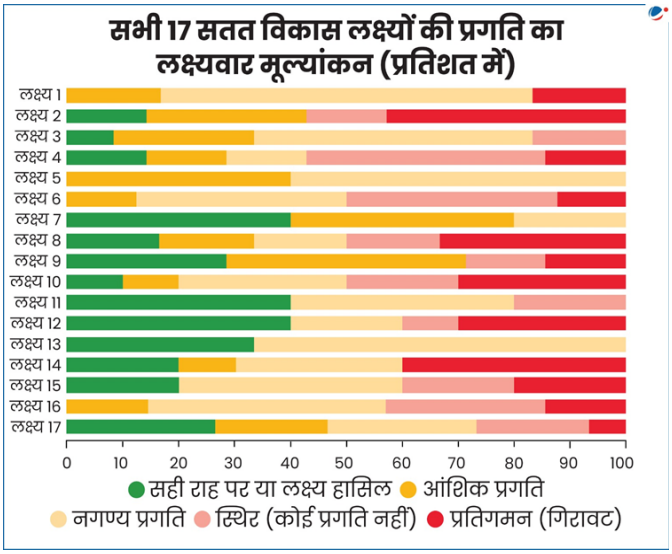
PLUTUS IAS UPSC/ PCS

घटनाएँ (जैसे- बाढ़, सूखा, तूफान आदि) विकास की उपलब्धियों को खतरे में डाल रही हैं।

- 2020-2023 के बीच जलवायु आपदाओं से वैश्विक आर्थिक नुकसान लगभग 173 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष अनुमानित है।
- **भू-राजनीतिक संघर्ष :** यूक्रेन, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में युद्ध और तनाव के कारण व्यापार, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है।
- इन संघर्षों के कारण कई देशों को अपने विकास संबंधी संसाधन रक्षा और मानवीय सहायता पर व्यय करने पड़ रहे हैं।
- **महामारी के बाद के प्रभाव :** स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के संकेतक अभी तक कोविड-19 से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं।
- सीखने में आई रुकावट और स्वास्थ्य सेवाओं में बाधाएँ मानव विकास की वर्षों की प्रगति को पीछे धकेल चुकी हैं।
- **असमानता और बहिष्करण :** आय में बढ़ती असमानता, ग्रामीण-शहरी अंतराल और डिजिटल अंतराल समावेशी प्रगति को रोक रही हैं। यदि नीतियाँ समावेशी नहीं बनाईं गईं, तो "किसी को पीछे न छोड़ने" का सिद्धांत मंद पड़ सकता है।
- **प्रशासनिक समन्वय की कमी :** केंद्र और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच कमज़ोर समन्वय जवाबदेही और दक्षता को सीमित कर करता है।

5. SDGs के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है?

- **वित्त-पोषण संबंधी अंतराल को पाटना :** निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, सार्वजनिक विकास बैंकों (PDBs) को सुदृढ़ करना, और स्वास्थ्य, शिक्षा, तथा जलवायु अनुकूलन में वित्त-पोषण अंतराल को पाटने के लिए SDG बॉन्ड और हरित वित्त का उपयोग करना।
- **डेटा-संचालित शासन :** रियल टाइम निगरानी और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए AI, उपग्रह इमेजरी, और ओपन-डेटा प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना।
- बेहतर डेटा प्रणाली से पारदर्शिता, जवाबदेही और SDG हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद मिलती है।
- **स्थानीय कार्रवाई में तेज़ी लाना :** स्थानीयकृत योजना से संदर्भ-विशिष्ट समाधान, अधिक सामुदायिक भागीदारी और समावेशी परिणाम सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **जलवायु-स्मार्ट विकास :** कृषि, अवसंरचना और उद्योग में अनुकूलनशीलता और संधारणीयता को एकीकृत करना।
- हरित बजटीकरण और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाने से उत्सर्जन में कमी आती है, संसाधन उपयोग को अनुकूलित किया जाता है और आजीविका तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों की सुरक्षा होती है।
- **समावेशी विकास :** महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को परिवर्तन के वाहक के रूप में प्राथमिकता देना, यह सुनिश्चित करना कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और कौशल-विकास के अवसरों तक समान पहुंच मिल सके।
- **व्यवहार परिवर्तन :** मिशन LiFE जैसी पहलों के माध्यम से संधारणीय जीवन-शैली को बढ़ावा देना, जिसमें उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग, ऊर्जा संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाए।
- **वैश्विक सहयोग :** बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार करना तथा ग्लोबल साउथ को उचित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करना।
- जलवायु परिवर्तन और महामारियों जैसे सीमा पार के मुद्दों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मज़बूत करना।



निष्कर्ष :

- SDG कार्यान्वयन के दस वर्षों में प्रगति और अवरोध दोनों ही देखने को मिलते हैं। इन लक्ष्यों ने राष्ट्रीय कार्रवाई और वैश्विक एकजुटता को प्रेरित किया है, लेकिन 2030 तक लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह तेज़ी से कठिन होती जा रही है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- भारत का उदाहरण, जो विकास को समावेशन और प्रौद्योगिकी को संधारणीयता के साथ एकीकृत करता है, विश्व के लिए एक मूल्यवान सबक प्रदान करता है। इसलिए, अगले पाँच वर्ष कार्रवाई और जवाबदेही पर केन्द्रित होने चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के संबंध में सही है?

1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा SDGs को 2015 में अपनाया गया था।
2. इन लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है।
3. कुल 20 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए –

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाने के एक दशक बाद, भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन कई क्षेत्रों में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।" इस कथन के संदर्भ में भारत की SDG उपलब्धियों और शेष चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

गंभीर वायु प्रदूषण के कारण CAQM ने NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चरण-III लागू किया

खबरों में क्यों ?

सीएक्यूएम ने जीआरएपी के चरण-III को लागू किया है, जिसमें एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण, खनन और प्रदूषणकारी वाहनों पर प्रतिबंध सहित 9 सूत्री कार्य योजना को लागू किया गया है।

- इसमें उत्सर्जन और भीड़भाड़ को कम करने के लिए 9-सूत्रीय कार्य योजना शामिल होगी। इस योजना में निम्नलिखित उपाय शामिल होंगे - निर्माण, खनन एवं प्रदूषणकारी वाहनों पर प्रतिबंध
- हाइब्रिड स्कूलिंग (यानी कभी घर से तो कभी स्कूल जाकर पढ़ाई करना) और कार्यालयों के समय को चरणबद्ध तरीके से लागू करना आदि।
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक वैधानिक निकाय है। इसे दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत स्थापित किया गया है।

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के बारे में :

यह दिल्ली-NCR के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के औसत स्तर पर आधारित एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है। इसका उद्देश्य दिल्ली-NCR में खराब होती वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना है।

इसे AQI स्तरों के आधार पर निम्नलिखित चार चरणों में विभाजित किया गया है-

- **चरण 1 (स्टेज 1) :** खराब श्रेणी (AQI 201 से 300);
- **चरण 2 (स्टेज 2) :** बहुत खराब श्रेणी (AQI 301 से 400);
- **चरण 3 (स्टेज 3) :** गंभीर श्रेणी (AQI 401 से 450); तथा
- **चरण 4 (स्टेज 4) :** अति गंभीर श्रेणी (AQI 451 से अधिक)।

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक

- **स्थलाकृतिक कारक (Topographical Factors) :** इसमें सिंधु-गंगा मैदान के बेसिन का प्रभाव; प्राकृतिक बाधाएं (हिमालय और अरावली) आदि शामिल हैं।
- **मौसम संबंधी कारक (Meteorological Factors) :** इसमें तापमान व्युत्क्रम (Temperature Inversion); पवनों की कम गति आदि शामिल हैं।
- **प्रदूषण :** इसमें पराली जलाना; वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन से होने वाला प्रदूषण आदि शामिल है।

विषय	संबंधित पहलू
वायु प्रदूषण (Air Pollution)	दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति, AQI मानक, स्रोत (वाहन, निर्माण, पराली जलाना आदि)

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

पर्यावरणीय संस्थागत ढाँचा (Institutional Mechanisms)	Commission for Air Quality Management (CAQM) — इसकी स्थापना, कार्य, अधिकार
नीतिगत उपाय (Policy Measures)	Graded Response Action Plan (GRAP) — चरणबद्ध कार्य-वाही, लागू करने के मानदंड
पर्यावरणीय शासन (Environmental Governance)	केंद्र और राज्य सरकारों की समन्वित भूमिका, नीति आयोग, CPCB, NGT
सतत विकास (Sustainable Development)	प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घका-लिक एवं समावेशी उपाय
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)	निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन

केस स्टडी:

बीजिंग ने अपना वायु प्रदूषण कैसे कम किया?

- **वायु गुणवत्ता में सुधार :** बीजिंग का औसत AQI 2015 में 144 था, जो 2024 में घटकर 92 हो गया।
- **चरणबद्ध व दीर्घकालिक रणनीति :** स्थानीय शासन, जनभागीदारी और स्थिर विनियमन के संयोजन से एक तीन-चरणीय प्रदूषण-रोधी योजना (1998–2017) लागू की गई थी।
- **लक्षित स्रोत नियंत्रण :** स्वच्छ ऊर्जा, वाहन उन्नयन और सख्त औद्योगिक नियमों के माध्यम से कोयला ताप विद्युत संयंत्रों, परिवहन और उद्योग/निर्माण से उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- **क्षेत्रीय सहयोग और निवेश :** बीजिंग के आसपास के 5 प्रांतों के साथ समन्वित क्षेत्रीय सहयोग स्थापित किया गया था और महत्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश जुटाया गया था। इन कदमों से प्रदूषकों में तेजी से कमी आई थी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपायों का एक समूह है।
2. इसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू किया जाता है।
3. GRAP पूरे भारत में लागू है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

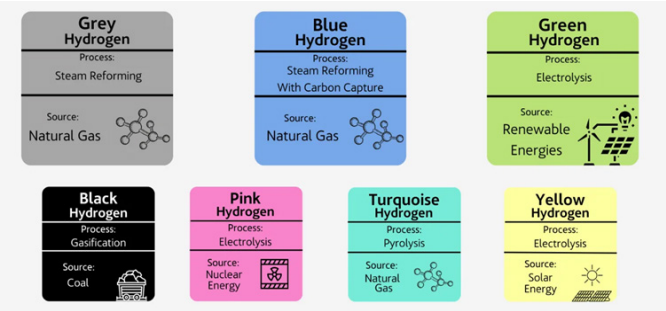
उत्तर: (a) केवल 1 और 2

हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स (HVICs) : भारत की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को विकसित करना

हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स (HVICs) क्या है?

- **उद्देश्य :** संपूर्ण हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला (उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग) तथा भारत की पहली बड़े पैमाने की हाइड्रोजन प्रदर्शन परियोजनाओं का प्रदर्शन करना। मूल रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इनकी परिकल्पना की गई थी। अब इन्हें राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत एकीकृत किया गया है।
- NGHM एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। इसे ग्रीन हाइड्रोजन तंत्र बनाने के लिए 2023 में शुरू किया गया था।
- इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है।
- भारत ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करना और ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) इकोसिस्टम के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना है।

ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) क्या है?



- **परिचय :** ग्रीन हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को कहा जाता है, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से तैयार की जाती है। इसमें

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन या जल विद्युत का उपयोग करके जल अणुओं (H_2O) को हाइड्रोजन (H_2) और ऑक्सीजन (O_2) में विभाजित किया जाता है।

- इसे बायोमास गैसीफिकेशन की प्रक्रिया से भी तैयार किया जा सकता है, जिसमें बायोमास को हाइड्रोजन-समृद्ध गैस में परिवर्तित किया जाता है।
- **उत्सर्जन मानक :** भारत हाइड्रोजन को "ग्रीन" श्रेणी में वर्गीकृत करता है, यदि इसकी उत्पादन प्रक्रिया से कुल उत्सर्जन उत्पादित 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पर 2 किलोग्राम CO_2 समतुल्य से अधिक न हो।

हाइड्रोजन के अन्य प्रकार

प्रमुख अनुप्रयोग:

- **इस्पात उद्योग नवाचार :** कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्थिरता को बढ़ाने हेतु लौह न्यूनीकरण और अन्य इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं में कार्बन आधारित ईंधन के लिये इस्पात उद्योग में हरित हाइड्रोजन की खोज की जा रही है।
- वर्तमान में इसकी व्यवहार्यता और इस्पात उत्पादन में एकीकरण का परीक्षण करने के लिये पाँच पायलट परियोजनाएँ चल रही हैं।
- **सड़क परिवहन :** NGHM ने 10 मार्गों पर 37 हाइड्रोजन-संचालित वाहनों (बसों और ट्रकों) से संबंधित पाँच प्रमुख पायलट परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिन्हें 208 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त है।
- **शिपिंग और समुद्री परिचालन :** वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह (₹25 करोड़) और दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कांडला में मेगावाट पैमाने पर हरित हाइड्रोजन सुविधा विकसित की जा रही है, ताकि स्वच्छ समुद्री परिचालन को समर्थन दिया जा सके।
- **उच्च ऊँचाई गतिशीलता :** नवंबर 2024 में, NTPC ने लेह (3,650 मीटर) में विश्व की सबसे अधिक ऊँचाई वाली ग्रीन हाइड्रोजन गतिशीलता परियोजना शुरू की, जिसमें 5 हाइड्रोजन बसें और एक ईंधन स्टेशन शामिल हैं।

नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) क्या है?

NGHM: NGHM का लक्ष्य भारत को स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना, औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मज़बूत करना, जीवाश्म ईंधनों के आयात पर निर्भरता घटाना और स्थायित्व व आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करते हुए दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।



लक्ष्य:

- वर्ष 2030 तक, मिशन का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन (ग्रीन हाइड्रोजन) उत्पादन के लिये 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना और प्रतिवर्ष 50 MMT ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।
- मिशन का लक्ष्य 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश के अवसर प्रदान करना, 6 लाख नौकरियाँ उत्पन्न करना, जीवाश्म ईंधन के आयात को प्रत्येक 1 लाख करोड़ रुपये तक कम करना है तथा हाइड्रोजन से संबंधित योग्यता में 5,600 से अधिक प्रशिक्षुओं को पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है।
- **वित्त पोषण :** इस मिशन के लिये शुरुआती बजटीय प्रावधान 19,744 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2029–30 तक) रखा गया है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांज़िशन (SIGHT) कार्यक्रम सहित इसके प्रमुख घटकों के लिये धन आवंटन शामिल है।

वैश्विक साझेदारियाँ:

- **यूरोपीय संघ-भारत सहयोग :** यूरोपीय संघ-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत अपशिष्ट से हाइड्रोजन उत्पादन पर 30 से अधिक संयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
- **भारत-यूके साझेदारी :** फरवरी 2025 में, भारत और यूके ने एक समर्पित मानक साझेदारी कार्यशाला के माध्यम से हाइड्रोजन मानकीकरण पर अपने सहयोग को मज़बूत किया।

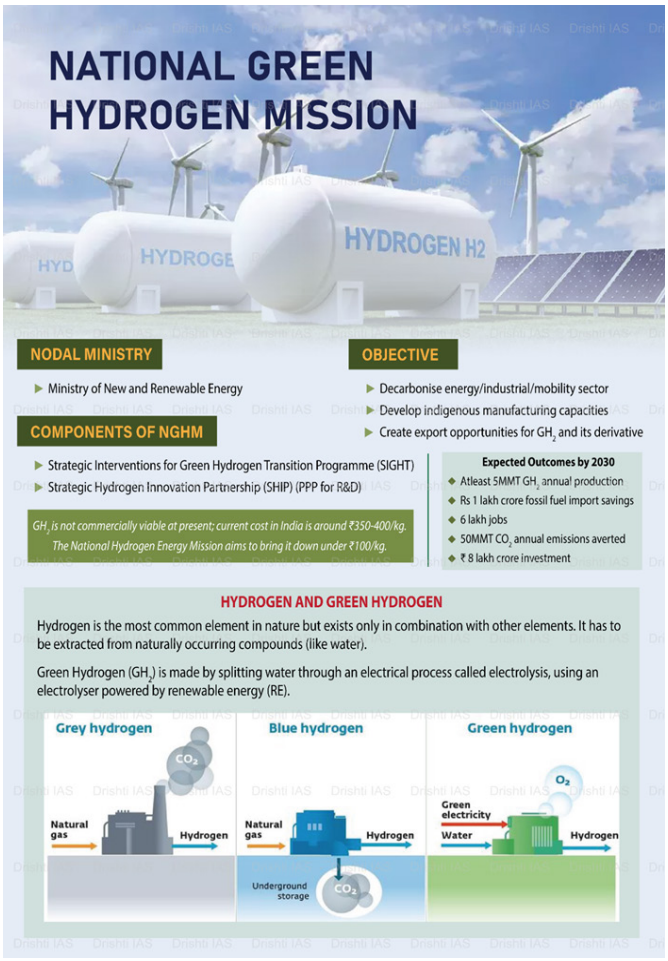
PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **H 2 ग्लोबल के साथ साझेदारी :** नवंबर 2024 में, भारत के सौर ऊर्जा निगम (SECI) ने भारतीय हरित हाइड्रोजन के निर्यात के लिये बाज़ार-आधारित तंत्र की सुविधा के लिये H 2 ग्लोबल स्टिफ्टंग (जर्मनी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- **सिंगापुर सहयोग :** अक्तूबर 2025 में, सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज ने उत्पादन, भंडारण और निर्यात के लिये एकीकृत हरित हाइड्रोजन और अमोनिया हब विकसित करने के लिये वी.ओ चिदंबरनार और पारादीप पोर्ट प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने हेतु भारत द्वारा की गई प्रमुख पहल क्या हैं?



- **SIGHT योजना :** SIGHT योजना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रोलाइज़रों के विनिर्माण के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य सतत् ऊर्जा की ओर संक्रमण को तीव्र करना है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन हब का विकास :** अक्तूबर 2025 में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने तीन प्रमुख बंदरगाहों को मान्यता दी;
- दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण (गुजरात), वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण (तमिलनाडु) और पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण (ओडिशा) को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित किया गया है, जो उत्पादन, उपभोग एवं निर्यात के लिये एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
- **ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) :** अप्रैल 2025 में शुरू की गई GHCI, हाइड्रोजन को 'ग्रीन' के रूप में प्रमाणित करने के लिये एक ढाँचा प्रदान करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से हो और उत्सर्जन मानकों को पूरा करता हो।
- इसका उद्देश्य हाइड्रोजन उत्पादन में पारदर्शिता, अनुरेखण क्षमता (ट्रेसेबिलिटी) और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा प्रमाणन आवश्यकताएँ :** GHCI के तहत, कोई भी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकाई जो सरकारी सब्सिडी प्राप्त करती है या घरेलू बाज़ार में हाइड्रोजन बेचती है, उसे फाइनल सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) मान्यता और प्रमाणन प्रक्रियाओं की निगरानी करेगा।
- **स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप (SHIP) :** SHIP का उद्देश्य सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि प्रतिस्पर्द्धी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा सके।
- इसमें एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास फंड शामिल है और नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा घरेलू विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करने के लिये समूह-आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाता है।



निष्कर्ष :

ग्रीन हाइड्रोजन भारत के भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो कम कार्बन उत्सर्जन वाली, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को गति प्रदान

करता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन घरेलू उत्पादन, नवाचार और वैश्विक बाज़ार पहुँच में तेज़ी लाएगा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करेगा और भारत को एक स्थायी एवं सुरक्षित भविष्य की ओर वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिये तैयार करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-कौन से कारक सहायक हैं?

1. नवीकरणीय ऊर्जा (विशेषकर सौर एवं पवन) की प्रचुर उपलब्धता
2. इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण का घरेलू विकास
3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) का क्रियान्वयन
4. समुद्री जल से सीधा हाइड्रोजन उत्पादन हेतु विकसित तकनीक
5. कार्बन क्रेडिट बाज़ार का विस्तार

नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A. 1, 2 और 3 केवल B. 1, 3 और 5 केवल

C. 1, 2, 3 और 5 केवल D. 1, 2, 3, 4 और 5

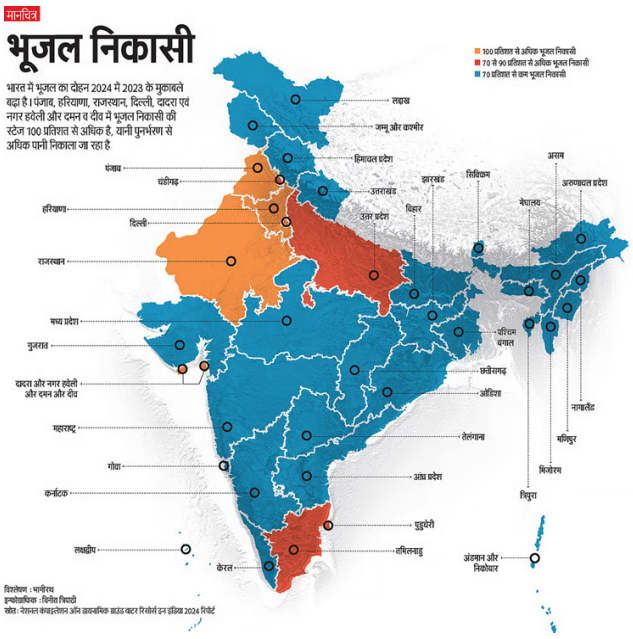
उत्तर: C. 1, 2, 3 और 5 केवल

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. वर्ष 2070 तक भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता का आकलन कीजिये। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) इस परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकता है? (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत में भूजल संकट की वर्तमान स्थिति

चर्चा में क्यों?



भारत में भूजल संकट :

- भारत में भूजल संकट , जो 440 ज़िलों में जाँचे किये गये नमूनों में से लगभग पाँचवें हिस्से को प्रभावित करता है और जिसमें यूरेनियम, फ्लोराइड, नाइट्रेट तथा आर्सेनिक सुरक्षित मानकों से ऊपर पाये गये हैं। यह अदृश्य खतरा स्वास्थ्य पर व्यय, उत्पादकता में गिरावट और कृषि हानि के माध्यम से देश को प्रतिवर्ष लगभग 80 अरब डॉलर अर्थात लगभग 6% GDP की लागत का नुकसान पहुँचाता है।
- 60 करोड़ लोग पीने और सिंचाई के लिये भूजल पर निर्भर हैं इसलिये यह संकट उन गरीब वर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता है जो वैकल्पिक स्रोत वहन करने में असमर्थ हैं। कई राज्यों में, विशेषकर पंजाब में, अनियंत्रित भूजल दोहन संधारणीय सीमा से 1.5 गुना अधिक हो चुका है, जिसके कारण गहराई तक ड्रिलिंग की आवश्यकता पड़ती है तथा जल की गुणवत्ता और भी बिगड़ती है।
- **जल की कमी की तुलना में भूजल संदूषण प्रायः** ऐसा होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिये देश में जल-संकट को रोकने के लिये त्वरित कार्रवाई अनिवार्य हो जाती है।

भारत में भूमिगत जल उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **वार्षिक भूजल दोहन 245.64 BCM (डायनामिक ग्राउंड वॉटर रिसोर्सेज आकलन- 2024) है।** इसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर औसत दोहन दर लगभग 60.47% है, जो संकेत देती है कि समग्र रूप से दोहन अभी भी वार्षिक पुनर्भरण क्षमता के भीतर है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **कुल जल-बजट और जल-दोहन की दर :** देश का कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) आँका गया है, जो वर्ष 2017 से निरंतर बढ़ोतरी दर्शाता है। इसका मुख्य कारण सरकार और समुदाय के स्तर पर अवसंरचनाओं का निर्माण जैसे संरक्षण प्रयास हैं।हालाँकि यह राष्ट्रीय औसत कई क्षेत्रों के गंभीर संकट को छिपा देता है।
- **क्षेत्रीय प्रभुत्व और भौगोलिक हॉटस्पॉट :** कृषि क्षेत्र सर्वाधिक उपभोक्ता है और कुल वार्षिक भूजल उपयोग का लगभग 87% उपयोग करता है, इसलिये यह संकट का सबसे बड़ा कारक है।
- भूमिगत जल संकट के हॉटस्पॉट उत्तर-पश्चिमी राज्यों जैसे: पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अत्यधिक केंद्रित हैं जहाँ अनेक ब्लॉकों में दोहन दर वार्षिक पुनर्भरण से 100% से अधिक है। इसका मुख्य कारण सब्सिडी पर दिये गये विद्युत के आधार पर जल-गहन फसलों की खेती है।
- **शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक और घरेलू प्रयोग हेतु अनियंत्रित दोहन** के कारण तेज़ी से स्थानीय स्तर पर भूजल ह्रास हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप महानगरों में भू-अवतलन जैसी समस्याएँ सामने आ रही हैं।

भारत में भूमिगत जल की कमी को बढ़ाने वाले मुख्य कारण क्या हैं?

1. **कृषि के लिये सब्सिडी आधारित बिजली :** कृषि के लिये सब्सिडी वाली या निशुल्क बिजली, अत्यधिक जल-उपयोग पर आर्थिक नियंत्रण समाप्त कर देती है, जिससे अनियंत्रित दोहन बढ़ता है। यह नीति-गत विकृति किसानों को कम मूल्य वाली फसलों के लिये भी असीमित भूजल पंप (निष्कर्षण) करने को प्रोत्साहित करती है।
   - भूजल दोहन की मूल्य लोच लगभग –0.18 है जिसका अर्थ है कि सब्सिडी से पंपिंग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।इसका तात्पर्य यह है कि विद्युत लागत में 10 प्रतिशत की वृद्धि से भूजल दोहन लगभग 1.8 प्रतिशत तक कम हो सकता है जबकि भारी सब्सिडी का उलटा प्रभाव पड़ता है और वे अनियंत्रित पंपिंग को बढ़ावा देती हैं।
2. **जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल संसाधन** संबंधी स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी 'भूजल: एक मूल्य-वान किंतु घटता संसाधन' रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली से भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है क्योंकि कृषकों ने भूजल निष्कर्षण हेतु पंपों को चलाने में इसका व्यापक उपयोग किया।
3. **जल-गहन फसलों के लिये उच्च MSP :** सरकारी खरीद निति, विशेषकर धान और गन्ने के लिये MSP, किसानों को सूखे इलाकों में भी अधिक जल-गहन फसलें उगाने के लिये बढ़ावा देती हैं।
   - यह नीति एक प्रतिकूल प्रोत्साहन बनकर भूजल क्षय को परोक्ष रूप से सब्सिडी देती है क्योंकि जल-गहन फसलों की खेती आर्थिक रूप से लाभकारी हो जाती है जबकि इन क्षेत्रों की प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमता सीमित होती है।
4. **पंजाब और हरियाणा में MSP**-आधारित धान की कृषि प्रति किलोग्राम चावल पर लगभग 4,000–5,000 लीटर जल की खपत करती है।
   - हाल में जारी डायनामिक ग्राउंडवाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 736 मूल्यांकन इकाइयाँ अतिदोहन की श्रेणी में हैं जिनमें अधिकांश सिंधु–गंगा घाटी में स्थित हैं।
5. **तीव्र शहरीकरण और औद्योगिक मांग :** अनियोजित शहरी विस्तार सड़कों और भवनों के द्वारा प्राकृतिक पु-नर्भरण क्षेत्रों को अवरुद्ध कर देता है जिससे वर्षा जल की जल भूमिगत जलभृतों में समाहित होने की प्रक्रिया घट जाती है और जलभृतों में जल पुनर्भरण कम हो जाता है।
6. **'कंकरीट जंगल' निर्मित** होने से सतही जल का प्राकृ-तिक पुनर्भरण नहीं हो पाता जिससे दीर्घकालिक जल चक्र बाधित होता है।
7. **इसके अतिरिक्त बढ़ते शहरी जनसमूह** तथा औद्यो-गिक केंद्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक सघन एवं उच्च-परिमाण वाले पंपिंग से भूमिगत जल स्तर में अस्थिर 'अवनमन शंकु' उत्पन्न होने लगते हैं, विशेषकर उप-शहरी (शहर-परिधीय) क्षेत्रों में।
   - 'डूबते भारतीय महानगरों में भवन क्षति जोखिम का आकलन ' में बताया गया है कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बंगलुरु जैसे पाँच प्रमुख भारतीय शहरों में लगभग 878 वर्ग किलोमीटर भू-अवतलन की स्थिति का सामना कर रही है।
8. **खंडित और दुर्बल विनियामक तंत्र :** इस समस्या की जड़ भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 में निहित है जो भूजल अधिकारों को भूमि–स्वामित्व से जोड़ देता है।
   - यह पुराना कानून भूमिधारकों को अपने भूखण्ड के नीचे स्थित जल को निकालने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है तथा इसे एक साझा 'सामान्य संसाधन' के बजाय निजी संपत्ति की तरह मान्यता देता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

9. **केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA)** के दिशा-निर्देशों के बावजूद प्रवर्तन कमज़ोर है और प्रायः केवल आधिकारिक रूप से अधिसूचित 'अधिक-शोषित' क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है।

- देश के कुल सर्वाधिक भूजल दोहन वाले प्रखंडों में से केवल लगभग 14 प्रतिशत वर्तमान में अधिसूचित हैं।
- राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM प्रोजेक्ट), मानचित्रण में प्रगति के बावजूद, जलभृत-स्तर के मूल्यांकों को स्थानीय स्तर पर लागू होने योग्य भूजल प्रबंधन योजनाओं में परिवर्तित करने में संघर्ष कर रहा है।

10. **जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित मानसून पैटर्न:** जलवायु परिवर्तन से वर्षा–अस्थिरता बढ़ी है जिसमें तीव्र परंतु अल्प–अवधि की वर्षा होती है जिससे इनफिल्ट्रेशन कम एवं अपवाह (रन–ऑफ) अधिक होता है जिससे जलभृत पुनर्भरण घटता है।

- दक्षिण-पश्चिम मानसून जो भारत में लगभग साठ प्रतिशत भूजल पुनर्भरण के लिये उत्तरदायी है वर्ष 2023 में 5.6 प्रतिशत वर्षा घाटे के साथ दर्ज किया गया।
- कृषि समुदाय द्वारा ताप वृद्धि के अनुकूलन के रूप में अधिक दोहन किये जाने के कारण वर्ष 2080 तक भारत में भूजल क्षय की दर तीन गुना बढ़ने की आशंका है जिससे खाद्य एवं जल सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।

11. **सूक्ष्म, वास्तविक–समय निगरानी और डाटा एक्सेस का अभाव :** भूजल दोहन का विशाल स्वरूप वर्तमान निगरानी प्रणाली द्वारा पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं हो पाता क्योंकि अधिकांश निगरानी निरीक्षण–कूपों के माध्यम से होती है जिनमें से अनेक वास्तविक–काल आधारित नहीं हैं।

12. **यह सूक्ष्म, सहज उपलब्ध** और उच्च–आवृत्ति वाले आँकड़ों की अनुपस्थिति अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में समय पर साक्ष्य–आधारित स्थानीय हस्तक्षेप को रोकती है।अधिकांश भूजल दोहन निजी नलकूपों से होता है जो मात्रा के अनुसार पूरी तरह अनियंत्रित हैं।

13. **छठी लघु सिंचाई गणना (वर्ष 2023)** में 21.93 मिलियन से अधिक भू-जल अवसंरचनाएँ (खुले कूप, नलिका-कूप आदि) दर्ज की गयीं जिनमें 98.3 प्रतिशत निजी स्वामित्व में हैं और इसलिये उनकी जल–निकासी पर निगरानी नहीं होती।

भूजल प्रबंधन से जुड़ी भारत सरकार की मुख्य पहलें क्या हैं?

1. **अटल भूजल योजना :** यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे वर्ष 2019 में आरंभ किया गया (मार्च 2026 तक विस्तारित) जो विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित है। इसका लक्ष्य सात राज्यों के 8,203 जल-संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है।

2. **जल शक्ति अभियान (JSA)- कैच द रेन (CTR) वर्षा जल संचयन :** वर्ष 2019 में आरंभ होने वाला यह अभियान प्रतिवर्ष संचालित किया जाता है। यह एक समयबद्ध, मिशन-प्रवृत्ति वाला अभियान है जिसका नारा है "Catch the Rain, Where it Falls, When it Falls" अर्थात् "जहाँ वर्षा हो वहीं संचित करें, जब वर्षा हो तभी संचित करें।"इसका उद्देश्य जल-संरक्षण के लिये एक बड़े जन आंदोलन की दिशा में सभी को एक साथ लाना है।

3. **राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM प्रोजेक्ट):** यह केंद्रीय भू-जल बोर्ड (CGWB) द्वारा कार्यान्वित एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य देशभर में सूक्ष्म स्तर पर एक्वीफरों/जलभृतों का वैज्ञानिक सीमांकन और मैपिंग करना है।

4. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) :** यह सिंचाई योजना होते हुए भी भू-जल मांग प्रबंधन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है और इसका ध्येय वाक्य है "More Crop Per Drop" अर्थात् हर बूंद से अधिक फसल।

5. **AMRUT 2.0 (अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) :** यह एक मिशन है जो वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया और जिसका उद्देश्य शहरों को 'जल-सुरक्षित' तथा 'आत्मनिर्भर' बनाना है ताकि सार्वभौमिक जलापूर्ति एवं बेहतर सीवरेज प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। भारत सतत् तथा प्रभावी भूजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये कौन-से कदम उठा सकता है?

6. **MSP और बिजली सब्सिडी को जल के प्रयोग से अलग करना :** बिजली सब्सिडी के लिये एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना लागू की जानी चाहिये, जो सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में जमा हो, साथ ही स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिये या जल की निशुल्क आपूर्ति के घंटे सीमित किये जाने चाहिये ताकि बिजली की सही मात्रा तय हो सके।

7. **इसके साथ एक संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** कार्यढाँचा तैयार किया जाना चाहिये, जो जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को मोटे अनाज (कदन्न), दलहन और तिलहन जैसी फसलों की ओर विविधीकरण हेतु प्रोत्साहित करे जिससे जल-गहन फसलें आर्थिक रूप से कम आकर्षक हो जाएँ।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- यह संरचनात्मक परिवर्तन कृषि उत्पादन के जल-गहन मॉडल से आर्थिक जल-दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है।

8. **मूल्य-आधारित सब्सिडी (MSP) की बजाय आय-आधारित सहायता (PM-KISAN जैसे संस्करणों)** पर विचार किया जाना चाहिये जिसे जल-बचत प्रथाओं के अंगीकरण की शर्त से जोड़ा जा सके।

9. **भूजल-स्तर आधारित शासन का संस्थागत बनाना :** भूमि स्वामित्व और भूजल अधिकार के बीच कानूनी संबंध को औपचारिक रूप से समाप्त किया जाना चाहिये तथा राज्य को इस साझा संसाधन का सार्वजनिक ट्रस्टी घोषित किया जाना चाहिये जिसमें प्रबंधन अधिकार पंचायत/ग्रामसभा-स्तरीय जल उपयोगकर्त्ता संघ (WUA) को सौंपे जायें।

10. **ये WUA, राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग (NAQUIM) के आँकड़ों** द्वारा मार्गदर्शित होने चाहिये और उन्हें जलभृत प्रबंधन योजनाएँ बनाने तथा कूपों के बीच दूरी एवं निष्कर्षण की मात्रात्मक सीमाएँ निर्धारित करने हेतु कानूनी अधिकार दिये जाने चाहिये।

- इससे प्रबंधन भू–वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ और सामाजिक रूप से वैध बनता है।

11. **रीयल-टाइम IoT मॉनिटरिंग और AI एनालिटिक्स की तैनाती :** सभी अधिसूचित खंडों में IoT-सक्षम पायज़ोमीटर और डिजिटल फ्लो मीटरों का उच्च घनत्व वाला नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिये, जो वर्ष 2024 में आरंभ किये गये एकीकृत 'भू-नीर' डिजिटल प्लेटफॉर्म को भूजल स्तर और निष्कर्षण से संबंधित वास्तविक काल के आँकड़े भेज सके।

12. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) मॉडलों का उपयोग :** कर जलभृत तनाव का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिये, अवैध निकासी पैटर्न की पहचान की जानी चाहिये और किसानों के लिये स्वचालित, अत्यंत स्थानीयकृत परामर्श बुलेटिन बनाए जाने चाहिये।

इससे मॉनिटरिंग प्रणाली प्रतिक्रियात्मक आकलन से पूर्वानुमान आधारित, डेटा-आधारित शासन में परिवर्तित हो जाती है।

- **समन्वित शहरी जल प्रबंधन (IUWM) को अनिवार्य बनाना:** मॉडल बिल्डिंग बाई-लॉज (MBBL) का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये जिसमें प्रत्येक नए शहरी विकास के लिये विकेंद्रित वर्षा जल संचयन (RWH) तथा कृत्रिम पुनर्भरण अवसंरचनाएँ (ARS) अनिवार्य हों तथा पारंपरिक शहरी जलाशयों (तालाब, झीलें) का पुनर्जीवन किया जाना चाहिये।

- **महत्त्वपूर्ण रूप से भारत को ऐसा कानून पारित करना चाहिये जो औद्योगिक, निर्माण तथा सार्वजनिक उपयोग :** क्षेत्रों में सभी गैर-पेय आवश्यकताओं के लिये संसाधित अपशिष्ट जल का उपयोग अनिवार्य बना दे जिससे शहरों में चक्रीय जल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।

- **आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों (CWPP)** की स्थापना तथा सतही जल को भूजल के साथ मिलाकर विषाक्तता को कम करने (संयुक्त उपयोग) की दिशा में कदम उठाये जाने चाहिये।

- **भूजल पुनर्भरण को सार्वजनिक हित वित्तपोषण से जोड़ना :** औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उच्च-निष्कर्षण वाले उपभोक्ताओं पर भूजल सुरक्षा अधिभार या शुल्क लगाया जाना चाहिये और इसे सीधे ज़िला-स्तरीय 'जलभृत पुनर्भरण कोष' से जोड़ा जाना चाहिये।

- यह कोष ग्राम पंचायतों एवं किसानों को प्रभावी जल संरक्षण संरचनाओं (WCS) के निर्माण और रख-रखाव तथा सूखा–सहिष्णु फसल प्रणालियों को अपनाने पर प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है, जिससे एक सतत् स्थानीय वित्तीय चक्र स्थापित हो।

- **दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई और परिशुद्ध कृषि को बढ़ावा देना :** एक विशेष मिशन-आधारित योजना चलाकर सभी जल-शोषित और गंभीर खंडों में परिभाषित समय सीमा के भीतर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का 100% अपनाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये, जिसे कृषि बिजली लाभों की निरंतरता से जोड़ा जा सकता है।

- इसके साथ मृदा आर्द्रता सेंसर और रिमोट सेंसिंग जैसी परिशुद्ध कृषि तकनीकों को जोड़ा जाना चाहिये ताकि संदर्भित जल-निर्धारण संभव हो, प्रति बूंद फसल उत्पादकता बढ़े तथा निष्कर्षण की मात्रा में भारी कमी आये।

- **जलभूगर्भीय साक्षरता हेतु क्षमता निर्माण:** ग्राम पंचायत अधिकारियों, स्थानीय इंजीनियरों व किसानों के लिये सहभागी जलभूगर्भ विज्ञान और जल बजट निर्धारण के सिद्धांतों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं कौशल-वृद्धि में निवेश किया जाना चाहिये, जिसमें NAQUIM और IoT नेटवर्क के उच्च-स्तरीय डेटा का उपयोग हो।

- **सरल, स्थानीय भाषाओं में जलभृत सूचना प्रणालियाँ** विकसित की जानी चाहिये, जो पुनर्भरण/निकासी की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझायें ताकि स्थानीय हितधारक साक्ष्य-आधारित निर्णय ले सकें तथा साझा जल संसाधन के प्रति सामूहिक संरक्षण की भावना विकसित हो सके।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

निष्कर्ष:

- भारत का भूजल संकट केवल एक पर्यावरणीय चुनौती नहीं है बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि संधारणीयता और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के लिये प्रत्यक्ष खतरा है
- जो SDG 6 (स्वच्छ जल और साफ़-सफाई) के मूल उद्देश्यों को विफल करता है। इसका समाधान वैज्ञानिक शासन, जल के कुशल उपयोग और समुदाय-आधारित संरक्षण की माँग करता है जो SDG 12 (उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन) और SDG 13 (जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई) के अनुरूप हो।
- प्रौद्योगिकी के एकीकरण, प्रोत्साहनों के सुधार तथा प्राकृतिक पुनर्भरण प्रणालियों की पुनर्स्थापना के माध्यम से भारत इस चिंताजनक ह्रास को नियंत्रित कर सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन-से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? (2013)

1.आर्सेनिक 2.सारबिटॉल

3.फ्लुओराइड 4.फार्मेल्डिहाइड

5. यूरेनियम

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2, 4 और 5

(c) केवल 1, 3 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

Q2. भारत का भूजल संकट अब केवल कमी की समस्या भर नहीं रहा बल्कि प्रदूषण, अति-दोहन, कमज़ोर शासन तथा जलवायु परिवर्तन की संयोजित समस्या बन चुका है। इस संकट के प्रमुख प्रेरक तत्त्वों पर चर्चा कीजिये तथा वर्तमान नीतिगत प्रतिक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। भारत किस प्रकार भूजल प्रबंधन को सतत् एवं समतापूर्ण दिशा में आगे बढ़ा सकता है? (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

UNFCCC का COP – 30 : भारत का दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के COP30 का समापन ब्राज़ील के बेलेम में हुआ, जिसमे देशों ने बेलेम पैकेज को प्रमुख वार्तित परिणाम के रूप में औपचारिक रूप से अपनाया।

COP30 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **बेलेम पैकेज :** COP30 में स्वीकृत 29 वार्तित निर्णयों का एक व्यापक सेट, जिसका उद्देश्य चर्चा से आगे बढ़कर क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना है। यह मज़बूत जलवायु वित्त, न्यायपूर्ण संक्रमण उपायों, अनुकूलन प्रगति की निगरानी, लैंगिक समावेशन, तथा सहयोग बढ़ाकर पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति को गति देने पर आधारित है।
- **ग्लोबल मुतीराओ समझौता :** COP30 का समापन ग्लोबल मुतीराओ समझौते के साथ हुआ, जो नए अनिवार्य लक्ष्यों के बजाय सहयोग और क्रियान्वयन को प्राथमिकता देता है।
- यह समझौता विकसित और विकासशील देशों के बीच एक समझौता-समाधान के रूप में देखा जाता है, जिसमें महत्वाकांक्षा की तुलना में कार्यान्वयन क्षमता पर अधिक ज़ोर है। ब्राज़ील ने ग्लोबल मुतीराओ प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जो एक डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य सामूहिक जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना तथा प्रतिबद्धताओं और क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटना है, विशेषकर ऊर्जा, वित्त और व्यापार के क्षेत्रों में प्रगति तेज़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **जस्ट ट्रांज़िशन मैकेनिज़्म :** COP30 ने एक नए जस्ट ट्रांज़िशन मैकेनिज़्म (JTM) को अपनाया, जिसे बेलेंम एक्शन मैकेनिज़्म (BAM) भी कहा जाता है। इसका

उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों से दूर होती अर्थव्यवस्थाओं और श्रमिकों के लिये क्षमता-विकास तथा सहयोग को समर्थन देना है, हालाँकि इसमें नए या सुनिश्चित वित्तीय प्रावधान शामिल नहीं हैं।

- **ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर और बेलेम मिशन टू 1.5°C :** COP30 में लॉन्च किये गए इन दोनों उपकरणों को यह निगरानी करने के लिये डिज़ाइन किया गया है कि क्या राष्ट्रीय कार्य और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित करने के मार्गों के अनुरूप हैं। ये तंत्र नए लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन पर नज़र रखने पर बढ़ते फोकस का संकेत देते हैं।
- ये तंत्र नए लक्ष्यों के निर्धारण के बजाय क्रियान्वयन की निगरानी पर बढ़ते ध्यान को दर्शाते हैं। COP30 में राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP) को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिये NAP इम्प्लीमेंटेशन एलायंस की शुरुआत की गई।देशों ने वर्ष 2030 तक अनुकूलन वित्त को वर्ष 2025 के स्तर की तुलना में तीन गुना बढ़ाने पर सहमति जताई है, किंतु यह स्पष्ट न होना कि इस वित्त को कौन उपलब्ध कराएगा, एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।
- **वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA) :** पार्टियों ने बाकू अनुकूलन रोडमैप को अंतिम रूप दिया और वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA) के अंतर्गत प्रगति को मापने के लिये 59 स्वैच्छिक संकेतकों पर सहमति व्यक्त की।
- **बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान :** COP30 के स्वास्थ्य दिवस (13 नवंबर, 2025) पर घोषित इस प्रमुख पहल का उद्देश्य जलवायु प्रभावों से निपटने हेतु वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना है।
- यह स्वास्थ्य समानता, जलवायु न्याय और सामुदायिक सहभागिता के साथ बेहतर शासन के सिद्धांतों पर आधारित है।
- **ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) :** ब्राज़ील द्वारा प्रारंभ की गई यह सुविधा पेमेंट-फॉर-परफॉर्मेंस मॉडल पर आधारित है, जिसमें उपग्रह-आधारित निगरानी के माध्यम से उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिये देशों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।इसका लक्ष्य लगभग 125 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाना है, जिसमें ब्राज़ील ने प्रथम 1 अरब डॉलर का योगदान दिया है।
- **बेलेम 4x प्रतिज्ञा :** इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य वर्ष 2024 के स्तर की तुलना में वर्ष 2035 तक संधारणीय ईंधनों के उपयोग को चार गुना बढ़ाना है, साथ ही राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप लचीलापन भी प्रदान किया गया है।
- प्रगति की वार्षिक निगरानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा की जाएगी। यह विशेष रूप से परिवहन और उद्योग क्षेत्रों में ऊर्जा संक्रमण को गति देने हेतु हाइड्रोजन, जैव ईंधन, बायोगैस और ई-फ्यूल जैसे ईंधनों को किफायती लागत पर बढ़ाने पर केंद्रित है।
- **बेलेम घोषणा :** भूख, गरीबी और जन-केंद्रित जलवायु कार्रवाई पर 43 देशों और यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित इस घोषणा में जलवायु नीति के केंद्र में कमज़ोर और संवेदनशील समुदायों को रखा गया है।
- यह निरंतर शमन प्रयासों को जारी रखने का आह्वान करती है लेकिन सामाजिक सुरक्षा, फसल बीमा और ऐसे उपायों के माध्यम से अनुकूलन को प्राथमिकता देती है जो सामुदायिक लचीलापन को मज़बूत करते हैं।
- **बेलेम लैंगिक कार्य योजना (GAP) :** COP 30 में स्वीकृत यह योजना लैंगिक-संवेदी जलवायु कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने और जलवायु शासन में महिलाओं, विशेषकर कमज़ोर समुदायों से आने वाली महिलाओं, की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

भारत COP30 में स्वयं को कैसे स्थापित कर रहा है?

- **कानूनी दायित्व के रूप में जलवायु वित्त :** भारत ने BASIC (ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) तथा समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC) के समूहों के साथ मिलकर समानता और जलवायु न्याय पर ज़ोर दिया तथा ऋण-आधारित मॉडलों के स्थान पर पूर्वानुमानित, बड़े पैमाने पर तथा अनुदान-आधारित जलवायु वित्त का आह्वान किया।
- **इसने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 :** के पूर्ण कार्यान्वयन और जलवायु वित्त की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा की मांग की, साथ ही COP 29 में अपनाए गए बाकू-टू-बेलेम रोडमैप द्वारा निर्धारित 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त लक्ष्य को जुटाने का आग्रह किया।
- भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्ष 2025 की एडैप्टेशन गैप रिपोर्ट का अनुमान है कि विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष 310-365 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान प्रवाह लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- ग्लासगो की यह प्रतिबद्धता है कि वर्ष 2025 तक अनुकूलन वित्त (adaptation finance) को दोगुना करके 40 अरब अमेरिकी डॉलर किया जाएगा, जिसके पूरी होने की संभावना कम है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

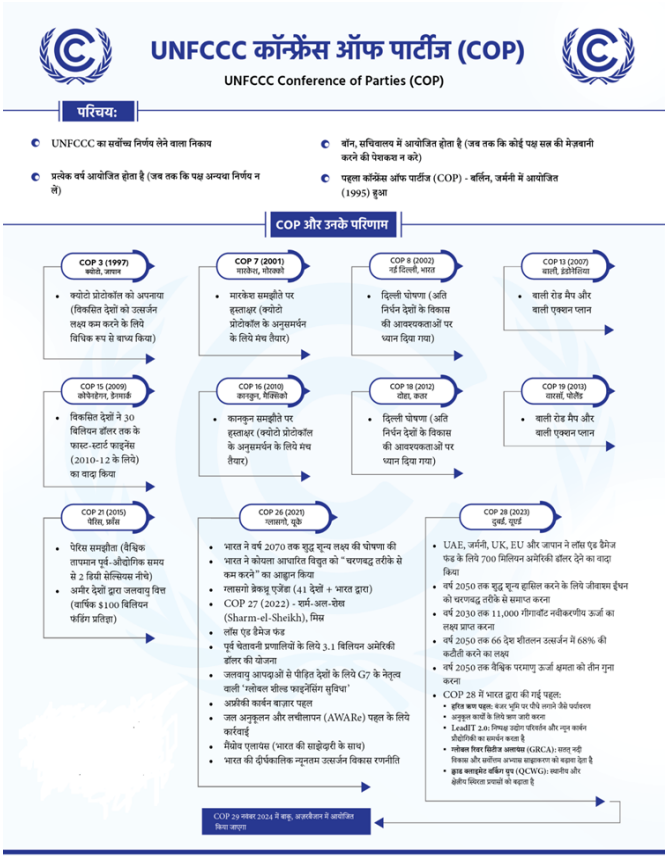
- **समानता और जलवायु न्याय :** भारत ने साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC) के सिद्धांत की पुन: पुष्टि की और ज़ोर दिया कि ऐतिहासिक उत्सर्जक देशों को उत्सर्जन में कमी के प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिये। साथ ही भारत ने UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।
- भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने व्यापार-संबंधी प्रतिबंधात्मक उपायों, जैसे यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि इसे जलवायु कार्रवाई के बहाने से भेदभावपूर्ण अवरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- **अनुकूलन और संवेदनशील देशों के लिये समर्थन :** भारत ने कहा कि अनुकूलन को उत्सर्जन में कमी के समान प्राथमिकता मिलनी चाहिये और विकासशील एवं संवेदनशील देशों के लिये पूर्वानुमेय समर्थन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

COP30 से प्रमुख कमियाँ क्या हैं?

- **जीवाश्म ईंधन चरणबद्ध समाप्ति पर कोई समझौता नहीं:** अंतिम बेलेम पैकेज (Belém Package) ने जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण के लिये स्पष्ट रोडमैप पर प्रतिबद्धता देने से बचा।
- जलवायु वित्त पर कमज़ोर प्रगति: वार्ता में अनुच्छेद 9.1 के तहत वित्तीय दायित्वों पर स्पष्टता सुनिश्चित नहीं हो सकी और विकासशील देशों द्वारा मांगे गए स्तर तक फंडिंग बढ़ाने के लिये कोई ठोस योजना नहीं बनी।
- **NDC प्रस्तुतियों में देरी और महत्त्वाकांक्षा का अंतर :** भारत सहित कई प्रमुख उत्सर्जक देशों ने अद्यतन NDC प्रस्तुत करने में देरी की, जिससे वैश्विक उत्सर्जन अंतर बढ़ा और गति कमज़ोर हुई।
- **कार्यान्वयन अंतर का समाधान नहीं :** जबकि कई प्रतिज्ञाएँ घोषित की गईं, ठोस समयसीमा, प्रवर्तन तंत्र और जवाबदेही प्रणालियाँ अस्पष्ट बनीं।
- **समर्पित वित्तीय सहायता के बिना न्यायसंगत संक्रमण :** नया न्यायसंगत संक्रमण तंत्र नई या सुनिश्चित वित्तीय सहायता के अभाव में है, जिससे यह कर्मचारियों और अर्थव्यवस्थाओं को अनुकूलन में सहायता देने की क्षमता में कमी करता है।

UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP)

- **परिचय :** COP, UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय-निर्माण निकाय है। इसके सदस्य देश प्रतिवर्ष मिलते हैं ताकि जलवायु प्रगति की समीक्षा की जा सके, समझौता वार्ता की जा सके और NDC जैसी प्रतिबद्धताओं को अपडेट किया जा सके।
- UNFCCC को वर्ष 1992 के रियो अर्थ समिट में अपनाया गया था, ताकि जलवायु प्रणाली में मानव द्वारा होने वाले खतरनाक हस्तक्षेप को रोका जा सके। बाद में इसे क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौता (2015) द्वारा मज़बूत किया गया।
- COP 1 वर्ष 1995 में बर्लिन में आयोजित हुआ था और COP30 तक इसमें 198 देशों की भागीदारी बढ़ गई है, जिससे यह UN के तहत सबसे बड़े बहुपक्षीय मंचों में से एक बन गया।
- COP को सब्सिडरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन (SBI) और सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस (SBSTA) द्वारा समर्थन प्राप्त है। COP क्योटो प्रोटोकॉल के लिये CMP और पेरिस समझौते के लिये CMA के रूप में भी कार्य करता है।



- क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक (CMP) के रूप में कार्य करते हुए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्योटो प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
- पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक (CMA) के रूप में कार्य करते हुए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **COP मेज़बान :** COP की बैठकें पाँच UN-निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन तथा पश्चिमी यूरोप एवं अन्य में घूर्णन (Rotation) के आधार पर आयोजित की जाती हैं। देश स्वयं मेज़बानी करने के लिये आगे आते हैं और यदि कई उम्मीदवार होते हैं तो क्षेत्र सहमति से एक का चयन करता है।
- तुर्की COP31 की मेज़बानी करेगा। वर्ष 2027 में इथियोपिया अदीस अबाबा में COP32 की मेज़बानी करेगा और भारत ने COP33 की मेज़बानी में रुचि व्यक्त की है, जो वर्ष 2028 में होगी तथा यह भारत के लिये COP8 (2002) के बाद दूसरी बार होगी।
- **भारत के लिये COP का महत्त्व :** COP भारत के लिये एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ यह अपनी NDC प्रतिबद्धताओं पर प्रगति दिखाकर वैश्विक जलवायु स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई के लिये दबाव डाल सकता है।
- यह भारत को जलवायु वित्त के लिये बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है, विशेषकर लॉस एंड डैमेज फंड जैसे तंत्रों के तहत, जो बाढ़ और चक्रवात जैसी जलवायु जोखिमों के प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- यह मंच भारत की नेतृत्व भूमिका का समर्थन भी करता है, ISA जैसे गठबंधनों के माध्यम से, जिससे भारत विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है तथा LiFE और मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जैसी पहलों को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष :

COP30 ने नई पहलों की पेशकश की, लेकिन कोर मांगों जैसे जीवाश्म ईंधन का चरणबद्ध उन्मूलन और बढ़े हुए जलवायु वित्त के मामले में यह पर्याप्त नहीं रहा, जो विकसित एवं विकासशील देशों के बीच गहरी असहमति को दर्शाता है। भारत ने इस मंच का उपयोग समानता, जलवायु न्याय और वित्त को प्रतिबद्धताओं की बजाय कर्त्तव्यों के रूप में आगे बढ़ाने के लिये किया। मुख्य निर्णयों को स्थगित किये जाने के बाद, COP31 प्रतिबद्धताओं को ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई में बदलने के लिये महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. COP30 में अपनाया गया Belem Action Mechanism (BAM) एक नया न्यायसंगत संक्रमण तंत्र है, परन्तु इसमें किसी भी प्रकार के नए या सुनिश्चित वित्तीय प्रावधान शामिल नहीं हैं।
2. वैश्विक कार्यान्वयन ट्रैकर और Mission to 1.5°C को NDCs के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया, न कि नए उत्सर्जन-लक्ष्यों के निर्धारण हेतु।
3. COP30 में लॉन्च किया गया Tropical Forests Forever Facility (TFFF) उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए उपग्रह-आधारित प्रदर्शन भुगतान मॉडल अपनाता है, जिसका प्रारंभिक वित्तपोषण ब्राज़ील ने किया।
4. COP30 ने स्पष्ट रूप से वर्ष 2050 तक सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध समाप्त करने का अनिवार्य वैश्विक रोडमैप लागू किया।

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

(a) 1, 2 और 3 केवल (b) 1 और 4 केवल

(c) 2 और 3 केवल (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a) 1, 2 और 3 केवल

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. जलवायु वित्त कोई चैरिटी नहीं बल्कि पेरिस समझौते के तहत एक कानूनी दायित्व है। COP30 में भारत का रुख और इसका जलवायु न्याय पर प्रभाव, चर्चा कीजिये।

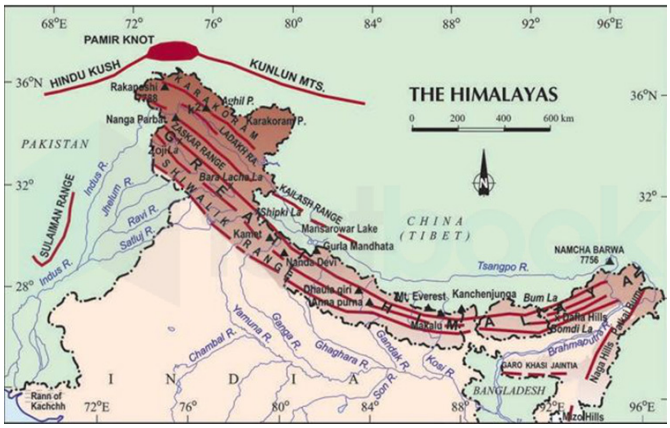
Q. संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ क्या हैं? (2021) (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

हिमालय में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति ने ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें कम करने के लिये मज़बूत पूर्व चेतावनी प्रणालियों (EWS) की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS



पूर्व चेतावनी प्रणाली (EWS) क्या है?

- **परिचय :** प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) एक ढाँचा है जिसे खतरों का पूर्वानुमान लगाने और संप्रेषित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जिससे जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने हेतु समय पर कार्रवाई की जा सके।
- **बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली :** बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली कई खतरों को संबोधित करती है, जो अकेले या एक साथ हो सकते हैं।
- बहु-खतरे वाली पूर्व चेतावनी प्रणालियों और आपदा जोखिम जानकारी की उपलब्धता बढ़ाना आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-30 के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क द्वारा निर्धारित सात वैश्विक लक्ष्यों में से एक है।

मुख्य घटक:

- **जोखिम ज्ञान :** खतरा-प्रवण क्षेत्रों को समझना।
- **निगरानी एवं पूर्वानुमान :** वास्तविक समय डेटा के लिये सेंसर, उपग्रह और एआई का उपयोग करना।
- **प्रसार :** प्राधिकारियों और समुदायों तक चेतावनियों का त्वरित संचार।
- **प्रतिक्रिया क्षमता :** स्थानीय तैयारी और निकासी उपाय।

हिमालय में EWS की क्या आवश्यकता है?

- **बढ़ती आपदा संवेदनशीलता :** डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में (1900-2022) दर्ज की गई 687 आपदाओं में से लगभग 240 हिमालय में घटित हुईं, जबकि 1902 और 1962 के बीच केवल पाँच आपदाएँ घटित हुई थीं।
- इस क्षेत्र में अक्सर भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, मेघ प्रस्फोट, भूकंप और हिमनद झील के फटने से बाढ़ (GLOF) की घटनाएँ होती रहती हैं, जिससे 12 हिमालयी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लाखों लोग प्रभावित होते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव :** हिमनदों के तेज़ी से पिघलने और पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से बाढ़ और ढलान की अस्थिरता जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं।
- वर्ष 2024 के जलवायु परिवर्तन जर्नल के अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गई तो हिमालय का 90% हिस्सा वर्ष भर सूखे का सामना कर सकता है।
- **टेक्टोनिक और भूवैज्ञानिक अस्थिरता :** भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव जारी रहने के कारण हिमालय विवर्तनिक रूप से सक्रिय बना हुआ है।
- भूकंपीय क्षेत्र IV और V में प्रमुख भ्रंश रेखाएँ (धौलागिरि, सिंधु-गंगा) 2005 के कश्मीर भूकंप की तरह लगातार भूकंप, भूस्खलन तथा हिमस्खलन जैसी आपदाओं को उत्पन्न करती हैं।
- **हिमनद, जलविज्ञान और वर्षा संबंधी खतरे :** हज़ारों हिमनद और हिमनद झीलें GLOFs का खतरा पैदा करती हैं, जैसा कि सिक्किम में वर्ष 2023 में दक्षिण ल्होनक झील आपदा में देखा गया था।
- बादल फटने और अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ अचानक बाढ़ का कारण बनती हैं, जैसे कि चमोली और उत्तरकाशी ज़िले (2021) में हुआ था।
- वनों की कटाई, जलविद्युत परियोजनाएँ और अनियमित निर्माण (जैसे–जोशीमठ अवतलन, चार धाम परियोजना) ढलान स्थिरता को और कमज़ोर करते हैं।

पूर्व चेतावनी प्रणालियों (EWS) को मज़बूत करने के लिये पहल

- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) पायलट परियोजना :** उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित ओलावृष्टि चेतावनी प्रणाली स्थापित की जा रही है, जो किसानों के लिये एक किलोमीटर से कम क्षेत्रीय स्तर पर सटीक पूर्वानुमान उपलब्ध कराएगी।
- **भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF) :** वर्षा तथा बादल फटने के पूर्वानुमान के लिये मॉडलों का एकीकरण।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) :** हिमालयी आपदा सहनशीलता के लिये क्षेत्रीय ढाँचे का विकास।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी प्रणाली :** ISRO और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) ग्लेशियरों, अस्थिर ढलानों और नदी बेसिनों की वास्तविक समय में निगरानी करते हैं।
- **समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन :** आपदा प्रबंधन प्रणाली-हिमालय (DMS-Himalaya) स्थानीय समुदायों को आपदा पूर्व तैयारी, खतरे का मानचित्रण और आपदा के बाद प्रतिक्रिया में प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाता है, जिसमें स्कूल, पंचायतें तथा स्थानीय शासन शामिल हैं।
- **गूगल का एंड्रॉइड भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली :** NDMA और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के साथ मिलकर वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया, जो भूकंपीय गतिविधि का पता लगाने के लिये स्मार्टफोन सेंसर का उपयोग करेगा। अलर्ट मॉडिफाइड मर्काली इंटेंसिटी (MMI) स्केल पर आधारित होते हैं, जो भूकंप के संभावित प्रभावों को मापता है।
- **सभी के लिये प्रारंभिक चेतावनी पहल :** विश्व मौसम संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के सह-नेतृत्व वाली यह वैश्विक पहल भारत में यह सुनिश्चित करने में सहायता करती है कि हर हिमालयी समुदाय को समय पर और विश्वसनीय चेतावनियाँ प्राप्त हों।

हिमालय में EWS लागू करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **जटिल भौगोलिक संरचना :** हिमालय की खुरदरी एवं ग्लेशियरयुक्त भूपृष्ठ तकनीकों जैसे ड्रोन, रडार तथा सेंसर को तैनात और बनाए रखना अत्यंत चुनौतीपूर्ण बनाती है, जिससे प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी कवरेज कठिन हो जाता है।
- **सीमित डेटा अवसंरचना :** भूमि आधारित अवलोकन स्टेशनों की कमी है और कई मौजूदा निगरानी प्रणालियाँ पुरानी हो गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप डेटा में अंतराल उत्पन्न हो रहे हैं।
- **उच्च लागत :** उपग्रह आधारित संचार प्रणाली एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित पूर्वानुमान उपकरण स्थापित और संचालित करने में बड़ी वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है, जो प्राय: बड़े पैमाने पर लागू करने में बाधक होती है।
- **सांस्थानिक अलगाव :** NDMA, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और संबंधित राज्य सरकार जैसी प्रमुख एजेंसियों के बीच खराब समन्वय एकीकृत आपदा प्रबंधन प्रयासों को बाधित करता है।
- **सामुदायिक जागरूकता में अंतर :** स्थानीय समुदाय प्राय: प्रारंभिक चेतावनी अलर्ट और प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल की पर्याप्त समझ नहीं रखते, जिससे प्रणालियों की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
- **वित्तीय प्रतिबंध :** EWS जैसी निवारक और तैयारी संबंधी उपायों को अक्सर आपदा के बाद राहत तथा पुनर्वास प्रयासों की तुलना में कम वित्तीय प्राथमिकता मिलती है।
- **सीमा-पार डेटा साझा करने में समस्याएँ :** पड़ोसी देशों, जैसे– नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमित सहयोग सीमा-पार खतरों के डेटा के वास्तविक समय में साझा करने में बाधा डालता है, जिससे क्षेत्रीय चेतावनियाँ समय पर जारी नहीं हो पातीं।

आगे की राह :

- **एकीकृत राष्ट्रीय मिशन और अनुसंधान समर्थन :** NDMA के अंतर्गत हिमालयी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिये एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करें, जिसमें समर्पित फंडिंग और एक अनुसंधान संस्थान शामिल हो।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग :** वास्तविक समय उपग्रह डेटा का विश्लेषण करने के लिये AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करना तथा घाटियों एवं ग्लेशियर बेसिनों में स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करना।
- **समुदाय आधारित EWS :** अलर्ट के त्वरित प्रसार और समझ सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय स्वयंसेवकों तथा पंचायतों को शामिल करना।
- **सीमा-पार सहयोग :** नेपाल, भूटान और चीन के साथ क्षेत्रीय डेटा-साझाकरण तंत्र बनाना ताकि सीमा-पार खतरों की निगरानी की जा सके, जैसे–सुनामी के लिये स्थापित भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITE-WC)।
- **खतरा मानचित्रण :** ज़िला-स्तरीय खतरे के क्षेत्र के मानचित्रों का विकास करना ताकि वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना बनाई जा सके।
- **सिफारिशें :** सरकार भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती है और भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों में वनस्पति संरक्षण को प्राथमिकता दे सकती है, जैसा कि वर्ष 1976 में मिश्रा समिति द्वारा अनुशंसित किया गया था।
- आपदा प्रबंधन को संविधान की सातवीं अनुसूची में एकीकृत किया जा सकता है, जैसा कि जे.सी. पंत समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **ग्लोबल केस स्टडी :** सफल पर्वतीय EWS पहलों, जैसे कि सेंट्रल हिमालय (चीन) में सिरेनमाको झील, जहाँ मानवरहित नौकाएँ उपग्रह डेटा के माध्यम से झील के स्तर और बर्फ के गिरने की निगरानी करती हैं तथा स्विस आल्प्स में ब्लैटन गाँव, जहाँ प्रारंभिक चेतावनियों ने ग्लेशियर के धँसने से होने वाली मृत्यु को रोका, महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
- इसी प्रकार, जापान की भूकंप प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, इंडोनेशिया की सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और स्विट्ज़रलैंड का अल्पाइन रडार नेटवर्क जैसे वैश्विक उदाहरण यह दर्शाते हैं कि मज़बूत अवसंरचना को सामुदायिक सहभागिता के साथ जोड़कर हिमालय को अधिक सुरक्षित तथा आपदा-सहनशील बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

एक प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) जीवन बचा सकती है, आजीविका की रक्षा कर सकती है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क और सतत् विकास लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बल प्रदान कर सकती है। हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र, जिसे अक्सर "तीसरा ध्रुव" कहा जाता है, का भविष्य सक्रिय, विज्ञान-संचालित और सहयोगात्मक आपदा प्रबंधन प्रयासों पर निर्भर करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2020)

शिखर	पर्वत
नामचा बरवा -	गढ़वाल हिमालय
नंदा देवी -	कुमाऊँ हिमालय
नोकरेक -	सिक्किम हिमालय

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 3

उत्तर: (B)

Q2. यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित में से कौन-सा पौधा वहाँ प्राकृतिक रूप से उगता हुआ देखने को मिलेगा? (2014)

1. ओक 2. रोडोडेंड्रोन

3. चंदन

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

Q3. जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित दिखाई देगा: (2012)

1. गहरी घाटियाँ
2. यू-टर्न नदी मार्ग
3. समानांतर पर्वत शृंखलाएँ
4. तीव्र ढाल, जो भूस्खलन का कारण बन रही हैं

उपर्युक्त में से किसे हिमालय के युवा वलित पर्वत होने का प्रमाण कहा जा सकता है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं के प्रति हिमालयी क्षेत्र की बढ़ती संवेदनशीलता पर चर्चा कीजिये। पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ (ईडब्ल्यूएस) भारत की आपदा तैयारी को किस प्रकार मज़बूत कर सकती हैं?

Q2. हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से भारत के जल संसाधनों पर कौन-से दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे? (2020)



नया भारत और नारी शक्ति : विकसित भारत के लिए समावेशी कार्यबल का निर्माण

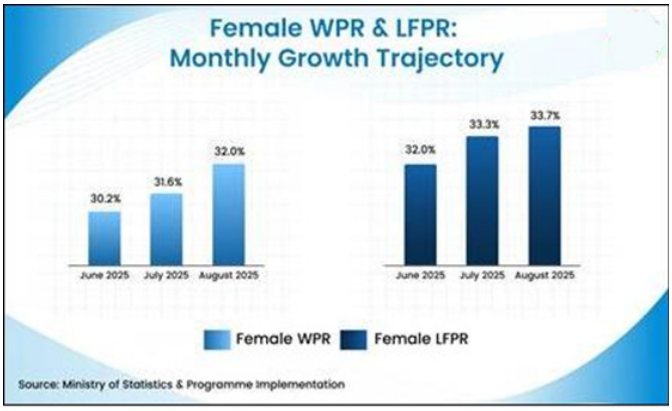
समाचार में क्यों?

- भारत महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि देख रहा है, जो विकसित भारत@2047 की ओर उसकी यात्रा में एक परिवर्तनकारी चरण का प्रतीक है। समावेशी नीतियों, सशक्तिकरण पहलों और लैंगिक-संवेदनशील सुधारों के कारण, महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), स्टैंड-अप इंडिया, PMKVY और मिशन शक्ति जैसी सरकारी योजनाओं के साथ-साथ मातृत्व लाभ अधिनियम और यौन उत्पीड़न अधिनियम जैसे मज़बूत कानूनी ढाँचे, महिलाओं के लिए भारत के आर्थिक विकास में समान भागीदार के रूप में योगदान करने हेतु एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं।

विकसित भारत के केंद्र में नारी शक्ति :

- एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना कीजिए जहाँ ग्रामीण कारीगर से लेकर शहरी नवप्रवर्तक तक, हर महिला कार्यबल में एक भागीदार के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक परिवर्तन लाने वाली एक शक्ति के रूप में कदम रखे। यही विकसित भारत का वादा है, जो 2047 तक एक विकसित भारत की कल्पना करता है, जिसमें महिलाओं के आर्थिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उन्हें शिक्षा, कौशल, सुरक्षा और उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है ताकि राष्ट्रीय विकास के लिए नारी शक्ति का विकास हो सके।
- विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रमुख स्तंभों में से एक है कार्यबल में महिलाओं की कम से कम 70 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे वे भारत की विकास गाथा में समान हितधारक बन सकें।

महिला कार्यबल भागीदारी को आगे बढ़ाना



- भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2017-18 से 2023-24 के बीच महिला रोज़गार दर लगभग दोगुनी हो गई है। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है।
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गया, एलएफपीआर 23.3% से बढ़कर 41.7% हो गया।
- हाल ही में, महिला WPR जुलाई 2025 में 31.6% और जून 2025 में 30.2% से बढ़कर अगस्त 2025 में 32.0% हो गई, और महिला LFPR जुलाई 2025 में 33.3% और जून 2025 में 32.0% से बढ़कर अगस्त 2025 में 33.7% हो गई।

ब्रिक्स देशों में महिला कार्यबल भागीदारी में भारत का उदय :

- विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में, ब्रिक्स देशों में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में भारत ने सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की है। 2015 और 2024 के बीच, भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में 23%

से ज़्यादा की वृद्धि हुई, जबकि ब्राज़ील, चीन और रूस में इसमें स्थिरता या गिरावट देखी गई, और दक्षिण अफ्रीका में मामूली वृद्धि ही हुई।

- यह उछाल महिलाओं के आर्थिक समावेशन पर भारत के बढ़ते ज़ोर को दर्शाता है, जो कौशल, ऋण और औपचारिक रोज़गार तक पहुँच बढ़ाने वाली नीतियों से प्रेरित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम और स्टैंड-अप इंडिया जैसी पहलों ने उद्यमिता, वित्तीय समावेशन और स्वरोज़गार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया है।
- भारत की एक दशक से चली आ रही गति इसे ब्रिक्स के भीतर समावेशी विकास के एक मॉडल के रूप में स्थापित करती है, जो दर्शाती है कि कैसे लक्षित नीतिगत फोकस महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय विकास के एक प्रेरक के रूप में बदल सकता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कानूनी ढांचा

भारत के श्रम कानून कई प्रमुख प्रवधानों के माध्यम से महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समानता और कल्याण सुनिश्चित करते हैं:

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (संशोधित 2017):

- यह मातृत्व अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह करता है और 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए शिशुगृह की सुविधा अनिवार्य करता है। इसमें दत्तक और सरोगेट माताओं को भी शामिल किया गया है, जिससे महिलाओं के करियर में निरंतरता को बढ़ावा मिलता है और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा मिलता है।
- ये सुधार, डिजिटल और आर्थिक अवसरों के विस्तार के साथ मिलकर, लिंग-समावेशी श्रम बाजार की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाते हैं, जहां महिलाएं न केवल श्रमिकों के रूप में, बल्कि सतत आर्थिक विकास में योगदानकर्ता के रूप में भी तेजी से भाग ले रही हैं।
- ब्रिक्स महिला विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत अपने उदार भुगतान वाले मातृत्व अवकाश प्रावधानों के लिए उल्लेखनीय है, जो 182 दिनों का है—जो समूह में दूसरा सबसे लंबा अवकाश है, केवल ईरान के 270 दिनों के बाद। यह अवधि अन्य ब्रिक्स देशों, जैसे ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया (प्रत्येक 120 दिन), मिस्र और इंडोनेशिया (प्रत्येक 90 दिन), और संयुक्त अरब अमीरात (60 दिन) से अधिक है। रिपोर्ट महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी को बढ़ाने के लिए परिवार-अनुकूल कार्यस्थलों को बढ़ावा देने में भारत की अग्रणी स्थिति पर ज़ोर देती है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कानूनी ढांचा

1. **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (संशोधित 2017) :** यह अधिनियम मातृत्व अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह करता है, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए शिशु-गृह (क्रेच) की सुविधा अनिवार्य करता है, और दत्तक और सरोगेट माताओं को भी इसके दायरे में लाता है। यह अधिनियम महिलाओं की कार्यबल में निरंतर भागीदारी का समर्थन करता है और बेहतर कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करता है।
2. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 :** POSH अधिनियम के नाम से जाना जाने वाला यह अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाता है और सम्मान एवं सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह संगठनों के भीतर आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की स्थापना को अनिवार्य बनाता है ताकि शिकायतों का निष्पक्ष और गोपनीय तरीके से निपटारा किया जा सके, और छोटे प्रतिष्ठानों या नियोक्ताओं से जुड़े मामलों के लिए ज़िला स्तर पर स्थानीय शिकायत समितियों (LCC) की स्थापना की जा सके। यह कानून सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने में सहायक रहा है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की श्रम भागीदारी में वृद्धि हुई है।
3. **समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 :** "समान कार्य के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है, लिंग-आधारित वेतन भेदभाव को रोकता है और रोज़गार में निष्पक्षता और अवसर को बढ़ावा देता है। ब्रिक्स महिला विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार, लैंगिक वेतन समानता (2024 के आँकड़े) के मामले में भारत विश्व स्तर पर 120वें स्थान पर है, जो ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे समकक्ष देशों की तुलना में क्रमिक सुधार और वेतन अंतर को कम करता है, हालाँकि यह अभी भी चीन और संयुक्त अरब अमीरात से पीछे है।
4. **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 :** असंगठित और गिग अर्थव्यवस्था सहित सभी श्रेणी के श्रमिकों को मातृत्व, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। यह बागान श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा कवरेज का भी विस्तार करता है, जिससे चाय और कॉफी बागानों में काम करने वाली महिलाओं को महत्वपूर्ण सुरक्षा मिलती है।
5. **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 :** यह एक सुरक्षित और लैंगिक रूप से संवेदनशील कार्यस्थल पर केंद्रित है, जिसमें वार्षिक स्वास्थ्य जाँच, रात्रि पाली में सुरक्षा उपाय और रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए परिवहन सुविधाएँ

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

अनिवार्य हैं। इसके अलावा, 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में शिशु-गृह की सुविधा भी अनिवार्य है, ताकि बच्चों की देखभाल में सहायता और कार्यस्थल में समावेशिता सुनिश्चित हो सके।

भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकारी पहलें

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (2015) –

कन्या भ्रूण हत्या रोकने, शिक्षा और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए आरंभ; इससे कन्या जन्म अनुपात और बालिका शिक्षा दर में सुधार हुआ।

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) –

ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है।

महिला ई-हाट (2016) –

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की यह ऑनलाइन पहल महिलाओं को डिजिटल मंच के माध्यम से उत्पादों की बिक्री और बाजार तक पहुँच प्रदान करती है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना (2016) –

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक ऋण सहायता प्रदान कर उद्यमिता को बढ़ावा देती है।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) –

ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को कृषि और allied activities में नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करने का प्रयास।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (POSHAN Abhiyan) –

महिलाओं और बच्चों में कुपोषण उन्मूलन हेतु समेकित पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

सुरक्षित कार्यस्थल हेतु यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम, 2013 –

कार्यस्थलों पर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करता है।

महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) – DAY-NRLM के अंतर्गत –

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता, सूक्ष्म वित्त और सामूहिक उद्यमिता से जोड़ता है; 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ इससे जुड़ी हैं।

कौशल और रोजगार के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) –

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है; लगभग 45% लाभार्थी महिलाएँ हैं, जिससे उनकी रोजगार और आय की संभावनाएँ बढ़ी हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) –

वित्त मंत्रालय के तहत यह पहल सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता देती है; अब तक 68% से अधिक ऋण खाताधारक महिलाएँ हैं, जिससे महिला उद्यमिता को व्यापक प्रोत्साहन मिला है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना –

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई; मार्च 2025 तक 2.01 लाख से अधिक महिला स्वामित्व वाले खाते स्वीकृत किए गए हैं।

स्टार्ट-अप इंडिया पहल –

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की यह पहल नवाचार और स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देती है; 75,000 से अधिक महिला-नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप इस कार्यक्रम से उभरे हैं, जिससे महिलाओं की नवोन्मेषी भागीदारी बढ़ी है।

WISE–KIRAN कार्यक्रम –

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित यह कार्यक्रम STEM क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है तथा उन्हें अनुसंधान और नवाचार सहायता प्रदान करता है।

नव्या कार्यक्रम –

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एमएसडीई के सहयोग से लागू यह कार्यक्रम 16–18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा, तथा इसमें संचार, सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता के मॉड्यूल शामिल हैं।

कामकाजी महिलाओं के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र :

- **शी-बॉक्स (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) :** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा शुरू किया गया SHe-Box पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करता है। यह एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन और निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो सार्वजनिक और निजी संगठनों की आंतरिक समितियों (ICs) और स्थानीय समितियों (LCs) के आंकड़ों का एक केंद्रीकृत संग्रह प्रदान करता है। प्रत्येक कार्यस्थल पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो शिकायत निवारण में वास्तविक समय पर आंकड़ों का अद्यतन और जवाबदेही सुनिश्चित करता

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

है, जिससे कार्यस्थल में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।

- **मिशन शक्ति :** अप्रैल 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित, मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेपों को मज़बूत करना है। यह सभी महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों की महिलाओं को अल्पकालिक और दीर्घकालिक सहायता सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे समग्र विकास के लिए देखभाल, सुरक्षा और सूचना तक पहुँच सुनिश्चित होती है। यह मिशन दो कार्यक्षेत्रों के माध्यम से संचालित होता है - सुरक्षा और संरक्षा के लिए 'संबल' और सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण के लिए 'सामर्थ्य'।

निष्कर्ष :

पिछले एक दशक में, भारत ने महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। सुधारों, कौशल विकास, मातृत्व लाभ और मिशन शक्ति जैसी पहलों के माध्यम से, सरकार ने समावेशी और सहायक कार्यस्थलों के लिए एक मज़बूत आधार तैयार किया है। श्रम शक्ति में महिलाओं की निरंतर वृद्धि और उद्यमों का नेतृत्व एक नए युग का प्रतीक है जहाँ नारी शक्ति राष्ट्रीय विकास को गति दे रही है। ग्रामीण उद्यमियों से लेकर कॉर्पोरेट नेतृत्व तक, महिलाएँ भारत के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं। जैसे-जैसे भारत विकसित भारत@2047 की ओर बढ़ रहा है, कार्यस्थल पर महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल एक लक्ष्य बल्कि राष्ट्रीय प्रगति का एक स्तंभ बना हुआ है, जो एक मज़बूत, समतामूलक और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के लिए आधी आबादी की क्षमता को उजागर करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित सरकारी पहलों पर विचार करें :

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)
2. स्टैंड-अप इंडिया योजना
3. मिशन शक्ति
4. शी(she)-बॉक्स पोर्टल

उपर्युक्त में से किसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देना है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

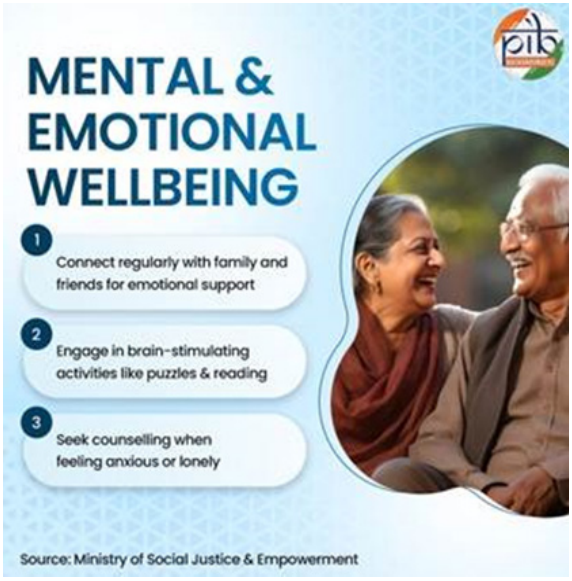
उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में महिला श्रम-बल भागीदारी के हालिया रुझानों का मूल्यांकन कीजिए। साथ ही, सरकारी योजनाएँ और कानूनी ढाँचे महिलाओं के कार्यबल में सशक्तिकरण में किस प्रकार प्रभावी/अपेक्षित रूप से प्रभावहीन रहे हैं — विश्लेषणात्मक रूप में चर्चा करें। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत में वरिष्ठ नागरिक : जनसंख्या, चुनौतियाँ और सरकारी पहल

समाचार में क्यों?



- भारत की वृद्ध जनसंख्या (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) 2036 तक बढ़कर 23 करोड़ हो जाने का अनुमान है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 15% है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर आँकड़े और अद्यतन जानकारी जारी की है, जिससे "सिल्वर इकोनॉमी" और वृद्धावस्था देखभाल पर नीतिगत ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि :

भारत जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है— प्रजनन क्षमता में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि—

जिसके कारण 60+ आयु वर्ग की आबादी में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। 2011 में लगभग 10 करोड़ वृद्धों की संख्या 2036 तक 23 करोड़ और 2050 तक लगभग 31.9 करोड़ (LASI अनुमान) तक पहुँचने का अनुमान है।क्षेत्रीय पैटर्न अलग-अलग हैं—दक्षिणी राज्यों और कुछ पहाड़ी राज्यों में वृद्धावस्था जल्दी दिखाई देती है; कई उत्तरी/पूर्वी राज्यों में वृद्धावस्था बाद में तेज़ी से बढ़ेगी।

भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और वृद्धावस्था :

- भारत युवा जनसंख्या प्रोफ़ाइल से वृद्ध जनसंख्या प्रोफ़ाइल की ओर बढ़ रहा है, यह चरण जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल (डीटीएम) के चौथे चरण के अनुरूप है - जिसकी विशेषता निम्न जन्म और मृत्यु दर और बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा है।
- **प्रजनन दर :** 2.0 (एनएफएचएस-5, 2019-21) - प्रतिस्थापन स्तर के करीब पहुंच रहा है।
- **जीवन प्रत्याशा :** 70.9 वर्ष (एसआरएस 2023)।
- **बुजुर्ग आबादी :** 8.6% (2011) से बढ़कर 14.9% (2036) होने की उम्मीद है।
- यह परिवर्तन, सामाजिक और स्वास्थ्य प्रगति का संकेत तो है, लेकिन निर्भरता, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियां भी लेकर आता है।

भारत में जनसंख्या और जनसांख्यिकी संबंध : बुजुर्ग आबादी के लिए प्रासंगिकता

अवधारणा	बुजुर्ग आबादी के लिए प्रासंगिकता
आयु संरचना (Age Structure)	2035 के बाद कार्यशील आयु वर्ग (15–59 वर्ष) की जनसंख्या का हिस्सा घट जाएगा, जिससे निर्भरता और वृद्धजन अनुपात में वृद्धि होगी।
निर्भरता अनुपात (Dependency Ratio)	प्रति 100 कार्यशील आयु वर्ग के लोगों पर लगभग 62 आश्रित हैं — वृद्धों पर बढ़ती निर्भरता से आर्थिक, स्वास्थ्य एवं देखभाल का बोझ बढ़ेगा।
जनसंख्या पिरामिड (Population Pyramid)	भारत का पिरामिड अब आधार पर संकुचित और शीर्ष पर चौड़ा हो रहा है — यह "आयताकारीकरण (Rectangularization)" वृद्ध होती जनसंख्या की पहचान है।
जनसांख्यिकीय लाभांश मोड़ (Demographic Dividend Turning Point)	भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश 2035 तक चरम पर पहुँचने के बाद घटने लगेगा, जिससे वृद्धावस्था संबंधी सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ेंगे।

भारत में बुजुर्गों की जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियाँ : भारत में वृद्धजन जनसंख्या

सूचक	मुख्य निष्कर्ष
बुजुर्ग जनसंख्या (60+ वर्ष)	वर्ष 2036 तक 230 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान।
क्षेत्रीय पैटर्न	दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में वृद्धजन की उच्च सांद्रता।
केरल	बुजुर्गों की हिस्सेदारी 13% (2011) से बढ़कर 23% (2036) होने का अनुमान।
उत्तर प्रदेश	बुजुर्गों की हिस्सेदारी 7% (2011) से बढ़कर 12% (2036) होने का अनुमान।
बुजुर्गों में लिंग अनुपात	प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,065 महिलाएँ, जो वृद्ध महिलाओं की उच्च संख्या को दर्शाता है।
निर्भरता अनुपात	प्रति 100 कार्यशील आयु वर्ग के लोगों पर 62 आश्रित, जिससे सामाजिक-आर्थिक दबाव बढ़ता है।
2050 तक अनुमानित वृद्धजन (LASI रिपोर्ट, 2021)	लगभग 319 मिलियन तक वृद्ध जनसंख्या पहुँचने की संभावना।

भारत में बुजुर्गों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ :

कार्यक्षेत्र	महत्वपूर्ण मुद्दे
स्वास्थ्य (Health)	वृद्धावस्था देखभाल सेवाओं का अभाव, गैर-संचारी रोगों (NCDs) की बढ़ती दर, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे मनोभ्रंश (Dementia), तथा ग्रामीण–शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता।
आर्थिक (Economic)	सीमित या अपर्याप्त पेंशन कवरेज, बढ़ते चिकित्सा व्यय, और अनौपचारिक क्षेत्र में असुरक्षित रोजगार से आर्थिक निर्भरता बढ़ती है।
सामाजिक (Social)	सामाजिक अलगाव, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार (Elder Abuse), और पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली के कमजोर पड़ने से सहयोग तंत्र में गिरावट।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

डिजिटल (Digital)	कम डिजिटल साक्षरता के कारण ई-सेवाओं, डिजिटल बैंकिंग और स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म तक सीमित पहुँच।
आधारभूत संरचना (Infrastructure)	आयु-अनुकूल न होने वाले सार्वजनिक स्थान, दुर्गम परिवहन सुविधाएँ, और दीर्घकालिक देखभाल संस्थानों की कमी।

बुजुर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने का महत्व :

1. **मानव सम्मान और अधिकार** - वृद्ध व्यक्तियों को उपेक्षा, दुर्व्यवहार और गरीबी से बचाया जाना चाहिए, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना एक नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है (गरिमा, कल्याण)।

2. **जनसांख्यिकीय एवं आर्थिक निहितार्थ —** वृद्धों की बढ़ती हिस्सेदारी निर्भरता अनुपात, बचत, श्रम आपूर्ति, पेंशन देनदारियों और सार्वजनिक वित्त को प्रभावित करती है; योजना बनाने में विफलता से राजकोषीय तनाव बढ़ सकता है और उत्पादक क्षमता कम हो सकती है।

3. **स्वास्थ्य-प्रणाली पर बोझ —** दीर्घकालिक, वृद्धावस्था संबंधी और बहु-रुग्णता वाले मामलों में वृद्धि से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल पर दबाव बढ़ता है और वृद्धावस्था संबंधी विशेष सेवाओं और दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता होती है।

4. **सामाजिक स्थिरता और पारिवारिक संरचनाएँ —** संयुक्त परिवार के समर्थन में कमी और प्रवास/एकल परिवारों में वृद्धि का अर्थ है कि अधिक बुजुर्गों को अलगाव या अपर्याप्त देखभाल का सामना करना पड़ सकता है - सामाजिक नीति को इस पर प्रतिक्रिया देनी होगी।

5. **लिंग संबंधी चिंताएँ —** वृद्धों में महिलाओं का अनुपात अधिक है (विधवापन, पेंशन में अंतराल, लंबी जीवन प्रत्याशा) - लिंग-संवेदनशील हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

6. **आर्थिक अवसर (सिल्वर इकोनॉमी) —** बुजुर्गों पर केन्द्रित वस्तुएं और सेवाएं - स्वास्थ्य देखभाल, सहायक उपकरण, अवकाश, रोजगार - यदि नीति और बाजार प्रोत्साहन के माध्यम से समर्थित हों तो विकास और रोजगार पैदा कर सकती हैं।

7. **अंतर-पीढ़ीगत समानता —** नीतिगत विकल्पों में वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को विभिन्न पीढ़ियों के बीच संसाधनों के समान बंटवारे (पेंशन, स्वास्थ्य व्यय, कराधान) के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

8. **आपदा एवं भेद्यता प्रबंधन —** आपदाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान बुजुर्ग विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं; आपदा नियोजन में उनकी आवश्यकताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों हेतु प्रमुख सरकारी पहलें :

योजना / पहल	उद्देश्य / मुख्य विशेषताएँ
अटल पेंशन योजना (APY)	18–40 वर्ष के नागरिकों के लिए ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन; 2025 तक 8.27 करोड़ ग्राहक जुड़े।
अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)	वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण और समावेशन हेतु समग्र राष्ट्रीय कार्यक्रम।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC)	वृद्धाश्रमों को चलाने हेतु NGO और राज्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता; 696 वृद्धाश्रम (2025) तक कार्यरत।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)	बीपीएल बुजुर्गों को निःशुल्क सहायक उपकरण (व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि) प्रदान करती है।
एल्डरलाइन (14567)	वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत निवारण एवं सहायता सेवाओं के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन।
सेज पोर्टल (SAGE Portal)	"सिल्वर इकोनॉमी" को प्रोत्साहन; ₹1 करोड़ तक की सरकारी इक्विटी सहायता के साथ स्टार्ट-अप्स को समर्थन।
पवित्र पोर्टल (PAVITRA Portal)	वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्रोजगार (Re-employment) के लिए डिजिटल मंच।
वृद्धावस्था देखभालकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम	देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु संस्थानों को मान्यता; 2023–24 में 36,785 प्रशिक्षित।
आयुष्मान भारत – PMJAY (Elderly Extension)	70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)	बीपीएल वृद्धों के लिए ₹200–₹500 मासिक पेंशन; लगभग 2.21 करोड़ लाभार्थी।
राष्ट्रीय कार्यक्रम – बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल हेतु (NPHCE)	जिला और उप-जिला स्तर पर समग्र वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (SCWF)	क्लेम न किए गए धन का उपयोग वरिष्ठ नागरिक कल्याण कार्यक्रमों में।
सेवानिवृत्ति गृह मॉडल दिशानिर्देश (2019)	आयु-अनुकूल आवास और सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देने हेतु मानक निर्धारित करता है।

निष्कर्ष :

- भारत की वृद्ध होती जनसंख्या एक बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव का प्रतीक है, जिसके लिए कल्याण-आधारित से अधिकार-आधारित वृद्ध देखभाल की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है।
- सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक सहयोग को मज़बूत करते हुए सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा देना इस चुनौती को अवसर में बदल सकता है। वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, समावेशिता और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना एक समतापूर्ण और करुणामय समाज के निर्माण की कुंजी है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

योजना	कार्यान्वयन मंत्रालय
1. अटल पेंशन योजना	वित्त मंत्रालय
2. राष्ट्रीय वयोश्री योजना	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय

उपरोक्त में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

उत्तर: C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत की वृद्ध होती जनसंख्या के जनसांख्यिकी एवं सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और कल्याण को सुनिश्चित करने में सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन

समाचार में क्यों?



- 31 अक्टूबर 2025 को "लौह पुरुष" सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों को एकीकृत कर एक अखंड भारत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण करता है।
- देश की एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, एकता दौड़ और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। यह अवसर नागरिकों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू की गई सरकार की 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल पर भी प्रकाश डालता है।

आधारभूत विरासत


The Maharaja of Jaipur taking the oath of accession to Indian Union.

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सरदार वल्लभभाई पटेल ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 560 से अधिक रियासतों—जो भारत के लगभग 40% भूभाग और जनसंख्या को कवर करती थीं—को भारत संघ में एकीकृत करने का कार्य सौंपा गया था।

- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, रियासतों के शासकों को यह निर्णय लेने का विकल्प दिया गया था कि वे भारत, पाकिस्तान या किसी में भी विलय नहीं करना चाहते। सरदार पटेल ने विभाजन को रोकने के लिए कूटनीतिक वार्ताओं, अनुनय-विनय और, जहाँ आवश्यक हो, कठोर प्रशासनिक उपायों का संयोजन अपनाया।
- अपने नेतृत्व वाले विदेश विभाग के माध्यम से, सरदार पटेल ने 15 अगस्त, 1947 तक या उसके तुरंत बाद इन रियासतों का सफलतापूर्वक एकीकरण किया, जिससे आधुनिक भारत की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित हुई।
- उनके प्रयासों ने संभावित विखंडन को टाला और एक एकीकृत लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। यह इस "लौह पुरुष" का निर्णायक नेतृत्व ही था जिसने देश के अशांत विभाजन काल में आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित की। उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं को एक "मज़बूत ढाँचे" के रूप में स्थापित किया जो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करती रहेगी।



Sardar Patel with Raja Hari Singh of Kashmir



Sardar Patel with Nizam of Hyderabad

एक भारत श्रेष्ठ भारत: सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाना

सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित "एक भारत श्रेष्ठ भारत" (ईबीएसबी) पहल, सरदार पटेल के अखंड भारत के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देती है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देती है, और परस्पर संवाद और पारस्परिकता के माध्यम से भारत की विविधता का उत्सव मनाती है।

इसके मुख्य उद्देश्य हैं:

- के बीच भावनात्मक बंधन को मजबूत करना,
- संरचित अंतर-राज्यीय जुड़ाव के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना
- भारत की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन और सराहना करें,स्थायी साझेदारियां बनाएं,
- औरविभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक शिक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को प्रोत्साहित करना।
- ईबीएसबी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भाषाई, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान के माध्यम से भावनात्मक बंधनों को मज़बूत करने के लिए जोड़कर "अनेकता में एकता" के विचार को बढ़ावा देता है। ये गतिविधियाँ राष्ट्रीय एकता दिवस के संदेश को एक दिन से आगे बढ़ाकर इसे राष्ट्रीय एकता के एक सतत आंदोलन में बदल देती हैं।
- एकता दिवस से प्रेरित ईबीएसबी कार्यक्रम और पहल
- एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) पहल राष्ट्रीय एकता दिवस से प्रेरित है, जो हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल के राष्ट्रीय एकता में योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। विविध गतिविधियों और डिजिटल पहुँच के माध्यम से, ईबीएसबी भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकता की भावना को क्रियान्वित करता है।

प्रमुख कार्यक्रम और पहल

1. **भाषा संगम ऐप :** यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो नागरिकों को 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में 100 से ज़्यादा आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले वाक्य सीखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे भाषाई समावेशिता और आपसी सम्मान को बढ़ावा मिलता है। यह भाषा की समझ के ज़रिए भावनात्मक एकीकरण के पटेल के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
2. **सांस्कृतिक प्रदर्शन और खाद्य महोत्सव :** ये कार्यक्रम भारत की कलात्मक विविधता - पारंपरिक नृत्य, संगीत, शिल्प और व्यंजनों - का जश्न मनाते हैं, जिससे नागरिकों को अपने-अपने राज्यों की संस्कृति का अनुभव करने और सांस्कृतिक सहानुभूति को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है।
3. **छात्र विनिमय कार्यक्रम और युवा संगम और ईबीएसबी क्लब :** युवा संगम विभिन्न पृष्ठभूमियों के युवाओं के लिए अंतर-राज्यीय भ्रमण और सांस्कृतिक समागम की सुविधा प्रदान करता है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में ईबीएसबी क्लब क्षेत्रीय ज्ञान, भाषा सीखने और सहयोगी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मंच के रूप में कार्य करते हैं। साथ मिलकर, वे एकता के युवा

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

राजदूतों का पोषण करते हैं और अंतर-राज्यीय समझ को मजबूत करते हैं।

4. **काशी तमिल संगम :** यह काशी (वाराणसी) और तमिलनाडु के बीच गहरे सभ्यतागत संबंधों का जश्न मनाता है, कला, भाषा, साहित्य और तीर्थयात्रियों के आदान-प्रदान के माध्यम से भारत की साझा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है। यह ईबीएसबी के तहत सांस्कृतिक एकीकरण के एक आदर्श के रूप में कार्य करता है।

5. **डिजिटल और आउटरीच अभियान :** माई भारत डिजिटल पोर्टल, ईबीएसबी क्विज़ प्रतियोगिताएँ और ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रदर्शनियाँ जैसी पहल देश भर के नागरिकों को जोड़ती हैं। ये डिजिटल युग में देशभक्ति, सांस्कृतिक जागरूकता और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देती हैं।

6. **ईबीएसबी पोर्टल :** यह पोर्टल, ईबीएसबी के बैनर तले गतिविधियों का दस्तावेजीकरण और प्रचार करते हुए, पहल की डिजिटल रीढ़ के रूप में कार्य करता है। अंतर-राज्यीय आदान-प्रदान, युवा गतिविधियों और सांस्कृतिक अभियानों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

7. **इसमें "देखो अपना देश" (पर्यटन मंत्रालय) और स्वदेशी खेल कार्यक्रम (खेल मंत्रालय)** जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसमें एक ईबीएसबी वॉल भी शामिल है, जिसमें भारत की विविधता को दर्शाते हुए मासिक अपडेट और सफलता की कहानियां प्रदर्शित की जाती हैं।

2025 में महत्व : 150वीं जयंती का अवसर

- इस अवसर को एक वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह उपलब्धि समकालीन भारत में, विशेष रूप से एकता और सामाजिक समरसता के समक्ष वैश्विक चुनौतियों के बीच, सरदार पटेल की स्थायी प्रासंगिकता को उजागर करती है।

- राष्ट्रीय एकता दिवस की भावना एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) के सिद्धांतों से भी गहराई से जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान, भाषाई प्रशंसा और युग्मित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आपसी समझ के माध्यम से नागरिकों के बीच भावनात्मक बंधन को मज़बूत करना है।

- ये सभी पहल मिलकर विविधता में एकता की अवधारणा को सुदृढ़ करती हैं, इस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण को एक औपचारिक समारोह से एक सतत जन आंदोलन में परिवर्तित करती हैं।31 अक्टूबर को सुबह लगभग 8 बजे, प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया जाएगा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 :

अनुभाग	विवरण
मुख्य कार्यक्रम की तिथि	31 अक्टूबर (वार्षिक) — राष्ट्रीय एकता दिवस का पालन
मुख्य स्थल	एकता नगर (पूर्व में केवडिया), नर्मदा जिला, गुजरात — स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
प्रमुख आकर्षण	भारतीय वायु सेना द्वारा एयर शो — सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का प्रदर्शन
परेड – भाग लेने वाली इकाइयाँ	• 9 राज्यों + 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस की 16 मार्चिंग टुकड़ियाँ • 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) • राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की टुकड़ियाँ • BSF डॉग स्क्वाड, असम पुलिस मोटरसाइकिल टीम, BSF ऊंट दल और बैंड का विशेष प्रदर्शन
महिला अधिकारियों की भूमिका	गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया जाएगा — महिलाओं के नेतृत्व और राष्ट्रीय सेवा में भूमिका पर बल
सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं झांकियाँ	• थीम: "विविधता में एकता" • विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियाँ • संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगभग 900 कलाकारों की भागीदारी (भारतीय शास्त्रीय एवं लोक कलाओं का प्रदर्शन)
विस्तारित महोत्सव – "भारत पर्व"	• आयोजन: 1–15 नवंबर 2025, एकता नगर में • सांस्कृतिक प्रदर्शन एवं भोजन उत्सव — विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का प्रदर्शन • 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर समापन — भारत की जनजातीय विरासत एवं स्वतंत्रता संग्राम को सम्मानित करने हेतु

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

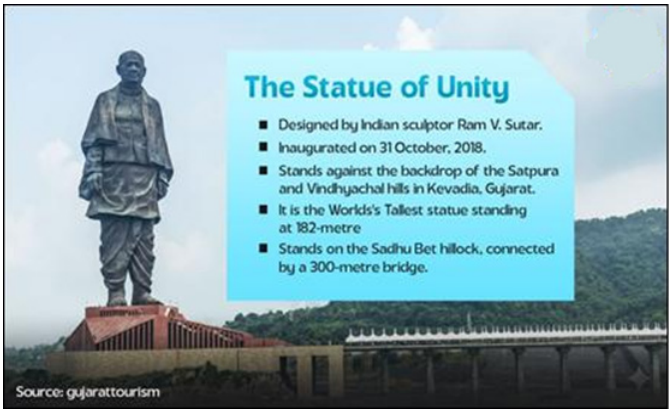
अन्य मुख्य कार्यक्रम	• "एकता के लिए दौड़" (Run for Unity) — दिल्ली में (राजघाट से लाल किला तक), जिसमें छात्र, CAPF कर्मी एवं दिव्यांगजन भाग लेंगे • ₹280 करोड़ मूल्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन/ शिलान्यास एकता नगर में

सरदार@150 एकता मार्च :



- केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने माई भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं में एकता, देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए 'एक भारत, आत्मनिर्भर भारत' के सिद्धांतों के अनुरूप एक राष्ट्रव्यापी एकता मार्च (यात्रा) का आयोजन किया है।
- 6 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा माई भारत पोर्टल पर शुरू की गई इस पहल में सोशल मीडिया रील्स प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और सरदार@150 यंग लीडर्स कार्यक्रम जैसी प्रतियोगिताएँ शामिल हैं, जिसके 150 विजेता राष्ट्रीय पदयात्रा में भाग लेंगे।
- एकता मार्च दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण, जो 31 अक्टूबर से 25 नवंबर, 2025 तक चलेगा, प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में जिला-स्तरीय पदयात्राएँ आयोजित करेगा।
- इन पदयात्राओं से पहले निबंध और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, सरदार पटेल के जीवन और योगदान पर सेमिनारों और स्कूलों व कॉलेजों में नुक्कड़ नाटकों सहित जागरूकता गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी।
- पदयात्रा के साथ-साथ, ज़िलों में कई विकासात्मक पहल भी की जाएँगी—जैसे जलाशयों में सफ़ाई अभियान, "सरदार उपवन" पहल के तहत वृक्षारोपण अभियान, महिला कल्याण शिविर, योग और स्वास्थ्य शिविर, और "वोकल फ़ॉर लोकल" प्रचार अभियान।
- 26 नवंबर से 6 दिसंबर, 2025 तक चलने वाला यह राष्ट्रीय मार्च, करमसद (गुजरात में सरदार पटेल का जन्मस्थान) से केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी तक 152 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें एनएसएस के छात्रों, एनसीसी कैडेटों, माई भारत के स्वयंसेवकों और युवा नेताओं की भागीदारी के साथ मार्ग के गाँवों में सामुदायिक विकास गतिविधियाँ शामिल होंगी। भारत की विविध संस्कृति और सरदार पटेल के जीवन को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

एकता के लिए दौड़



राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्देशित अभियानों में "रन फॉर यूनिटी" को प्रमुखता से शामिल किया गया है, जो राष्ट्रीय एकता की दिशा में सामूहिक प्रयासों का प्रतीक एक राष्ट्रव्यापी मैराथन है। 2025 में, रन फॉर यूनिटी मुख्य समारोह से पहले, 31 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रमुख शहरों से हज़ारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम भी शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में देश भर के नागरिकों से भाग लेने का आह्वान किया है।

निष्कर्ष :

- राष्ट्रीय एकता दिवस, विविध रियासतों से एक अखंड भारत के निर्माण में सरदार पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व की एक चिरस्थायी याद दिलाता है, जिसकी नींव आज भी राष्ट्र की प्रगति का आधार है।
- शपथों, पदयात्राओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ऐतिहासिक श्रद्धा को समकालीन जुड़ाव के साथ जोड़कर, यह आयोजन न केवल अतीत की विजयों का स्मरण कराता है, बल्कि आधुनिक विभाजनकारी ताकतों का सक्रिय रूप से प्रतिकार करते हुए "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" के मूलमंत्र को और सुदृढ़ करता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- जहाँ राष्ट्रीय एकता दिवस राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीकात्मक दिवस है, वहीं "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" राष्ट्रीय भाषा समारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और युवा परिवर्तन कार्यक्रमों जैसी सुनियोजित गतिविधियों के माध्यम से पूरे वर्ष इस मिशन का विस्तार करता है। ये सतत पहल यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि विविधता में एकता की भावना वार्षिक आयोजन से कहीं आगे तक गूंजती रहे।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. राष्ट्रीय एकता दिवस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
2. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 2015 में "एक भारत श्रेष्ठ भारत" पहल शुरू की गई थी।
3. सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "राष्ट्रीय एकता दिवस का पालन और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम का कार्यान्वयन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण की स्थायी प्रासंगिकता को दर्शाते हैं।" चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा: 250, अंक: 15)

आदर्श युवा ग्राम सभा : कक्षाओं को लोकतंत्र के सूक्ष्म जगत में बदलना

समाचार में क्यों?

- भारत सरकार ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करने और विकसित भारत@2047 के विज़न को गति देने के लिए ग्राम सभाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। 6.64 लाख से ज़्यादा गाँव भारत के लोकतंत्र की रीढ़ हैं, इसलिए स्थानीय शासन में युवाओं की जागरूकता, नेतृत्व और सहभागिता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।



- पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत पहलों का उद्देश्य युवा नागरिकों को सामुदायिक विकास और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय योगदान के लिए प्रोत्साहित करके ग्राम सभाओं को अधिक समावेशी, पारदर्शी और सहभागी बनाना है।

जेएनवी और ईएमआरएस क्या हैं?

- **जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)** के तहत स्थापित आवासीय विद्यालय हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारना है। इनकी स्थापना प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और शारीरिक विकास सहित गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है।
- **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना** दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है ताकि उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच मिल सके और उन्हें सामान्य आबादी के बराबर लाया जा सके।
- **73वें संविधान संशोधन ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था** की नींव रखी, जिससे ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर शासन को सशक्त बनाया गया। युवाओं को इस ढाँचे को समझने और उससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करके, विशेष रूप से आदर्श युवा ग्राम सभा जैसी पहलों के माध्यम से, मंत्रालय एक जागरूक और सशक्त पीढ़ी तैयार करने की परिकल्पना करता है जो लोकतांत्रिक भागीदारी, संवैधानिक आदर्शों और सामूहिक प्रगति को महत्व देती हो।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **आदर्श युवा ग्राम सभा पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020** के अनुरूप है, जो मौलिक कर्तव्यों, संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान और राष्ट्रीयता की प्रबल भावना को पोषित करने पर ज़ोर देती है।
- **उद्देश्य :** इसका उद्देश्य युवाओं को ज़िम्मेदार, कुशल और संवेदनशील नागरिक बनाना है, उन्हें भारतीय होने पर गर्व महसूस कराना है और साथ ही मानवाधिकारों, स्थिरता और वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना है।



आदर्श युवा ग्राम सभा (एमवाईजीएस) का उद्देश्य छात्रों को सहभागी और अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की संरचना और कार्यप्रणाली से परिचित कराना है। यह समावेशिता, जवाबदेही और पारदर्शिता के मूल्यों को पोषित करते हुए, सार्वजनिक भाषण, आलोचनात्मक चिंतन, टीम वर्क और आम सहमति निर्माण जैसे आवश्यक नागरिक और नेतृत्व कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। युवाओं को वास्तविक सामुदायिक मुद्दों पर विचार-विमर्श में शामिल करके, यह पहल ऐसे जागरूक, ज़िम्मेदार और सक्रिय नागरिकों का निर्माण करना चाहती है जो लोकतांत्रिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं में सार्थक योगदान दें।

मुख्य उद्देश्य:

- **पंचायती राज प्रणाली के बारे में छात्रों को शिक्षित करें :** छात्रों को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थापित त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे और स्थानीय शासन में इसकी भूमिका से परिचित कराएं।
- **भागीदारी को प्रोत्साहित करें :** छात्रों को ग्राम सभाओं और जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करें।
- **नेतृत्व कौशल विकसित करें :** पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए युवाओं में जिम्मेदारी, पहल और नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देना।
- **स्थानीय मुद्दों की समझ को बढ़ावा देना :** छात्रों को जमीनी स्तर पर वास्तविक जीवन की शासन व्यवस्था और विकासात्मक चुनौतियों पर चर्चा, विश्लेषण और समाधान प्रस्तावित करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
- **आदर्श युवा ग्राम सभा का उद्देश्य "सशक्त, जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण** युवा नागरिकों का पोषण करना है जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लें और सतत एवं समावेशी राष्ट्रीय विकास में योगदान दें।"

मुख्य विजन लक्ष्य:

- युवाओं में संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित सक्रिय और जागरूक नागरिकता को बढ़ावा देना।
- समावेशिता, आम सहमति निर्माण, न्याय और समानता के मूल्यों को विकसित करना, तथा छात्रों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए सशक्त बनाना।
- नेतृत्व, भागीदारी, संचार और आलोचनात्मक सोच जैसे आवश्यक जीवन कौशल विकसित करें।
- स्थानीय शासन प्रणालियों और स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- सक्रिय सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और समावेशी विकास में योगदान देने के लिए सशक्त बनाना।

एक आदर्श युवा ग्राम सभा की विशेषताएँ :

- एक आदर्श ग्राम सभा / ग्राम पंचायत बैठक का आयोजन मॉडल ग्राम सभा गतिविधि छात्रों को वास्तविक ग्राम सभा या ग्राम पंचायत बैठक की कार्यप्रणाली का अनुकरण करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती है।इस गतिविधि के दौरान, छात्र वास्तविक स्थानीय शासन संरचनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विभिन्न भूमिकाएँ निभाते हैं।
- कुछ को सरपंच, वार्ड सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, जबकि अन्य स्थायी समितियों के सदस्य, पंचायत पदाधिकारी (जैसे सचिव, पंचायत विकास अधिकारी या सहायक), और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता (जैसे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या रोजगार सहायक) के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, छात्रों के समूह ग्राम पंचायत के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और समुदाय-विशिष्ट चिंताओं और सुझावों को व्यक्त करते हैं।

बैठक प्रक्रिया :

- **तैयारी :** बैठक से पहले, छात्र एजेंडा प्रसारित करके, कम से कम दस दिन पहले नोटिस जारी करके, तथा

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

स्कूल या समुदाय में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करके तैयारी करते हैं।

- **कार्यवाही :** बैठक की शुरुआत सरपंच के परिचय से होती है, जिसके बाद पिछले प्रस्तावों, चल रहे कार्यों और नए प्रस्तावों पर प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। एजेंडे में विकासात्मक प्राथमिकताओं, वित्तीय नियोजन और संसाधन जुटाने पर चर्चा शामिल है।
- **वित्तीय विचार-विमर्श :** छात्र बजट की समीक्षा करते हैं, उपलब्ध धनराशि का आकलन करते हैं, प्रस्तावित कार्यों का अनुमान लगाते हैं, तथा वित्तपोषण अंतराल की पहचान करते हैं, तथा स्थानीय राजस्व सृजन के लिए नवीन तरीकों पर विचार-मंथन करते हैं।
- **निर्णय लेना :** बहस और चर्चा के बाद, प्रमुख प्रस्तावों पर मतदान होता है। सरपंच प्रस्तावों का सारांश तैयार करता है, और मिनट रिकॉर्डर निर्णयों को औपचारिक रूप से दर्ज करता है।

कार्यान्वयन दृष्टिकोण

- मार्च-अप्रैल 2025 में चयनित जेएनवी और ईएमआरएस में एक पायलट मॉडल ग्राम सभा/ग्राम पंचायत आयोजित की गई। इन बैठकों के संचालन की पूरी प्रक्रिया और मॉडल ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की संरचना को शामिल करते हुए एक प्रारूप प्रदान किया गया। बेहतर समझ के लिए उपरोक्त संरचना को एक लघु वीडियो के रूप में भी उपलब्ध कराया गया।
- स्थानीय शासन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आदर्श युवा ग्राम सभा और आदर्श ग्राम पंचायत बैठकें सभी स्कूलों में सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं। लगभग 80% स्कूलों ने आदर्श ग्राम सभा बैठकें आयोजित कीं, जबकि 20% स्कूलों ने आदर्श ग्राम पंचायत बैठकें आयोजित कीं। इन सत्रों के बाद, परिणामों का आकलन करने और व्यापक कार्यान्वयन एवं सुधार के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) को परिष्कृत करने हेतु प्रतिभागी स्कूलों से संरचित प्रतिक्रिया एकत्र की गई।

यह पहल निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चरणबद्ध एवं संरचित तरीके से आगे बढ़ रही है:

- **जुलाई 2025 :** विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने वाले स्कूलों की पहचान।
- **जुलाई-अगस्त 2025 :** आदर्श ग्राम सभा गतिविधियों के संचालन के लिए 200 मास्टर प्रशिक्षकों और शिक्षकों को तैयार करने हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- **अगस्त-सितंबर 2025 :** छात्रों को जमीनी स्तर पर शासन का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए बागपत (उत्तर प्रदेश) और अलवर (राजस्थान) जैसे चयनित स्कूलों में मॉक ग्राम सभा सत्र आयोजित किए गए।
- **अक्टूबर-नवंबर 2025 :** पांच क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसके तहत दस फाइनलिस्ट टीमों का चयन किया जाएगा - पांच जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) से और पांच एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) से।
- **दिसंबर 2025 :** इस पहल का समापन एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ होगा, जहां दस फाइनलिस्टों में से शीर्ष तीन टीमों को लोकतांत्रिक भागीदारी और नेतृत्व के प्रदर्शन में उनकी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा।

आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS) मॉड्यूल :

आदर्श युवा ग्राम सभा मॉड्यूल, स्कूलों में सहभागी लोकतंत्र के दृष्टिकोण को व्यवहार में लाने के लिए एक व्यापक ढाँचे के रूप में कार्य करता है। यह शिक्षकों और छात्रों को संरचित मार्गदर्शन, सुविधा उपकरणों और मूल्यांकन तंत्रों से सुसज्जित करके, युवाओं के नेतृत्व में ग्राम सभा के प्रभावी, आकर्षक और उच्च-गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

1. **राष्ट्रीय स्तरीय मास्टर ट्रेनर (एनएलएमटी) गाइड :** ग्राम सभा प्रक्रियाओं की विस्तृत समझ प्रदान करता है और सुविधाकर्ताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। सार्थक और आनंददायक शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए एमएलजेपी सिद्धांतों को एकीकृत करता है।
   - प्रशिक्षकों को प्रभावी ढंग से और अंतःक्रियात्मक रूप से सत्र आयोजित करने में सहायता करने के लिए चरण-दर-चरण सुविधा उपकरण प्रदान करता है।
2. **शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की सुविधा :** एक सरलीकृत, चित्रमय और उपयोगकर्ता-अनुकूल मार्गदर्शिका, जो सीखने को सहभागी और आकर्षक बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह शिक्षकों को छात्रों को लोकतंत्र, नेतृत्व और जीवन कौशल से परिचित कराने में मदद करती है और साथ ही उन्हें MYGS में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करती है। इसमें कार्यक्रम के सुचारू आयोजन और क्रियान्वयन के लिए तैयारी योजनाएँ और गतिविधि जाँच सूचियाँ शामिल हैं।
3. **मूल्यांकन ढांचा :** एमवाईजीएस गतिविधियों की प्रभावशीलता और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मूल्यांकन उपकरण। यह कार्यक्रम-पूर्व, कार्यक्रम-के दौरान और कार्यक्रम-पश्चात संकेतकों के माध्यम से प्रदर्शन को मापता है। एमवाईजीएस पहल के कार्यान्वयन में नवाचार और उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाले स्कूलों को मान्यता देता है।

अपेक्षित परिणाम

इस पहल से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य स्थानीय शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है:

- **भागीदारी को बढ़ावा देना :** छात्रों को स्थानीय शासन में सक्रिय रूप से शामिल होने और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना :** युवाओं को स्थानीय निकायों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाने तथा अपने समुदायों में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करना।
- **युवा आवाज़ों को सशक्त बनाना :** स्थानीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए छात्रों को एक मंच प्रदान करना, सूचित चर्चाओं और समाधानों को बढ़ावा देना।
- युवा व्यक्तियों को अपनी ग्राम पंचायतों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

आदर्श ग्राम सभा सहभागी शासन के प्रति युवा मन की दृष्टि और ज़िम्मेदारियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जागरूकता, नेतृत्व और सहभागिता को बढ़ावा देकर, इस पहल का उद्देश्य युवाओं और स्थानीय शासन के बीच की खाई को पाटना है, और यह सुनिश्चित करना है कि अगली पीढ़ी भारत की लोकतांत्रिक और विकासात्मक यात्रा में योगदान देने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. आदर्श युवा ग्राम सभा (एमवाईजीएस) पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
2. यह पहल जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में कार्यान्वित की जा रही है।
3. इसका क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय के अधीन किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "राष्ट्रीय एकता दिवस" और "भारत पर्व" जैसे आयोजन न केवल सरदार वल्लभभाई पटेल की एकीकृत भारत की भावना को पुनर्स्मरण कराते हैं, बल्कि 'विविधता में एकता' की भारतीय अवधारणा को सशक्त भी बनाते हैं। इस कथन के आलोक में ऐसे राष्ट्रीय आयोजनों की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (शब्द सीमा: 250, अंक: 15)

आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)

समाचार में क्यों?



- भारत सरकार ने विकसित भारत@2047 विजन के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। स्वास्थ्य सेवा में निवेश से सामुदायिक लचीलापन और उत्पादकता में वृद्धि पर ज़ोर देते हुए, सरकार आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच का विस्तार जारी रखे हुए है।

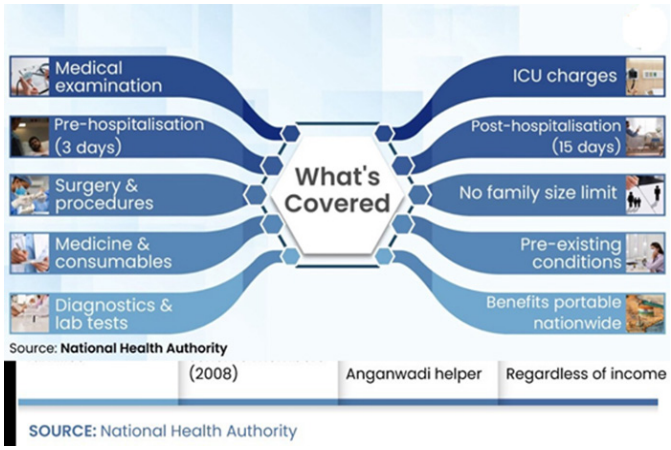
PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- 23 सितंबर, 2018 को शुरू की गई, AB-PM JAY दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है, जो करोड़ों वंचित परिवारों को कैशलेस उपचार प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मार्गदर्शन में, इस नए सिरे से फोकस का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा की कमियों को पाटकर, संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार की बीमारियों का समाधान करके, और भारत को स्वस्थ भारत, विकसित भारत के अपने लक्ष्य के करीब लाकर "सबका साथ, सबका विकास" सुनिश्चित करना है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना :

एबी-पीएमजेएवाई नामांकित सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है, जिससे उन्हें भारी-भरकम चिकित्सा बिलों से मुक्ति मिलती है। यह योजना सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्रदान करती है।

एबी-पीएमजेएवाई योजना (AB-PMJAY) की प्रगति:



भारत के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण (2024-25) के अनुसार, अपनी शुरुआत के बाद से, AB-PMJAY ने परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्च में 1.52 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है। योजना के लाभार्थियों के लिए बनाए गए आयुष्मान कार्ड के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2025 तक, AB-PMJAY में 42 करोड़ से अधिक लोग नामांकित हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के 86.51 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना (VVS) कार्ड प्रदान किए गए हैं। देश भर में 33,000 से अधिक अस्पताल – 17,685 सार्वजनिक और 15,380 निजी – AB-PMJAY के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।

विशेषता का नाम	कुल संख्या (लाभार्थियों की संख्या)	कुल राशि (₹ में)
सामान्य दवा	2,17,41,389	1,83,72,55,35,263
नेत्र विज्ञान	44,99,544	25,21,85,29,234
मेडिकल ऑन्कोलॉजी	41,41,188	45,97,11,90,452
प्रसूति एवं स्त्री रोग	35,64,071	26,92,15,05,469
जनरल सर्जरी	33,34,123	51,35,98,83,676
हड्डी रोग	24,45,678	81,18,52,82,099
उरोलोजि	19,95,470	36,60,39,74,579
आपातकालीन कक्ष पैकेज (12 घंटे से कम समय तक रुकना)	19,76,059	3,09,70,80,136
कार्डियलजी	12,82,206	86,73,06,06,349
नवजात देखभाल	11,04,752	23,20,06,53,194

यह तालिका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अंतर्गत 28 अक्टूबर, 2025 तक विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के लाभार्थियों एवं व्यय की कुल राशि दर्शाती है। लाखों लोगों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया, जिससे स्वास्थ्य कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

एबी-पीएमजेएवाई बजट :

इस योजना का पूर्ण वित्तपोषण भारत सरकार और संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा किया जाता है, और दोनों ही इसके कार्यान्वयन की लागत साझा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के बजट अनुमानों में वृद्धि हुई है, और 2025-26 के लिए इसका बजट 9,406 करोड़ रुपये अनुमानित है।

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रुपये में)
2019–20	6,556
2020–21	6,429
2021–22	6,401
2022–23	7,857
2023–24	7,200
2024–25	7,500
2025–26	9,406

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PM-JAY) के लिए पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बजट अनुमान दर्शाती है। इसमें 2025–26 के लिए उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है, जो योजना के विस्तार और स्वास्थ्य कवरेज को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

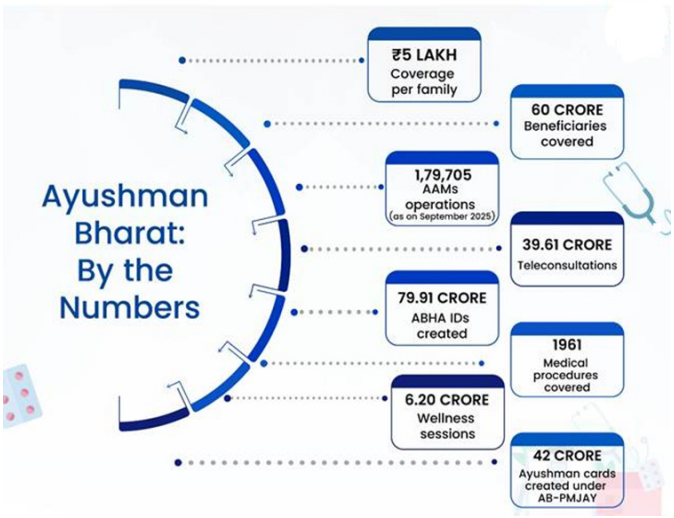
आयुष्मान आरोग्य मंदिर :

आयुष्मान भारत का दूसरा स्तंभ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घरों के और भी नज़दीक और सुलभ बनाता है। इनका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा, गैर-संचारी रोगों, उपशामक और पुनर्वास देखभाल, मुख, नेत्र और ईएनटी देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और आपात स्थितियों व आघात के लिए प्रथम-स्तरीय देखभाल, जिसमें निःशुल्क आवश्यक दवाएँ और नैदानिक सेवाएँ शामिल हैं, की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना है।

एएएम, जिसमें प्राथमिक और उप-स्वास्थ्य देखभाल केंद्र शामिल हैं, सभी आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित हैं, जिनमें शामिल हैं:

- उन्नत बुनियादी ढाँचा
- अतिरिक्त मानव संसाधन
- आवश्यक दवाएं और निदान
- आईटी प्रणालियाँ,
- ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में संचालित सभी एएएम पर टेली-परामर्श सेवाएँ भी उपलब्ध हैं। एएएम में (सितंबर 2025 तक) 39.61 करोड़ से अधिक टेली-परामर्श आयोजित किए जा चुके हैं।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन :



ABHA स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में लोगों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्याएँ तैयार करता है। इससे स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न स्तरों पर देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित होती है और दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों सहित हर जगह सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष :

AB-PMJAY यह सुनिश्चित करता है कि समाज के कमज़ोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा मिले, और आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को लोगों के घरों के नज़दीक लाते हैं।

- ABHA (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) योजना प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करती है ताकि वे सभी सुविधाओं में अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को निर्बाध रूप से बनाए रख सकें।
- PM-ABHIM अंतर्निहित स्वास्थ्य सेवा ढाँचे को मज़बूत करता है—गाँव से लेकर ज़िला स्तर तक अस्पताल, प्रयोगशालाएँ और स्वास्थ्य केंद्र बनाकर—ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रणाली गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान कर सके और आपात स्थितियों से निपट सके।
- आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये योजनाएं मिलकर सस्ती, अच्छी गुणवत्ता वाली और व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती हैं, जिससे सभी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित होता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है।
2. यह योजना पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
3. लाभार्थी सार्वजनिक और निजी दोनों सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 10. (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. चर्चा करें कि आयुष्मान भारत और इसके उप-मिशन — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और प्रधानमंत्री–आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) सामूहिक रूप से भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने में कैसे योगदान करते हैं।

(शब्द सीमा : 250, अंक : 15)

G20 रिपोर्ट : भारत के शीर्ष 1% व्यक्तियों की संपत्ति वर्ष 2025 तक 62% बढ़ी

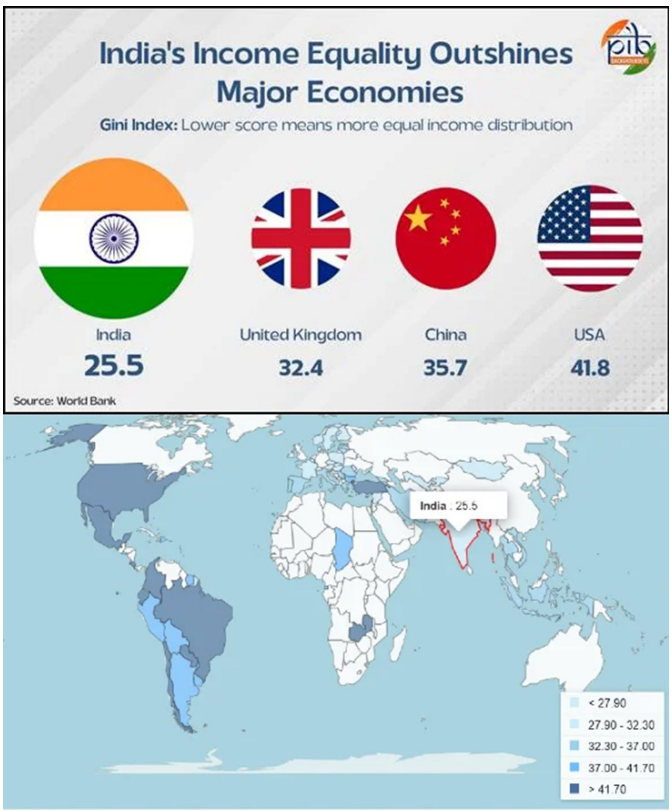
चर्चा में क्यों?

दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता द्वारा गठित G20 समिति ने पाया कि विश्व के संपन्न 1% व्यक्तियों ने वर्ष 2000 से 2023 के बीच वैश्विक संपत्ति का 41% हिस्सा अर्जित किया।

वैश्विक असमानता पर G20 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **वैश्विक आय असमानता :** 83% देशों में आय असमानता का स्तर बहुत अधिक है (गिनी गुणांक > 0.4)। ये देश विश्व की कुल जनसंख्या के 90% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- वर्ष 2000 के बाद से चीन और भारत की आर्थिक वृद्धि के कारण वैश्विक असमानता में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अब भी संपन्न क्षेत्रों और उप-सहारा अफ्रीका के बीच बड़ी असमानताएँ बनी हुई हैं, जहाँ गिनी गुणांक 0.61 दर्ज किया गया है।
- **संपत्ति असमानता :** वर्ष 2000 से वर्ष 2024 के बीच वैश्विक संपत्ति असमानता में तीव्र वृद्धि हुई है। सबसे संपन्न 1% व्यक्तियों ने नई संपत्ति का 41% हिस्सा हासिल किया, जबकि निचले 50% व्यक्तियों को केवल 1% हिस्सा मिला।
- भारत में शीर्ष 1% संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति का हिस्सा वर्ष 2000 से वर्ष 2023 के बीच 62% तक बढ़ गया।
- **वैश्विक खाद्य असुरक्षा :** पूरे विश्व में हर 4 में से 1 व्यक्ति (लगभग 2.3 बिलियन व्यक्ति) मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं और वर्ष 2019 से अब तक 335 मिलियन व्यक्ति नियमित रूप से भोजन छोड़ने पर मज़बूर हुए हैं।

गिनी सूचकांक (Gini Index)



- **परिचय :** गिनी सूचकांक का विकास वर्ष 1912 में इतालवी सांख्यिकीविद् कोराडो गिनी द्वारा किया गया था। यह किसी देश में घरों या व्यक्तियों के बीच आय असमानता को मापने का एक उपकरण है।
- यह लॉरेंज कर्व से व्युत्पन्न है और कर्व तथा पूर्ण समानता की रेखा के बीच के क्षेत्र को परिमाणित करता है, जो 0 (पूर्ण समानता) से लेकर 1 (अधिकतम असमानता) तक होता है तथा निम्न मान अधिक समतापूर्ण समाज का संकेत देते हैं।
- **भारत में गिनी सूचकांक की प्रवृत्ति :** भारत का गिनी सूचकांक वर्ष 2011 में 28.8 से घटकर वर्ष 2022 में 25.5 हो गया है, जिससे यह मध्यम रूप से निम्न असमानता वाले देशों की श्रेणी में आता है।
- भारत का 25.5 का स्कोर इसे चीन (35.7) और संयुक्त राज्य अमेरिका (41.8) जैसे अधिक असमानता वाले देशों से आगे रखता है।

- वैश्विक असमानता को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक कौन-से हैं?

- **आर्थिक उदारीकरण :** वित्तीय विनियमन (मूल्य अस्थिरता), कमज़ोर ट्रेड यूनियनों के साथ श्रम बाज़ार विनियमन तथा सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण, गरीबों पर असमान रूप से प्रभाव डालते हैं, जिससे आय और आर्थिक असमानता बढ़ती है।

- **अंतर्राष्ट्रीय कारक :** व्यापार पैटर्न और पूंजी प्रवाह से कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग को असमान रूप से अधिक लाभ मिलता है, जबकि श्रमिकों विशेषकर कम कुशल श्रमिकों की वास्तविक मज़दूरी स्थिर या घटती जाती है। साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकार और एकाधिकार विकसित देशों को लाभ पहुँचाते हैं तथा विकासशील देशों के लिये आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं व तकनीक तक पहुँच सीमित कर देते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय कर नियम और बाह्य आघात बहुराष्ट्रीय कंपनियों व संपन्न वर्ग को कर से बचने का अवसर देते हैं तथा विकासशील देशों को वित्तीय संकटों व वैश्विक मंदी के जोखिम में डालते हैं।

- **संरचनात्मक कारक :** औपनिवेशिक काल की संसाधन-उत्खनन आधारित अर्थव्यवस्थाओं की विरासत, असमान भूमि स्वामित्व और सामाजिक भेदभाव आज भी कायम हैं। औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न क्षेत्रीय विकास असंतुलन और पीढ़ी-दर-पीढ़ी संपत्ति हस्तांतरण ने आर्थिक असमानता को और गहराया है।

- **आय का असमान वितरण :** असमान परिसंपत्ति स्वामित्व, शिक्षा, कौशल और सामाजिक पूंजी में अंतर कुछ व्यक्तियों की आय बढ़ाता है जबकि अन्य को पीछे छोड़ देता है।

- **सामाजिक और सांस्कृतिक कारक :** वंशानुगत संपत्ति और विवाह पैटर्न, सामाजिक भेदभाव (जैसे लैंगिक, जाति, नस्ल) तथा कमज़ोर सार्वजनिक समर्थन संपन्न वर्ग की संपत्ति को स्थिर बनाए रखते हैं और निम्न-आय वर्ग को गरीबी के चक्र में फँसा देते हैं।

असमानता के विभिन्न निहितार्थ क्या हैं?

- **गरीबी का स्थायीकरण :** उच्च असमानता गरीबी का जाल बनाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण तक पहुँच को सीमित करती है तथा अंतर-पीढ़ीगत असुविधा को बढ़ाती है। यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी वंचना को बनाए रखती है, मानव क्षमता का अपव्यय करती है, श्रम उत्पादकता और नवाचार को घटाती है तथा समग्र आर्थिक विकास में बाधा डालती है।

- **आर्थिक अस्थिरता :** संपत्ति का अत्यधिक संकेंद्रण उत्पादक निवेश के बजाय वित्तीय परिसंपत्तियों और रियल एस्टेट में सट्टेबाज़ी को प्रोत्साहित करता है। वहीं अधिकांश आबादी की सीमित क्रय शक्ति आर्थिक विकास को धीमा कर देती है।

- **स्वास्थ्य संकट :** स्वास्थ्य सेवाओं पर जेब से होने वाला व्यय 1.3 बिलियन व्यक्तियों को गरीबी में धकेल चुका है, जिससे उत्पादकता और आय में गिरावट आई है। इसी तरह 2.3 बिलियन व्यक्ति खाद्य असुरक्षा से प्रभावित हैं, जिससे भुखमरी, कुपोषण और मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

- **लोकतंत्र का क्षरण :** अत्यधिक संपत्ति केंद्रीकरण से संपन्न वर्ग को राजनीतिक प्रभाव और कानून पर नियंत्रण प्राप्त होता है। उच्च असमानता वाले देशों में लोकतंत्र के कमज़ोर होने की संभावना सात गुना अधिक होती है, क्योंकि संस्थाओं पर जनविश्वास घटता है।

- **पारस्परिक दुष्चक्र :** इन परिणामों से एक दुष्चक्र बनता है - आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता को बढ़ावा देती है, जिसके परिणामस्वरूप संपन्न व्यक्तियों के पक्ष में नीतियाँ बनती हैं, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ती है और मध्यम वर्ग कमज़ोर होता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता एवं धीमी आर्थिक वृद्धि होती है।

G20 रिपोर्ट ने असमानता से निपटने के लिये क्या सुझाव दिये हैं?

- **अंतर्राष्ट्रीय असमानता पैनल (IPI) की स्थापना :** रिपोर्ट ने IPCC के मॉडल पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय असमानता पैनल (International Panel on Inequality- IPI) की स्थापना की अनुशंसा की है, जो वैश्विक असमानता की निगरानी करेगा, नीति-निर्माताओं को डेटा उपलब्ध कराएगा और सरकारी हस्तक्षेपों के लिये मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

- **प्रगतिशील कराधान :** आय, संपत्ति और उत्तराधिकार पर प्रगतिशील कर लागू किये जाएँ तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाए, ताकि एक न्यायसंगत समाज का निर्माण हो सके तथा धन-संपत्ति के अत्यधिक संकेंद्रण को कम किया जा सके।

- **सामाजिक सुरक्षा नीतियाँ :** श्रमिकों की शक्ति को सामूहिक सौदेबाज़ी, ट्रेड यूनियन संरक्षण और न्यूनतम वेतन के माध्यम से सुदृढ़ किया जाए तथा निष्पक्ष वेतन और प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी कानूनों (Antitrust Enforcement) के माध्यम द्वारा कॉरपोरेट एकाधिकारों पर नियंत्रण लगाया जाए।

- **वैश्विक व्यापार और बौद्धिक संपदा (IP) नियमों में सुधार :** महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य और जलवायु प्रौद्योगिकियों के लिये बौद्धिक संपदा (IP) छूट और अनिवार्य लाइसेंस (Compulsory Licenses) की अनुमति दी जाए तथा ऐसे न्यायसंगत व्यापार और निवेश समझौते प्रोत्साहित किये जाएँ जो विकासशील देशों को मूल्य श्रृंखला (Value Chain) में ऊपर बढ़ने में सहायता करें।
- **वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में सुधार :** एक सुदृढ़ वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर लागू किया जाए और अत्यधिक धनाढ्य व्यक्तियों पर न्यूनतम कर लगाने की संभावना पर विचार किया जाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (IFI) में सुधार करते हुए मितव्ययिता (Austerity) की नीतियों के स्थान पर विकास-उन्मुख नीतियाँ अपनाई जाएँ तथा पूंजी नियंत्रण (Capital Controls) को सामष्टिक आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stability) के एक साधन के रूप में मान्यता प्रदान की जाए।
- **विकासशील देशों की क्षमताओं का विस्तार :** अत्यधिक ऋणग्रस्त विकासशील देशों को ऋण राहत (Debt Relief) प्रदान की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विशेष आहरण अधिकार (SDR) को आवश्यकता के आधार पर (न कि कोटा के आधार पर) आवंटित किया जाए और अनुकूलन व क्षति-निवारण के लिये जलवायु वित्त (Climate Finance) सुनिश्चित किया जाए। साथ ही खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाए और डिजिटल अंतराल (Digital Divide) को कम किया जाए।

निष्कर्ष :

G20 की रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि वैश्विक असमानता अब आपात स्तर पर पहुँच चुकी है, जहाँ शीर्ष 1% व्यक्तियों के पास अत्यधिक धन-संपत्ति केंद्रित है। यह असमानता गरीबी, स्वास्थ्य संकट, आर्थिक अस्थिरता और लोकतांत्रिक क्षरण को बढ़ावा देती है। इसे दूर करने के लिये प्रगतिशील कराधान, सामाजिक सुरक्षा, वैश्विक समन्वय तथा व्यापार, बौद्धिक संपदा (IP) और वित्तीय प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता है, ताकि समावेशी और सतत् विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. G20 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 से भारत के शीर्ष 1% व्यक्तियों की संपत्ति में 62% की वृद्धि हुई है। इस प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन-सी स्थिति परिलक्षित होती है?

1. आय और संपत्ति में असमानता में वृद्धि
2. समावेशी विकास का सशक्तीकरण
3. आर्थिक विकास के लाभों का असमान वितरण

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) केवल 1 और 3

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. विकासशील देशों में असमानता पर आर्थिक उदारीकरण, संरचनात्मक कारकों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के प्रभाव की समीक्षा कीजिये।

राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण (2026 – 27)

समाचार में क्यों?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) जुलाई 2026 से जून 2027 तक एक वर्ष का राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण आयोजित करेगा, जो लगभग दो दशकों में प्रवासन का सबसे व्यापक अध्ययन होगा।

राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण (2026-27) क्या है?

- **परिचय :** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ढाँचे के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दुर्गम गाँवों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करेगा।
- सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रमुख प्रवासन संकेतकों पर विश्वसनीय अनुमान प्रस्तुत करना है, जिसमें समग्र प्रवासन दर, बाह्य प्रवासन स्तर, अल्पकालिक प्रवासन पैटर्न, लोगों के स्थानांतरण के कारण तथा विभिन्न क्षेत्रों में शुद्ध प्रवासन संतुलन शामिल हैं।
- **प्रवासन सर्वेक्षण की आवश्यकता :** भारत को एक नए प्रवासन सर्वेक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि पिछला NSS विस्तृत प्रवासन सर्वेक्षण (वर्ष 2007-08 में NSS का 64वाँ दौर) पुराना हो चुका है।
- गतिशीलता में बड़े बदलावों के साथ, विशेष रूप से कोविड-19 के बाद आवास, रोज़गार, कल्याण पोर्टेबिलिटी और क्षेत्रीय विकास की योजना बनाने के लिये नए डेटा की आवश्यकता है।

वर्ष 2026 सर्वेक्षण की नई विशेषताएँ :

- अल्पकालिक प्रवास में अब 15 दिन से छह महीने तक का प्रवास शामिल होगा, जो पहले एक से छह महीने की परिभाषा के स्थान पर होगा।
- सर्वेक्षण में पूरे परिवारों के बजाय व्यक्तिगत प्रवासियों पर नज़र रखी जाएगी तथा इसमें गतिशीलता के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिये आय में परिवर्तन, सेवाओं तक पहुँच, जीवनयापन की स्थिति और भविष्य की प्रवासन योजनाओं पर नए प्रश्न जोड़े गए हैं।
- **भारत में पिछले प्रवासन सर्वेक्षण :** NSS द्वारा 9वें दौर (1955) से प्रवासन सर्वेक्षण किये जा रहे हैं, जिसमें 18वें (1963-64) और 64वें (2007-08) जैसे समर्पित दौरों में प्रवासन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी एकत्र की गई।
- प्रवासन पर अधिक हालिया डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वर्ष 2020-21 और बहु संकेतक सर्वेक्षण (2020-21) के माध्यम से एकत्र किये गए थे।

राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण का महत्त्व (2026-27) :

- प्रवासन हॉटस्पॉट और रोज़गार-संबंधी गतिशीलता गलियारों की पहचान करने में मदद करता है।
- आवास, परिवहन और कौशल विकास के लिये लक्षित नीतियों को सक्षम बनाता है।
- शहरी विस्तार और श्रम बाज़ार की ज़रूरतों के लिये योजना बनाने में सहायता करता है।
- प्रवासियों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- प्रवासन-विशिष्ट सर्वेक्षणों में लंबे अंतराल के बाद भारत के सामाजिक-आर्थिक डेटा ढाँचे को मज़बूत करता है।

प्रवासन क्या है?

- **प्रवासन :** अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) की परिभाषा के अनुसार, प्रवासी (migrant) वह व्यक्ति है जो अपने सामान्य निवास स्थान को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार या किसी देश के भीतर स्थानांतरित हो रहा है या स्थानांतरित हो चुका है।
- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) की परिभाषा के अनुसार,** प्रवासन वह स्थानांतरण है जिसमें व्यक्ति अपना सामान्य निवास स्थान (UPR) बदल देता है। यदि किसी व्यक्ति का पूर्व UPR उसके मौजूदा सर्वेक्षण/गणना स्थान से अलग हो तो उसे प्रवासी की श्रेणी में रखा जाता है।
- **भारत में प्रवासन :** 'भारत में प्रवासन (2020–2021)' रिपोर्ट में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2020–21 से एकत्रित आँकड़ों पर आधारित विभिन्न प्रवासन-संबंधी संकेतकों के अनुमान प्रस्तुत किये गए हैं।
- **रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल प्रवास दर 28.9%** रही, जिसमें ग्रामीण और शहरी—दोनों क्षेत्रों में महिलाओं का प्रवासन पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक पाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 48% महिलाएँ और 5.9% पुरुष प्रवासी थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर क्रमशः 47.8% और 22.5% रही।
- **प्रवास के कारणों में भी स्पष्ट अंतर दिखा :** 67% पुरुष रोज़गार या काम की तलाश में प्रवास करते हैं, जबकि 87% महिलाएँ मुख्यतः विवाह के कारण स्थानांतरित होती हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के अंतर्गत प्रवासन की प्रमुख अवधारणाएँ

- **सामान्य निवास स्थान (UPR) :** वह स्थान (गाँव या शहर) जहाँ कोई व्यक्ति लगातार छह महीने या उससे अधिक समय तक रहता है।
- **प्रवास दर :** एक विशिष्ट जनसंख्या श्रेणी (ग्रामीण, शहरी, पुरुष, महिला, आदि) के भीतर प्रवासियों का प्रतिशत।
- **शुद्ध प्रवासन :** किसी भी क्षेत्र के लिये अंतर्प्रवासन और बहिर्प्रवासन के बीच का अंतर।
- **अल्पकालिक प्रवासी :** ऐसा व्यक्ति जिसने अपना UPR नहीं बदला है, लेकिन रोज़गार या नौकरी की तलाश में पिछले 365 दिनों में 15 दिनों से लेकर 6 महीने से कम समय के लिये घर से दूर रहा हो।
- **बाह्य-प्रवासी :** परिवार का कोई पूर्व सदस्य जो अतीत में किसी भी समय किसी अन्य गाँव या शहर में चला गया हो और सर्वेक्षण के समय अभी भी जीवित हो।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण (2026–27) के संदर्भ में सही है?

1. यह सर्वेक्षण ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करता है।

2. यह सर्वेक्षण केवल अंतर्राज्यीय प्रवासन पर केंद्रित है।

3. यह सर्वेक्षण आवास, रोजगार तथा शिक्षा पर प्रवासन के प्रभाव का आकलन करता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर : B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत की शहरी नियोजन और श्रम नीति के लिये नए राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

भारत में सरोगेसी कानून : अधिकार और सीमाएँ

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जाँच करने के लिये सहमत हो गया है कि क्या सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत दूसरे बच्चे के लिये सरोगेसी के उपयोग पर प्रतिबंध, विशेष रूप से द्वितीयक बाँझपन के मामलों में प्रजनन स्वायत्तता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

भारत के सरोगेसी कानून की सीमाओं को कानूनी चुनौती क्यों दी जा रही है?

- **सरोगेसी अधिनियम, 2021 पर विचार :** सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4(iii)(C)(II) उन दंपतियों को सरोगेसी का विकल्प चुनने से रोकती है, जिनके पास पहले से ही एक बच्चा है - जैविक, गोद लिया हुआ या सरोगेसी के माध्यम से, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ मौजूदा बच्चा किसी विकलांगता, जानलेवा या किसी लाइलाज बीमारी से प्रभावित है।
- द्वितीयक बाँझपन से पीड़ित दंपतियों का तर्क है कि यह प्रतिबंध उन्हें सरोगेसी तक पहुँच से वंचित करता है तथा प्रजनन स्वायत्तता के उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- **याचिकाकर्त्ताओं द्वारा तर्क :** द्वितीयक बाँझपन, हालाँकि कम चर्चा में है, भावनात्मक और चिकित्सकीय रूप से कष्टदायक है।
- जब राष्ट्रीय स्तर पर एक-संतान नीति नहीं है तथा गोद लेने संबंधी कानून पहले से ही दूसरे या तीसरे बच्चे की अनुमति देते हैं (उदाहरण के लिये हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956, किशोर न्याय अधिनियम, 2015) तो सरोगेसी से इनकार नहीं किया जाना चाहिये।
- यह प्रतिबंध प्रजनन स्वायत्तता में राज्य के अतिक्रमण के समान है, जो अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

सरकार का रुख :

- **सरोगेसी मौलिक अधिकार नहीं :** सरोगेसी में किसी अन्य महिला के गर्भ का उपयोग शामिल है। संविधान किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर अधिकार को मान्यता नहीं देता। सरोगेसी एक वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक नहीं।
- **प्रतिबंध उचित और आवश्यक :** जब दंपति के पास पहले से ही स्वस्थ, जीवित बच्चा हो तो यह अनावश्यक सरोगेसी को रोकता है। गैर-आवश्यक मामलों में सरोगेट माताओं को गर्भधारण से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **संतुलित प्रावधान :** प्रावधान गंभीर चिकित्सा स्थितियों के लिये अपवाद की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वास्तविक आवश्यकता को पूरा किया जाए और सरोगेसी का दुरुपयोग न हो।
- **सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन :** न्यायालय ने भारत की बढ़ती जनसंख्या से संबंधित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह प्रतिबंध "उचित" प्रतीत होता है।
- फिर भी इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह निर्धारित करने के लिये विस्तृत जाँच की आवश्यकता है कि क्या यह प्रावधान प्रजनन स्वतंत्रता, शारीरिक स्वायत्तता और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

भारत में सरोगेसी से संबंधित प्रमुख कानूनी ढाँचे क्या हैं?

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 :

- **अनुमति :** सरोगेसी केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिये ही अनुमत है तथा प्रमाणित बाँझपन वाले दंपतियों के लिये वाणिज्यिक सरोगेसी पूर्णतः निषिद्ध है।
- **पात्रता की आवश्यकता :** केवल कानूनी रूप से विवाहित भारतीय दंपति पुरुष (26–55 वर्ष) और महिला

(25–50 वर्ष) या विधवा/तलाकशुदा महिला (35–45 वर्ष) ही सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं और उनके पास पहले से कोई जैविक, गोद लिया हुआ या सरोगेसी से जन्मा बच्चा नहीं होना चाहिये।

- **सरोगेट माँ के लिये मानदंड :** निकट संबंधी होना चाहिये विवाहित होना चाहिये, कम-से-कम एक बच्चा होना चाहिये, 25-35 वर्ष की आयु होनी चाहिये तथा केवल एक बार सरोगेट के रूप में कार्य करना चाहिये।
- **जन्म के समय कानूनी स्थिति :** बच्चा कानूनी रूप से इच्छुक दंपति का जैविक बच्चा होता है, गर्भपात के लिये सहमति की आवश्यकता होती है तथा MTP अधिनियम का पालन करना होता है।
- **नियम 7 (दाता अंडे पर प्रतिबंध) :** नियम 7 दाता शुक्राणु पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मेयर-रोकिटांस्की-कुस्टर-हाउसर (MRKH) सिंड्रोम से जुड़े एक विशिष्ट मामले में इसके संचालन पर रोक लगा दी है।
- **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन :** इसके तहत दाता युग्मकों के साथ सरोगेसी की अनुमति दी गई है, बशर्ते इच्छुक दंपति में से किसी एक को ज़िला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किसी चिकित्सीय स्थिति के कारण दाता युग्मकों की आवश्यकता के लिये प्रमाणित किया गया हो।
- इसका अर्थ है कि यदि दोनों साथियों को कोई चिकित्सीय समस्या है तो दंपति अभी भी सरोगेसी का विकल्प नहीं चुन सकते।
- सरोगेसी का विकल्प चुनने वाली तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के लिये यह दाता शुक्राणु के साथ महिला के स्वयं के अंडों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है।

भारत के सरोगेसी फ्रेमवर्क में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **शोषण का जोखिम बनाम स्वायत्तता :** व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध महिलाओं के प्रजनन विकल्पों को सीमित करता है तथा सुरक्षा और स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई उत्पन्न करता है।
- **पितृसत्तात्मक सुदृढ़ीकरण :** प्रजनन श्रम पर महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करके, कानून अप्रत्यक्ष रूप से पितृसत्तात्मक मानदंडों को बनाए रखता है और अनुच्छेद 21 के अधिकारों को प्रभावित करता है।
- **परोपकारी सरोगेसी में भावनात्मक दबाव :** परिवार-आधारित सरोगेसी भावनात्मक तनाव उत्पन्न कर सकती है, संबंधों को प्रभावित कर सकती है और इच्छुक सरोगेट्स की संख्या सीमित रखती है।
- **पेशेवर समर्थन की कमी :** एजेंसियों को बहिष्कृत करने से संरचित समन्वय, वित्तीय स्पष्टता और सरोगेट व इच्छुक माता-पिता दोनों के लिये भावनात्मक समर्थन की कमी होती है।
- **बहिष्करणकारी पात्रता नियम :** अविवाहित व्यक्ति, अकेले पुरुष, समलैंगिक जोड़े और लिव-इन रिलेशनशिप में साथी प्रतिबंधित हैं, जो विभिन्न पारिवारिक रूपों के खिलाफ भेदभाव उत्पन्न करते हैं।

भारत के सरोगेसी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है?

- **पात्रता मानदंडों का तर्कसंगत सुधार :** सरकार और विधायिका को प्रतिबंधात्मक प्रावधानों, विशेषकर द्वितीयक बाँझपन, दाता युग्मक और अविवाहित व्यक्तियों के बहिष्कार पर पुनर्विचार करना चाहिये, ताकि कानून बदलती पारिवारिक संरचनाओं एवं संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप हो।
- **सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना :** प्रतिबंधात्मक नियमों के बजाय ध्यान मज़बूत नियामक तंत्र पर होना चाहिये, जो सरोगेट माताओं के लिये सूचित सहमति, चिकित्सकीय सुरक्षा, व्यय का उचित मुआवज़ा और शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करे।
- **परामर्श और समर्थन तंत्र :** इच्छुक माता-पिता और सरोगेट माताओं के लिये अनिवार्य मनोवैज्ञानिक, कानूनी तथा चिकित्सकीय परामर्श भावनात्मक दबाव को कम कर सकता है, बलपूर्वक करने से रोकता है तथा सभी पक्षों को जटिल निर्णयों में मार्गदर्शन करता है।
- **सांस्थानिक तंत्र :** ज़िला और राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्डों को बेहतर निगरानी उपकरण, शिकायत निवारण तंत्र तथा पारदर्शी प्रक्रियाओं के साथ सशक्त किया जाना चाहिये, ताकि सरोगेसी क्लीनिक, एजेंसियों एवं मेडिकल बोर्डों का नियमन किया जा सके।
- **अधिकार-आधारित नीति ढाँचा :** भविष्य के सुधारों में अनुच्छेद 21 के अधिकारों का संरक्षण, शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान और सुरक्षा के साथ सशक्तीकरण का संतुलन सुनिश्चित होना चाहिये ताकि सरोगेसी इकोसिस्टम नैतिक, समावेशी एवं संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बना रहे।

निष्कर्ष :

जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान प्रतिबंधों की पुनःसमीक्षा करता है, भारत के पास यह अवसर है कि वह अपने

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

सरोगेसी फ्रेमवर्क को परिष्कृत कर नैतिक सुरक्षा और प्रजनन स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करे। एक अधिक समावेशी, अधिकार-आधारित और सुव्यवस्थित प्रणाली सरोगेट माताओं की सुरक्षा, इच्छुक माता-पिता का समर्थन और कानून को बदलती सामाजिक वास्तविकताओं तथा संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाए रखने में सक्षम हो सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम केवल परोपकारी (Altruistic) सरोगेसी की अनुमति देता है।
2. अविवाहित पुरुष और महिला दोनों इस अधिनियम के तहत सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं।
3. सरोगेट माँ को चिकित्सकीय बीमा कवर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
4. व्यावसायिक (Commercial) सरोगेसी को कठोर दंड के साथ प्रतिबंधित किया गया है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A. केवल 1 और 3 B. केवल 2 और 4

C. केवल 1, 3 और 4 D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: C (केवल 1, 3 और 4)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 शोषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पितृसत्तात्मक धारणाओं को मज़बूत करता है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA), 2005

सुर्ख़ियों में क्यों?

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDV Act, 2005) को लागू हुए 20 वर्ष पूरे हो गए।

PWDVA क्या है ?

इस अधिनियम का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

भारत, "महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन पर अभिसमय (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, घरेलू हिंसा को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में मान्यता देते हुए इस पर विशेष कानून बनाने के लिए बाध्य था।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान :

- **घरेलू हिंसा (DV) की व्यापक परिभाषा :** इस अधिनियम के अंतर्गत "घरेलू हिंसा" की परिभाषा अत्यंत व्यापक है, इसमें वास्तविक हिंसा या हिंसा की धमकी - शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मौखिक तथा आर्थिक उत्पीड़न सभी शामिल हैं। दहेज की अवैध मांगों के माध्यम से महिला या उसके परिजनों को प्रताड़ित करना भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है।
- **विस्तार :** यह अधिनियम विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंधों और साझा गृहस्थी में रहने वाली सभी महिलाओं पर लागू होता है।
- **महिलाओं के अधिकार :** साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार (भले ही घर का स्वामित्व किसी के पास हो)।
- बच्चे की अस्थायी कस्टडी या अभिरक्षा का अधिकार। अन्य राहतें, जैसे — संरक्षण आदेश : घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए; मौद्रिक राहत (Monetary Orders): स्वयं और बच्चों के भरण-पोषण के लिए।
- **क्षतिपूर्ति आदेश :** हिंसा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए।

संस्थागत व्यवस्था:

- **संरक्षण अधिकारी :** इनकी नियुक्ति पीड़िता की सहायता करने, कानूनी मदद दिलाने, राहत आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने के लिए की जाती है।
- उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायत प्राप्त होने पर घरेलू हिंसा के मामलों की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दें और मजिस्ट्रेट को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता करें।
- **सेवा प्रदाता :** एनजीओ और सरकारी एजेंसियां जो पीड़ित महिलाओं को परामर्श, आश्रय, चिकित्सीय सहायता तथा कानूनी सहायता प्रदान करती हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **सरकार के कर्तव्य :** घरेलू हिंसा संबंधी जन जागरूकता बढ़ाना, संबंधित अधिकारियों एवं संगठनों को प्रशिक्षण देना तथा सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना।

प्रक्रिया और प्रवर्तन:

- **समय पर न्याय :** पीड़िता 60 दिनों के भीतर त्वरित सिविल न्यायिक राहत प्राप्त कर सकती है।
- **साक्ष्य :** पीड़िता का स्वयं का बयान साक्ष्य के रूप में पर्याप्त माना जाता है, जिससे उस पर प्रमाण प्रस्तुत करने का बोझ कम होता है।
- **दंड :** न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर कारावास या जुर्माना हो सकता है।

क्या यह अधिनियम सफल रहा है?

- **न्यायिक निर्णयों के माध्यम से संरक्षण के दायरे का विस्तार :** महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों ने इस अधिनियम के दायरे का विस्तार किया है।
- **उदाहरण के लिए :** डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैअम्मल, 2010 वाद में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी संरक्षण अधिकार दिए गए। इसी तरह हीरालाल पी. हरसोरा बनाम कुसुम हरसोरा, 2016 वाद में अधिनियम के तहत प्रतिवादी के रूप में केवल पुरुषों के होने की बाध्यता हटाई गई।
- **घरेलू हिंसा कानून के तहत दर्ज मामलों में गिरावट :** अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या 2021 में 507 थी जो 2022 में घटकर 468 हो गई।
- इसी प्रकार, पति-पत्नी के बीच हिंसा के मामलों में भी कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-4 (2015–16) के अनुसार 31.2% विवाहित महिलाओं ने इस तरह की हिंसा की शिकायत की थी, जो NFHS-5 (2019–20) में कम होकर 29.3% रह गई।
- **महिला अधिकारों को मान्यता और सांस्कृतिक परिवर्तन :** इस कानून ने घरेलू हिंसा को एक निजी पारिवारिक मामले की बजाय एक गंभीर सामाजिक और कानूनी मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे समाज की सोच में बदलाव आया है।
- **त्वरित संरक्षण हेतु नागरिक उपाय :** आपराधिक कानून कई बार महिलाओं को शिकायत दर्ज करने से हतोत्साहित करते हैं, वहीं PWDVA महिलाओं को संरक्षण आदेश, आश्रय का अधिकार, और भरण-पोषण के आदेश जैसी सिविल राहत प्रदान करता है, जो सुरक्षा और पुनर्वास पर केंद्रित हैं।

अन्य प्रमुख उपलब्धियां:

इसने शारीरिक क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के अलावा दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को कानूनी मान्यता दी है, जो IPC की धारा 498A जैसे पिछले कानूनों के दायरे से बाहर थे।

सहायता प्राप्त करने के कई अन्य साधन प्रदान किए गए हैं।

क्रियान्वयन में चुनौतियां

- **दोषसिद्धि की कम दर :** PWDVA के तहत दोषसिद्धि दर लगभग 18% (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2022) है, जो दर्शाता है कि बहुत कम मामलों में सज़ा हो पाती है।
- **न्यायिक और कानूनी सीमाएँ :** कुछ न्यायिक व्याख्याओं ने अधिकारों को सीमित किया है जैसे कि एस.आर. बत्रा बनाम तरूणा बत्रा (2007) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने "साझा घर" (Shared Household) की परिभाषा को संकीर्ण करते हुए कई महिलाओं के लिए संरक्षण का दायरा सीमित कर दिया।
- **साक्ष्य और प्रमाण जुटाने :** में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पीड़िता के मौखिक बयान को मान्यता दिए जाने के बावजूद ठोस गवाहों और दस्तावेजों की कमी के चलते कानून के तहत सजा दिलाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं :** समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता गहरी पैठ जमा चुकी है। घरेलू हिंसा को निजी पारिवारिक मामला माना जाता है और विवाह विच्छेद या तलाक से जुड़ा सामाजिक कलंक, वास्तव में महिलाओं को कानूनी सहायता लेने से रोकता है।
- **कानूनी सुरक्षा के बावजूद घरेलू हिंसा की अधिक घटनाएं :** 2022 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज सभी प्रकार के अपराधों में 31.4% मामले पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (IPC धारा 498A) से संबंधित थे।

अन्य चुनौतियां:

- संरक्षण अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं देना और कर्मचारियों की कम संख्या इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने में मुख्य बाधा है।
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आश्रय गृहों और सेवा प्रदाताओं की संख्या कम है।
- पुलिस अधिकारी घरेलू हिंसा से जुड़े मामले में असंवेदनशीलता दिखाते हैं।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- घरेलू हिंसा में केवल महिला को ही पीड़ित माना जाता है। पीड़ित पुरुषों के मामलों की उपेक्षा की जाती है।

घरेलू हिंसा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय

- **वन स्टॉप सेंटर (OSC) :** यह मिशन शक्ति नामक अम्ब्रेला योजना का एक घटक है। इसके तहत हिंसा की पीड़िता और संकट का सामना कर रहीं महिलाओं को एक ही जगह एकीकृत सहायता प्रदान की जाती है।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (Emergency Response Support System: ERSS-112) :** इसे अलग-अलग आपात स्थितियों से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया गया है। इसमें क्षेत्रीय/पुलिस संसाधनों का कंप्यूटर एडेड डिस्पैच शामिल है।
- **निर्भया कोष :** इसके अंतर्गत, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) ने जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- **अन्य उपाय :** पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क (WHD) स्थापित किए गए हैं; पूरे देश के लिए एकल महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, आदि।

आगे की राह :

1. पीड़ितों को उत्कृष्ट सहायता प्रदान करने तथा अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु संरक्षण अधिकारियों के लिए निर्धारित मानकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार की जरूरत है।
2. घरेलू हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग को सुगम बनाने एवं पुलिस के प्रति जन विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए महिला-केंद्रित पुलिस इकाइयों का विस्तार तथा उनका संवेदीकरण अनिवार्य है।
3. पीड़िताओं को आजीवन समग्र सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आश्रय गृहों तथा पुनर्वास कार्यक्रमों में वृद्धि की जानी चाहिए।
4. पितृसत्तात्मक मानसिकता के उन्मूलन हेतु महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
5. घरेलू हिंसा की महिला अभियुक्तों से निपटने एवं उनकी पुनर्वास व्यवस्था के विस्तार के लिए विधिक ढांचे में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।
6. घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु उन्हें STEP जैसी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष :

अपने प्रवर्तन के दो दशकों के पश्चात, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्थापित होने के साथ-साथ समाज का प्रतिबिंब भी प्रस्तुत करता है। यह अधिनियम भारत में महिला अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की दिशा में हुई प्रगति का प्रतीक है। हालांकि, उन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवरोधों को समाप्त करने हेतु अभी एक लंबी यात्रा अभी बाकी है, जो महिलाओं को हिंसात्मक घरेलू परिवेश में बने रहने के लिए विवश करती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA), 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अधिनियम केवल विवाहित महिलाओं पर लागू होता है।
2. अधिनियम 'सह-निवासी संबंध' (live-in relationship) को भी मान्यता देता है।
3. अधिनियम में संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA), 2005 ने भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक और अधिकार-आधारित ढांचा प्रदान किया है।"यह महिलाओं के लिए किस प्रकार एक प्रभावी सामाजिक-न्याय उपकरण के रूप में कार्य करता है? (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

PLUTUS IAS
UPSC / PCS

Our Top Rankers



Many more.....

Best UPSC Faculties in India



Dr. Hardeep Singh IAS (Retd.)



Dr. Ghanshyam Singh (HCS allied services)



Dr. Raju Narayana Swamy (Principal Secretary | IAS | AIR 1 | honorary)



Dr. Huma Hassan (Anthropology & Sociology optional)



Prateek Tripathi (Economic & Physics Optional)

Our Books are available on

www.flipkart.com — Flipkart

www.onlinekhanmarket.com — Onlinekhanmarket

www.examophobia.com — Examophobia

www.amazon.in — Amazon

Corporate Office:

917A/41, 1st floor, WEA Karol Bagh, Delhi 110005

Basement - 8 Apsara Arcade, Karol Bagh metro station Gate no. 6, New Delhi 110005

C 59, C Block, Sector 2, Noida, Uttar Pradesh 201301